

राजस्थान समान सिविल संहिता विधेयक, 2026

(जैसाकि राजस्थान विधान सभा में पुरःस्थापित किया जायेगा)

विवाह और विवाह-विच्छेद, उत्तराधिकार, लिव-इन रिलेशनशिप और इनसे संबंधित मामलों के संबंध में विधियों को शासित और विनियमित करने के लिए विधेयक।

भारत गणराज्य के सतहत्तरवें वर्ष में राजस्थान राज्य विधान-मण्डल निम्नलिखित अधिनियम बनाता है:-

अध्याय 1

प्रारंभिक

1. संक्षिप्त नाम, प्रसार और प्रारम्भ.- (1) इस अधिनियम का नाम राजस्थान समान सिविल संहिता, अधिनियम, 2026 है।

(2) इसका विस्तार सम्पूर्ण राजस्थान राज्य में है और यह राजस्थान के उन निवासियों पर भी लागू होगा जो उस राज्य क्षेत्रों के बाहर निवास कर रहे हैं, जिन पर इस संहिता का विस्तार है।

(3) यह ऐसी तारीख को प्रवृत्त होगा जो राज्य सरकार, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, नियत करे।

2. अनुसूचित जनजातियों और व्यक्तियों के अन्य समूहों पर संहिता का लागू नहीं होना.- इस संहिता में अंतर्विष्ट कोई भी बात निम्नलिखित पर लागू नहीं होगी,-

(1) भारत के संविधान के अनुच्छेद 342 के साथ पठित अनुच्छेद 366 के खण्ड (25) के अभिप्राय के अन्तर्गत आने वाले अनुसूचित जनजाति के सदस्यों पर; और

(2) ऐसे व्यक्तियों और व्यक्तियों के समूह पर, जिनके रुढ़िजन्य अधिकार भारत के संविधान के भाग 21 के अधीन संरक्षित हैं।

3. परिभाषाएं.- (1) इस संहिता में, जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो,-

(क) “**बालक**” से, माता-पिता के संबंध में, चाहे वे विवाहित हों या अविवाहित, उनके जैविक बालक, कोई दत्तक बालक, या सरोगेसी या सहायक प्रजनन तकनीक के माध्यम से जन्मा कोई बालक अभिप्रेत है।

(ख) “**न्यायालय**” से, मूल सिविल अधिकारिता रखने वाला कोई न्यायालय अभिप्रेत है, और इसमें कुटुम्ब न्यायालय अधिनियम, 1984 (1984 का केन्द्रीय अधिनियम संख्या 66) के अधीन स्थापित कोई कुटुम्ब न्यायालय या ऐसा कोई न्यायालय, जिसे कुटुम्ब न्यायालय की शक्तियाँ और अधिकारिता प्रदत्त की गयी हों, सम्मिलित हैं;

(ग) “**रूढ़ि और प्रथा**” से ऐसा कोई नियम संज्ञापित है, जिसका लंबे समय से निरंतर और समान रूप से पालन किये जाते रहने से उसने किसी स्थानीय क्षेत्र, जनजाति या समुदाय में व्यक्तियों के बीच विधि का बल अभिप्राप्त कर लिया है:

परन्तु, नियम निश्चित हो और अयुक्तियुक्त या लोक नीति या नैतिकता के विरुद्ध न हो;

(घ) “**प्रतिषिद्ध नातेदारी की डिग्रियाँ**”- कोई पुरुष और अनुसूची-1 की सूची-1 में उल्लिखित व्यक्तियों में से कोई और कोई महिला और उक्त अनुसूची की सूची-2 में उल्लिखित व्यक्तियों में से कोई, प्रतिषिद्ध नातेदारी की डिग्रियों के भीतर आयेगें।

स्पष्टीकरण 1.- नातेदारी में-

(i) अर्ध या एकोदर रक्त के साथ ही पूर्ण रक्त द्वारा, दत्तक, सरोगेसी या सहायक प्रजनन तकनीक द्वारा संबंध,

(ii) विवाह के माध्यम से या विवाह के बिना प्रजनन द्वारा स्थापित रक्त संबंध,

सम्मिलित हैं और इस संहिता में नातेदारी के सभी पदों का अर्थ तदनुसार लगाया जायेगा;

स्पष्टीकरण 2.- “पूर्ण रक्त”- दो व्यक्तियों को पूर्ण रक्त द्वारा एक दूसरे से संबंधित कहा जाता है जब वे एक ही पूर्वज से एक ही पत्नी द्वारा अवजनित हों;

स्पष्टीकरण 3.- “अर्ध रक्त”- दो व्यक्तियों को अर्ध रक्त द्वारा एक दूसरे से संबंधित कहा जाता है जब वे एक ही पूर्वज से, किन्तु भिन्न पत्नियों द्वारा अवजनित हों;

स्पष्टीकरण 4.- “एकोदर रक्त”- दो व्यक्तियों को एकोदर रक्त द्वारा एक दूसरे से संबंधित कहा जाता है जब वे एक ही पूर्वजा से, किन्तु भिन्न पतियों द्वारा अवजनित हों;

स्पष्टीकरण 5.- स्पष्टीकरण 2, 3 और 4, में “पूर्वज” में पिता और “पूर्वजा” में माता सम्मिलित है;

(ड) “संपदा” से किसी भी प्रकार की संपदा, चाहे वह जंगम या स्थावर, स्व-अर्जित या पैतृक/सहदायिकी/संयुक्त, मूर्त या अमूर्त हो, अभिप्रेत है, और इसमें ऐसी संपत्ति में कोई अंश, हित या अधिकार, सम्मिलित है;

(च) “उच्च न्यायालय” से राजस्थान उच्च न्यायालय अभिप्रेत है;

(छ) “अवयस्क” से, कोई व्यक्ति, जिसने अठारह वर्ष की आयु प्राप्त नहीं की है, अभिप्रेत है;

(ज) “अधिसूचना” से, राजस्थान राजपत्र में प्रकाशित कोई अधिसूचना अभिप्रेत है और अभिव्यक्ति “अधिसूचित” का अर्थ तदनुसार लगाया जायेगा;

(झ) “माता-पिता” से, किसी बालक के पिता या माता अभिप्रेत हैं;

(ञ) “व्यक्ति” से, कोई व्यक्ति, चाहे महिला या पुरुष, अभिप्रेत है और अभिव्यक्तियों “वह”, “उसकी/उसका”, “उसे” और “स्वयं” का अर्थ तदनुसार लगाया जायेगा;

(ट) “विहित” से, इस संहिता के अधीन बनाए गए नियमों द्वारा विहित अभिप्रेत है;

(ठ) “रजिस्ट्रार” से, इस संहिता के अधीन, राज्य सरकार द्वारा नियुक्त रजिस्ट्रार, अभिप्रेत है;

(ड) “महा रजिस्ट्रार” से, इस संहिता के अधीन, राज्य सरकार द्वारा नियुक्त महा रजिस्ट्रार, अभिप्रेत है;

(ढ) “निवासी” से, इस संहिता के प्रयोजन के लिए, भारत का नागरिक अभिप्रेत है, चाहे वह राजस्थान राज्य के राज्यक्षेत्रों के भीतर या बाहर निवास कर रहा हो, जो-

- (i) इस संबंध में राज्य सरकार द्वारा जारी की गयी अधिसूचना के अधीन निवासी होने के लिए पात्र है, या
- (ii) राज्य सरकार या उसके उपक्रमों/इकाईयों का कोई स्थायी कर्मचारी है, या
- (iii) केंद्र सरकार या उसके उपक्रमों/इकाईयों का कोई स्थायी कर्मचारी है, जो राज्य के राज्यक्षेत्र के भीतर नियोजित है, या
- (iv) राज्य सरकार या केंद्र सरकार की ऐसी किसी स्कीम का हिताधिकारी है, जो राज्य में लागू है और राज्य सरकार द्वारा इस प्रयोजन के लिए अधिसूचित की गई है, या
- (v) राजस्थान में जन्मा है और उसके माता-पिता राजस्थान के निवासी हैं, या राजस्थान राज्य के भीतर स्थावर सम्पत्ति का स्वामित्व रखते हैं, बशर्ते कि ऐसे व्यक्ति का किसी अन्य राज्य में अधिवास न हो, या
- (vi) राज्य में एक वर्ष से अनिम्न के लिए निवास कर रहा है।

(ण) “पति या पत्नी” से, किसी विवाह में या तो पति या पत्नी, अभिप्रेत है;

(त) “राज्य” से, राजस्थान राज्य अभिप्रेत है; और

(थ) “राज्य सरकार” से, राजस्थान सरकार अभिप्रेत है।

(2) इस संहिता के भाग-1 में, जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो-

(क) “भरण-पोषण” में भोजन, कपड़ा, आवास, शिक्षा, चिकित्सकीय परिचर्या और उपचार, तथा विशेष आवश्यकताएं, यदि कोई हो, सम्मिलित हैं; और

(ख) “विवाह के पक्षकार” से, कोई पुरुष और कोई महिला अभिप्रेत है, जिनके बीच विवाह अनुष्ठापित/अनुबंधित किया गया है।

(3) इस संहिता के भाग-2 में, जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो-

(क) “प्रशासक” से, किसी मृतक व्यक्ति की संपदा, जिसका कोई निष्पादक नहीं है के प्रशासन हेतु किसी सक्षम प्राधिकारी द्वारा नियुक्त कोई व्यक्ति, अभिप्रेत है;

(ख) “वसीयत” से, किसी व्यक्ति की विनिर्दिष्ट संपदाओं को उसकी मृत्यु के पश्चात्, अन्यो को समनुदेशित करने का कृत्य, अभिप्रेत है, और इसके व्याकरणिक रूपभेद और सजातीय अभिव्यक्तियों का अर्थ तदनुसार लगाया जायेगा;

(ग) “केवियट” से, प्रोबेट या प्रशासन अनुदत्त करने से पूर्व, न्यायालय द्वारा आवेदनकर्ता को सुने जाने हेतु अनुज्ञेय करने के लिए नोटिस, अभिप्रेत है;

(घ) “क्रोडपत्र” से, ऐसी लिखत अभिप्रेत है, जो किसी वसीयत के संबंध में की गई है और उसकी प्रकृति को स्पष्ट करने वाली, उसमें परिवर्तन करने वाली या परिवर्धन करने वाली है, और यह वसीयत का भाग मानी जायेगी;

(ङ) “जिला न्यायाधीश” से, किसी जिले में मूल अधिकारिता रखने वाले किसी प्रमुख सिविल न्यायालय का न्यायाधीश अभिप्रेत है, और इसमें अतिरिक्त जिला न्यायाधीश सम्मिलित है;

(च) “निष्पादक” से, ऐसा व्यक्ति अभिप्रेत है, जिसे वसीयतकर्ता की नियुक्ति द्वारा किसी मृतक व्यक्ति की अंतिम विल का निष्पादन विश्वासपूर्वक सौंपा गया है;

(छ) “वारिस” से, ऐसा कोई व्यक्ति अभिप्रेत है, जो किसी निर्वसीयती की संपदा का उत्तराधिकारी होने का हकदार है;

(ज) “निर्वसीयती”- कोई व्यक्ति, ऐसे व्यक्ति की किसी संपदा के संबंध में निर्वसीयत मृत हुआ कहा जायेगा जिसके लिए प्रभावी होने के लिए सक्षम कोई भी वसीयती व्यवस्था नहीं की गयी है;

(झ) “वसीयती-संपदा” उस संपदा को संज्ञापित करती है जो इस संहिता के भाग 2 के अध्याय 2 में अन्तर्विष्ट उपबंधों के अनुसार किसी एक व्यक्ति द्वारा किसी अन्य को अन्तरित की जाए;

(ञ) “प्रोबेट” से, ऐसी विल की प्रति अभिप्रेत है, जिसे वसीयतकर्ता की संपदा के प्रशासन की मंजूरी सहित सक्षम अधिकारिता वाले न्यायालय की मुद्रा के अधीन प्रमाणित किया गया;

(ट) “वसीयतकर्ता” से, ऐसा व्यक्ति अभिप्रेत है, जो विल निष्पादित करता है; और

(ठ) “वसीयत” से, किसी वसीयतकर्ता की, उसकी संपदा के संबंध में इस आशय की विधिक घोषणा अभिप्रेत है, जिसे वह उसकी मृत्यु के पश्चात् कार्यान्वित किये जाने की वांछा करता है;

स्पष्टीकरण.- भाग-2 में प्रयुक्त शब्द और अभिव्यक्तियां और जो इस उप-धारा में परिभाषित नहीं किये गये किन्तु भारतीय उत्तराधिकार अधिनियम, 1925 (1925 का केन्द्रीय अधिनियम सं. 39) में परिभाषित किये गये हैं के अर्थ वही होंगे जो उन्हें उस अधिनियम में समनुदिष्ट किये गये हैं।

(4) इस संहिता के भाग-3 में, जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो-

(क) “लिव-इन रिलेशनशिप” से, कोई पुरुष और कोई महिला (इसमें इसके पश्चात् “पार्टनर्स” के रूप में निर्दिष्ट किये गये हैं) के बीच संबंध अभिप्रेत है, जो विवाह के स्वरूप में संबंध के माध्यम से साझा गृहस्थी में एक साथ सहवास कर रहे हैं, बशर्ते कि ऐसा संबंध संहिता के भाग-3 के अधीन प्रतिषिद्ध नहीं हो;

(ख) “साझी गृहस्थी” से ऐसी गृहस्थी अभिप्रेत है, जहां एक पुरुष और एक महिला, जो अवयस्क नहीं हैं, एक छत के नीचे भाड़े के आवास में या संयुक्त स्वामित्व वाले आवास में या उनमें से किसी

एक के स्वामित्व वाले आवास में या किसी अन्य आवास में साथ रहते हैं;

(ग) “लिव-इन रिलेशनशिप का कथन” से इस बात का संयुक्त रूप से हस्ताक्षरित कथन अभिप्रेत है कि, कोई पुरुष और कोई महिला लिव-इन रिलेशनशिप में हैं या ऐसे किसी संबंध में प्रवेश करने का आशय रखते हैं, और ऐसे किसी संबंध के रजिस्ट्रीकरण हेतु रजिस्ट्रार के समक्ष विहित रीति में प्रस्तुत हुए हैं; और

(घ) “समापन का कथन” से, विद्यमान लिव-इन रिलेशनशिप के किसी एक या दोनों पार्टनर द्वारा हस्ताक्षरित इस बात का कथन अभिप्रेत है कि ऐसे संबंध का समापन कर दिया गया है और जिसे विहित रीति से रजिस्ट्रार के समक्ष प्रस्तुत कर दिया गया है।

(5) इस संहिता में प्रयुक्त किये गये, किन्तु इसमें परिभाषित नहीं किये गये शब्दों और अभिव्यक्तियों के वही अर्थ होंगे जो भारतीय न्याय संहिता, 2023 (2023 का केंद्रीय अधिनियम सं. 45) और भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 (2023 का केंद्रीय अधिनियम सं. 46) और राजस्थान साधारण खण्ड अधिनियम, 1955 (1955 का अधिनियम सं. 8), और भारत या राजस्थान राज्य में तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि में परिभाषित किये गये हैं और उन संहिताओं/अधिनियमों में जो अर्थ उन्हें समनुदिष्ट किये गये हैं।

भाग-1

विवाह और विवाह-विच्छेद

अध्याय- I

विवाह अनुष्ठापन/अनुबंधन के लिए शर्तें

4. विधिमान्य विवाह के लिए शर्तें.- एक पुरुष और एक महिला के बीच विवाह अनुष्ठापित/अनुबंधित किया जा सकेगा, यदि निम्नलिखित शर्तें पूर्ण होती हों, अर्थात्,-

- (i) विवाह के समय दोनों में से किसी भी पक्षकार का पति/पत्नी जीवित नहीं हो;
- (ii) विवाह के समय दोनों में से कोई भी पक्षकार-
 - (क) चित्त विकृति के परिणामस्वरूप विधिमान्य सम्मति देने में असमर्थ न हो; या
 - (ख) विधिमान्य सम्मति देने में समर्थ होने पर भी इस प्रकार के या इस सीमा तक के मानसिक विकार से पीड़ित न रहा हो कि वह विवाह के लिए अयोग्य हो जाये; या
 - (ग) उन्मत्तता के बार-बार के दौरों से पीड़ित न हो;

(iii) विवाह के समय पुरुष ने इक्कीस वर्ष की आयु और महिला ने अठारह वर्ष की आयु पूर्ण कर ली हो;

(iv) विवाह के पक्षकार प्रतिषिद्ध नातेदारी की डिग्रियों के भीतर नहीं आते हों, जब तक दोनों में से कम से कम किसी एक को शासित करने वाली रूढ़ि या प्रथा उन दोनों के मध्य विवाह की अनुज्ञा न दे;

(v) किसी भी अन्य प्रवृत्त विधि के अधीन विवाह प्रतिषिद्ध न हो।

5. विवाह के लिए अनुष्ठान.- किसी पुरुष और किसी महिला के बीच उनके प्रचलित रूढ़िगत आचरणों, धार्मिक विश्वासों, समारोहों, संस्कारों और अनुष्ठानों के अनुसार विवाह अनुष्ठापित/अनुबंधित किया जा सकेगा, जिसमें आनंद विवाह अधिनियम, 1909 के अधीन साथ ही विशेष विवाह अधिनियम, 1954 और आर्य विवाह वैधीकरण अधिनियम, 1937 के अधीन भी, किन्तु इन्हीं तक सीमित नहीं के “सप्तपदी”, “आशीर्वाद”, “निकाह”, “पवित्र बंधन” “आनंद कारज”, “आर्य समाजी वैदिक विधि”, “निस्सुइन” और “मंगल फेरा” सम्मिलित हैं।

अध्याय-3

विवाह और विवाह-विच्छेद का रजिस्ट्रीकरण

6. संहिता के प्रारंभ होने के पश्चात अनुष्ठापित/अनुबंधित विवाह का अनिवार्य रूप से रजिस्ट्रीकरण.- तत्समय लागू किसी भी अन्य विधि या किसी रूढ़ि या प्रथा में अन्तर्विष्ट किसी विपरीत बात के होते हुए भी, इस संहिता के प्रारंभ होने के पश्चात, राज्य में या उसके राज्यक्षेत्र के बाहर अनुष्ठापित/अनुबंधित किसी विवाह, जहां विवाह का कम से कम एक पक्षकार राज्य का निवासी है, धारा 10 की उप-धारा (1) में उल्लिखित प्रक्रिया के अनुसार रजिस्ट्रीकृत किया जायेगा:

परन्तु यह कि धारा 4 के अधीन शर्तें और धारा 5 के अधीन आवश्यकताएं पूर्ण की गई हों।

7. संहिता के प्रारंभ होने से पूर्व अनुष्ठापित/अनुबंधित विवाह का रजिस्ट्रीकरण.- (1) जब तक राजस्थान विवाहों का अनिवार्य रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 2009 (2009 का अधिनियम सं. 16) के अधीन पहले से ही रजिस्ट्रीकृत न किया गया हो, 11.09.2009 और इस संहिता के प्रारंभ की तारीख के मध्य में राज्य में अनुष्ठापित/अनुबंधित ऐसा विवाह, जहां विवाह के समय विवाह का कम-से-कम एक पक्षकार राज्य का निवासी था, धारा 10 की उप-धारा (2) में उल्लिखित प्रक्रिया के अनुसार रजिस्ट्रीकृत किया जायेगा:

परन्तु राजस्थान विवाहों का अनिवार्य रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 2009 के अधीन रजिस्ट्रीकृत किये गये किसी भी विवाह को इस संहिता के अधीन रजिस्ट्रीकृत समझा जायेगा।

(2) राज्य में 11.09.2009 से पूर्व या राज्य के बाहर, संहिता लागू होने से पूर्व अनुष्ठापित/अनुबंधित कोई भी विवाह, जहां विवाह/रजिस्ट्रीकरण के समय विवाह का कम से कम एक पक्षकार राज्य का निवासी था/है, धारा 10 की उप-धारा (3) में उल्लिखित प्रक्रिया के अनुसार रजिस्ट्रीकृत किया जा सकेगा:

परन्तु, इस धारा के अधीन विवाह तभी रजिस्ट्रीकृत किया जा सकेगा जब निम्नलिखित शर्तें पूर्ण की गयी हों-

(क) पक्षकारों के मध्य विवाह का अनुष्ठान सम्पन्न किया गया हो और वे तभी से पति-पत्नी के रूप में एक साथ निवास कर रहे हों;

(ख) रजिस्ट्रीकरण के समय किसी भी पक्षकार का पति/पत्नी जीवित न हो, जब तक ऐसे विवाह के समय, किसी भी पक्षकार को, किसी कानून या रूढ़ि और प्रथा के अधीन अन्यथा अनुज्ञेय हो;

(ग) रजिस्ट्रीकरण के समय पुरुष ने इक्कीस वर्ष की और महिला ने अठारह वर्ष की आयु पूर्ण कर ली हो; और

(घ) पक्षकार प्रतिषिद्ध नातेदारी की डिग्रियों के भीतर नहीं आते हों:

परन्तु, निषेध, उन व्यक्ति (व्यक्तियों) पर लागू नहीं होंगे जिनकी रूढ़ि और प्रथा उक्त नातेदारी की अनुज्ञा देती हो।

8. संहिता के प्रारंभ होने के पश्चात् विवाह-विच्छेद या अकृतता की डिक्री का रजिस्ट्रीकरण जिसने अन्तिम रूप प्राप्त कर लिया हो.- (1) राज्य में किसी न्यायालय द्वारा पारित विवाह-विच्छेद या विवाह की अकृतता की ऐसी कोई डिक्री, जिसने इस संहिता के प्रारंभ के पश्चात् अंतिम रूप प्राप्त कर लिया है, धारा 11 की उप-धारा (1) के खण्ड (क) में उल्लिखित प्रक्रिया के अनुसार रजिस्ट्रीकृत की जायेगी।

(2) राज्य के बाहर किसी न्यायालय द्वारा पारित विवाह-विच्छेद या विवाह की अकृतता की ऐसी कोई डिक्री, जिसने इस संहिता के प्रारंभ के पश्चात् अंतिम रूप प्राप्त कर लिया है, जहां डिक्री का कम से कम एक पक्षकार राज्य का निवासी है, धारा 11 की उप-धारा (1) के खण्ड (ख) में उल्लिखित प्रक्रिया के अनुसार रजिस्ट्रीकृत की जायेगी।

9. संहिता के प्रारंभ होने से पूर्व विवाह-विच्छेद या अकृतता की डिक्री का रजिस्ट्रीकरण जिसने अन्तिम रूप प्राप्त कर लिया है.- (1) राज्य में किसी न्यायालय द्वारा पारित विवाह-विच्छेद या विवाह की अकृतता की ऐसी कोई डिक्री, जिसने इस संहिता के प्रारंभ से पूर्व अंतिम रूप प्राप्त कर लिया है, धारा 11 की उप-धारा (2) के खण्ड (क) में उल्लिखित प्रक्रिया के अनुसार रजिस्ट्रीकृत की जायेगी।

(2) राज्य के बाहर किसी न्यायालय द्वारा पारित विवाह-विच्छेद या विवाह की अकृतता की ऐसी कोई डिक्री, जिसने इस संहिता के प्रारंभ से पूर्व अंतिम रूप प्राप्त कर लिया है, जहां डिक्री का कम से कम एक पक्षकार राज्य का निवासी है, धारा 11 की उप-धारा (2) के खण्ड (ख) में उल्लिखित प्रक्रिया के अनुसार रजिस्ट्रीकृत की जायेगी।

10. धारा 6 और 7 के अधीन विवाह के रजिस्ट्रीकरण के लिए कालावधि और प्रक्रिया.- इस संहिता के प्रारंभ होने के पश्चात् अनुष्ठापित/अनुबंधित ऐसे विवाह की दशा में, जिसका धारा 6 के अधीन रजिस्ट्रीकरण किया जाना अपेक्षित है, विवाह के पक्षकार,

(क) राज्य में अनुष्ठापित/अनुबंधित विवाह की दशा में, उस रजिस्ट्रार के समक्ष, जिसकी अधिकारिता के भीतर (i) विवाह अनुष्ठापित/अनुबंधित हुआ है; या (ii) विवाह के दोनों पक्षकार या दोनों में से कोई एक पक्षकार निवास करते/करता है, और

(ख) राज्य के बाहर अनुष्ठापित/अनुबंधित विवाह की दशा में, उस रजिस्ट्रार के समक्ष, जिसकी उस स्थान पर अधिकारिता है, जहां विवाह के दोनों पक्षकार या दोनों में से कोई एक पक्षकार संबंधित हैं/है,

विवाह की तारीख से साठ दिवस की कालावधि के भीतर-भीतर विहित रीति में एक ज्ञापन प्रस्तुत करेंगे।

(2) राज्य में, दिनांक 11.09.2009 और इस संहिता के प्रारंभ होने की तारीख के बीच अनुष्ठापित/अनुबंधित ऐसे विवाह की दशा में, जिसका धारा 7 की उप-धारा (1) के अधीन रजिस्ट्रीकरण किया जाना अपेक्षित है, विवाह के पक्षकार, उस रजिस्ट्रार के समक्ष, जिसकी अधिकारिता के भीतर (i) विवाह अनुष्ठापित/अनुबंधित हुआ है; या (ii) विवाह के दोनों पक्षकार या दोनों में से कोई एक पक्षकार निवास करते/करता है, इस संहिता के प्रारंभ होने की तारीख से एक वर्ष की कालावधि के भीतर-भीतर विहित रीति में एक ज्ञापन प्रस्तुत करेंगे।

(3) राज्य में, दिनांक 11.09.2009 से पूर्व या राज्य के बाहर इस संहिता के प्रारंभ होने से पूर्व अनुष्ठापित/अनुबंधित ऐसे विवाह की दशा

में, जिसका धारा 7 की उप-धारा (2) के अधीन रजिस्ट्रीकरण किया जा सकेगा, रजिस्ट्रीकरण चाहने वाले, विवाह के पक्षकार, इस संहिता के प्रारंभ होने की तारीख से एक वर्ष की कालावधि के भीतर-भीतर, विहित रीति में,

(क) राज्य में अनुष्ठापित/अनुबंधित विवाह की दशा में, उस रजिस्ट्रार, जिसकी अधिकारिता के भीतर-

(i) विवाह अनुष्ठापित/अनुबंधित हुआ है, या

(ii) विवाह के दोनों पक्षकार या दोनों में से कोई एक पक्षकार निवास करता है, और

(ख) राज्य के बाहर अनुष्ठापित/अनुबंधित विवाह की दशा में, उस रजिस्ट्रार, जिसकी अधिकारिता के भीतर विवाह के दोनों पक्षकार या दोनों में से कोई एक पक्षकार संबंधित है,

के समक्ष एक जापन प्रस्तुत कर सकेंगे:

परन्तु, रजिस्ट्रार, इस उप-धारा के अधीन विहित कालावधि के पश्चात् प्रस्तुत किये गये जापन को, इस बात का समाधान हो जाने पर कि ऐसा करने के लिए पर्याप्त आधार हैं, ग्रहण कर सकेगा।

11. धारा 8 और 9 के अधीन विवाह-विच्छेद या अकृतता की डिक्री के रजिस्ट्रीकरण के लिए कालावधि और प्रक्रिया.- (1) विवाह-विच्छेद या विवाह की अकृतता की किसी डिक्री जो धारा 8 के अधीन रजिस्ट्रीकृत की जानी अपेक्षित है, की दशा में, डिक्री के दोनों या दोनों में से कोई एक पक्षकार, डिक्री के अंतिम रूप प्राप्त कर लेने की तारीख से साठ दिवस की कालावधि के भीतर- भीतर, विहित रीति में -

(क) राज्य में अनुष्ठापित/अनुबंधित विवाह की दशा में, उस रजिस्ट्रार के समक्ष, जिसकी अधिकारिता के भीतर-(i) विवाह अनुष्ठापित/अनुबंधित हुआ है, या (ii) विवाह के दोनों पक्षकार या दोनों में से कोई एक पक्षकार निवास करता है, और

(ख) राज्य के बाहर अनुष्ठापित/अनुबंधित विवाह की दशा में, उस रजिस्ट्रार के समक्ष, जिसकी उस स्थान पर अधिकारिता है, जहां विवाह के दोनों या दोनों में से कोई एक पक्षकार संबंधित है।

एक जापन प्रस्तुत करेगा।

(2) धारा 9 के अधीन रजिस्ट्रीकृत की जा सकने वाली विवाह-विच्छेद या विवाह की अकृतता की किसी डिक्री की दशा में, रजिस्ट्रीकरण चाहने वाले डिक्री के दोनों या दोनों में से कोई एक पक्षकार, इस संहिता के प्रारंभ होने की तारीख से एक वर्ष की कालावधि के भीतर-भीतर, विहित रीति में,

(क) राज्य में, किसी न्यायालय द्वारा पारित विवाह-विच्छेद या विवाह की अकृतता की डिक्री की दशा में, उस रजिस्ट्रार के समक्ष, जिसकी अधिकारिता के भीतर-

(i) विवाह अनुष्ठापित/अनुबंधित हुआ है, या (ii) विवाह के दोनों या दोनों में से कोई एक पक्षकार निवास करता है, और

(ख) राज्य के बाहर किसी न्यायालय द्वारा पारित विवाह-विच्छेद या विवाह की अकृतता की डिक्री की दशा में, उस रजिस्ट्रार के समक्ष, जिसकी उस स्थान पर अधिकारिता है, जहां विवाह के या दोनों में से कोई एक पक्षकार संबंधित है,

एक ज्ञापन प्रस्तुत करेगा:

परन्तु, रजिस्ट्रार, उप-धारा (2) के अधीन विहित कालावधि के पश्चात् प्रस्तुत किए गए ज्ञापन को, इस बात का समाधान हो जाने पर कि ऐसा करने के लिए पर्याप्त आधार हैं, स्वीकार कर सकेगा।

12. महा रजिस्ट्रार और रजिस्ट्रार की नियुक्ति.- राज्य सरकार, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, ऐसे व्यक्ति को, जिसे वह महा रजिस्ट्रार हेतु उचित समझे राज्य के लिए नियुक्त करेगी और किसी क्षेत्र (क्षेत्रों) के लिए भी अधिसूचना द्वारा रजिस्ट्रार(रजिस्ट्रारों) को जिन्हें वह उचित समझे नियुक्त करेगी।

13. धारा 10 या धारा 11 के अधीन ज्ञापन प्राप्त होने पर की जाने वाली कार्यवाई.- (1) धारा 10 या धारा 11 के अधीन प्रस्तुत किए गए प्रत्येक ज्ञापन के साथ एक विहित फीस होगी।

(2) विवाह या विवाह-विच्छेद या, यथास्थिति, विवाह की अकृतता के ज्ञापन को, विहित रीति में प्राप्त होने के पंद्रह दिवस के भीतर-भीतर, रजिस्ट्रार या तो,-

(क) विवाह और विवाह-विच्छेद के रजिस्टर में उसके विवरण प्रविष्ट करेगा और, विवाह के रजिस्ट्रीकरण के मामले में, विवाह प्रमाणपत्र और विवाह-विच्छेद या विवाह की अकृतता की डिक्री के रजिस्ट्रीकरण के मामले में, उसकी पावती, ऐसे प्ररूप और रीति में जारी करेगा, जो विहित किये जायें। विवाह प्रमाणपत्र या विवाह-विच्छेद या, यथास्थिति विवाह की अकृतता की पावती जारी करते समय, रजिस्ट्रार अपना यह समाधान करेगा कि विवाह इस भाग के उपबंधों के अनुसार सम्यक् रूप से अनुष्ठापित/ अनुबंधित हुआ है या विवाह-विच्छेद या विवाह की अकृतता की डिक्री किसी न्यायालय द्वारा सम्यक् रूप से पारित की गई है, या

(ख) पक्षकारों को विहित रीति में सुनवाई का अवसर प्रदान करने के पश्चात् विवाह या विवाह-विच्छेद या विवाह की अकृतता के ज्ञापन को अस्वीकार करेगा और लिखित में कारण अभिलिखित करते हुए आदेश पारित करेगा।

(3) यदि रजिस्ट्रार उप-धारा (2) के अधीन कार्यवाई करने में विफल रहता है, तो व्यथित व्यक्ति रजिस्ट्रार की निष्क्रियता के संबंध में एक शिकायत महा रजिस्ट्रार के समक्ष प्रस्तुत करने के लिए हकदार होगा।

14. रजिस्ट्रीकरण का रद्दकरण और रजिस्ट्रीकरण अस्वीकार किए जाने के विरुद्ध अपील.-(1) रजिस्ट्रीकरण रद्द करने की शक्ति.- विवाह या विवाह-विच्छेद से संबंधित किसी रजिस्ट्रीकरण को रद्द करने की शक्ति धारा 12 के अधीन नियुक्त महा रजिस्ट्रार में, या इस निमित्त महा रजिस्ट्रार द्वारा पदाभिहित किसी अधिकारी में निहित होगी। ऐसे रजिस्ट्रीकरण को रद्द करने से पूर्व, आवेदक को महा रजिस्ट्रार या पदाभिहित अधिकारी द्वारा सुनवाई का अवसर दिया जायेगा।

(2) रजिस्ट्रीकरण अस्वीकार किए जाने के विरुद्ध अपील.- (क) जहां रजिस्ट्रार धारा 10 या धारा 11 के अधीन प्रस्तुत ज्ञापन को अस्वीकार करता है, वहां विवाह के दोनों या दोनों में से कोई एक पक्षकार

अथवा विवाह-विच्छेद या, यथास्थिति, विवाह की अकृतता की डिक्री के दोनों या दोनों में से कोई एक पक्षकार, ऐसे अस्वीकृति आदेश की प्राप्ति की तारीख से तीस दिवस की कालावधि के भीतर-भीतर, महा रजिस्ट्रार या राज्य सरकार द्वारा ऐसी अपीलों का विनिश्चय करने के लिए पदाभिहित किसी पदधारी के समक्ष अपील कर सकेगा, जिसका विनिश्चय अंतिम और आबद्धकर होगा:

परन्तु, महा रजिस्ट्रार या पदाभिहित पदधारी, उप-धारा (2) के अधीन विहित कालावधि के पश्चात् प्रस्तुत की गई अपील को, यह समाधान हो जाने पर कि ऐसा करने के लिए पर्याप्त आधार हैं, स्वीकार कर सकेगा।

(ख) खण्ड (क) के अधीन अपील के साथ अस्वीकृति आदेश की सम्यक् रूप से अधिप्रमाणित एक प्रति संलग्न की जायेगी और वह ऐसे प्ररूप और रीति में होगी, जो विहित की जाये।

(ग) अपील का विनिश्चय करते हुए, महा रजिस्ट्रार या वह पदाभिहित पदधारी, जिसके समक्ष खण्ड (क) के अधीन अपील प्रस्तुत की गई है, सभी आनुषंगिक परिस्थितियों पर विचार करने के पश्चात् और लिखित रूप में कारण अभिलिखित करते हुए, या तो रजिस्ट्रार को विवाह और विवाह-विच्छेद की रजिस्टर में विशिष्टियां प्रविष्ट करने और विवाह प्रमाणपत्र या विवाह-विच्छेद अथवा विवाह की अकृतता की पावती जारी करने के लिए निदेशित करेगा, या रजिस्ट्रार के आदेश की पुष्टि करेगा:

परन्तु, रजिस्ट्रार के आदेश की पुष्टि करने वाला कोई आदेश संबंधित पक्षकार को सुनवाई का अवसर दिए बिना पारित नहीं किया जायेगा।

(घ) उप-धारा (2) के अधीन अपील का, यथासंभव, उसके दाखिल किये जाने की तारीख से साठ दिवस के भीतर-भीतर निस्तारण किया जायेगा।

15. रजिस्ट्रारों का निरीक्षण.- विवाह और विवाह-विच्छेद के रजिस्टर, अपीलों के रजिस्टर और ऐसे अन्य रजिस्टर, जो विहित किए जाये, जो इस भाग के अधीन संधारित किए जाते हैं, सभी युक्तियुक्त समय पर निरीक्षण के लिए खुले रहेंगे, और उनमें से प्रमाणित उद्धरण,

आवेदन किए जाने पर, रजिस्ट्रार या, यथास्थिति, महा रजिस्ट्रार, द्वारा प्राधिकृत ऐसे अधिकारी द्वारा, विहित फीस के संदाय पर और विहित रीति में, जारी किये जायेंगे।

16. कतिपय दस्तावेजों का साक्ष्यिक मूल्य.- (1) धारा 15 के अधीन जारी किया गया कोई भी उद्धरण, संबंधित रजिस्ट्रार या, यथास्थिति महा रजिस्ट्रार, द्वारा प्राधिकृत ऐसे अधिकारी द्वारा हस्ताक्षरित किया जायेगा और ऐसे उद्धरण से संबंधित विवाह या विवाह-विच्छेद अथवा विवाह की अकृतता के तथ्य को स्थापित करने के प्रयोजन के लिए किसी न्यायालय या किसी अन्य प्राधिकारी के समक्ष साक्ष्य में ग्राह्य होगा।

(2) विवाह प्रमाणपत्र या उप-धारा (1) के अधीन जारी रजिस्टर का कोई उद्धरण सही उपधारित किया जायेगा, जब तक इसके विपरीत साबित न किया जाये।

17. उपेक्षा के लिए शास्ति और मिथ्या कथन के लिए दण्ड .-

(1) ऐसा व्यक्ति जो, ऐसे मामले में, जहां धारा 10 या धारा 11 के अधीन ऐसा करना अनिवार्य है, जानबूझकर ज्ञापन प्रस्तुत करने से लोप करता है या उसकी उपेक्षा करता है, वह रजिस्ट्रार द्वारा अधिरोपित की जाने वाली दस हजार रुपये से अनधिक की शास्ति के संदाय के लिए दायी होगा।

(2) कोई व्यक्ति जो ज्ञापन में ऐसा कोई कथन करता है जो मिथ्या है और जिसके बारे में वह जानता है या विश्वास करने का कारण रखता है कि वह मिथ्या है, या कोई कूटरचित या मनगढ़ंत दस्तावेज प्रस्तुत करता है, वह भारतीय न्याय संहिता, 2023 (2023 का अधिनियम सं. 45) में अंतर्विष्ट उपबंधों के अनुसार दण्डनीय होगा।

18. रजिस्ट्रीकरण नहीं किए जाने के मामले में प्रक्रिया.- (1) जहां धारा 10 या धारा 11 के अधीन ज्ञापन प्रस्तुत करना अनिवार्य है और विवाह के पक्षकार या विवाह-विच्छेद या यथास्थिति, विवाह की अकृतता की डिक्री के पक्षकार, ऐसा करने में विफल रहे हैं, वहां रजिस्ट्रार, स्वप्रेरणा से या इस संबंध में कोई परिवाद या सूचना प्राप्त होने पर, ऐसे पक्षकारों से नोटिस द्वारा, नोटिस की प्राप्ति की तारीख से तीस दिवस के भीतर-भीतर ज्ञापन प्रस्तुत करने की अपेक्षा करेगा। ऐसे ज्ञापन के प्रस्तुत किए

जाने पर, रजिस्ट्रार, विवाह या विवाह-विच्छेद या, यथास्थिति, विवाह की अकृतता की डिक्री को, (क) धारा 17 की उप-धारा (1) के अधीन विहित शास्ति और, यथास्थिति, (ख) विहित की जाने वाली विलंब फीस, जो विहित की जाये के संदाय पर रजिस्ट्रीकृत करेगा।

(2) उप-धारा (1) के अधीन नोटिस द्वारा ऐसा करने की अपेक्षा किए जाने पर पक्षकार, विवाह, विवाह-विच्छेद या यथास्थिति, विवाह की अकृतता के रजिस्ट्रीकरण के लिए रजिस्ट्रार के समक्ष उपस्थित होने में विफल रहते हैं, ऐसे व्यक्ति पच्चीस हजार रुपये से अनधिक की शास्ति का संदाय करने के लिए दायी होंगे।

19. रजिस्ट्रार द्वारा कार्रवाई नहीं किए जाने के लिए शास्ति और शास्ति के विरुद्ध अपील.-(1) महा रजिस्ट्रार, रजिस्ट्रार द्वारा धारा 13 की उप-धारा (2) के अनुसार जानबूझकर कार्रवाई करने में विफल रहने की जानकारी प्राप्त होने पर, रजिस्ट्रार को कारण बताओ नोटिस जारी करेगा और उसे सुनवाई का अवसर प्रदान करेगा। रजिस्ट्रार द्वारा प्रस्तुत किए गए अभ्यावेदन की जांच करने के पश्चात्, यदि महा रजिस्ट्रार यह पाता है कि रजिस्ट्रार ने जानबूझकर कार्रवाई करने में विफलता की है, तो वह रजिस्ट्रार पर पच्चीस हजार रुपये से अनधिक की शास्ति अधिरोपित करेगा।

(2) जहां उप-धारा (1) के अधीन रजिस्ट्रार पर कोई शास्ति अधिरोपित की गई है, वहां वह राज्य सरकार द्वारा यथाअधिसूचित सक्षम अपीलीय प्राधिकारी के समक्ष तीस दिवस के भीतर-भीतर अपील करेगा/करेगी।

(3) उप-धारा (2) के अधीन अपील, शास्ति के आदेश की प्रमाणित प्रति के साथ, ऐसे प्ररूप और रीति में प्रस्तुत की जायेगी, जो विहित की जाये।

(4) अपीलीय प्राधिकारी, जैसा वह आवश्यक समझे, ऐसे आदेश की पुष्टि, उपान्तरण या उसे रद्द कर सकेगा।

20. रजिस्ट्रीकरण नहीं किया जाना विवाह को अविधिमान्य नहीं बनायेगा.- कोई भी विवाह, केवल इस आधार पर कि, वह इस भाग के अधीन रजिस्ट्रीकृत नहीं किया गया, या ज्ञापन रजिस्ट्रार को प्रस्तुत नहीं

किया गया, या रजिस्ट्रार द्वारा विवाह प्रमाणपत्र जारी नहीं किया गया, या ऐसे ज्ञापन अथवा विवाह प्रमाणपत्र में की गयी विशिष्टियां त्रुटिपूर्ण, अनियमित या अशुद्ध थी, अविधिमान्य नहीं समझा जायेगा।

21. विवाह रजिस्ट्रीकरण प्रमाणपत्र के सत्यापन के संबंध में नियोजक आदि का उत्तरदायित्व.- कोई भी नियोजक या कोई सरकारी या अर्द्ध-सरकारी प्राधिकरण या कंपनी या लोक सेक्टर का उपक्रम या स्थानीय प्राधिकरण, अपने कर्मचारियों या उनके साथ व्यवहार करने वाले किसी व्यक्ति की वैवाहिक प्रस्थिति के संबंध में उनके कार्यालय अभिलेख में कोई परिवर्तन तब तक नहीं करेगा जब तक, ऐसा परिवर्तन किए जाने के लिए आवेदन करने वाला व्यक्ति इस संहिता के अधीन प्रदत्त विवाह के रजिस्ट्रीकरण प्रमाणपत्र की प्रमाणित प्रति प्रस्तुत नहीं कर देता।

22. रजिस्टर को छिपाने, नष्ट करने या उसमें परिवर्तन करने के लिए दण्ड .- कोई भी व्यक्ति जो इस संहिता के अधीन संधारित किसी रजिस्टर या उसके किसी भाग को छिपाता, नष्ट करता या बेईमानीपूर्वक या कपटपूर्वक उसमें परिवर्तन करता है, दोषसिद्धि होने पर, कारावास की ऐसी अवधि जो दो वर्ष तक बढ़ायी जा सकेगी या ऐसे जुर्माने जो दस हजार रुपये तक बढ़ाया जा सकेगा या दोनों से, दण्डनीय होगा।

23. रजिस्ट्रार का लोक सेवक होना.- प्रत्येक रजिस्ट्रार, इस संहिता या इसके अधीन बनाए गए नियमों के उपबंधों के अनुसरण में कार्य करते समय या कार्य करने का तात्पर्य रखते समय, भारतीय न्याय संहिता, 2023 (2023 का केंद्रीय अधिनियम सं. 45) की धारा 2 के खण्ड (28) के अभिप्राय में लोक सेवक माना जाएगा।

24. इस संहिता के अधीन कार्य करने वाले व्यक्तियों को क्षतिपूर्ति.- महा रजिस्ट्रार, रजिस्ट्रार या उनके अधीनस्थ किसी भी कर्मचारी के विरुद्ध इस संहिता या इसके अधीन बनाए गए नियमों के अधीन सद्भावपूर्वक किए गए किसी कार्य के लिए कोई वाद, अभियोजन या अन्य विधिक कार्यवाही नहीं की जायेगी।

25. राज्य सरकार की निदेश देने की शक्ति.-राज्य सरकार, समय-समय पर, इस संहिता के उपबंधों से असंगत न होने वाले ऐसे निदेश, जो

वह इस संबंध में उपयुक्त समझे, इस संहिता के उपबंधों के प्रभावी और सुचारु कार्यान्वयन के लिए रजिस्ट्रार और महा रजिस्ट्रार को जारी कर सकेगी, और रजिस्ट्रार और महा रजिस्ट्रार ऐसे निदेशों का अनुपालन करेंगे।

अध्याय-3

दाम्पत्य अधिकारों का प्रत्यास्थापन और न्यायिक पृथक्करण

26. दाम्पत्य अधिकारों का प्रत्यास्थापन.- जब या तो पति या पत्नी ने, बिना युक्तियुक्त कारण के, दूसरे की संगति से स्वयं को पृथक् कर लिया हो, तो व्यथित पक्षकार, दाम्पत्य अधिकारों की पुनर्स्थापना के लिए न्यायालय में याचिका द्वारा आवेदन कर सकेगा है और न्यायालय का इस बात का समाधान होने पर कि, ऐसी याचिका में किए गए कथन सत्य हैं और यह कि अस्वीकृति का कोई विधिक आधार नहीं है, तदनुसार दाम्पत्य अधिकारों की पुनर्स्थापना की डिक्री पारित कर सकेगा।

स्पष्टीकरण.- जहां यह प्रश्न उठे कि क्या दूसरे की संगति से पृथक् होने के लिए कोई युक्तियुक्त कारण था या नहीं, वहां ऐसे युक्तियुक्त कारण को सिद्ध करने का भार उस व्यक्ति पर होगा, जिसने दूसरे की संगति से स्वयं को पृथक् किया है।

27. न्यायिक पृथक्करण.- (1) विवाह का कोई भी पक्षकार, चाहे विवाह इस संहिता के प्रारंभ से पहले या उसके पश्चात् अनुष्ठापित/ अनुबंधित किया गया हो, धारा 31 की उप-धारा (1) में विनिर्दिष्ट किसी आधार पर तथा, पत्नी के मामले में, भी उसकी उप-धारा (3) में विनिर्दिष्ट किसी आधार पर, न्यायिक पृथक्करण की डिक्री के लिए न्यायालय में याचिका प्रस्तुत कर सकेगा, जिन आधारों पर विवाह-विच्छेद के लिए याचिका प्रस्तुत की जा सकती थी।

(2) जहां न्यायिक पृथक्करण की डिक्री पारित की गई हो, वहां याचिकाकर्ता के लिए प्रत्यर्थी के साथ सहवास करना बाध्यकर नहीं होगा, किंतु न्यायालय, किसी भी पक्षकार द्वारा प्रस्तुत याचिका पर और ऐसी याचिका में किए गए कथन की सत्यता के संबंध में संतुष्ट होने पर, यदि

वह ऐसा करना न्यायसंगत और युक्तियुक्त समझे, उक्त डिक्री को निरस्त कर सकेगा।

अध्याय-4

28. शून्य विवाह.- इस संहिता के प्रारंभ के पश्चात् अनुष्ठापित/अनुबंधित किया गया कोई भी विवाह शून्य और अमान्य होगा और यदि वह धारा 4 के खण्ड (1), (2), (4) और (5) में विनिर्दिष्ट किसी भी एक शर्त का उल्लंघन करता है, और विवाह के किसी भी पक्षकार द्वारा दूसरे पक्षकार के विरुद्ध न्यायालय में प्रस्तुत की गई याचिका पर, अकृतता की डिक्री द्वारा इस प्रकार उसे घोषित किया जा सकेगा।

29. शून्यकरणीय विवाह.- इस संहिता के प्रारंभ से पहले या उसके पश्चात्, अनुष्ठापित/अनुबंधित किया गया कोई भी विवाह शून्यकरणीय होगा और निम्नलिखित में से किसी भी आधार पर न्यायालय में प्रस्तुत की गई याचिका पर शून्यता की डिक्री द्वारा उसका शून्यकरण किया जा सकेगा, अर्थात्-

(1) कि प्रत्यर्थी की नपुंसकता या जानबूझकर संभोग से इनकार करने के कारण विवाहोत्तर संभोग नहीं हुआ है; या

(2) कि विवाह धारा 4 के खण्ड (iii) में विनिर्दिष्ट शर्त के उल्लंघन में है; या

(3) कि याचिकाकर्ता की सहमति बल, प्रपीड़न या कपट द्वारा अभिप्राप्त की गई थी; या

(4) कि विवाह के समय पत्नी, पति से भिन्न किसी अन्य पुरुष से गर्भवती थी या विवाह के समय पति ने पत्नी से भिन्न किसी अन्य महिला को गर्भवती किया था; या

(5) कि विवाह के समय विवाह के पक्षकारों में से किसी एक ने उसकी पहचान के संबंध में दुर्यपदेशन किया था।

30. विवाह की अकृतता की डिक्री के लिए याचिका प्रस्तुत करने की परिसीमाएं.- धारा 29 में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी,

निम्नलिखित में विनिर्दिष्ट आधार पर न्यायालय द्वारा विवाह के बातिलकरण के लिए कोई भी याचिका स्वीकार नहीं की जाएगी-

(i) धारा 29 के खण्ड (2) में विनिर्दिष्ट आधार पर, यदि कार्यवाही याचिकाकर्ता द्वारा इक्कीस वर्ष की आयु प्राप्त करने की तारीख से एक वर्ष की कालावधि के अवसान के पश्चात् संस्थित की गई हो;

(ii) धारा 29 के खण्ड (3) में विनिर्दिष्ट आधार पर, यदि-

(क) याचिका बल या, प्रपीड़न के प्रभाव समाप्त होने के, यथास्थिति, कपट का पता चलने के एक वर्ष से अधिक समय पश्चात् प्रस्तुत की गई हो; या

(ख) याचिकाकर्ता ने अपनी स्वतंत्र सम्मति से, बल या प्रपीड़न का प्रभाव समाप्त होने के, या यथास्थिति, कपट का पता चलने के पश्चात्, विवाह के दूसरे पक्षकार के साथ पति या पत्नी के रूप में निवास किया हो;

(iii) धारा 29 के खण्ड (4) में विनिर्दिष्ट आधार पर, जब तक कि न्यायालय का यह समाधान नहीं हो जाये कि-

(क) याचिकाकर्ता विवाह के समय अभिकथित तथ्यों से अनभिज्ञ था;

(ख) कार्यवाही, इस संहिता के प्रारंभ से पहले अनुष्ठापित/अनुबंधित किए गए विवाह की दशा में, ऐसे प्रारंभ की तारीख से एक वर्ष के भीतर-भीतर और इस संहिता के प्रारंभ के पश्चात् अनुष्ठापित/ अनुबंधित विवाह की दशा में, विवाह की तारीख से एक वर्ष के भीतर-भीतर संस्थित की गई है; और

(ग) याचिकाकर्ता द्वारा उक्त आधार के विद्यमान होने का पता चलने के पश्चात्, उसकी सम्मति से वैवाहिक संभोग नहीं हुआ है।

31. विवाह-विच्छेद.- (1) अनुष्ठापित/अनुबंधित किया गया कोई भी विवाह, चाहे इस संहिता के प्रारंभ से पूर्व या उसके पश्चात् किया गया हो,

विवाह के किसी भी पक्षकार द्वारा न्यायालय में प्रस्तुत की गई किसी याचिका पर, इस आधार पर विवाह-विच्छद की डिक्री द्वारा विघटित किया जा सकेगा कि दूसरे पक्षकार ने-

- (क) विवाह के अनुष्ठापन/अनुबंधित होने के पश्चात्, याचिकाकर्ता से भिन्न किसी अन्य व्यक्ति के साथ स्वेच्छया मैथुन किया है; या
- (ख) विवाह के अनुष्ठापन/अनुबंधित होने के पश्चात्, याचिकाकर्ता के साथ क्रूरता का व्यवहार किया हो; या
- (ग) याचिकाकर्ता को याचिका प्रस्तुत किए जाने से ठीक पूर्व कम-से-कम दो वर्ष की कालावधि तक निरंतर अभित्यक्त कर रखा हो;

स्पष्टीकरण.- इस खण्ड में, अभिव्यक्ति “अभित्यजन” से, विवाह के दूसरे पक्षकार द्वारा, युक्तियुक्त कारण के बिना और ऐसे पक्षकार की सम्मति के बिना या उसकी इच्छा के विरुद्ध, याचिकाकर्ता का अभित्यजन करना अभिप्रेत है और इसमें विवाह के दूसरे पक्षकार द्वारा याचिकाकर्ता की जानबूझकर उपेक्षा करना भी सम्मिलित है और इसके व्याकरणिक रूपों और सजातीय अभिव्यक्तियों का तदनुसार अर्थ लगाया जाएगा; या

- (घ) उस धर्म से भिन्न किसी अन्य धर्म में परिवर्तन कर लिया है, जिससे याचिकाकर्ता संबंधित था; या
- (ङ) असाध्य रूप से विकृतचित्त रहा है, या इस प्रकार की और इतनी सीमा तक मानसिक विकार से लगातार या आंतरायिक रूप से पीड़ित रहा है कि याचिकाकर्ता से प्रत्यर्थी के साथ रहना युक्तियुक्त रूप से अपेक्षित नहीं हो सकता है;

स्पष्टीकरण.- इस खण्ड में-

- (i) अभिव्यक्ति “मानसिक विकार” से, मानसिक बीमारी, मस्तिष्क का संरोध या अपूर्ण विकास, मनोविकृति या मस्तिष्क का कोई अन्य विकार या निःशक्तता अभिप्रेत है और इसमें स्कीजोफेनिया सम्मिलित है;

(ii) अभिव्यक्ति “मनोविकृति” से, मस्तिष्क का दीर्घ स्थायी विकार या निःशक्तता (चाहे इसमें वृद्धि की अवसामान्यता हो या नहीं) अभिप्रेत है, जिसके परिणामस्वरूप दूसरे पक्षकार का आचरण असामान्य रूप से आक्रामक या गंभीर रूप से अनुत्तरदायी हो जाता है और चाहे उसके लिए चिकित्सीय उपचार अपेक्षित हो या नहीं अथवा ऐसा उपचार किया जा सकता हो या नहीं; या

(च) संचारी रूप से रतिज रोग से पीड़ित रहा है; या

(छ) किसी धार्मिक पंथ के अनुसार प्रव्रज्या ग्रहण कर चुका है; या

(ज) दूसरा पक्षकार जीवित है या नहीं इसके बारे में सात वर्ष या उससे अधिक की कालावधि के भीतर उन्होंने कुछ नहीं सुना है जिन्होंने उसके बारे में यदि वह पक्षकार जीवित होता तो स्वभाविकतः सुना होता; या

(झ) धारा 4 की उप-धारा (1) के उल्लंघन में दूसरा विवाह अनुष्ठापित/अनुबंधित किया है; या

(ञ) किसी सक्षम न्यायालय द्वारा प्रवृत्त किसी विधि के अधीन याचिकाकर्ता के पक्ष में और प्रत्यर्थी के विरुद्ध पारित भरण-पोषण के आदेश का, याचिका प्रस्तुत किए जाने के ठीक पूर्व कम-से-कम निरंतर एक वर्ष की अवधि तक अनुपालन करने में असफल रहा है।

(2) किसी विवाह का कोई भी पक्षकार, चाहे विवाह इस संहिता के प्रारंभ से पूर्व या पश्चात्, अनुष्ठापित/अनुबंधित हुआ हो विवाह-विच्छेद की डिक्री द्वारा विवाह के विघटन के लिए निम्नलिखित आधार पर भी न्यायालय में याचिका प्रस्तुत कर सकेगा, अर्थात्-

(क) विवाहों के पक्षकारों के बीच, ऐसी कार्यवाही, जिसमें वे पक्षकार थे, में न्यायिक पृथक्करण के लिए डिक्री पारित होने के एक वर्ष या उससे ऊपर की कालावधि के लिए सहवास का कोई पुनरारंभ नहीं हुआ है।

(ख) विवाह के पक्षकारों के बीच ऐसी कार्यवाही, जिसमें वे पक्षकार थे, में दाम्पत्य अधिकारों के प्रत्यास्थापन की डिक्री पारित

होने के पश्चात् एक वर्ष या उससे ऊपर की कालावधि के लिए, दाम्पत्य अधिकारों का प्रत्यास्थापन नहीं हुआ है।

(3) कोई पत्नी भी, विवाह-विच्छेद की डिक्री द्वारा विवाह के विघटन के लिए निम्नलिखित अतिरिक्त आधार पर न्यायालय में याचिका प्रस्तुत कर सकेगी,

(क) पति, विवाह के अनुष्ठापन/अनुबंध होने के पश्चात् बलात्संग का दोषी रहा है; या

(ख) इस संहिता के प्रारंभ से पूर्व अनुष्ठापित/अनुबंधित किए गए विवाहों से पति की एक से अधिक पत्नियां थीं।

32. विवाह-विच्छेद की कार्यवाहियों में वैकल्पिक अनुतोष:- इस भाग के अधीन किसी कार्यवाही में विवाह-विच्छेद की डिक्री द्वारा विवाह के विघटन के लिए किसी याचिका पर, सिवाय यहां तक कि याचिका धारा 31 की उप-धारा (1) के खण्ड (च), (छ) और (ज) या उप-धारा (2) या उप-धारा (3) में उल्लिखित आधारों पर की गई हो, न्यायालय यदि मामले की परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए यह न्यायसंगत समझे है तो, वह इसके स्थान पर न्यायिक पृथक्करण के लिए डिक्री पारित कर सकेगा।

33. पारस्परिक सम्मति द्वारा विवाह-विच्छेद:- (1) इस भाग के उपबन्धों के अध्यधीन रहते हुए, विवाह के दोनों पक्षकार मिलकर न्यायालय में विवाह-विच्छेद की डिक्री द्वारा विवाह के विघटन के लिए याचिका प्रस्तुत कर सकेंगे, चाहे ऐसा विवाह, इस संहिता के प्रारंभ से पूर्व या उसके पश्चात् अनुष्ठापित/अनुबंधित किया गया हो, इस आधार पर कि वे एक वर्ष या उससे अधिक की कालावधि के लिए पृथक् रह रहे हैं और वे एक साथ रहने में असमर्थ हैं और वे इस बात के लिए परस्पर सहमत हो गए हैं कि विवाह का विघटन कर दिया जाना चाहिए।

(2) दोनों पक्षकारों द्वारा उप-धारा (1) में निर्दिष्ट याचिका प्रस्तुत किए जाने की तारीख से छह मास से अपूर्व के पश्चात् और उक्त तारीख से अठारह मास से अपश्चात् किए गए प्रस्ताव पर, यदि इस बीच याचिका वापस नहीं ली गई है तो, न्यायालय पक्षकारों को सुनने के पश्चात् और ऐसी जांच करने के पश्चात्, जो वह ठीक समझे, अपना यह

समाधान कर लेने पर कि विवाह अनुष्ठापित/अनुबंधित हुआ है और याचिका में किए गए प्रकयन सही हैं, यह घोषणा करते हुए विवाह-विच्छेद की डिक्री पारित करेगा कि विवाह डिक्री की तारीख से विघटित हो जाएगा।

(3) जहां न्यायालय की यह राय हो कि मामला विवाह के किसी पक्षकार द्वारा वहन की गई असाधारण कठिनाई या ऐसे किसी पक्षकार की असाधारण दुराचरण का है और पक्षकारों के बीच सुलह की कोई संभावना नहीं है, वहां वह उप-धारा (1) के अधीन याचिका प्रस्तुत करने के लिए एक वर्ष की पृथक्करण अवधि की आवश्यकता तथा उप-धारा (2) के अधीन प्रस्ताव प्रस्तुत करने के लिए छह माह की समय-सीमा, दोनों को माफ कर सकेगा है और विवाह-विच्छेद की ऐसी डिक्री पारित करने की कार्यवाही के साथ विवाह को डिक्री की तारीख से विघटित घोषित करते हुए, आगे बढ़ सकेगा।

34. विवाह के एक वर्ष के भीतर विवाह-विच्छेद की याचिका पर प्रतिबंध.- (1) विवाह-विच्छेद की कोई भी याचिका न्यायालय में तब तक प्रस्तुत नहीं की जाएगी जब तक कि याचिका प्रस्तुत करने की तारीख को विवाह की तारीख से एक वर्ष की अवधि व्यतीत न हुई हो:

परन्तु, न्यायालय, आवेदन किए जाने पर, एक वर्ष के अवसान से पूर्व इस आधार पर याचिका प्रस्तुत करने के लिए अनुज्ञेय कर सकेगा कि मामला याचिकाकर्ता के लिए असाधारण कष्ट या प्रत्यर्थी की असाधारण दुराचारता का है।

(2) जहां न्यायालय ने याचिका को एक वर्ष के अवसान से पूर्व प्रस्तुत करने के लिए अनुज्ञात किया हो और यह पाया जाये कि ऐसी अनुज्ञा किसी व्यपदेशन द्वारा या तथ्यों को छिपाकर प्राप्त की गई है, तो न्यायालय उन्हीं या सारवान रूप से उन्हीं तथ्यों और आधारों पर एक वर्ष के अवसान पश्चात् याचिका प्रस्तुत करने के याचिकाकर्ता के अधिकार पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना याचिका निरस्त कर सकेगा।

(3) उप-धारा (1) के परन्तुक के अधीन विवाह के एक वर्ष के भीतर-भीतर विवाह-विच्छेद की किसी याचिका को प्रस्तुत करने के

लिए अनुज्ञात करने में, न्यायालय, विवाह से संतानों, यदि कोई हो, के सर्वोत्तम हित और कल्याण, और तत्संबंधी विषयों को ध्यान में रखेगा।

35. विवाह के विघटन पर प्रतिबंध.- किसी भी प्रथा, रूढ़ि, परंपरा, विवाह के किसी भी पक्षकार की पर्सनल लॉ या किसी अधिनियम में किसी विपरीत बात के होते हुए भी, इस संहिता के प्रारंभ होने से पूर्व या पश्चात् अनुष्ठापित/अनुबंधित कोई भी विवाह इस भाग के उपबंधों के अनुसार के सिवाय, किसी भी अन्य प्रकार से विघटित नहीं किया जायेगा।

36. किसी व्यक्ति का पुनर्विवाह करने का अधिकार जहां विवाह-विच्छेद या विवाह की अकृतता की डिक्री पारित की गयी हो.- (1) जब विवाह-विच्छेद या विवाह की अकृतता के लिए कोई डिक्री पारित की गयी हो तथा या तो डिक्री के विरुद्ध अपील का कोई अधिकार न हो या, यदि अपील का ऐसा कोई अधिकार हो, तो अपील प्रस्तुत किए बिना अपील करने का समय का अवसान हो गया हो, या अपील प्रस्तुत की गई हो किन्तु निरस्त कर दी गई हो, तो डिक्री के किसी भी पक्षकार के लिए पुनर्विवाह करना विधिसम्मत होगा।

(2) उप-धारा (1) के अधीन पुनर्विवाह के अधिकार में, विच्छिन्न-विवाह पति या पत्नी से बिना किसी शर्त, पुनर्विवाह का अधिकार ऐसे जैसे पुनर्विवाह का से पूर्व किसी तीसरे व्यक्ति से विवाह किया जा रहा हो, सम्मिलित है।

37. शून्य और शून्यकरणीय विवाहों के बालकों की धर्मजता.- इस बात के होते हुए भी कि किसी विवाह को अकृत और शून्य घोषित कर दिया गया है, ऐसे विवाह से उत्पन्न कोई भी बालक धर्मज माना जाएगा।

38. कतिपय उपबंधों के उल्लंघन के लिए दण्ड.- (1) कोई व्यक्ति-
(क) जिसका पति या पत्नी जीवित हो, इस संहिता के प्रारंभ के पश्चात् धारा 4 की उप-धारा (1) के उल्लंघन में किसी अन्य व्यक्ति से

विवाह करता है, तो वह भारतीय न्याय संहिता, 2023 (2023 का केंद्रीय अधिनियम सं. 45) के अधीन दण्डनीय होगा;

(ख) जो, धारा 4 की उप-धारा (3) के उल्लंघन में विवाह का अनुबंध करता है, तो वह बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम, 2006 (2007 का केंद्रीय अधिनियम सं. 5) के अधीन दण्डनीय होगा;

(ग) जो, धारा 4 की उप-धारा (4) के उल्लंघन में विवाह करवाता है तो वह, साधारण कारावास से, जिसकी अवधि छह माह तक बढ़ायी जा सकेगी, और पचास हजार रुपए से अनधिक के जुर्माने से दण्डनीय होगा और जुर्माना के व्यतिक्रम करने पर, कारावास की अतिरिक्त अवधि जो एक मास तक बढ़ायी जा सकेगी, से दण्डित किया जायेगा;

(घ) जो, धारा 35 के उल्लंघन में विवाह का विघटन करता है, वह कारावास की ऐसी अवधि जो तीन वर्ष तक बढ़ायी जा सकेगी, से दण्डनीय होगा और जुर्माने के लिए भी दायी होगा;

(ङ) जो पुनर्विवाह से पूर्व किसी व्यक्ति को, धारा 36 की उप-धारा (2) में यथा निर्दिष्ट किसी शर्त का पालन करने के लिए विवश करता है, दुष्प्रेरित करता है या उत्प्रेरित करता है, वह कारावास की ऐसी अवधि जो तीन वर्ष तक बढ़ायी जा सकेगी, से दण्डनीय होगा और एक लाख रुपए के जुर्माने के लिए भी दायी होगा तथा जुर्माना का व्यतिक्रम करने पर, कारावास की अतिरिक्त अवधि जो छह मास तक बढ़ायी जा सकेगी, से दण्डित किया जायेगा;

(च) जो, बल, प्रपीड़न या कपट द्वारा किसी व्यक्ति की विवाह के लिए सम्मति प्राप्त करता है, कारावास की ऐसी अवधि जो सात वर्ष तक बढ़ायी जा सकेगी से दण्डनीय होगा और जुर्माने के लिए भी दायी होगा।

(2) भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 (2023 का केन्द्रीय अधिनियम सं.46) में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी-

(क) उप-धारा (1) के खण्ड (ख) या खण्ड (ग) के अधीन दण्डनीय कोई अपराध संज्ञेय होगा;

(ख) उप-धारा (1) के खण्ड (ख) और खण्ड (ग) के अधीन दण्डनीय कोई अपराध, व्यथित व्यक्ति के अनुरोध पर, न्यायिक मजिस्ट्रेट की

अनुज्ञा से, ऐसे निबंधनों और शर्तों पर, जो न्यायिक मजिस्ट्रेट अधिरोपित करे, शमनीय होगा।

अध्याय-5 आनुषंगिक कार्यवाहियां

39. वादकालीन भरण-पोषण और कार्यवाहियों के व्यय.- जहां इस भाग के अधीन किसी कार्यवाही में, न्यायालय को यह प्रतीत होता है कि, या तो, पत्नी या पति, या यदि, इस संहिता के लागू होने के पूर्व पुरुष की एक से अधिक पत्नियां हों और प्रत्येक याचिकाकर्ता पत्नी की प्रत्यर्थी की कोई स्वतंत्र आय नहीं जो उसके आलम्बन और कार्यवाही के आवश्यक व्ययों के लिए पर्याप्त हो, वहां वह पत्नी या पति के आवेदन पर प्रत्यर्थी को यह आदेश दे सकेगा कि वह याचिकाकर्ता को कार्यवाही के लंबित रहने के दौरान, कार्यवाही के व्यय और प्रतिमाह ऐसी राशि का संदाय करे जो याचिकाकर्ता की स्वयं की आय और प्रत्यर्थी की आय को ध्यान में रखते हुए न्यायालय को न्यायसंगत और युक्तियुक्त प्रतीत हो:

परन्तु, कार्यवाही के व्ययों और कार्यवाही के दौरान ऐसी मासिक राशि के संदाय के लिए आवेदन को यथासंभव, प्रत्यर्थी को नोटिस तामील की तारीख से साठ दिवस के भीतर-भीतर निस्तारित किया जायेगा।

40. स्थायी निर्वाहिका और भरण-पोषण.- (1) इस भाग के अधीन अधिकारिता का प्रयोग करने वाला कोई न्यायालय, डिक्री पारित करने के समय या उसके पश्चात् किसी भी समय, डिक्री के किसी भी पक्षकार द्वारा किए गए आवेदन पर, यह आदेश दे सकेगा कि दूसरा पक्षकार आवेदक को उसके भरण-पोषण और आलम्बन के लिए ऐसी कुल राशि या ऐसी मासिक या अवधिक राशि आवेदक के जीवनकाल से अनधिक की अवधि के लिए ऐसा संदाय करे जिसमें प्रत्यर्थी की आय और संपदा, आवेदक की आय और संपदा, पक्षकारों के मध्य परस्पर सहमति/

समायोजन, यदि कोई हो, पक्षकारों के आचरण और मामले की अन्य परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए न्यायालय को न्यायसंगत प्रतीत हो और ऐसा कोई भी संदाय, यदि ऐसा करना आवश्यक हो तो, दूसरे पक्षकार की स्थावर सम्पत्ति पर किसी प्रभार द्वारा प्रतिभूत किया जा सकेगा:

परन्तु मुहर, प्रभूत, स्त्रीधन या अन्य कोई सम्पत्ति जो पत्नी को उपहार स्वरूप दी गई हो, उसके भरण-पोषण के दावे के अतिरिक्त होगी।

(2) यदि न्यायालय का समाधान हो जाये कि उप-धारा (1) के अधीन उसके आदेश करने के पश्चात् किसी भी समय पक्षकारों में से किसी की भी परिस्थितियों में परिवर्तन आया है तो वह किसी भी पक्षकार के अनुरोध पर ऐसी रीति से जो न्यायालय को न्यायसंगत व उचित प्रतीत हो, ऐसे किसी आदेश को परिवर्तित, उपान्तरित या विखंडित कर सकेगा।

41. बालकों की अभिरक्षा और देखरेख.- (1) इस भाग के अधीन किसी भी कार्यवाही में न्यायालय, अवयस्क बालकों की अभिरक्षा, देखरेख, भरण-पोषण और शिक्षा के बारे में, यथासंभव, उनकी इच्छा के अनुकूल, समय-समय पर ऐसे अंतरिम आदेश पारित करेगा और डिक्री में ऐसे उपबंध करेगा जिन्हें वह न्यायसंगत और उचित समझे और डिक्री के पश्चात् इस प्रयोजन के लिए किए जाने आवेदन पर ऐसे बालकों की, भरण-पोषण, शिक्षा, अभिरक्षा, और देखभाल के बारे में समय-समय पर ऐसे आदेश और उपबंध कर सकेगा जो ऐसी डिक्री अभिप्राप्त करने की हेतु कार्यवाही के लंबित रहते डिक्री या अंतरिम आदेश द्वारा किये जा सकते थे और न्यायालय पूर्ववर्ती किये गये ऐसे किसी आदेश या उपबंध को समय-समय पर प्रतिसंहित, निलंबित या परिवर्तित कर सकेगा:

परन्तु, ऐसे बालकों की अभिरक्षा, देखभाल, भरण-पोषण, और शिक्षा से संबंधित आवेदन को यथासंभव, प्रत्यर्थी को नोटिस तामिल की तारीख से साठ दिवस के भीतर-भीतर निस्तारित किया जायेगा।

(2) उप-धारा (1) के अधीन कोई भी विनिश्चय करने में न्यायालय के लिए बालक का सर्वोत्तम हित और कल्याण सर्वोपरि होगा:

परन्तु, ऐसे अवयस्क बालक, जिसने पांच वर्ष की आयु पूर्ण नहीं की है, की अभिरक्षा सामान्यतः माता के पास होगी।

42. संपदा का व्ययन.- इस भाग के अधीन किसी भी कार्यवाही में, पत्नी या पति या उनके बालकों के फायदे के लिए, न्यायालय पक्षकारों, जिनका विवाह डिक्री का विषय है, की या तो संयुक्त या वैयक्तिक संपदा के संबंध में डिक्री में ऐसे उपबंध कर सकेगा जो वह न्यायसंगत व उचित समझे।

(2) उप-धारा (1) के अधीन डिक्री में ऐसे उपबंध करते समय न्यायालय, विवाह के पक्षकारों के मध्य विद्यमान किसी पारस्परिक करार/समायोजन को ध्यान में रखेगा और पत्नी या पति या उनके बालकों के फायदे के लिए इस प्रकार किये गये किसी करार/समायोजन में, जैसा न्यायसंगत और उचित समझा जाए, परिवर्तन या उपान्तरण कर सकेगा।

अध्याय-6

अधिकारिता और प्रक्रिया

43. न्यायालय जिसमें याचिका प्रस्तुत की जायेगी.- इस भाग के अधीन प्रत्येक याचिका उस न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत की जायेगी, जिसके अधिकारिता क्षेत्र की स्थानीय सीमाओं के भीतर -

- (1) जहां विवाह अनुष्ठापित/अनुबंधित हुआ था, या
- (2) जहां प्रत्यर्थी, याचिका प्रस्तुत किये जाने के समय, निवास करता है, या
- (3) जहां विवाह के पक्षकारों ने अंतिम बार एक साथ निवास किया था, या
- (4) जहां यदि याचिकाकर्ता पत्नी है, तो जहां वह याचिका प्रस्तुत करने की तारीख को निवास कर रही है; या

(5) जहां याचिकाकर्ता याचिका प्रस्तुत करने के समय निवास कर रहा हो, उस दशा में जहां प्रत्यर्थी उस समय उस राज्य क्षेत्र के बाहर निवास कर रहा हो, जिस पर इस संहिता का विस्तार है या वह जीवित है या नहीं इसके बारे में सात वर्ष या उससे अधिक की कालावधि के भीतर उन व्यक्तियों ने नहीं सुना है, जिन्होंने उसके बारे में, यदि प्रत्यर्थी जीवित होता तो, स्वभाविकतया सुना होता।

44. इस भाग के अधीन अभिवचन.-

(1) इस भाग के अधीन दाखिल किए गए प्रत्येक अभिवचन में, मामले की प्रकृति के अनुसार यथासंभव स्पष्ट रूप से उन तथ्यों का कथन किया जाएगा, जिन पर अनुतोष के दावे और उन पर की गई आपत्ति का आधार है तथा, धारा 28 के अधीन किसी याचिका के सिवाय, यह भी कथन किया जाएगा कि याचिकाकर्ता और विवाह के दूसरे पक्षकार के बीच कोई दुस्संधि नहीं है।

(2) इस भाग के अधीन दाखिल की गई प्रत्येक याचिका, लिखित कथन और किसी अन्य अभिवचन में अंतर्विष्ट कथनों का सत्यापन, याचिकाकर्ता या, यथास्थिति प्रत्यर्थी द्वारा या किसी अन्य सक्षम व्यक्ति द्वारा, सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 (1908 का अधिनियम सं. 5) के अधीन अभिवचनों के सत्यापन के लिए विहित रीति से किया जाएगा।

45. इस भाग के अधीन न्यायालय में कार्यवाहियों के लिए प्रक्रिया.- इस भाग में अन्तर्विष्ट अन्य उपबंधों के अध्यधीन रहते हुए, इस भाग के अधीन न्यायालय में सभी कार्यवाहियों के लिए कुटुम्ब न्यायालय अधिनियम, 1984 (1984 का अधिनियम सं. 66) और उसके अधीन बनाए गए नियमों के अधीन विहित प्रक्रिया के अनुसार विनियमित होंगी।

46. कतिपय मामलों में याचिकाएं अंतरित करने की शक्ति.- (1)

जहां-

- (क) इस भाग के अधीन विवाह के किसी पक्षकार द्वारा, अधिकारिता रखने वाले न्यायालय को, इस भाग के अधीन दांपत्य अधिकारों का प्रत्यास्थापन, विवाह अकृतता, न्यायिक पृथक्करण या विवाह-विच्छेद के लिए डिक्री हेतु कोई याचिका प्रस्तुत की गयी हो, और
- (ख) इस भाग के अधीन विवाह के दूसरे पक्षकार द्वारा, चाहे उस न्यायालय में या किसी भिन्न न्यायालय में, किसी भी आधार पर खण्ड (क) के अधीन अनुध्यात अनुतोषों, में से किसी के लिए डिक्री हेतु तत्पश्चात् कोई दूसरी याचिका प्रस्तुत करता है, वहां याचिकाओं को उप-धारा (2) में यथाविनिर्दिष्ट अनुसार व्यवहृत किया जायेगा।

(2) ऐसे मामले में जहां उप-धारा (1) लागू होती है-

- (क) यदि याचिकाएं एक ही न्यायालय में प्रस्तुत की गयी हैं, तो दोनों याचिकाओं को उस न्यायालय द्वारा एक साथ विचारित और सुना जायेगा;
- (ख) यदि याचिकाएं भिन्न न्यायालयों में प्रस्तुत की गयी हैं, तो बाद में प्रस्तुत याचिका उस न्यायालय को अंतरित की जायेगा जिसमें पूर्वोक्त याचिका प्रस्तुत की गयी हैं और दोनों याचिकाओं की सुनवाई और उनका निस्तारण उस न्यायालय द्वारा एक साथ किया जाएगा जिसमें पहली वाली याचिका प्रस्तुत की गई थी।

(3) उप-धारा (2) के खण्ड (ख) में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, उच्च न्यायालय, पक्षकारों में किसी पक्षकार के आवेदन पर या स्वप्रेरणा से सभी याचिकाओं को, याचिकाओं की सुनवाई करने वाले न्यायालयों में से किसी एक या अन्य किसी न्यायालय को, जिसे वह न्यायसंगत और उचित समझे, समनुदेशित और अंतरित कर सकेगा।

47. इस भाग के अधीन याचिकाओं के विचारण और निस्तारण से संबंधित विशेष उपबंध.- (1) जब तक अभिलिखित किये जाने वाले कारणों के लिए अन्यथा निदेशित न किया जाए, इस भाग के अधीन याचिका की सुनवाई, यथासाध्य शीघ्र दिन-प्रतिदिन जारी रखी जायेगी।

(2) इस भाग के अधीन प्रत्येक याचिका की सुनाई यथाशक्य शीघ्र की जायेगी, और प्रत्यर्थी को याचिका के नोटिस की तामील की तारीख से छः माह के भीतर-भीतर सुनवाई समाप्त करने का प्रयास किया जाएगा।

(3) इस भाग के अधीन प्रत्येक अपील की सुनवाई यथाशक्य शीघ्र की जायेगी, और प्रत्यर्थी को अपील के नोटिस की तामील की तारीख से तीन माह के भीतर-भीतर सुनवाई समाप्त करने का प्रयास किया जाएगा।

48. दस्तावेजी साक्ष्य.- किसी भी अधिनियम में किसी प्रतिकूल बात के होते हुए भी, इस भाग के अधीन याचिका की सुनवाई की किसी कार्यवाही साक्ष्य कोई भी दस्तावेज इस आधार पर अग्राह्य नहीं होगा कि वह सम्यक रूप से मुद्रांकित या रजिस्ट्रीकृत नहीं है।

49. कार्यवाहियों में डिक्री.- (1) चाहे पति-पत्नी के बीच कोई मध्यस्थता करार विद्यमान हो या न हो, पक्षकार, इस संहिता के भाग-1 के अधीन कोई वाद या कार्यवाहियां दाखिल करने से पूर्व, विहित मुकदमेबाजी-पूर्व मध्यस्थता प्रक्रिया के माध्यम से विवादों का निपटारा करने का प्रयास कर सकेंगे।

(2) इस भाग के अधीन किसी कार्यवाही में, चाहे उसका प्रतिवाद किया गया हो या नहीं, यदि न्यायालय का इस बात का समाधान हो जाता है कि-

- (क) अनुतोष प्रदान करने के लिए कोई आधार विद्यमान है और याचिकाकर्ता, सिवाय उन मामलों के जहां उसके द्वारा धारा 4 की उप-धारा (2) के खण्ड (क), (ख) या (ग) में विनिर्दिष्ट आधार पर अनुतोष की मांग की गई है, ऐसे अनुतोष के प्रयोजन के लिए

किसी भी प्रकार से अपनी ही गलती या अक्षमता का लाभ नहीं उठा रहा है; और

(ख) जहां याचिका का आधार धारा 31 की उप-धारा (1) के खण्ड (क) में विनिर्दिष्ट आधार है, वहां याचिकाकर्ता ने किसी भी प्रकार से शिकायत किए गए कृत्य या कृत्यों में सहभागिता नहीं की है, न उसके लिए मौन सहमति दी है और न उसे क्षमा किया है, या जहां याचिका का आधार धारा 31 की उप-धारा (1) के खण्ड (ख) में यथाविनिर्दिष्ट आधार है, वहां याचिकाकर्ता ने स्वेच्छापूर्वक क्रूरता को क्षमा नहीं किया है; और

(ग) जब धारा 33 के अधीन पारस्परिक सम्मति के आधार पर विवाह-विच्छेद की मांग की गई है, वहां ऐसी सम्मति बल, कपट या अनुचित प्रभाव द्वारा प्राप्त नहीं ली गई है;

वहां न्यायालय तदनुसार ऐसा अनुतोष प्रदान करने की डिक्री पारित करेगा।

(3) इस भाग के अधीन कोई अनुतोष प्रदान करने के लिए अग्रसर होने से पूर्व, प्रत्येक मामले में, जहां मामले की प्रकृति और परिस्थितियों के अनुरूप ऐसा करना संभव हो, पक्षकारों के मध्य सुलह कराने का हर संभव प्रयास करना न्यायालय का प्रथम दायित्व होगा:

परन्तु, इस उप-धारा में अंतर्विष्ट कोई बात ऐसी किसी कार्यवाही पर लागू नहीं होगी जिसमें धारा 31 की उप-धारा (1) के खण्ड (ड), (च), (छ) और (ज) में विनिर्दिष्ट आधारों में से किसी पर अनुतोष की मांग की गई हो।

(4) ऐसी सुलह कराने में न्यायालय की सहायता करने के प्रयोजन के लिए, यदि पक्षकार ऐसी वांछा करे या न्यायालय ऐसा करना न्यायसंगत और उचित समझे, तो न्यायालय कार्यवाही को तीस दिवस से अनधिक की युक्तियुक्त अवधि के लिए स्थगित कर सकेगा और मामले को पक्षकारों द्वारा इस निमित्त नामित किसी व्यक्ति को या, यदि

पक्षकार किसी व्यक्ति को नामित करने में विफल रहते हैं, तो न्यायालय द्वारा नामनिर्दिष्ट किसी व्यक्ति को संदर्भित कर सकेगा। ऐसी सुलह सफल होने पर, इस आशय की रिपोर्ट समुचित आदेशों के लिए न्यायालय में फाइल की जाएगी। तथापि, सुलह विफल होने की दशा में, सुलह की कार्यवाहियों का कोई भी अभिलेख संधारित नहीं किया जाएगा और केवल सुलह की विफलता न्यायालय को संसूचित की जाएगी।

50. विवाह-विच्छेद और अन्य कार्यवाहियों में प्रत्यर्थी को अनुतोष.- विवाह-विच्छेद या न्यायिक पृथक्करण या दाम्पत्य अधिकारों के प्रत्यास्थापन के लिए किसी भी कार्यवाही में प्रत्यर्थी, न केवल अनुतोष का विरोध कर सकेगा, अपितु इस भाग के अधीन अनुज्ञेय आधारों में से किसी पर भी अनुतोष की मांग कर सकेगा और यदि सिद्ध हो जाए, तो न्यायालय इस भाग के अधीन ऐसा अनुतोष प्रत्यर्थी को प्रदान कर सकेगा जिसका वह हकदार होती/होता, यदि उसने उस आधार पर ऐसे अनुतोष की मांग करते हुए याचिका प्रस्तुत की होती।

51. दण्ड देने की शक्ति और उसकी प्रक्रिया.- कोई भी न्यायिक मजिस्ट्रेट जिसकी अधिकारिता में इस भाग के अधीन कोई अपराध कारित होता है वह उसे परिवाद प्रस्तुत किये जाने पर, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 (2023 का केंद्रीय अधिनियम सं. 46) के अनुसार, विचारित करते हुए इस भाग के उपबंधों के अधीन यथाविहित दण्ड अधिरोपित कर सकेगा।

अध्याय-7

अनुपूरक उपबंध

52. डिक्रियों और आदेशों से अपीलें.- (1) इस भाग के अधीन कार्यवाहियों में सम्मति आधारित डिक्री के सिवाय, न्यायालय द्वारा पारित समस्त डिक्रियां, उप-धारा (3) के उपबंधों के अध्यधीन रहते हुए, उच्च न्यायालय में अपील योग्य होंगी।

(2) धारा 40, धारा 41 या धारा 42 के अधीन न्यायालय द्वारा पारित आदेश, उप-धारा (3) के उपबंधों के अध्यधीन रहते हुए, अपील योग्य होंगे यदि वे अंतरिम आदेश नहीं हैं और ऐसी प्रत्येक अपील उच्च न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत की जाएगी।

(3) केवल मात्र खर्च के विषय पर इस धारा के अधीन कोई अपील नहीं की जायेगी।

(4) इस धारा के अधीन प्रत्येक अपील डिक्री या आदेश की तारीख से 90 दिवस की कालावधि के भीतर-भीतर प्रस्तुत की जाएगी:

परन्तु, यदि न्यायालय का यह समाधान हो जाए कि अपीलकर्ता पर्याप्त कारणों से नब्बे दिवस की उक्त कालावधि के भीतर अपील प्रस्तुत करने से वंचित हो गया था, तो साठ दिवस से अनधिक की अतिरिक्त कालावधि के भीतर न्यायालय अपील ग्रहण कर सकेगा।

53. डिक्रियों और अन्य आदेशों का प्रवर्तन.- इस भाग के अधीन किसी भी कार्यवाही में न्यायालय द्वारा पारित सभी डिक्रियों व आदेशों का प्रवर्तन उसी प्रकार होगा जैसा सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 (1908 का केंद्रीय अधिनियम सं. 5) और भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 (2023 का केंद्रीय अधिनियम सं. 46) के अधीन पारित डिक्रियों व आदेशों का होता है।

54. नियम बनाने की शक्ति.- राज्य सरकार, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, इस भाग के प्रयोजनों को कार्यान्वित करने के लिए नियम बना सकेगी।

भाग-2

उत्तराधिकार

अध्याय-1

निर्वसीयत उत्तराधिकार

अधिमान क्रम और अंशों का वितरण

55. उत्तराधिकार के सामान्य नियम.- मृतक निर्वसीयती व्यक्ति की संपदा इस अध्याय के उपबंधों के अनुसार निम्नलिखित अधिमान क्रम में न्यागत होगी-

(i) प्रथमतः, उन उत्तराधिकारियों को जो इस संहिता के अनुसूची 2 की श्रेणी 1 में विनिर्दिष्ट के नातेदार हैं;

(ii) द्वितीयतः, यदि श्रेणी 1 का कोई उत्तराधिकारी न हो, तो उन उत्तराधिकारियों को जो इस संहिता के अनुसूची 2 की श्रेणी 2 में विनिर्दिष्ट के नातेदार हैं;

(iii) तृतीयतः, यदि खण्ड (i) या (ii) में उल्लिखित दोनों श्रेणियों का कोई उत्तराधिकारी न हो, तो अन्य नातेदारों को;

(iv) अंततः, यदि उपर्युक्त खण्डों में का कोई उत्तराधिकारी न हो, तो राजगामित्व द्वारा सरकार को; और सरकार, उन सभी बाध्यताओं और दायित्वों के अध्यक्षीन रहते हुए जिनके अध्यक्षीन एक उत्तराधिकारी रहता, ऐसी संपदा लेगी।

स्पष्टीकरण.- इस अध्याय में निम्नलिखित से किसी संदर्भ में-

- (क) निर्वसीयती के संबंध में "श्रेणी-1 के वारिसों" से, पति/पत्नी; बालक; पूर्व-मृत बालकों के बालक व उनके पति/पत्नी; पूर्व-मृत बालकों के पूर्व-मृत बालक और उनके पति/पत्नी; और अनुसूची-2 में प्रगणित नातेदारों तक सीमित माता-पिता अभिप्रेत हैं;
- (ख) निर्वसीयती के संबंध में "श्रेणी-2 के वारिसों" से, सौतेले माता-पिता, भाई-बहन; पूर्व-मृत भाई-बहन के बालक व उनके पति/पत्नी; माता-पिता के भाई-बहन, दादा-दादी और अनुसूची-2 में प्रगणित नातेदारों तक सीमित नाना-नानी, अभिप्रेत हैं;
- (ग) निर्वसीयती के संबंध में "अन्य नातेदारों" से, अनुसूची-2 में प्रगणित नातेदारों की श्रेणी-1 और श्रेणी-2 के उत्तराधिकारियों से भिन्न निर्वसीयती के अन्य नातेदार अभिप्रेत हैं;
- (घ) पूर्व-मृत व्यक्ति की "शाखा" से, उसके जीवित पति/पत्नी और बालक अभिप्रेत हैं और निर्वसीयती के पूर्व-मृत बालक की शाखा के मामले में, निर्वसीयती के ऐसे पूर्व-मृत बालक के पूर्व मृत बालक के जीवित पति या पत्नी दोनों और बालक भी इसमें सम्मिलित हैं:

परन्तु, ऐसी किसी शाखा में सम्मिलित वारिस इस संहिता की अनुसूची-2 के वर्ग-1 के वारिसों की सूची में विनिर्दिष्ट नातेदारों तक ही सीमित होंगे।

56. उत्तराधिकार की रीति.- धारा 55 के प्रत्येक खण्ड (i), (ii), या (iii) में विनिर्दिष्ट वारिस निर्वसीयती की संपदा का उत्तराधिकार प्राप्त करेंगे और इसमें इसके पश्चात् यथाविनिर्दिष्ट ऐसे अंश लेंगे।

57. श्रेणी-1 के वारिसों में संपदा का वितरण.- श्रेणी-1 के वारिस एक साथ उत्तराधिकार प्राप्त करेंगे और उनके मध्य किसी निर्वसीयती की संपदा का विभाजन निम्नलिखित नियमों के अनुसार किया जाएगा-

नियम 1- निर्वसीयती का प्रत्येक जीवित पति/पत्नी एक-एक अंश प्रत्येक प्राप्त करेगा/करेगी।

नियम 2- निर्वसीयती का प्रत्येक जीवित बालक एक-एक अंश प्रत्येक प्राप्त करेगा।

नियम 3- निर्वसीयती के प्रत्येक पूर्व मृत बालक की शाखा में के वारिस एक साथ एक अंश प्राप्त करेंगे।

नियम 4- पूर्व-मृत बालक की शाखा को न्यागत होने वाला अंश, प्रत्येक जीवित पति/पत्नी, जीवित बालक और पूर्व मृत बालक के पूर्व-मृत बालक की शाखा के मध्य समान रूप से विभाजित किया जाएगा।

नियम 5- पूर्व-मृत बालक के पूर्व-मृत बालक की शाखा को न्यागत होने वाला अंश, प्रत्येक जीवित पति/पत्नी और बालक के बीच समान रूप से विभाजित किया जाएगा।

नियम 6 - निर्वसीयती के जीवित माता/पिता समान अनुपात में एक साथ एक अंश प्राप्त करेंगे, और यदि माता/पिता में से केवल एक ही जीवित हो तो ऐसे माता या पिता अकेले एक अंश प्राप्त करेगा/करेगी:

परन्तु, यदि माता/पिता दोनों ने एक साथ एक अंश प्राप्त किया हो और तत्पश्चात् में उनमें से एक की मृत्यु हो जाए, तो उस एक अंश में निहित उसका हित दूसरे को न्यागत हो जाएगा।

58. श्रेणी-2 के वारिसों के मध्य संपदा का वितरण.- श्रेणी-2 के वारिसों के मध्य निर्वसीयती की संपदा का विभाजन निम्न नियमों के अनुसार किया जाएगा-

नियम 1- श्रेणी-2 में प्रथम प्रविष्टि में के वारिसों को दूसरी प्रविष्टि में के वारिसों, पर अधिमान प्राप्त होगा; दूसरी प्रविष्टि में के वारिसों को तीसरी प्रविष्टि में के वारिसों पर अधिमान प्राप्त होगा और उत्तराधिकार में यह क्रम इसी प्रकार चलता रहेगा।

नियम 2- अनुसूची-2 के श्रेणी-2 की किसी भी प्रविष्टि में विनिर्दिष्ट वारिसों के मध्य किसी निर्वसीयती की संपदा का विभाजन इस प्रकार होगा कि सभी को समान रूप से अंश प्राप्त हो।

59. अन्य नातेदारों के मध्य संपदा का वितरण.- किसी निर्वसीयती से निकटतम डिग्री में के नातेदार, अन्य सभी नातेदारों को छोड़कर, निम्नलिखित नियम के अनुसार एक साथ उसकी संपदा का उत्तराधिकार प्राप्त करेंगे-

नियम- निकटतम डिग्री में के "अन्य नातेदारों" में से प्रत्येक एक-एक अंश प्राप्त करेगा।

दृष्टांत

क की निर्वसीयत मृत्यु हो जाती है और उसके दो पौत्र भतीजे k_1 और k_2 तथा पूर्व-मृत पौत्र भतीजे का एक बालक k_3 जीवित बचे हैं। क की संपदा k_1 और k_2 के मध्य समान रूप से विभाजित की जाएगी; k_3 को कोई भी अंश प्राप्त नहीं होगा।

सामान्य उपबंध

60. डिग्रियों की गणना.- इस भाग के अधीन डिग्रियों की गणना के प्रयोजन लिए नातेदारी इस प्रकार गिनी जायेगी कि आरोहण या अवरोहण में प्रत्येक पीढ़ी, उस व्यक्ति को छोड़कर जिसके नातेदारों की गिनती की जानी है, एक डिग्री बनेगी।

दृष्टांत

क की निर्वसीयत मृत्यु हो जाती है और उसके पिता k_1 , पौत्र k_2 , भतीजा/भांजा k_3 और तहेरा/ चचेरा/फुफेरा/ममेरा/मौसेरा भाई (प्रथम कजिन) k_4 जीवित बचे हैं।

क से k_1 , k_2 , k_3 और k_4 क्रमशः एक, दो, तीन व चार डिग्री दूर होंगे।

61. गर्भस्थ बालक का अधिकार.- निर्वसीयती उत्तराधिकार के प्रयोजनों के लिए, ऐसे वारिसों के मध्य कोई विभेद नहीं है जिनका जन्म निर्वसीयती के जीवनकाल में हुआ हो और जो निर्वसीयती की मृत्यु के समय गर्भस्थ रहा हो, किन्तु कालान्तर में जीवित पैदा हुआ हो, और ऐसे बालक को निर्वसीयती की मृत्यु के समय से ही उसका उत्तराधिकारी माना जाएगा।

62. समसामयिक मृत्यु की दशा में उपधारणा.- जहां दो व्यक्ति ऐसी परिस्थितियों में मृत्युगत हुए हों, जिनमें यह अनिश्चित हो कि उनमें से कौन दूसरे का उत्तरजीवी रहा और वहां जब तक प्रतिकूल सिद्ध नहीं किया जाये, संपदा के उत्तराधिकार पर प्रभाव डालने वाले सभी प्रयोजनों के लिए यह उपधारणा की जायेगी कि कनिष्ठ ज्येष्ठ का उत्तरजीवी रहा होगा।

निरर्हतायें

63. पुनर्विवाह पर निरर्हता.- जहां किसी निर्वसीयती के किसी पूर्व-मृत नातेदार की कोई विधवा या विधुर ने निर्वसीयती के जीवनकाल

में पुनर्विवाह कर लिया हो, वहां ऐसी विधवा या विधुर निर्वसीयती की संपदा का उत्तरजीवी नहीं होगा।

64. हत्यारा निरहित किया जायेगा.- ऐसा व्यक्ति जो हत्या कारित करता है या हत्या कारित करने का दुष्प्रेरण करता है, वह हत्या किये गये व्यक्तित्व की संपदा, या ऐसी किसी अन्य संपदा, जिसमें उत्तराधिकार की अग्रसरता में हत्या की गयी थी या हत्या करने का दुष्प्रेरण किया गया था, उत्तराधिकार होने से निरहित किया जायेगा।

65. उत्तराधिकार, जब वारिस निरहित हो.- यदि कोई व्यक्ति किसी संपदा को उत्तराधिकार में पाने से इस संहिता के अधीन निरहित किया गया हो, तो यह संपदा इस प्रकार न्यागत होगी जैसे ऐसा व्यक्ति निर्वसीयती की मृत्यु के पूर्व मृत हो गया हो।

66. रोग, दोष या अंगविकार के कारण निरहित नहीं होना.- कोई भी व्यक्ति किसी रोग, दोष या अंगविकार के आधार पर, या इस संहिता में यथा उपबंधित के सिवाय, किसी अन्य आधार पर चाहे वह कुछ भी क्यों न हो, किसी संपदा का उत्तरजीवी होने से निरहित नहीं होगा।

अध्याय-2

वसीयती उत्तराधिकार

विल और क्रोडपत्र

67. विल करने के लिए सक्षम व्यक्ति.- प्रत्येक स्वस्थचित्त व्यक्ति जो अवयस्क नहीं है, विल द्वारा अपनी संपदा का व्ययन कर सकेगा।

स्पष्टीकरण 1.- ऐसे व्यक्ति, जो बधिर, मूक या अंधे हैं, उस कारण से कोई विल करने में असमर्थ नहीं माने जायेगे यदि वे यह जानने में सक्षम हैं कि वे उसके द्वारा क्या कर रहे हैं।

स्पष्टीकरण 2.- कोई व्यक्ति, जो साधारणतया उन्मत्त है, उस अन्तराल में, जब वह स्वस्थचित्त है विल कर सकेगा।

स्पष्टीकरण 3.- कोई भी व्यक्ति जब वह, चाहे मत्तता से या बीमारी से या किसी अन्य कारण से उद्धूत ऐसी मनोदशा में है कि उसे यह ज्ञान नहीं है कि वह क्या कर रहा है, विल नहीं कर सकेगा।

दृष्टांत

- (i) क यह अनुभव कर सकता है कि उसके आस-पास क्या घटित हो रहा है और सुपरिचित प्रश्नों का उत्तर दे सकता है किन्तु उसे अपनी संपदा की प्रकृति या उन व्यक्तियों के संबंध में, जो उसके रक्त संबंधी हैं या जिनके पक्ष में यह उचित होगा कि वह अपनी विल करे, सक्षम समझ नहीं है। क विधिमान्य रूप से विल नहीं कर सकता है।
- (ii) क अपनी विल के रूप में एक लिखत निष्पादित करता है किन्तु वह न तो लिखत की प्रकृति और न उसके उपबंधों के प्रभाव को समझ सकता है। यह लिखत विधिसम्मत नहीं होगी।
- (iii) क जो बहुत ही असशक्त और दुर्बल है, किन्तु अपनी संपदा के व्ययन की उचित रीति के संबंध में निर्णय लेने में समर्थ है, विल करता है। यह विधिमान्य वसीयत होगी।

68. कपट, प्रपीड़न या अतियाचना द्वारा अभिप्राप्त वसीयत.- ऐसी विल या विल का कोई भाग, जो कपट, प्रपीड़न द्वारा या ऐसी अतियाचना द्वारा किया गया है, जिससे विल करने की स्वतंत्रता नहीं रह जाती, शून्य होगा।

दृष्टांत

- (i) क वसीयतकर्ता से मिथ्या और जानबूझकर यह व्यपदेशन करता है कि वसीयतकर्ता के एक मात्र पुत्र की मृत्यु हो गई है या उसने कुछ कर्तव्य विरुद्ध कृत्य किए हैं और उसके द्वारा वसीयतकर्ता को अपने पक्ष में विल करने के लिए उत्प्रेरित करता है: ऐसी विल कपट द्वारा अभिप्राप्त की गयी है और अवैध होगी।
- (ii) क कपट और अपवंचना द्वारा अपने पक्ष में वसीयत संपदा करने के लिए वसीयतकर्ता पर अभिभावी हो जाता है, ऐसी वसीयत शून्य होगी।
- (iii) क जो विधिपूर्ण प्राधिकार द्वारा एक बंदी है, अपनी विल करता है। कारावास के कारण विल अविधिमान्य नहीं होगी।
- (iv) क, ख को यह धमकी देता है कि यदि वह ग के पक्ष में वसीयत नहीं करता है तो वह उसको गोली मार देगा या उसका घर जला देगा या उसे किसी आपराधिक आरोप में बंदी बना लेगा। परिणामस्वरूप ख, ग के पक्ष में एक वसीयत कर देता है। वसीयत शून्य होगी, क्योंकि वह प्रपीड़न द्वारा करायी गयी है।
- (v) क, जिसमें, यदि दूसरे के प्रभाव से विघ्न उत्पन्न हो, विल करने के लिए पर्याप्त बुद्धि है, किन्तु वह ख के इतने नियंत्रण में है कि वह स्वतंत्र सत्ता का नहीं है, ख के कहे अनुसार विल करता है, यह

प्रतीत होता है, यदि ख का भय न होता तो वह विल निष्पादित नहीं करता। विल अविधिमान्य होगी।

- (vi) क पर, जो स्वास्थ्य की दृष्टि से इतना असशक्त है कि अतियाचना का प्रतिरोध नहीं कर सकता है, ख द्वारा विल करने के लिए दबाव डाला जाता है और वह उससे छुटकारा पाने के लिए और ख की इच्छा के सामने झुकते हुए ऐसा करता है। यह ऐसी विल अवैध होगी।
- (vii) क के स्वास्थ्य की स्थिति ऐसी है कि वह अपने स्वनिर्णय और स्वेच्छा का प्रयोग कर सकता है। ख विल करने के लिए उससे तत्काल निवेदन और अनुनय करता है। क निवेदन और अनुनय के अनुसरण में किन्तु अपने स्वनिर्णय और स्वेच्छा का स्वतन्त्र उपयोग करते हुए ख द्वारा अनुशंसा की गई रीति से विल करता है। विल ख के निवेदन और अनुनय के कारण अवैध नहीं होगी।
- (viii) क, ख से कोई वसीयत संपदा अभिप्राप्त करने की दृष्टि से उसका ध्यान रखता है और उसकी चाटुकारिता करता है और उसके द्वारा उसमें क के प्रति एक अनुचित पक्षपात उत्पन्न कर देता है। ख ऐसे ध्यान और चाटुकारिता के परिणामस्वरूप अपनी विल करता है जिससे वह क के लिए एक संपदा की वसीयत संपदा छोड़ता है। वसीयत क के ध्यान और चाटुकारिता के कारण अविधिमान्य नहीं होगी।

69. विल को प्रतिसंहत या परिवर्तित किया जा सकेगा.- विल को, इसके कर्ता द्वारा किसी भी समय प्रतिसंहत या परिवर्तित किया जा सकेगा, जब वह विल द्वारा अपनी संपदा का व्ययन करने के लिए सक्षम हो।

विलों का निष्पादन

70. विलों का निष्पादन.-

(1) गैर-विशेषाधिकार विल का निष्पादन.- प्रत्येक वसीयतकर्ता, जो किसी अभियान में नियोजित या वास्तविक युद्ध में लगा हुआ सैनिक या इस प्रकार नियोजित या लगा हुआ वायु सैनिक या समुद्र पर कोई जहाजी, नहीं है अपनी विल निम्नलिखित नियमों के अनुसार निष्पादित करेगा/करेगी-

(क) वसीयतकर्ता, विल पर अपने हस्ताक्षर करेगा या अपना चिह्न लगाएगा या उस पर किसी अन्य व्यक्ति द्वारा उसकी उपस्थिति में और उसके निर्देशानुसार हस्ताक्षर किया जाएगा।

(ख) वसीयतकर्ता के हस्ताक्षर या चिह्न या उसके लिए हस्ताक्षर करने वाले व्यक्ति के हस्ताक्षर इस प्रकार किए जाएंगे या लगाए जाएंगे कि उससे यह प्रतीत हो कि उसके द्वारा लेख को विल, के रूप में प्रभावी करने का आशय था।

(ग) विल को ऐसे दो या अधिक साक्षियों द्वारा अनुप्रमाणित किया जाएगा, जिसमें से प्रत्येक ने वसीयतकर्ता को विल पर हस्ताक्षर करते हुए या चिह्न लगाते हुए देखा हो या वसीयतकर्ता की उपस्थिति में और उसके निर्देशानुसार किसी अन्य व्यक्ति को विल पर हस्ताक्षर करते हुए देखा है या वसीयतकर्ता से उसके हस्ताक्षर या चिह्न की या ऐसे अन्य व्यक्ति के हस्ताक्षर की वैयक्तिक अभिस्वीकृति प्राप्त की है, और प्रत्येक साक्षी

वसीयतकर्ता की उपस्थिति में विल पर हस्ताक्षर करेगा किन्तु यह आवश्यक नहीं होगा कि एक से अधिक साक्षी एक ही समय पर उपस्थित हों और अनुप्रमाणन का कोई भी विशिष्ट प्रपत्र आवश्यक नहीं होगा।

(2) विशेषाधिकार विल.- कोई सैनिक, जो किसी अभियान में नियोजित किया गया है या वास्तविक युद्ध में लगा हुआ है या इस प्रकार नियोजित या लगा हुआ वायु सैनिक या समुद्र पर कोई जहाजी, यदि उसने अठारह वर्ष की आयु पूर्ण कर ली है, उप-धारा-3 में उपबन्धित रीति में विल द्वारा अपनी संपदा का व्ययन करता/करती है ऐसी विलों को विशेषाधिकार विल कहा जायेगा।

दृष्टांत

- (i) क को, जो किसी रेजीमेंट से जुड़ा कोई चिकित्सा अधिकारी है, किसी अभियान में वास्तव में नियोजित किया गया है। वह ऐसा सैनिक है जो वास्तविक रूप से किसी अभियान में नियोजित है, और विशेषाधिकार वसीयत कर सकता है।
- (ii) क, किसी वाणिज्यिक पोत में, जिसमें यह पोतनीस है, समुद्र पर है। वह एक जहाजी है और समुद्र पर होने के कारण विशेषाधिकार विल कर सकता है।
- (iii) क, विद्रोहियों के विरुद्ध युद्ध क्षेत्र में सेवारत कोई सैनिक, वास्तविक युद्ध में लगा हुआ एक सैनिक है और, इस कारण विशेषाधिकार विल कर सकता है।
- (iv) क, किसी पोत का जहाजी है, यात्रा के दौरान जब पोत बन्दरगाह में खड़ा है अस्थायी रूप से तट पर है। वह इस धारा के प्रयोजनों के लिए समुद्र पर

जहाजी होगा और विशेषाधिकार विल कर सकता है।

- (v) क, एक एडमिरल है और नौसेना को समादिष्ट करता है किन्तु वह तट पर रहता है और अपने पोत पर केवल कभी-कभी जाता है, वह समुद्र पर नहीं माना जायेगा है और विशेषाधिकार विल नहीं कर सकेगा।
- (vi) क, किसी सैनिक अभियान में सेवा कर रहा जहाजी है किन्तु समुद्र पर नहीं होने से, एक सैनिक माना गया है और विशेषाधिकार विल कर सकता है।

(3) विशेषाधिकार विल करने की रीति और निष्पादन के लिए नियम.-

- (क) विशेषाधिकार विल लिपिबद्ध रूप में या मौखिक रूप में हो सकेगी।
- (ख) विशेषाधिकार विल का निष्पादन निम्नलिखित नियमों द्वारा शासित होगा-
 - (i) वसीयतकर्ता द्वारा विल उसके हस्तलेख में पूर्णतः लिखी जा सकेगी। ऐसे मामले में उस पर हस्ताक्षर या उसे अनुप्रमाणित किए जाने की आवश्यकता नहीं है;
 - (ii) वह किसी अन्य व्यक्ति द्वारा पूर्णतः या भागतः लिखी जा सकेगी है और वसीयतकर्ता द्वारा हस्ताक्षरित की जा सकेगी। ऐसे मामले में उसे अनुप्रमाणित किए जाने की आवश्यकता नहीं है;
 - (iii) यदि कोई लिखत विल के रूप में तात्पर्यित है, किसी दूसरे व्यक्ति द्वारा पूर्णतः या भागतः लिखी गयी है और वसीयतकर्ता द्वारा हस्ताक्षरित नहीं हैं तो उसे उसकी विल मानी जायेगी, यदि यह दर्शित किया जाए कि वह वसीयतकर्ता के निर्देशों पर

लिखी गई थी या उसने उसे अपनी विल के रूप में मान्यता दी थी;

- (iv) यदि लिखत को देखने से ही यह प्रतीत हो कि उसका निष्पादन वसीयतकर्ता द्वारा आशयित रीति से पूर्ण नहीं किया गया था तो लिखत उस परिस्थिति के कारण अविधिमान्य नहीं होगी, परन्तु उसका निष्पादित न किया जाना लिखत में अभिव्यक्त वसीयती आशयों के परित्याग से भिन्न, कुछ अन्य कारण से युक्तियुक्त रूप में माना जा सकता है;
- (v) यदि सैनिक, वायुसैनिक या जहाजी ने अपनी विल तैयार किये जाने के लिए अनुदेश लिख दिये हैं किन्तु उसको तैयार किए जाने या निष्पादित किए जाने के पूर्व ही उसकी मृत्यु हो जाती है तो ऐसे अनुदेशों को उसकी विल के रूप में माना जाएगा;
- (vi) यदि सैनिक, वायुसैनिक या जहाजी ने दो साक्षियों की उपस्थिति में अपनी विल तैयार करने के लिए मौखिक अनुदेश दे दिया है और उन्हें उसके जीवनकाल में लिपिबद्ध कर लिया गया है किन्तु लिखत को तैयार और निष्पादित किए जाने के पूर्व ही उसकी मृत्यु हो जाती है तो ऐसे अनुदेश उसकी विल के रूप में माने जायेंगे यद्यपि, उन्हें उसकी उपस्थिति में लिपिबद्ध नहीं किया गया है न ही उसे पढ़ कर सुनाया गया है।
- (vii) सैनिक, वायुसैनिक या जहाजी एक ही समय पर उपस्थित दो साक्षियों के समक्ष अपने आशय की घोषणा करके मौखिक शब्दों में विल कर सकेगा।
- (viii) मौखिक रूप में की गई विल, वसीयतकर्ता के अभी भी जीवित रहने और विशेषाधिकार विल करने के

उसके अधिकार की समाप्ति के पश्चात् से एक मास के अवसान पर, शून्य हो जायेगी।

71. निर्देश द्वारा कागजों का सम्मिलित किया जाना.- यदि कोई वसीयतकर्ता सम्यक् रूप से अनुप्रमाणित किसी विल या क्रोडपत्र में किसी अन्य दस्तावेज को निर्दिष्ट करता है जो उस समय उसके आशय के किसी भाग को अभिव्यक्त करते हुए वास्तविक रूप से लिखा गया था, तो ऐसा दस्तावेज उस विल या क्रोडपत्र, जिसमें उसको निर्दिष्ट किया गया है, का भाग माना जाएगा।

विलों का अनुप्रमाणन, प्रतिसंहरण, परिवर्तन और पुनःप्रवर्तन

72. हित के कारण या निष्पादक होने से साक्षी का निरहिर्त न होना.- कोई भी व्यक्ति, विल में हित होने के कारण से या उसका निष्पादक होने से, विल का निष्पादन साबित करने या उसकी विधिमान्यता या अविधिमान्यता साबित करने के लिए, साक्षी के रूप में निरहिर्त नहीं किया जायेगा।

73. विल या क्रोडपत्र का प्रतिसंहरण.- (1) गैर-विशेषाधिकार विल या क्रोडपत्र का प्रतिसंहरण- किसी भी गैर-विशेषाधिकार विल या क्रोडपत्र का या उसके किसी भाग का प्रतिसंहरण नहीं किया जायेगा सिवाय किसी दूसरी विल या क्रोडपत्र द्वारा, या ऐसे किसी लिखित रूप से, जिससे उसे प्रतिसंहत करने का आशय घोषित किया गया है और जिसे ऐसी रीति से निष्पादित किया गया है जिसमें किसी गैर-विशेषाधिकार विल को, इसमें इसके पूर्व निष्पादित किया जाना अपेक्षित हो, या वसीयतकर्ता द्वारा उसे प्रतिसंहत करने के आशय से, जलाकर, फाड़कर या अन्यथा नष्ट करके ही किया जाएगा।

दृष्टांत

- (i) क ने एक गैर-विशेषाधिकार विल की है। तत्पश्चात् वह दूसरी गैर-विशेषाधिकार विल करता है और प्रथम विल को प्रतिसंहत करने हेतु तात्पर्यित है। यह प्रतिसंहरण माना जायेगा।

- (ii) क ने एक गैर-विशेषाधिकार विल की है। तत्पश्चात् क विशेषाधिकार विल करने का हकदार होने पर एक विशेषाधिकार विल करता है और गैर-विशेषाधिकार विल को प्रतिसंहत करने हेतु तात्पर्यित है। यह प्रतिसंहरण माना जायेगा।

(2) विशेषाधिकार विल या क्रोडपत्र का प्रतिसंहरण.- कोई विशेषाधिकार विल या क्रोडपत्र, वसीयतकर्ता द्वारा किसी गैर-विशेषाधिकार विल या क्रोडपत्र द्वारा या उसे प्रतिसंहत करने के आशय को व्यक्त करने वाले किसी कृत्य द्वारा और ऐसी औपचारिकताओं के साथ, जो किसी विशेषाधिकार विल को विधिमान्यता देने के लिए पर्याप्त हो, या उसे प्रतिसंहत करने के आशय से वसीयतकर्ता द्वारा या उसकी उपस्थिति में और उसके निर्देशानुसार किसी व्यक्ति द्वारा उसे जलाकर, फाड़कर या अन्यथा नष्ट करके, प्रतिसंहत किया जा सकेगा।

स्पष्टीकरण.- किसी विशेषाधिकार विल को विधिमान्यता देने के लिए पर्याप्त औपचारिकताओं के साथ किसी कृत्य द्वारा विशेषाधिकार विल या क्रोडपत्र को प्रतिसंहत करने के लिए यह आवश्यक नहीं है कि वसीयतकर्ता यह कार्य करते समय ऐसी स्थिति में हो जो उसे विशेषाधिकार विल करने का हकदार बनाता हो।

74. गैर-विशेषाधिकार विल में मिटाने, अंतरालेखन या परिवर्तन करने के प्रभाव.- गैर-विशेषाधिकार रहित विल में उसके निष्पादन के पश्चात्, विल के ऐसे शब्द जो अपठनीय हो या अर्थ समझ न आ रहा हो, को छोड़कर, उसमें किये गये किसी भी मिटान, अंतरालेखन या अन्य परिवर्तन प्रभावी नहीं होगा, जब तक ऐसा परिवर्तन, विल के निष्पादन हेतु अपेक्षित इसमें इससे पूर्व वर्णित रीति के जैसे निष्पादित ना किया गया हो:

परन्तु इस प्रकार परिवर्तित विल को सम्यक् रूप से निष्पादित माना जाएगा यदि, ऐसे परिवर्तन के सामने या उसके निकट विल के मार्जिन या किसी और भाग में या ऐसे परिवर्तन को निर्दिष्ट करने वाले

और विल के अंत में या किसी अन्य भाग में लिखे गए किसी ज्ञापन के नीचे या अन्त में अथवा उसके समक्ष वसीयतकर्ता का हस्ताक्षर या साक्षियों का सत्यापन किया गया हो।

75. गैर-विशेषाधिकार विल का पुनःप्रवर्तन.- (1) किसी गैर-विशेषाधिकार विल या क्रोडपत्र का या उसके किसी भाग को, जो किसी भी रीति से प्रतिसंहत किया गया है को पुनः प्रवर्तित, उसके पुनः निष्पादन द्वारा या इसमें इसके पूर्व अपेक्षित रीति से निष्पादित किसी क्रोडपत्र द्वारा और उसे पुनः प्रवर्तित करने का आशय दर्शित करने वाले किसी क्रोडपत्र द्वारा, ही किया जाएगा, अन्यथा नहीं।

(2) जहां कोई विल या क्रोडपत्र, जिसे, भागतः प्रतिसंहत किया गया है और तत्पश्चात् पूर्णतः प्रतिसंहत किया गया है. पुनः प्रवर्तित किया जाता है, वहां ऐसे पुनः प्रवर्तन का विस्तार, जब तक कि विल या क्रोडपत्र में इसके विरुद्ध कोई आशय दर्शित न किया जाए, उसके उस भाग पर नहीं होगा जो उसको पूर्णतः प्रतिसंहत किए जाने के पूर्व प्रतिसंहत किया गया है।

वसीयतों का बनाना

76. विल के शब्द.- यह आवश्यक नहीं है कि विल में कोई तकनीकी शब्दों या कला के पद प्रयुक्त किये जाएं किन्तु केवल शब्द ऐसे होंगे जिनसे वसीयतकर्ता के आशय को उनके द्वारा समझा जा सके।

77. विल के उद्देश्य या विषयवस्तु से संबंधित प्रश्नों का अवधारण करने के लिए जांचें.- ऐसे प्रश्नों का अवधारण करने के प्रयोजन के लिए कि विल में प्रयुक्त किन्हीं शब्दों द्वारा किस व्यक्ति या किस संपदा का वर्णन किया गया है, कोई न्यायालय, उन व्यक्तियों के, जो ऐसी विल के अधीन हितबद्ध होने का दावा करते हैं, उस संपदा के, जिसका व्ययन की विषयवस्तु के रूप में दावा किया गया है, वसीयतकर्ता और उसके कुटुम्ब की परिस्थितियों के संबंध में, और ऐसे प्रत्येक तात्त्विक तथ्य जिनका ज्ञान वसीयतकर्ता द्वारा प्रयुक्त शब्दों का सही उपयोग बताने में साधक बनेगा, की जांच करेगा।

दृष्टांत

- (i) क अपनी विल द्वारा अपने ज्येष्ठ पुत्र को या अपने कनिष्ठ पौत्र को, या अपने चचेरे भाई/बहन दिव्या को एक लाख रुपये की वसीयत करता है। न्यायालय यह अभिनिश्चय करने के लिए जांच कर सकेगा कि विल में किया गया वर्णन किस व्यक्ति पर लागू होता है।
- (ii) क, अपनी विल द्वारा, ख को “महा फार्मस् नाम से मेरी संपदा” छोड़ जाता है। यह अभिनिश्चित करने के लिए कि वसीयत की विषयवस्तु क्या है, या वसीयतकर्ता की कौन सी संपदा महा फार्मस् कही जाती है, साक्ष्य लेना आवश्यक हो सकेगा।
- (iii) क, अपनी विल द्वारा ख को “वह संपदा जो ग से खरीदी है” छोड़ जाता है। अभिनिश्चित करने के लिए कि कौन सी संपदा वसीयतकर्ता ने ग से खरीदी है, साक्ष्य लेना आवश्यक होगा।

78. वस्तु का मिथ्या नाम या गलत विवरण.- (1) जहां किसी वसीयतदार या वसीयतदारों के किसी वर्ग को अभिहित या वर्णित करने के लिए किसी विल में प्रयुक्त शब्दों से पर्याप्त रूप में यह दर्शित होता है कि उनसे क्या अभिप्रेत है वहां नाम या वर्णन में कोई त्रुटि, वसीयत संपदा को प्रभावी होने से निवारित नहीं करेगी।

(2) किसी वसीयतदार के नाम में किसी भूल को उसके वर्णन द्वारा शुद्ध किया जा सकेगा और वसीयतदार के वर्णन में ऐसी किसी भूल को उनके नाम द्वारा शुद्ध किया जा सकेगा।

दृष्टांत

- (i) क “मेरे भाई मोहन के द्वितीय पुत्र संजय” वसीयत करता है। वसीयतकर्ता का मोहन नाम का केवल एक भाई है जिसे संजय नाम का कोई पुत्र नहीं है किन्तु महेश नाम का द्वितीय पुत्र है। महेश को वसीयत संपदा मिलेगी।

- (ii) क “मेरे भाई मोहन के द्वितीय पुत्र संजय को” वसीयत संपदा की वसीयत करता है। वसीयतकर्ता का मोहन नाम का केवल एक भाई है जिसके प्रथम पुत्र का नाम संजय है और जिसके द्वितीय पुत्र का नाम महेश है। संजय वसीयत संपदा लेगा।
- (iii) वसीयतकर्ता, अपनी अवशिष्ट संपदा को “मेरी सात संतानों” के बीच विभाजित किए जाने के लिए देता है और उनकी प्रगणना में केवल छह नामों का वर्णन करता है। यह चूक सातवीं बालक को दूसरों के साथ एक अंश प्राप्त करने से निवारित नहीं करेगी।
- (iv) वसीयतकर्ता, जिसके छह पौत्र-पौत्री/दौहित्र-दौहित्री हैं, “मेरे छह पौत्रों-पौत्रियों/दौहित्रों- दौहित्रियों” को वसीयत करता है और उनके नाम लिखते समय एक नाम को दो बार लिखता है और एक को बिल्कुल छोड़ देता है। जिसका नाम वर्णन नहीं किया गया है वह दूसरों के साथ एक अंश प्राप्त करेगा।
- (v) वसीयतकर्ता “क के तीन बालकों से प्रत्येक को एक लाख रुपए” की वसीयत करता है वसीयत की तारीख को क के चार बालक हैं। इन चार बालकों में से प्रत्येक, यदि वह वसीयतकर्ता की उत्तरजीवी है, एक लाख रुपए की वसीयत संपदा प्राप्त करेगा।

79. शब्दों की पूर्ति कब की जा सकेगी.- जहां अर्थ की पूर्ण अभिव्यक्ति के लिए तात्त्विक किसी शब्द का लोप हो गया है वहां उसकी पूर्ति संदर्भ द्वारा की जाएगी ।

दृष्टांत

वसीयतकर्ता “पचास हजार” की वसीयत संपदा अपनी पुत्री क को और “पचास हजार रुपये” की वसीयत संपदा अपनी पुत्री ख को देता है। क पचास हजार रुपये की वसीयत संपदा प्राप्त करेगी।

80. विषयवस्तु के वर्णन में गलत विशिष्टियों का अस्वीकार किया जाना.- यदि उस वस्तु की, जिसकी वसीयत करने का वसीयतकर्ता का आशय था, पर्याप्त पहचान विल में दिए गए उसके वर्णन से की जा सकती है किन्तु वर्णन के कुछ भाग लागू नहीं होते हैं तो, वर्णन के उन भागों को क्यों वह गलत है इसलिए अस्वीकार कर दिया जाएगा और वसीयत प्रभावी होगी।

दृष्टांत

क, “मेरी कच्छ भूमि जो, ठ में स्थित है और म के अधिभोगाधीन है” ख को वसीयत करता है। वसीयतकर्ता के पास ठ में स्थित कच्छ भूमि थी किन्तु म के अधिभोगाधीन कच्छ भूमि नहीं थी। “म के अधिभोगाधीन” शब्दों को अस्वीकार कर दिया जाएगा कि वे गलत हैं और ठ में स्थित वसीयतकर्ता की कच्छ भूमि वसीयत द्वारा अंतरित हो जायेगी।

81. वर्णन का भाग जो गलत है कब अस्वीकार नहीं किया जा सकेगा.- यदि किसी विल में, उस वस्तु, जिसकी वसीयत करने का वसीयतकर्ता का आशय था, कई परिस्थितियों को वर्णन के रूप में उल्लिखित किया गया है और उसकी ऐसी कोई संपदा है जिसके संबंध में वे सभी परिस्थितियां विद्यमान हैं तो वसीयत ऐसी संपदा तक सीमित समझी जाएगी और वर्णन के किसी भी भाग को गलत होने के कारण अस्वीकार करना विधिमान्य नहीं होगा क्योंकि वसीयतकर्ता के पास ऐसी अन्य संपदा थी जिस पर वर्णन का ऐसा भाग लागू नहीं होता है।

स्पष्टीकरण.- यह निर्णित करने के लिए कि क्या मामला इस धारा के अभिप्राय के अधीन आता है, ऐसे शब्द को जो धारा 80 के अधीन अस्वीकार किए जाने हेतु दायी होंगे विल में से काट दिया गया समझा जाएगा।

दृष्टांत

- (i) क “मेरी कच्छ भूमि, जो ठ में स्थित है और भ के अधिभोगाधीन है” ख को वसीयत करता है। वसीयतकर्ता के पास ठ में स्थित कच्छ भूमि थी जिसमें से कुछ भ के अधिभोगाधीन थी और कुछ भ के अधिभोगाधीन नहीं थी। वसीयत को वसीयतकर्ता की ठ में स्थित ऐसी कच्छ भूमि तक ही सीमित समझा जाएगा जो भ के अधिभोगाधीन है।
- (ii) क, “मेरी कच्छ भूमि, जो ठ में स्थित है और भ के अधिभोगाधीन है और जिसमें 1,000 बीघा भूमि है” ख को वसीयत करता है। वसीयतकर्ता की क में स्थित कच्छ भूमि थी जिसमें से कुछ भूमि भ के अधिभोगाधीन थी और कुछ भ के अधिभोगाधीन नहीं थी। दिया गया माप किसी भी वर्ग की कच्छ भूमि या दोनों को मिलाकर संपूर्ण कच्छ भूमि पर लागू नहीं होता है। यह माना जाएगा कि माप विल में से काट दिया गया है और ठ में स्थित वसीयतकर्ता की ऐसी कच्छ भूमि, जो भ के अधिभोगाधीन हो, वसीयत द्वारा अंतरित होगी।

82. प्रत्यक्ष संदिग्धता के मामलों में बाहरी साक्ष्य की ग्राह्यता.-

जहां विल के शब्द असंदिग्ध हैं किन्तु बाहरी साक्ष्य से यह पाया जाता है कि उसके एक से अधिक उपयोजन हो सकते हैं जिसमें केवल एक ही वसीयतकर्ता द्वारा आशयित रहा होगा वहां यह दर्शित करने के लिए बाहरी साक्ष्य लिया जा सकेगा कि इन उपयोजनों में से कौन सी आशयित थी।

दृष्टांत

- (i) एक व्यक्ति जिसकी गीता नाम की दो भांजियां हैं “मेरी भांजी गीता” को कुछ धन राशि वसीयत करता है। यह प्रतीत होता है कि ऐसे दो व्यक्ति हैं जिनमें से प्रत्येक विल में दिए गए वर्णन के अनुरूप हैं। अतः इस वर्णन के दो उपयोजन हैं जिनमें से वसीयतकर्ता का आशय केवल एक रहा होगा, यह

दर्शित करने के लिए बाहरी साक्ष्य लिया जा सकेगा कि वसीयतकर्ता का आशय दोनों उपयोजनों में से किस उपयोजन के लिए था।

- (ii) क, अपनी विल द्वारा “बीकानेर फार्महाउस नामक मेरी संपदा” ख को छोड़ जाता है। यह प्रकट होता है कि उसके पास बीकानेर फार्महाउस नामक दो संपदाएं थीं। यह दर्शित करने के लिए साक्ष्य ग्राह्य हो सकेगा कि उसका आशय किस संपदा से था।

83. प्रत्यक्ष संदिग्धता या कमी के मामलों में बाहरी साक्ष्य की अग्राह्यता.- जहां विल को देखने से ही संदिग्धता या कमी लगती हो, वहां वसीयतकर्ता के आशय के बारे में कोई बाहरी साक्ष्य ग्राह्य नहीं होगा।

दृष्टांत

- (i) व्यक्ति क की एक चाची गीता और एक भतीजी राधा हैं और राधा नाम की कोई चाची नहीं है। अपनी विल द्वारा वह एक लाख रुपए “मेरी चाची गीता” के लिए और एक लाख रुपए “मेरी भतीजी राधा” के लिए वसीयत करता है और तत्पश्चात् दो लाख रुपए “मेरी पूर्व उल्लिखित चाची राधा” के लिए वसीयत करता है। यहां ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है जिसे विल में दिया गया वर्णन लागू होता हो और यह दर्शित करने के लिए कोई साक्ष्य ग्राह्य नहीं होगा कि “मेरी पूर्व उल्लिखित चाची राधा” से कौन अभिप्रेत था। अतः वसीयत धारा 91 के अधीन अनिश्चितता के कारण शून्य होगी।

- (ii) क, को 1,00,000 रुपए की वसीयत करता है जिसमें वसीयतदार का नाम खाली छोड़ दिया जाता है। यह दर्शित करने के लिए साक्ष्य ग्राह्य नहीं होगा कि वसीयतकर्ता का आशय कौन सा नाम अन्तःस्थापित करने का था।

- (iii) क, ख को..... रुपए, या “..... की मेरी संपदा” का वसीयत करता है। यह दर्शित करने के लिए साक्ष्य ग्राह्य नहीं होगा कि कितनी राशि या किस संपदा को अंतःस्थापित करने का वसीयतकर्ता का आशय था।

84. खण्ड का अभिप्राय सम्पूर्ण विल से निकाला जाना.- विल के किसी खण्ड का अभिप्राय सम्पूर्ण लिखत से निकाला जाएगा और उसके सभी भागों का अर्थ एक दूसरे के संदर्भ से निकाला जाना है।

दृष्टांत

- (i) वसीयतकर्ता, क की मृत्यु पर ख को विनिर्दिष्ट निधि या संपदा देता है और पश्चात्त्वर्ती खण्ड द्वारा अपनी सम्पूर्ण संपदा क को देता है। विभिन्न खंडों का एक साथ मिलकर प्रभाव विनिर्दिष्ट निधि या संपदा को क में जीवनकाल के लिए और उसकी मृत्यु के पश्चात् ख में निहित करना है; ख की वसीयत से यह प्रतीत होता है कि वसीयतकर्ता का आशय उन शब्दों का निर्बन्धित अर्थों में प्रयोग करने का था जिसमें उसने यह वर्णित किया है कि वह क को क्या देता है।
- (ii) जहां वसीयतकर्ता के पास एक ऐसी संपदा है जिसका एक भाग अजमेर फार्म कहा जाता है, अपनी सम्पूर्ण संपदा क को वसीयत करता है और अपनी वसीयत के दूसरे भाग में अजमेर फार्म ख को वसीयत करता है। पश्चात्त्वर्ती वसीयत को प्रथम वसीयत के अपवाद के रूप में पढ़ा जाएगा मानो उसने यह कहा हो कि “मैं अजमेर फार्म ख को देता हूं और अपनी समस्त शेष संपदा क को देता हूं”।

85. शब्दों को कब सीमित अर्थों में और कब प्रायिक से भिन्न विस्तृत अर्थों में समझा जाएगा.- साधारण शब्दों को सीमित अर्थों में समझा जा सकेगा जहां विल से यह अर्थ निकाला जा सके कि

वसीयतकर्ता उनके उपयोग सीमित अर्थों में करना चाहता था और जहां विल के अन्य शब्दों से यह अर्थ निकाला जा सके कि वसीयतकर्ता उनका उपयोग उनके प्रायिक अर्थों से भिन्न विस्तृत अर्थों में करना चाहता था, यहां शब्दों को उनके विस्तृत अर्थों में समझा जा सकेगा।

दृष्टांत

- (i) वसीयतकर्ता क को “ख के अधिभोगाधीन मेरा फार्म” और ग को “ठ में स्थित मेरी सभी कच्छभूमि” देता है। ख के अधिभोगाधीन फार्म का एक भाग ठ में स्थित कच्छभूमि है, और वसीयतकर्ता की ठ में स्थित अन्य कच्छभूमि भी है। साधारण शब्द “ठ में स्थित मेरी सभी कच्छभूमि” क को किए गए दान द्वारा सीमित हैं। क, ख के अधिभोगाधीन सम्पूर्ण फार्म लेगा जिसमें फार्म का यह प्रभाग भी सम्मिलित है, जिसमें ठ में स्थित कच्छभूमि है।
- (ii) वसीयतकर्ता (जो पोत पर एक जहाजी है) अपनी माता को उसकी सोने की अंगूठी, बटन और कपड़ों की पेटी और अपने मित्र क (पोत के साथी) को उसका लाल सन्दूक, खटकेदार चाकू और ऐसी सभी वस्तुएँ, जिनकी वसीयत पूर्व में नहीं की गई थी, का उत्तरदान करता है। किसी घर में वसीयतकर्ता का अंश इस वसीयत के अधीन क को अंतरित नहीं होगा।
- (iii) क, अपनी विल द्वारा ख को उसकी गृहस्थी के सभी घरेलू फर्नीचर, प्लेट, वस्त्र, , पुस्तकें, चित्र और सभी प्रकार के सभी अन्य माल की वसीयत करता है और तत्पश्चात् ख को अपनी संपदा के किसी विनिर्दिष्ट भाग का की वसीयत करता है, प्रथम वसीयत के अधीन ख केवल वसीयतकर्ता की ऐसी वस्तुओं का हकदारी है जो उसमें प्रगणित वस्तुओं के साथ समान प्रकृति की हैं।

86. दो सम्भाव्य अर्थान्वयन में से किसे अधिमान दिया जाएगा.- जहां किसी खंड के दो अर्थ सम्भव हैं जिनमें से एक के अनुसार उसका कुछ प्रभाव होता है और दूसरे के अनुसार उसका कोई प्रभाव नहीं होता है, वहां पूर्ववर्ती को अधिमान दिया जाएगा।

87. यदि युक्तियुक्त अर्थान्वयन किया जा सके तो किसी भाग को अस्वीकृत नहीं किया जाना.- यदि विल के किसी भाग का युक्तियुक्त अर्थान्वयन सम्भव है तो उसे अर्थहीन मानकर अस्वीकृत नहीं किया जाएगा।

88. विल के विभिन्न भागों में पुनःप्रयुक्त शब्दों का निर्वचन.- यदि एक ही विल के विभिन्न भागों में एक ही शब्द आते हैं, तो जब तक कोई विरुद्ध आशय प्रतीत नहीं हो तो, उनके बारे में यह माना जाएगा कि उनका प्रयोग सर्वत्र एक ही अर्थ में हुआ है।

89. जहां तक संभव हो वसीयतकर्ता के आशय को प्रभावी बनाया जाना.- वसीयतकर्ता के आशय को इसलिए अपास्त नहीं किया जाएगा कि यह पूर्ण रूप से प्रभावशील नहीं हो सकता है किन्तु उसे, जहां तक सम्भव हो, प्रभावशील किया जाएगा।

90. दो असंगत खंडों में से अंतिम का अभिभावी होना.- जहां विल में के दो खंडों या दोनों में ऐसा अनमेल है, जिससे वे साथ-साथ नहीं रह सकते हैं, वहां अंतिम खंड अभिभावी होगा।

दृष्टांत

- (i) वसीयतकर्ता अपनी विल के प्रथम खंड द्वारा अपनी जयपुर की संपदा "क के लिए" छोड़ता है और अपनी विल के अंतिम खंड द्वारा उसे "ख के लिए न कि क के लिए" छोड़ता है। वह ख को मिलेगी।
- (ii) यदि कोई व्यक्ति विल के प्रारंभ में अपना गृह क को देता है और उसके अंत में यह निदेश देता है कि उसके गृह का विक्रय किया जाएगा और उसके आगमों को ख के फायदे के लिए विनिहित किया जाएगा, तो अंतिम व्ययन अभिभावी होगा।

91. अनिश्चितता के कारण विल या वसीयत का शून्य होना.- कोई विल या वसीयत जिसमें कोई निश्चित आशय व्यक्त नहीं होता है, अनिश्चितता के कारण शून्य है।

दृष्टांत

यदि कोई वसीयतकर्ता यह कहता है कि "मैं माल क को वसीयत करता हूँ" या "मैं क को वसीयत करता हूँ" या "मैं अनुसूची में वर्णित समस्त माल क के लिए छोड़ता हूँ" और कोई अनुसूची नहीं पाई जाती है, या 'धन', 'गेहूँ' 'तेल' या ऐसी ही चीजें क के लिए वसीयत करता हूँ और उसकी मात्रा नहीं बताता है, तो यह शून्य है।

92. वस्तुओं का वर्णन करने वाले शब्दों का, वसीयतकर्ता की मृत्यु पर, वर्णन के अनुरूप संपदा को निर्दिष्ट करना.- विल में अंतर्विष्ट संपदा के, जो दान की विषयवस्तु है, वर्णन को जब तक विल से कोई विरुद्ध आशय प्रतीत न हो, वसीयतकर्ता की मृत्यु पर उस वर्णन के अनुरूप संपदा को निर्दिष्ट करने वाला और समाविष्ट करने वाला समझा जाएगा।

93. साधारण वसीयत द्वारा निष्पादित नियोजन की शक्ति.- जब तक कि विल से कोई विरुद्ध आशय प्रतीत न हो, वसीयतकर्ता की संपदा की वसीयत का यह अर्थ लगाया जाएगा कि उसमें कोई ऐसी कोई संपदा सम्मिलित है जिसे किसी ऐसे उद्देश्य के लिए, जिसे वह ठीक समझे, विल द्वारा नियोजित करने की उसे शक्ति है और वह ऐसी शक्ति के निष्पादन के रूप में प्रवर्तित होगी; और साधारण रीति से वर्णित संपदा की वसीयत का यह अर्थ लगाया जाएगा कि उसमें ऐसी संपदा सम्मिलित है, जिसे ऐसा वर्णन लागू हो सके, और जिसे ऐसे किसी उद्देश्य के लिए, जिसे वह ठीक समझे, नियोजित करने की उसे शक्ति है और, वह ऐसी शक्ति के निष्पादन के रूप में प्रवर्तित होगी।

94. नियोजन के अभाव में शक्तियों के उद्देश्यों के लिए विवक्षित दान.- जहां संपदा ऐसे कतिपय उद्देश्यों के लिए या उसके फायदे के लिए, जैसा कोई विनिर्दिष्ट व्यक्ति नियोजित करे या कतिपय उद्देश्यों के फायदे के लिए ऐसे अनुपात में, जो कोई विनिर्दिष्ट व्यक्ति नियोजित करे,

वसीयत की गयी है और विल में, नियोजन नहीं किए जाने की दशा में, कोई उपबंध नहीं है; वहां, यदि विल द्वारा दी गई शक्ति का प्रयोग नहीं किया जाता है, तो संपदा शक्ति के समस्त उद्देश्यों के लिए समान अंशों में प्रयुक्त होती है।

दृष्टांत

क अपनी विल द्वारा एक निधि अपनी पत्नी को जीवनपर्यन्त के लिए वसीयत करता है और निदेश देता है कि पत्नी की मृत्यु पर यह उसकी संतानों के मध्य ऐसे अनुपात में विभाजित की जाएगी जैसा उसकी पत्नी नियत करे। विधवा कोई नियोजन किए बिना मर जाती है। निधि संतानों में समान रूप से विभाजित की जाएगी।

95. किसी विशिष्ट व्यक्ति के "वारिसों" आदि को, विशेषित करने वाले निबंधनों के बिना वसीयत.- जहां किसी विशिष्ट व्यक्ति के "वारिसों" "सही वारिसों" या "नातेदारों" या "निकटतम नातेदारों" या "कुटुम्ब" या "रक्त संबंधी" या "निकटतम संबंधी" या "निकट संबंधी" को विशेषित करने वाले किसी शब्द के बिना, वसीयत की जाती है और ऐसे अभिहित वर्ग वसीयत का प्रत्यक्ष और स्वतन्त्र उद्देश्य है वहां वसीयत की गई संपदा इस प्रकार वितरित की जाएगी मानो वह ऐसे व्यक्ति की थी और उसकी, इसके संबंध में उसके ऋणों के संदाय के लिए ऐसी संपदा से पृथक आस्तियां छोड़कर, निर्वसीयत मृत्यु हो गयी थी।

दृष्टांत

- (i) क अपनी संपदा "मेरे अपने निकटतम नातेदारों" के लिए छोड़ता है। संपदा उन्हें मिलेगी जो उसके हकदार होते यदि क अपने ऋणों के संदाय के लिए ऐसी संपदा से स्वतंत्र रूप से आस्तियां छोड़कर, निर्वसीयत मर गया होता।
- (ii) क, 10,000 रुपए का वसीयत "ख को, उसके जीवनपर्यन्त, और ख, की मृत्यु के पश्चात् मेरे अपने सही वारिसों के लिए" करता है। वसीयत संपदा ख की मृत्यु के पश्चात् उनकी होगी जो उसके लिए हकदार होते यदि वे क की वसीयत न की गई संपदा का भाग होती।

- (iii) क अपनी संपदा को ख के लिए; किन्तु यदि ख की मृत्यु उसके पूर्व हो जाती है तो ख के निकट संबंधी के लिए छोड़ता है; ख की मृत्यु क से पूर्व हो जाती है; तो संपदा ऐसे न्यागत होगी मानो वह ख की थी और उसकी, अपने ऋणों के संदाय के लिए ऐसी संपदा से पृथक् आस्तियां छोड़कर, निर्वसीयत मृत्यु हो गई थी।
- (iv) क, 10,000 रुपए "ख को जीवनपर्यन्त" और उसकी मृत्यु के पश्चात् ग के वारिसों के लिए छोड़ता है।" वसीयत संपदा वैसे ही मिलेगी मानो वह ग की थी और उसकी, अपने ऋणों के संदाय के लिए ऐसी वसीयत संपदा से पृथक् आस्तियां छोड़कर, निर्वसीयत मृत्यु हो गई थी।

96. विशिष्ट व्यक्ति के "प्रतिनिधियों" आदि को वसीयत.- जहां, कोई वसीयत किसी "विशिष्ट व्यक्ति के प्रतिनिधियों" या "विधिक प्रतिनिधियों" या "वैयक्तिक प्रतिनिधियों" या "निष्पादकों" या "प्रशासकों" को की गई है, और इस प्रकार अभिहित वर्ग वसीयत का प्रत्यक्ष और स्वतंत्र उद्देश्य है, तो वसीयत की गई संपदा वैसे ही वितरित की जाएगी मानो वह ऐसे व्यक्ति की थी और उसकी, इसके संबंध में निर्वसीयत मृत्यु हो गई थी।

टिप्पणी

क के "विधिक प्रतिनिधियों" के लिए एक वसीयत की गई है। क की निर्वसीयत और दिवालिया के रूप में मृत्यु हो गई है। ख उसका प्रशासक है। ख वसीयत संपदा प्राप्त करने का हकदार है और उसका उपयोग प्रथमतः क के ऋणों के ऐसे भाग को चुकाने में करेगा जिसका संदाय नहीं किया गया है। यदि कोई अतिशेष हो, तो ख उसका संदाय उन व्यक्तियों को, जो क की मृत्यु पर क की ऐसी संपदा को, जो उसके ऋणों का संदाय करने के पश्चात् शेष हो, प्राप्त करने के हकदार होते या ऐसे व्यक्तियों के प्रतिनिधियों को सौंप करेगा।

97. परिसीमा संबंधी शब्दों के बिना वसीयत.- जहां संपदा किसी व्यक्ति को वसीयत में दी जाती है वहां वह उसमें, जब तक कि विल से

यह प्रकट न हो कि उसके लिए केवल निर्बंधित हित का आशय था, वसीयतकर्ता के संपूर्ण हित का हकदार होता है।

98. अनुकल्पी वसीयत.- जहां संपदा की वसीयत किसी व्यक्ति को, किसी अन्य व्यक्ति के लिए या व्यक्तियों के वर्ग के लिए अनुकल्पी वसीयत के साथ की गई है वहां यदि विल से कोई विरुद्ध आशय प्रकट नहीं होता है तो प्रथम नामित वसीयतदार वसीयत संपदा का हकदार होगा/होगी यदि वह उस समय जीवित है जब यह प्रभावी होता है; किन्तु यदि वह उस समय पर मर चुका/चुकी है, तो वह व्यक्ति या व्यक्तियों का वर्ग, जो अनुकल्पी की दूसरी शाखा में नामित है, वसीयत संपदा लेगा।

दृष्टांत

- (i) एक वसीयत क के लिए या ख के लिए की जाती है। क वसीयतकर्ता का उत्तरजीवी होता है। ख को कुछ नहीं मिलता है।
- (ii) एक वसीयत क के लिए या ख के लिए की जाती है। क की मृत्यु विल की तारीख के पश्चात् और वसीयतकर्ता से पूर्व हो जाती है। वसीयत संपदा ख को मिलती है।
- (iii) एक वसीयत क के लिए या ख के लिए की जाती है। क की मृत्यु विल की तारीख को हो जाती है। वसीयत संपदा ख को मिलती है।
- (iv) संपदा की वसीयत क के लिए या उसके वारिसों के लिए की जाती है। क वसीयतकर्ता का उत्तरजीवी होता है। क संपदा को पूर्णतः लेता है।
- (v) संपदा की वसीयत क के लिए या उसके निकटतम संबंधी के लिए की जाती है। क की मृत्यु वसीयतकर्ता के जीवनकाल में हो जाती है। वसीयतकर्ता की मृत्यु पर क के निकटतम संबंधी के लिए वसीयत प्रभावी होती है।
- (vi) संपदा की वसीयत क को उसके जीवनपर्यन्त और उसकी मृत्यु के पश्चात् ख या उसके वारिसों के लिए की जाती है। क और ख वसीयतकर्ता के उत्तरजीवी होते हैं। ख की मृत्यु क के जीवनकाल में

ही हो जाती है। क की मृत्यु पर ख के वारिसों को वसीयत प्रभावी होगी।

(vii) संपदा की वसीयत क को जीवनपर्यन्त और उसकी मृत्यु के पश्चात् ख या उसके वारिसों के लिए की जाती है। ख की मृत्यु वसीयतकर्ता के जीवनकाल में हो जाती है। क वसीयतकर्ता का उत्तरजीवी होता है। क की मृत्यु पर ख के वारिसों के लिए वसीयत प्रभावी होती है।

99. किसी व्यक्ति के लिए वसीयत में किसी वर्ग का वर्णन करने वाले शब्दों को जोड़ने का प्रभाव.- जहां संपदा का वसीयत किसी व्यक्ति के लिए की गई है और ऐसे शब्द जोड़े गए हैं, जो व्यक्तियों के किसी वर्ग का वर्णन करते हैं किन्तु उन्हें किसी विशिष्ट और स्वतंत्र दान के प्रत्यक्ष उद्देश्य के रूप में घोषित नहीं करते हैं, वहां ऐसा व्यक्ति, जब तक विल से कोई विरुद्ध आशय प्रकट न हो, उसमें वसीयतकर्ता के सम्पूर्ण हित का हकदार होगा।

दृष्टांत

(i) कोई वसीयत -

क और उसकी संतानों के लिए,
 क और उसकी वर्तमान पत्नी द्वारा उसकी संतानों के लिए,
 क और उसके वारिसों के लिए,
 क और उसके औरस वारिसों के लिए,
 क और उसके औरस पुरुष वारिसों के लिए,
 क और उसकी औरस स्त्री वारिसों के लिए,
 क और उसकी संतति के लिए,
 क और उसके कुटुम्ब के लिए,
 क और उसके वंशजों के लिए,
 क और उसके प्रतिनिधियों के लिए,
 क और उसके वैयक्तिक प्रतिनिधियों के लिए,
 क और उसके निष्पादकों और प्रशासकों के लिए,
 की जाती है।

इन प्रत्येक मामलों में, क वह सम्पूर्ण हित प्राप्त करता है, जो वसीयतकर्ता संपदा में रखता था।

- (ii) एक वसीयत क और उसके भाइयों के लिए की जाती है। क और उसके भाई वसीयत संपदा के लिए संयुक्त रूप से हकदार हैं।
- (iii) एक वसीयत क को जीवनपर्यन्त और उसकी मृत्यु के पश्चात् उसकी संतति के लिए की जाती है। क की मृत्यु पर, संपदा ऐसे समस्त व्यक्तियों की, जो क की संतति के वर्णन में आते हों, समान अंशों में होगी।

100. केवल साधारण वर्णन वाले व्यक्तियों के वर्ग को वसीयत.-

जहां केवल साधारण वर्णन वाले व्यक्तियों के वर्ग को वसीयत की जाती है, वहां ऐसा कोई भी व्यक्ति, जिसे वर्णन के शब्द उनके सामान्य अर्थों में लागू नहीं होते हैं, वसीयत संपदा प्राप्त नहीं करेगा।

101. पदों का अर्थान्वयन.- विल में-

(1) "संतान" शब्द उस व्यक्ति के, जिसकी संतान कही जाती है, केवल प्रथम डिग्री के पदों का अर्थान्वयन पारंपरिक वंशजों पर लागू होता है;

(2) "पौत्र-पौत्री, दौहित्र दौहित्री" शब्द उस व्यक्ति के, जिसके "पौत्र-पौत्री, दौहित्र-दौहित्री" कहे जाते हैं, केवल द्वितीय डिग्री के पारंपरिक वंशजों पर लागू होते हैं;

(3) "नैफ्यूज" और "नीसेज" शब्द केवल भाइयों या बहिनों की संतानों को लागू होते हैं;

(4) "वंशज" शब्द उस व्यक्ति के, जिसके "वंशज" कहे जाते हैं, सभी पारंपरिक वंशजों को, वे चाहे जो हों, लागू होते हैं;

(5) सांपाश्विक नातेदारी को अभिव्यक्त करने वाले शब्द पूर्ण रक्त और अर्ध रक्त नातेदारों पर समान रूप से लागू होते हैं;

(6) नातेदारी को अभिव्यक्त करने वाले समस्त शब्द गर्भस्थ संतान को लागू होते हैं, जो तत्पश्चात् जीवित जन्म लेती है।

102. जहां विल में एक ही व्यक्ति को दो वसीयतें करने का तात्पर्य हो वहां अर्थान्वयन के नियम.- जहां किसी विल में एक ही व्यक्ति को दो वसीयतें करने का तात्पर्य है और यह प्रश्न उठता है कि क्या वसीयतकर्ता का प्रथम वसीयत के स्थान पर या उसके अतिरिक्त द्वितीय वसीयत करने का आशय था, यहां यदि विल में यह दर्शित

करने के लिए कोई बात नहीं है कि उसका क्या आशय था, तो विल के अर्थान्वयन का अवधारण करने के लिए निम्नलिखित नियम प्रभावी होंगे-

- (1) यदि एक ही विशिष्ट चीज एक ही विल में या विल में और फिर क्रोडपत्र में एक ही वसीयतदार को दो बार वसीयत की गई है, तो वह केवल उस विनिर्दिष्ट चीज को प्राप्त करने का/की हकदार है।
- (2) जहां एक ही विल में या एक ही क्रोडपत्र में, दो स्थानों पर एक ही चीज की एक मात्रा या परिमाण को एक ही व्यक्ति को वसीयत किए जाने का तात्पर्य है, वहां वह ऐसी केवल एक वसीयत संपदा के लिए हकदार होगा/होगी।
- (3) जहां एक ही विल या एक ही क्रोडपत्र में एक ही व्यक्ति के लिए असमान मात्रा की दो वसीयत संपदाएं दी गई हैं वहां वसीयतदार दोनों का हकदार है।
- (4) जहां, चाहे समान या चाहे असमान मात्रा की, दो वसीयत संपदाएं, जिनमें से एक विल द्वारा और दूसरी क्रोडपत्र द्वारा या प्रत्येक भिन्न-भिन्न क्रोडपत्रों द्वारा, एक ही वसीयतदार को दी गई है, वहां वसीयतदार दोनों वसीयत संपदाओं के लिए हकदार है।

स्पष्टीकरण.- इस धारा के खंड (1) से (4) में "विल" शब्द में क्रोडपत्र सम्मिलित नहीं है।

दृष्टांत

- (i) क ने, जिसके स्टेट बैंक आफ इंडिया में केवल दस शेयर हैं अधिक नहीं, एक विल की है, जिसमें उसके प्रारम्भिक भाग में "मैं स्टेट बैंक आफ इंडिया में अपने दस शेयरों को ख के लिए वसीयत करता हूँ" शब्द अन्तर्विष्ट हैं। अन्य वसीयतों के पश्चात्, विल की समाप्ति "और मैं स्टेट बैंक आफ इंडिया में अपने दस शेयरों को ख के लिए वसीयत करता हूँ" शब्दों से होती है। ख केवल स्टेट बैंक आफ इंडिया में क के दस शेयरों को प्राप्त करने का हकदार है।

- (ii) क जिसके पास एक हीरे की अंगूठी है जो उसे ख ने दी है, उस हीरे की अंगूठी को जो ख ने दी है ग को वसीयत करता है। तत्पश्चात् क ने अपनी विल के लिए एक क्रोडपत्र तैयार किया है और उसके द्वारा अन्य वसीयत संपदाओं को देने के पश्चात् उसने उस हीरे की अंगूठी को, जो ख ने उसे दी थी ग को वसीयत किया है। ग उस हीरे की अंगूठी के सिवाय, जो ख ने क को दी थी, किसी भी चीज का दावा नहीं कर सकता है।
- (iii) क अपनी विल द्वारा ख के लिए 50,000 रुपए का वसीयत करता है और तत्पश्चात् उसी विल में वसीयत को उन्हीं शब्दों में दोहराता है। ख केवल 50,000 रुपए की एक वसीयत संपदा का हकदार है।
- (iv) क अपनी विल द्वारा, ख के लिए 50,000 रुपए की वसीयत करता है और तत्पश्चात् उसी विल में ख के लिए 60,000 रुपए की वसीयत करता है। ख 1,10,000 रुपए प्राप्त करने का हकदार है।
- (v) क, अपनी विल द्वारा, ख के लिए 50,000 रुपए की वसीयत करता है और विल के क्रोडपत्र द्वारा उसे 50,000 रुपए की वसीयत करता है। ख 1,00,000 रुपए प्राप्त करने का हकदार है।
- (vi) क, अपनी विल के एक क्रोडपत्र द्वारा ख के लिए 50,000 रुपए की वसीयत करता है और दूसरे क्रोडपत्र द्वारा उसके लिए 60,000 रुपए का वसीयत करता है। ख 1,10,000 रुपए प्राप्त करने का हकदार है।
- (vii) क, अपनी विल द्वारा "ख के लिए क्योंकि वह मेरी परिचारिका थी 50,000 रुपए" की वसीयत करता है, और विल के अन्य भाग में ख के लिए, "क्योंकि वह मेरी संतानों के साथ इंग्लैण्ड गई थी" 50,000 रुपए की वसीयत करता है। ख 1,00,000 रुपए प्राप्त करने की हकदार है।

- (viii) क, अपनी विल द्वारा, ख के लिए 50,000 रुपए की राशि और विल के अन्य भाग में 4,000 रुपए की एक वार्षिकी की वसीयत करता है। ख दोनों विल संपदाओं का हकदार है।
- (ix) क, अपनी विल द्वारा, ख के लिए 50,000 रुपए की राशि वसीयत करता है और यदि यह 18 वर्ष की आयु प्राप्त कर ले तो 50,000 रुपए की राशि की भी वसीयत करता है। ख 50,000 रुपए की एक राशि के लिए पूर्णरूप से हकदार है, और 50,000 रुपए की दूसरी राशि में समाश्रित हित प्राप्त करता है।

103. अवशिष्टीय वसीयतदार का गठन.- किसी अवशिष्टीय वसीयतदार का गठन ऐसे किन्हीं शब्दों द्वारा किया जा सकेगा जो वसीयतकर्ता की ओर से यह आशय दर्शित करें कि अभिहित व्यक्ति उसकी संपदा का अतिशेष या अवशिष्टीय लेगा।

दृष्टांत

- (i) क अपनी विल करती है जिसमें बहुत से वसीयती कागजपत्र हैं जिनमें से एक में निम्नलिखित शब्द अंतर्विष्ट है: "मैं यह सोचती हूँ कि समस्त अन्त्येष्टि के खर्चों आदि चुकाने के पश्चात् ख को, जो स्कूल में है, ऐसी किसी वृत्ति के लिए, जिसमें वह उसके पश्चात् नियुक्त किया जाए, उसे योग्य बनाने की दृष्टि से देने के लिए कुछ बचेगा।" ख को अवशिष्टीय वसीयतदार गठित किया गया है।
- (ii) क अपनी विल करता है, जिसके अन्त में निम्नलिखित लेखांश हैं: "मुझे विश्वास है कि मेरे बैंककार के हाथ में, मेरे ऋणों को अदा करने और चुकाने के लिए, पर्याप्त धन मिलेगा। मैं इसके द्वारा चाहता हूँ कि, ख यह कार्य करे और अवशेष को वह अपने उपयोग और भोग के लिए रखे। ख को अवशिष्टीय वसीयतदार गठित किया गया है।

(iii) क कुछ स्टाकों और निधियों को छोड़कर, जिसे वह ग के लिए वसीयत करता है, अपनी समस्त संपदा ख के लिए वसीयत करता है। ख अवशिष्टीय वसीयतदार है।

104. संपदा, जिसके लिए अवशिष्टीय वसीयतदार हकदार है.-

अवशिष्टीय वसीयत के अधीन, वसीयतदार, वसीयतकर्ता की मृत्यु पर, उसकी ऐसी समस्त संपदा के लिए हकदार है, जिसका उसने ऐसा कोई अन्य वसीयती व्ययन नहीं किया है, जो प्रभावी हो सके।

दृष्टांत

क अपनी विल द्वारा कतिपय वसीयत संपदाओं की वसीयत करता है जिनमें से एक शून्य है और दूसरी वसीयतदार की मृत्यु द्वारा व्यपगत हो जाती है। वह अपनी संपदा के अवशिष्ट की वसीयत ख के लिए करता है। अपनी विल की तारीख के पश्चात् क एक गृह क्रय करता है जो उसकी मृत्यु के समय उसकी रहती है, ख अवशिष्ट भाग के रूप में उन दो वसीयत संपदाओं और गृह के लिए हकदार है।

105. साधारण निबंधनों में वसीयत संपदा के निहित होने का समय.- यदि कोई संपदा साधारण निबंधनों के अनुसार दी गई है, और वह समय विनिर्दिष्ट नहीं किया गया है कि वह कब संदत्त की जाएगी तो वसीयतदार का हित उसमें वसीयतकर्ता की मृत्यु के दिन से निहित होता है, और, यदि उसकी मृत्यु उसे प्राप्त किए बिना हो जाती है, तो वह उसके प्रतिनिधियों को संक्रांत हो जाएगी।

106. वसीयत संपदा किन मामलों में व्यपगत होती है.- (1) यदि वसीयतदार वसीयतकर्ता का उत्तरजीवी नहीं है तो वसीयत प्रभावी नहीं होगी, किन्तु व्यपगत हो जाएगी और वसीयतकर्ता की संपदा का अवशिष्ट भाग होगी, जब तक कि विल से यह प्रकट न हो कि वसीयतकर्ता का आशय था कि वह किसी अन्य व्यक्ति को मिलनी चाहिए।

(2) वसीयत संपदा को प्राप्त करने के लिए वसीयतदार प्रतिनिधियों को हकदार होने के लिए यह सिद्ध किया जाना चाहिए कि वह वसीयतकर्ता का/की उत्तरजीवी था/थी।

दृष्टांत

- (i) वसीयतकर्ता ख के लिए "50,000 रुपए, जो ख मुझे देनदार है" वसीयत करता है। ख की मृत्यु वसीयतकर्ता से पूर्व हो जाती है; वसीयत संपदा व्यपगत हो जाती है।
- (ii) क और उसकी संतानों के लिए एक वसीयत की गई है। क की मृत्यु वसीयतकर्ता से पूर्व हो जाती है, या जब विल की जाती है वह मर चुका था। क और उसकी संतानों के लिए वसीयत संपदा व्यपगत हो जाती है।
- (iii) एक वसीयत संपदा क के लिए, और यदि उसकी मृत्यु वसीयतकर्ता से पूर्व हो जाती है तो ख के लिए दी जाती है। क की मृत्यु वसीयतकर्ता से पूर्व हो जाती है। वसीयत संपदा ख को मिलेगी।
- (iv) एक धनराशि की वसीयत क को जीवनपर्यन्त और उसकी मृत्यु के पश्चात् ख के लिए की जाती है। क की मृत्यु वसीयतकर्ता से पूर्व हो जाती है। ख वसीयतकर्ता का उत्तरजीवी होता है। ख के लिए वसीयत प्रभावी होगी।
- (v) एक धनराशि की वसीयत क के लिए, उसके अठारह वर्ष पूरा कर लेने पर और अठारह वर्ष पूरा करने के पूर्व उसकी मृत्यु हो जाने की दशा में, ख के लिए की जाती है। क अठारह वर्ष पूर्ण कर लेता है और उसकी मृत्यु वसीयतकर्ता के जीवनकाल में हो जाती है। क के लिए वसीयत संपदा व्यपगत हो जाती है और ख के लिए वसीयत प्रभावी नहीं होती है।
- (vi) वसीयतकर्ता और वसीयतदार एक ही पोटध्वंस में नष्ट हो जाते हैं। यह दर्शित करने के लिए कोई साक्ष्य नहीं है कि किसकी मृत्यु पहले हुई है। वसीयत संपदा व्यपगत हो जाती है।

107. वसीयत संपदा व्यपगत नहीं होती यदि दो संयुक्त वसीयतदारों में से एक की मृत्यु वसीयतकर्ता से पूर्व हो जाती है।- यदि कोई वसीयत संपदा दो व्यक्तियों को संयुक्त रूप से दी गई है, और उनमें से एक की मृत्यु वसीयतकर्ता से पूर्व हो जाती है, तो दूसरा वसीयतदार संपूर्ण संपदा प्राप्त करता है।

दृष्टांत

कोई वसीयत संपदा सीधे क और ख के लिए है। क की मृत्यु वसीयतकर्ता से पूर्व हो जाती है। ख संपूर्ण वसीयत संपदा प्राप्त करता है।

108. विशिष्ट अंश देने के वसीयतकर्ता के आशय को दर्शित करने वाले शब्दों का प्रभाव.- यदि कोई वसीयत संपदा किसी वसीयतदार को ऐसे शब्दों में दी गई है जो यह दर्शित करते हैं कि वसीयतकर्ता का उन्हें विशिष्ट अंश देने का आशय था, तब, यदि किसी वसीयतदार की मृत्यु वसीयतकर्ता से पूर्व हो जाती है, तो उतनी वसीयत संपदा, जो उसके लिए आशयित थी, वसीयतकर्ता की संपदा के अवशेष में आ जाएगी।

दृष्टांत

एक धनराशि क, ख और ग को आपस में समान रूप से विभाजित किए जाने के लिए वसीयत की गई है। क की मृत्यु वसीयतकर्ता से पूर्व हो जाती है, ख और ग को केवल उतना मिलेगा जितना वे तब पाते जब क वसीयतकर्ता का उत्तरजीवी होता/होती।

109. व्यपगत अंश कब अव्ययनित समझा जाएगा.- जहां ऐसा कोई अंश, जो व्यपगत हो जाता है, विल द्वारा वसीयत किए गए साधारण अवशेष का एक भाग है, वहां वह अंश अव्ययनित समझा जाएगा।

दृष्टांत

वसीयतकर्ता अपनी संपदा का अवशेष क, ख और ग को आपस में समान रूप से विभाजित किए जाने के लिए वसीयत करता है। क की मृत्यु वसीयतकर्ता से पूर्व हो जाती है। अवशेष की उसकी एक तिहाई अव्ययनित समझी जाती है।

110. वसीयतकर्ता की संतान या पारंपरिक वंशज के लिए वसीयत, वसीयतकर्ता के जीवनकाल में उसकी मृत्यु हो जाने पर कब व्यपगत नहीं होती है.- जहां कोई वसीयत, वसीयतकर्ता की किसी संतान या अन्य पारंपरिक वंशज को दी गई है और वसीयतदार की मृत्यु वसीयतकर्ता के जीवनकाल में हो जाती है किन्तु उसका कोई पारंपरिक वंशज वसीयतकर्ता का/की उत्तरजीवी होता/होती है, वहां वसीयत व्यपगत

नहीं होगी, और यदि विल से कोई विरुद्ध आशय प्रकट नहीं होता है तो वैसे ही प्रभावी होगी मानो वसीयतदार की मृत्यु वसीयतकर्ता की मृत्यु के ठीक पश्चात् हुई है।

दृष्टांत

क एक विल करता है जिसके द्वारा वह एक धनराशि की वसीयत अपने पुत्र ख को, उसके स्वयं के पूर्ण उपयोग और फायदे के लिए करता है। ख की मृत्यु क से पूर्व हो जाती है और वह एक पुत्र ग छोड़ जाता है, जो क का उत्तरजीवी होता है तथा अपनी विल कर जाता है, जिसके द्वारा अपनी समस्त संपदा अपनी विधवा घ के लिए वसीयत कर जाता है। धन घ को मिलेगा।

111. ख के फायदे के लिए क की वसीयत क को मृत्यु से व्यपगत नहीं होती.- जहां कोई वसीयत एक व्यक्ति को दूसरे व्यक्ति के फायदे के लिए की जाती है, वहां उस व्यक्ति की, जिसको वसीयत की गई है, वसीयतकर्ता के जीवनकाल में मृत्यु के कारण वसीयत संपदा व्यपगत नहीं होती है।

112. वर्णित वर्ग के लिए वसीयत के मामले में उत्तरजीविता.- जहां वसीयत केवल किसी वर्णित वर्ग के व्यक्तियों के लिए की गई है, वहां वसीयत की गई चीज केवल उन्हें मिलेगी जो वसीयतकर्ता की मृत्यु पर जीवित हैं।

अपवाद- यदि संपदा की वसीयत किसी विनिर्दिष्ट व्यष्टि के रक्त संबंध की किसी विशिष्ट डिग्री में आने वाले व्यक्तियों के रूप में वर्णित व्यक्तियों के किसी वर्ग को की गई है, किन्तु उस पर उसका कब्जा किसी पूर्ववर्ती वसीयत के कारण या अन्यथा वसीयतकर्ता की मृत्यु के कारण किसी समय तक आस्थगित कर दिया गया है वहां वह संपदा उस समय उनमें से जो जीवित हैं और उनमें से जिनकी मृत्यु हो गई है, उनके प्रतिनिधियों को मिलेगी।

दृष्टांत

(i) क, 1,00,000 रुपए की वसीयत "ख की संतानों" के लिए, बिना यह कथन करते हुए करता है कि उसे उनके बीच कब वितरित किया जाएगा। ख तीन संतानें ग, घ और ङ को छोड़ते हुए विल की तारीख

से पूर्व मर गया था। ड की मृत्यु विल की तारीख के पश्चात् किन्तु क की मृत्यु से पूर्व हो गई है। ग और घ, क के उत्तरजीवी हैं। वसीयत संपदा ड के प्रतिनिधियों को अपवर्जित करते हुए ग और घ की होगी।

- (ii) किसी गृह का कई वर्षों के लिए पट्टा, क को जीवनपर्यन्त, और उसकी मृत्यु के पश्चात् ख की संतानों के लिए वसीयत किया गया था। वसीयतकर्ता की मृत्यु पर, ख की दो संतानें, ग और घ जीवित थीं, और उसकी कभी भी कोई अन्य संतान नहीं थी। तत्पश्चात्, क के जीवनकाल में ही ग, ड को, निष्पादक छोड़ते हुए मर गया। घ, क का उत्तरजीवी हुआ। घ और ड पट्टाधृति अवधि के उतने भाग के लिए संयुक्त रूप से हकदार हैं, जो व्यतीत नहीं हुई है।
- (iii) एक धनराशि की वसीयत क को उसके जीवनपर्यन्त और उसकी मृत्यु के पश्चात् ख की संतानों के लिए की गयी थी। वसीयतकर्ता की मृत्यु पर, ख की दो संतानें, ग और घ जीवित थीं और, उस घटना के पश्चात्, ख की दो संतानें ड और च पैदा हुई थीं। ग और ड की मृत्यु क के जीवनकाल में हो गई। ग ने एक और विल की थी, ड ने कोई विल नहीं की थी। क की मृत्यु घ और च को उत्तरजीवी छोड़कर हो गई। वसीयत संपदा चार समान भागों में विभाजित की जाएगी, जिसमें से एक भाग ग के निष्पादक को, एक घ को, एक ड के प्रशासक को और एक च को संदत्त किया जाएगा।
- (iv) क अपनी भूमि के एक तिहाई की वसीयत घ को, जीवनपर्यन्त और उसकी मृत्यु के पश्चात् ख की बहिनों के लिए करता है। वसीयतकर्ता की मृत्यु पर, ख की दो बहनें, ग और घ जीवित थीं, और उस घटना के पश्चात् एक अन्य बहन ड पैदा हुई। ग की मृत्यु ख के जीवनकाल में हो गई। घ और ड, ख की उत्तरजीवी हुई। क की भूमि का एक तिहाई समान अंशों में घ, ड और ग के प्रतिनिधियों की होगी।
- (v) क 1,00,000 रुपए की वसीयत ख को जीवनपर्यन्त और उसकी मृत्यु के पश्चात् ग की संतानों के मध्य समान रूप से करता है। ख

की मृत्यु तक ग की कोई संतान नहीं थी। ख की मृत्यु के पश्चात् वसीयत शून्य है।

- (vi) क 1,00,000 रुपए की वसीयत ख की “पैदा हुई या पैदा होने वाली समस्त संतानों” को, ग की मृत्यु के पश्चात् उनके मध्य विभाजित किए जाने के लिए करता है। वसीयतकर्ता की मृत्यु पर, ख की दो संतानें घ और ड जीवित थीं। वसीयतकर्ता की मृत्यु के पश्चात्, किन्तु ग के जीवनकाल में, ख को दो और संतानें च और छ पैदा होती हैं। ग की मृत्यु के पश्चात्, ख की एक अन्य संतान पैदा होती है। वसीयत संपदा ख की सबसे पश्चात् पैदा हुई संतान को अपवर्जित करते हुए घ, ड, च और छ की होगी।
- (vii) क एक निधि की वसीयत ख की संतानों को, इस प्रकार करता है कि वह उनके मध्य तब विभाजित की जाएगी जब ज्येष्ठतम संतान वयस्क हो जाए। वसीयतकर्ता की मृत्यु पर, ख की एक संतान जीवित थी, जिसका नाम ग था। तत्पश्चात् उसको घ और ड नाम की दो अन्य संतानें हुई थीं। ड की मृत्यु हो गई किन्तु ग और घ उस समय जीवित थीं जब ग वयस्क हुआ। निधि, ऐसी किसी संतान को अपवर्जित करते हुए जो ख को ग के वयस्क होने के पश्चात् पैदा हो, ग, घ और ड के प्रतिनिधियों को मिलेगी।

शून्य वसीयत

113. किसी विशिष्ट वर्णन वाले किसी व्यक्ति को, जो वसीयतकर्ता की मृत्यु पर विद्यमान नहीं है, वसीयत.- जहां किसी विशेष वर्णन वाले किसी व्यक्ति को वसीयत की गई है और वसीयतकर्ता की मृत्यु पर ऐसा व्यक्ति विद्यमान नहीं है, जो उस वर्णन के अनुरूप है, वहां वसीयत शून्य है।

अपवाद.- यदि संपदा की वसीयत किसी ऐसे व्यक्ति को की गई है जिसका वर्णन किसी विनिर्दिष्ट व्यष्टि के रक्त संबंध की किसी विशिष्ट डिग्री में आने वाले व्यक्ति के रूप में किया गया है किन्तु उसका कब्जा किसी पूर्ववर्ती वसीयत के कारण या अन्यथा वसीयतकर्ता

की मृत्यु के पश्चात् किसी समय तक आस्थगित कर दिया गया है, और यदि वसीयतकर्ता की मृत्यु पर उस वर्णन के अनुरूप कोई व्यक्ति जीवित है या उस घटना और ऐसी पश्चात्पूर्ती तारीख के मध्य अस्तित्व में आता है तो संपदा ऐसे पश्चात्पूर्ती समय पर, उस व्यक्ति को मिलेगी या यदि उसकी मृत्यु हो जाती है, तो उसके प्रतिनिधियों को मिलेगी।

दृष्टांत

- (i) क 1,00,000 रुपए की वसीयत ख के ज्येष्ठतम पुत्र को करता है। वसीयतकर्ता की मृत्यु पर ख का कोई पुत्र नहीं था। वसीयत शून्य है।
- (ii) क 1,00,000 रुपए की वसीयत ख को उसके जीवनपर्यन्त और उसकी मृत्यु के पश्चात् ग के ज्येष्ठतम पुत्र के लिए करता है। वसीयतकर्ता की मृत्यु पर ग को कोई पुत्र नहीं था। तत्पश्चात्, ख के जीवनकाल में ग को एक पुत्र पैदा होता है। ख की मृत्यु पर वसीयत संपदा ग के पुत्र को मिलेगी।
- (iii) क 1,00,000 रुपए की वसीयत ख को जीवनपर्यन्त और उसकी मृत्यु के पश्चात् ग के ज्येष्ठतम पुत्र के लिए करता है। वसीयतकर्ता की मृत्यु पर, ग को कोई पुत्र नहीं था। तत्पश्चात्, ख के जीवनकाल में ग को घ नाम का एक पुत्र पैदा होता है। घ की मृत्यु हो जाती है उसके बाद ख की मृत्यु हो जाती है। वसीयत संपदा घ के प्रतिनिधियों को मिलेगी।
- (iv) क, अपनी उदयपुर फार्मस् की संपदा की वसीयत ख को जीवनपर्यन्त और उसकी मृत्यु पर ग के ज्येष्ठतम पुत्र के लिए करता है। ख की मृत्यु तक, ग को कोई पुत्र नहीं था। ग के ज्येष्ठतम पुत्र के लिए वसीयत शून्य है।
- (v) क 1,00,000 रुपए की वसीयत ग के ज्येष्ठतम पुत्र को, ख की मृत्यु के पश्चात् उसे संदाय किए जाने के लिए करता है। वसीयतकर्ता की मृत्यु पर ग को कोई पुत्र नहीं था किन्तु बाद में उसे ख के जीवनकाल में एक पुत्र पैदा होता है और ख की मृत्यु पर जीवित रहता है। ग का पुत्र 1,00,000 रुपए का हकदार है।

114. वसीयतकर्ता की मृत्यु पर अविद्यमान व्यक्ति को पूर्वोक्त वसीयत के अध्यधीन वसीयत.- जहां कोई वसीयत विल में अन्तर्विष्ट किसी पूर्विक वसीयत के अध्यधीन रहते हुए, किसी ऐसे व्यक्ति को, जो वसीयतकर्ता की मृत्यु के समय अस्तित्व में नहीं है, की जाती है, वहां पश्चात्तर्वी वसीयत जब तक कि उसमें वसीयत की गई चीज में वसीयतकर्ता का संपूर्ण शेष हित समाविष्ट न हो, शून्य होगी।

दृष्टान्त

- (i) संपदा की वसीयत क को, उसके जीवनपर्यन्त, और उसकी मृत्यु के पश्चात् उसके ज्येष्ठतम पुत्र को, जीवनपर्यन्त और पश्चात्तर्वी की मृत्यु के पश्चात् उसके ज्येष्ठतम पुत्र के लिए की गई है। वसीयतकर्ता की मृत्यु के समय, क को कोई पुत्र नहीं है। यहां क के ज्येष्ठतम पुत्र के लिए वसीयत ऐसे व्यक्ति के लिए वसीयत है, जो वसीयतकर्ता की मृत्यु के समय अस्तित्व में नहीं है। यह ऐसे संपूर्ण हितों की वसीयत नहीं है जो वसीयतकर्ता के लिए शेष हों। क के ज्येष्ठतम पुत्र को, उसके जीवनपर्यन्त वाली वसीयत शून्य है।
- (ii) एक निधि की वसीयत क को, उसके जीवनपर्यन्त और उसकी मृत्यु के पश्चात् उसकी पुत्रियों के लिए की गई है। क वसीयतकर्ता का उत्तरजीवी है। क की पुत्रियां हैं जिनमें से कुछ वसीयतकर्ता की मृत्यु पर अस्तित्व में नहीं थीं। क की पुत्रियों के लिए वसीयत में ऐसे संपूर्ण हित समाविष्ट हैं जो वसीयत की गई चीज में वसीयतकर्ता के पास थे। क की पुत्रियों के लिए वसीयत वैध है।
- (iii) एक निधि की वसीयत क को, उसके जीवनपर्यन्त और उसकी मृत्यु के पश्चात् उसकी पुत्रियों के लिए, इस निदेश के साथ की जाती है कि यदि उनमें से कोई अपना विवाह अठारह वर्ष से कम आयु में करती है, तो उसके प्रभाग का व्यवस्थापन इस प्रकार किया जाएगा कि वह उसका जीवनपर्यन्त रहे और उसकी मृत्यु के पश्चात् उसकी संतानों के मध्य विभाजित किया जा सके। क को वसीयतकर्ता की मृत्यु के समय कोई जीवित पुत्री नहीं थी किन्तु बाद में उसे पुत्री पैदा हुई जो उसकी उत्तरजीवी है। यहां व्यवस्थापन के निदेश का प्रभाव ऐसी प्रत्येक पुत्री के मामले में, जो अठारह वर्ष से कम आयु

में विवाह करती है उसके लिए पूर्ण वसीयत के स्थान पर, उसके लिए केवल उसके जीवनपर्यन्त वसीयत को प्रतिस्थापित करना है, अर्थात् किसी ऐसे व्यक्ति को, जो वसीयतकर्ता की मृत्यु के समय अस्तित्व में नहीं है, ऐसी चीज की वसीयत है जो वसीयत की गई चीज में वसीयतकर्ता के शेष संपूर्ण हित से कम हैं। निधि के व्यवस्थापन का निदेश शून्य है।

- (iv) क एक धनराशि की वसीयत ख को, उसके जीवनपर्यन्त के लिए करता है और निदेश देता है कि ख की मृत्यु पर निधि का व्यवस्थापन उसकी पुत्रियों पर ऐसे किया जाएगा जिससे प्रत्येक पुत्री का भाग, उसका उसके जीवनपर्यन्त रहे, और उसकी मृत्यु के पश्चात् उसकी संतानों में विभाजित किया जा सकेगा। वसीयतकर्ता की मृत्यु के समय ख की कोई पुत्री जीवित नहीं थी। इस मामले में केवल ख की पुत्रियों के लिए वसीयत निधि के व्यवस्थापन के निदेश में समाविष्ट है और यह निदेश ऐसे व्यक्तियों के लिए, जो अभी पैदा नहीं हुए हैं, निधि में जीवनपर्यन्त हित की वसीयत के समान है अर्थात् ऐसी कोई चीज जो वसीयत की गई चीजों में वसीयतकर्ता के संपूर्ण हित से कम है। ख की पुत्रियों पर निधि के व्यवस्थापन का निदेश शून्य है।

115. शाश्वतता के विरुद्ध नियम.- ऐसी कोई वसीयत वैध नहीं है जिसके द्वारा वसीयत की गई चीज का निहित होना वसीयतकर्ता की मृत्यु के समय जीवित एक या अधिक व्यक्तियों के जीवनकाल के पश्चात् और किसी ऐसे व्यक्ति की, जो उस कालावधि की समाप्ति के समय अस्तित्व में हो और जिसे वसीयत की गई चीज उस समय मिलती है जब वह पूर्ण आयु प्राप्त करे, अवयस्कता के पश्चात् तक विलम्ब होता हो।

दृष्टांत

- (i) एक निधि की वसीयत क को, उसके जीवनपर्यन्त और उसकी मृत्यु के पश्चात् ख को, उसके जीवनपर्यन्त और ख की मृत्यु के पश्चात् ख के पुत्रों में से उस पुत्र के लिए, जो 25 वर्ष की आयु पहले प्राप्त करेगा, की गई है। क और ख वसीयतकर्ता के उत्तरजीवी हो जाते

हैं। यहां ख का वह पुत्र जो 25 वर्ष की आयु पहले प्राप्त करेगा वसीयतकर्ता की मृत्यु के पश्चात् पैदा हुआ पुत्र हो सकता है। ऐसा पुत्र क और ख में से जो भी दीर्घजीवी हो, उसकी मृत्यु से 18 वर्ष से अधिक के व्यतीत हो जाने तक 25 वर्ष की आयु प्राप्त नहीं कर सकता है, और इस प्रकार निधि के निहित होने में क और ख के जीवनकाल और ख के पुत्रों की अवयस्कता के बाद तक विलम्ब हो सकता है। ख की मृत्यु के पश्चात् वसीयत शून्य है।

- (ii) एक निधि की वसीयत क को, उसके जीवनपर्यन्त और उसकी मृत्यु के पश्चात् ख को उसके जीवनपर्यन्त और ख की मृत्यु के पश्चात् ख के पुत्रों में से उस पुत्र के लिए, जो 25 वर्ष की आयु पहले प्राप्त करेगा, की गई है। ख की मृत्यु वसीयतकर्ता के जीवनकाल में हो जाती है और वह एक या अधिक पुत्र छोड़ जाता है। इस मामले में ख के पुत्र वसीयतकर्ता की मृत्यु के समय जीवित व्यक्ति है और वह समय, जब उनमें से कोई 25 वर्ष की आयु प्राप्त करेगा आवश्यक रूप से उसके स्वयं के जीवनकाल के भीतर आता है। वसीयत विधिमान्य है।
- (iii) एक निधि की वसीयत क को, उसके जीवनपर्यन्त और उसकी मृत्यु के पश्चात् ख को उसके जीवनपर्यन्त, इस निदेश के साथ की जाती है कि ख की मृत्यु के पश्चात् उसका विभाजन ख की ऐसी संतानों के मध्य किया जाएगा जो 18 वर्ष की आयु प्राप्त करे किन्तु यदि, ख की कोई संतान वह आयु प्राप्त नहीं करेगी, तो निधि ग को मिलेगी। यहां निधि के विभाजन का समय वसीयतकर्ता की मृत्यु पर जीवित व्यक्ति ख की मृत्यु के अधिक से अधिक 18 वर्ष के अवसान पर पहुंचना चाहिए। समस्त वसीयतें विधिमान्य हैं।
- (iv) एक निधि की वसीयत, वसीयतकर्ता की पुत्रियों के फायदे के लिए न्यासियों को इस निदेश के साथ की जाती है कि यदि उनमें से कोई वय से पहले विवाह कर लेती है तो निधि में उसके अंश का व्यवस्थापन ऐसे किया जाएगा कि वह उसकी मृत्यु के पश्चात् उसकी उन संतानों पर न्यागत हो जो 18 वर्ष की आयु प्राप्त करेगी। वसीयतकर्ता की किसी भी पुत्री को, जिसे निदेश लागू होता है, उसकी

मृत्यु पर अस्तित्व में होना चाहिए और निधि का कोई भाग, जिसका व्यवस्थापन अन्ततः यथानिर्दिष्ट रूप में किया जा सकेगा, उन पुत्रियों की, जिनका वह अंश है, मृत्यु से 18 वर्ष के भीतर निहित होना चाहिए। ये समस्त उपबंध विधिमान्य हैं।

116. उस वर्ग को वसीयत जिनमें से कुछ धारा 114 और 115 के अधीन आते हैं.- यदि वसीयत व्यक्तियों के किसी ऐसे वर्ग के लिए की जाती है जिनमें से कुछ के संबंध में यह धारा 114 या 115 के उपबंधों के कारण अप्रवर्तनीय हो जाती है, तो ऐसी वसीयत केवल उन्हीं व्यक्तियों के संबंध में न कि सम्पूर्ण वर्ग के संबंध में शून्य होगी।

दृष्टांत

- (i) एक निधि की वसीयत क को, उसके जीवनपर्यन्त और उसकी मृत्यु के पश्चात् उसकी समस्त ऐसी संतानों के लिए, जो 25 वर्ष की आयु प्राप्त कर लेती है, की जाती है। क वसीयतकर्ता का उत्तरजीवी होता है, और उसकी कुछ संतानें वसीयतकर्ता की मृत्यु पर जीवित रहती हैं। वसीयतकर्ता की मृत्यु पर जीवित क की प्रत्येक संतान को, वसीयत के लिए अनुज्ञात सीमाओं के भीतर (किसी भी दशा में) 25 वर्ष की आयु प्राप्त कर लेनी चाहिए। किन्तु क की वसीयतकर्ता की मृत्यु के पश्चात् संतानें हो सकती हैं, जिनमें से कुछ क की मृत्यु के पश्चात् 18 वर्ष से अधिक समय व्यतीत हो जाने तक 25 वर्ष की आयु प्राप्त नहीं कर सकती हैं। अतः क की संतानों के लिए वसीयत, वसीयतकर्ता की मृत्यु के पश्चात् पैदा हुई किसी संतान के लिए और उनके संबंध में, जो क की मृत्यु के पश्चात् 18 वर्ष के भीतर 25 वर्ष की आयु प्राप्त नहीं कर लेती हैं, अप्रवर्तनीय है, किन्तु यह क की अन्य संतानों के संबंध में प्रवर्तनीय है।
- (ii) एक निधि की वसीयत क को, उसके जीवनपर्यन्त और उसकी मृत्यु के पश्चात् ख, ग, घ और क की समस्त ऐसी अन्य संतानों के लिए, जो 25 वर्ष की आयु प्राप्त कर लेती हैं, की जाती है। ख, ग, घ वसीयतकर्ता की मृत्यु पर जीवित क की संतानें हैं। अन्य समस्त बातों में मामला वैसा ही है जैसा दृष्टांत (झ) में अनुमित है। यद्यपि ख, ग और घ का उल्लेख वसीयत को किसी वर्ग के लिए वसीयत

माने जाने से निवारण नहीं करता है, वह पूर्णतया शून्य नहीं है। यह ख, ग या घ की ऐसी किन्हीं संतानों के बारे में, जो क की मृत्यु के पश्चात् 18 वर्ष के भीतर 25 वर्ष की आयु प्राप्त कर लेती है, प्रवर्तनीय है।

117. वसीयत का किसी पूर्विक वसीयत की निष्फलता पर प्रभावी होना.- जहां किसी व्यक्ति या व्यक्तियों के किसी वर्ग के पक्ष में की गई वसीयत धारा 114 और 115 में अन्तर्विष्ट नियमों में से किसी के कारण ऐसे व्यक्ति या ऐसे संपूर्ण वर्ग के संबंध में शून्य हो जाती है, वहां उसी विल में अन्तर्विष्ट और ऐसी पूर्विक वसीयत की निष्फलता के पश्चात् या पर प्रभावी होने के लिए आशयित कोई वसीयत भी शून्य हो जाती है।

दृष्टांत

- (i) एक निधि का वसीयत क को, उसके जीवनपर्यन्त और उसकी मृत्यु के पश्चात् उसके ऐसे पुत्र को जो 25 वर्ष की आयु पहले प्राप्त कर लेता है, उसके जीवनपर्यन्त और ऐसे पुत्र की मृत्यु के पश्चात् ख के लिए की जाती है। क और ख वसीयतकर्ता के उत्तरजीवी होते हैं। ख के लिए वसीयत क के ऐसे पुत्रों को वसीयत के पश्चात् जो 25 वर्ष की आयु पहले प्राप्त कर लेते हैं, प्रभावी होने के लिए आशयित है, ऐसी वसीयत धारा 115 के अधीन शून्य है। ख के लिए वसीयत शून्य है।
- (ii) एक निधि की वसीयत क को, उसके जीवनपर्यन्त और उसकी मृत्यु के पश्चात् उसके ऐसे पुत्रों के लिए, जो 25 वर्ष की आयु पहले प्राप्त कर लेते हैं, और, यदि क का कोई पुत्र वह आयु प्राप्त नहीं करता है, तो ख के लिए की जाती है। क और ख वसीयतकर्ता के उत्तरजीवी होते हैं। ख के लिए वसीयत क के ऐसे पुत्रों के लिए, जो 25 वर्ष की आयु पहले प्राप्त कर लेते हैं वसीयत के असफल हो जाने पर प्रभावी होने के लिए आशयित है, ऐसी वसीयत धारा 115 के अधीन शून्य है। ख के लिए वसीयत शून्य है।

118. संचयन के लिए निदेश का प्रभाव.- (1) जहां किसी विल के निबंधन यह निर्दिष्ट करते हैं कि किसी संपदा से उद्भूत आय वसीयतकर्ता की मृत्यु से अठारह वर्ष से अधिक किसी कालावधि तक पूर्णतः या भागतः संचित की जाएगी, वहां इसमें इसके पश्चात् जैसा उपबंधित है, उसके सिवाय ऐसा निदेश वहां तक शून्य होगा, जहां तक वह अवधि, जिसके दौरान संचय करना निर्दिष्ट है, पूर्वोक्त कालावधि से अधिक है और अठारह वर्ष की ऐसी कालावधि की समाप्ति पर वह संपदा और उसकी आय का व्ययन इस प्रकार किया जाएगा मानो वह कालावधि, जिसके दौरान संचय करना निर्दिष्ट किया गया है, बीत गई है।

(2) यह धारा ऐसे किसी निदेश पर प्रभाव नहीं डालेगी जो-

- (क) वसीयतकर्ता के या विल के अधीन कोई हित पाने वाले किसी अन्य व्यक्ति के ऋणों का संदाय करने के, या
- (ख) वसीयतकर्ता के या विल के अधीन कोई हित पाने वाले किसी अन्य व्यक्ति की संतानों या दूरतर संतति के लिए प्रभागों का उपबंध करने के, या
- (ग) वसीयत की गई संपदा के परिक्षण या अनुरक्षण के, प्रयोजन के लिए संचय करने के लिए हो;

और ऐसा निदेश तदनुसार किया जा सकेगा।

वसीयत संपदा का निहित होना

119. वसीयत संपदा के निहित होने की तारीख जब संदाय या कब्जा मुलतवी कर दिया गया हो.- जहां वसीयत के निबंधनों द्वारा वसीयतदार वसीयत की गई वस्तु के अव्ययवहीत कब्जे का हकदार नहीं है वहां उसे समुचित समय पर पाने का अधिकार, जब तक विल से प्रतिकूल आशय प्रतीत नहीं होता है, वसीयतकर्ता की मृत्यु पर वसीयतदार में निहित होगा और यदि वसीयतदार की मृत्यु उस समय से पूर्व और वसीयत संपदा प्राप्त किए बिना हो जाती है, तो यह वसीयतदार के प्रतिनिधियों को संक्रांत हो जाएगी और ऐसे मामले में वसीयत, वसीयतकर्ता की मृत्यु की तारीख से, निहित हित कही जाती है।

स्पष्टीकरण.- केवल ऐसे उपबंधों से, जिनके द्वारा विल की गई वस्तु का संदाय या कब्जा रोक दिया जाता है, या उसमें कोई पूर्विक हित किसी अन्य व्यक्ति को वसीयत कर दिया जाता है, या जिसके द्वारा वसीयत की गई निधि से उद्भूत आय का उस समय तक संचित किए जाने का निदेश किया जाता है जब तक संदाय का समय नहीं आ जाता है, या केवल ऐसे किसी उपबंध से, कि यदि कोई विशिष्ट घटना घटित हो जाती है, तो वह वसीयत किसी अन्य व्यक्ति को संक्रांत हो जाएगी, इस आशय का अनुमान नहीं किया जाएगा कि किसी व्यक्ति को की गई वसीयत संपदा में उसका हित निहित नहीं होगा।

दृष्टांत

- (i) क 10,000 रुपए की वसीयत ख को करता है, जो ग की मृत्यु पर उसे संदत्त किए जाने हैं। क की मृत्यु पर वसीयत संपदा में ख का हित निहित हो जाता है और यदि ग से पूर्व उसकी मृत्यु हो जाती है, तो उसके प्रतिनिधि वसीयत संपदा के हकदार होंगे।
- (ii) क 10,000 रुपए की वसीयत ख को करता है, जो उसके 18 वर्ष की आयु प्राप्त कर लेने पर उसे संदत्त किए जाने हैं। क की मृत्यु पर वसीयत संपदा में ख का हित निहित हो जाता है।
- (iii) एक निधि की वसीयत क को, उसके जीवनपर्यन्त और उसकी मृत्यु के पश्चात् ख को की जाती है। वसीयतकर्ता की मृत्यु पर ख को की गई वसीयत संपदा में ख का हित निहित हो जाता है।
- (iv) एक निधि की वसीयत क को, उस समय तक के लिए की जाती है जब तक ख 18 वर्ष की आयु प्राप्त नहीं कर लेता है, और तब यह ख को की जाती है। वसीयत संपदा में वसीयतकर्ता की मृत्यु से ख का हित निहित हो जाता है।
- (v) क अपनी संपूर्ण संपदा को न्यास बनाकर उसकी आय में से कतिपय ऋणों का संदाय करने के लिए, और उसके पश्चात् निधि को ग को सौंप देने के लिए ख को वसीयत करता है। क की मृत्यु पर ग को किए गए दान में उसका हित निहित हो जाता है।

(vi) एक निधि की वसीयत क, ख और ग को समान अंशों में, जो उन्हें, क्रमशः, उनके 18 वर्ष की आयु प्राप्त कर लेने पर संदत्त की जानी है, इस परंतुक के साथ की जाती है कि, यदि उनमें से समस्त की मृत्यु 18 वर्ष से कम आयु में हो जाती है तो वसीयत संपदा घ को न्यागत होगी। वसीयतकर्ता की मृत्यु पर, अंश में, क, ख और ग का हित, इसके अध्यक्षीन रहते हुए निहित होता है कि यदि क, ख और ग में से समस्त की मृत्यु 18 वर्ष से कम आयु में हो जाती है तो वह निहित हो जाएगा और उनमें से किसी की (अंतिम उत्तरवर्ती के सिवाय) 18 वर्ष से कम आयु में मृत्यु हो जाने पर उसका निहित हित, ऐसी शर्त के अधीन रहते हुए, उसके प्रतिनिधि को संक्रान्त हो जाएगा।

120. निहित होने की तारीख जब वसीयत संपदा विनिर्दिष्ट अनिश्चित घटना पर समाश्रित हो.- (1) कोई वसीयत संपदा, जो किसी विनिर्दिष्ट अनिश्चित घटना के घटित होने की दशा में, वसीयत की जाती है, तब तक निहित नहीं होगी जब तक वह घटना घटित नहीं होती है।

(2) कोई वसीयत संपदा, जो किसी विनिर्दिष्ट अनिश्चित घटना के घटित नहीं होने की दशा में वसीयत की जाती है, तब तक निहित नहीं होती है जब तक उस घटना का घटित होना असंभव नहीं हो जाता है।

(3) दोनों मामलों में जब तक शर्त पूरी न हो जाए, वसीयतदार का हित समाश्रित हित कहा जाता है।

अपवाद.- जहां, किसी निधि की वसीयत किसी व्यक्ति को, उसके कोई विशिष्ट आयु प्राप्त कर लेने पर की जाती है, और विल उसे उस आयु पर पहुंचने से पूर्व निधि से उद्धृत आय आत्यंतिक रूप से देती भी है, या आय को या उसके उतने भाग को, जो आवश्यक है, उसके फायदे के लिए उपयोजन का निदेश भी देती है, वहां निधि की वसीयत समाश्रित नहीं है।

दृष्टांत

- (i) एक वसीयत संपदा की वसीयत घ को, क, ख और ग की 18 वर्ष की आयु से कम में मृत्यु हो जाने की दशा में, की गई है। वसीयत संपदा में घ का उस समय तक समाश्रित हित है जब तक क, ख और ग में से समस्त की 18 वर्ष से कम आयु में मृत्यु नहीं हो जाती है, या जब तक उनमें से कोई वह आयु प्राप्त नहीं कर लेता है।
- (ii) एक राशि की वसीयत क को उस दशा में की जाती है "यदि वह 18 वर्ष की आयु प्राप्त कर लेता है" या "जब वह 18 वर्ष की आयु प्राप्त कर लेता है"। क का हित वसीयत संपदा में तब तक समाश्रित है जब तक वह शर्त, उसके द्वारा वह आयु प्राप्त करके पूरी नहीं कर दी जाती है।
- (iii) किसी संपदा की वसीयत क को जीवनपर्यन्त और उसकी मृत्यु के पश्चात् ख को, यदि ख उस समय जीवित हो; किन्तु यदि ख उस समय जीवित न हो तो ग को की जाती है। क, ख और ग वसीयतकर्ता के उत्तरजीवी होते हैं। ख और ग में से प्रत्येक उस संपदा में तब तक समाश्रित हित रखता है जब तक वह घटना, जिससे वह संपदा एक या दूसरे में निहित होनी हो, घटित नहीं हो जाती है।
- (iv) किसी संपदा की वसीयत ऊपर वाले कल्पित मामले के अनुसार की जाती है। ख की मृत्यु क और ग के जीवनकाल में हो जाती है। ख की मृत्यु पर ग, क की मृत्यु पर संपदा का कब्जा अभिप्राप्त करने का निहित अधिकार अर्जित कर लेता है।
- (v) किसी वसीयत संपदा की वसीयत क को, जब वह 18 वर्ष की आयु प्राप्त कर ले, इस परंतुक के साथ की जाती है कि यदि वह 18 वर्ष की आयु प्राप्त नहीं करती है तो वसीयत संपदा ग को चली जाएगी। क और ग, प्रत्येक वसीयत संपदा में समाश्रित हित प्राप्त कर लेते हैं। क 18 वर्ष की आयु प्राप्त कर लेती है, क वसीयत संपदा की आत्यंतिक रूप से हकदार होती है।
- (vi) किसी संपदा की वसीयत क को जब तक उसका विवाह नहीं होता है और उस घटना के पश्चात् ख को की जाती है। वसीयत में ख का

हित तब तक समाश्रित है जब तक वह शर्त क के विवाह द्वारा पूर्ण नहीं की जाती है।

- (vii) किसी संपदा की वसीयत ख को, जब तक वह दिवालिया ऋणी के अनुतोष के लिए किसी विधि का फायदा नहीं उठाता है, और उस घटना के पश्चात् ख को की जाती है। वसीयत में ख का हित तब तक समाश्रित है जब तक क ऐसी किसी विधि का फायदा नहीं उठाता है।
- (viii) किसी संपदा की वसीयत क को, यदि वह ख को 50,000 रुपए का संदाय करे, की जाती है। वसीयत में क का हित तब तक समाश्रित हित है जब तक वह ख को 50,000 रुपए का संदाय नहीं कर देता है।
- (ix) क अपना पाली का फार्म ख के लिए छोड़ देता है, यदि ख टॉक का अपना फार्म ग को हस्तान्तरित कर दे। वसीयत में ख का हित तब तक समाश्रित है जब तक वह पश्चात्कर्त्ती फार्म को हस्तान्तरित नहीं कर देता है।
- (x) एक निधि की वसीयत क को, यदि ख वसीयतकर्त्ता की मृत्यु के पश्चात् पांच वर्ष के भीतर ग से विवाह नहीं करता है, की जाती है। वसीयत संपदा में क का हित तब तक समाश्रित हित है जब तक ख और ग विवाह किए बिना पांच वर्ष व्यतीत करके उस शर्त को पूरी नहीं कर दें या उस अवधि के दौरान ऐसी घटना घटित न हो जाए जो उस शर्त को पूरा करना असंभव बना दे।
- (xi) किसी निधि की वसीयत क को, यदि ख विल द्वारा उसके लिए कोई उपबंध नहीं करेगा, की जाती है। वसीयत संपदा ख की मृत्यु तक समाश्रित है।
- (xii) क, ख को, 18 वर्ष की आयु प्राप्त करने पर प्रत्येक वर्ष 50,000 रुपए की वसीयत करता है और निदेश देता है कि उसका ब्याज या उसका पर्याप्त भाग उसके फायदे के लिए तब तक उपयोजित किया जाएगा जब तक वह उस आयु तक न पहुंच जाए। वसीयत संपदा निहित हो गई है।

(xiii) क 50,000 रुपए की वसीयत ख को, जब वह 18 वर्ष की आयु प्राप्त कर ले, करता है और निदेश देता है कि दूसरी निधि में से कुछ राशि उसके भरण-पोषण के लिए तब तक उपयोजित होगी जब तक वह उस आयु तक नहीं पहुंच जाता है। वसीयत संपदा समाश्रित है।

121. किसी वर्ग के ऐसे सदस्यों का वसीयत में हित निहित होना, जो किसी विशिष्ट आयु को प्राप्त करें:- जहां कोई वसीयत किसी वर्ग के केवल ऐसे सदस्यों को की गई है जो कोई विशिष्ट आयु प्राप्त करें, वहां वसीयत संपदा में ऐसे किसी व्यक्ति का हित निहित नहीं होता है, जिसने वह आयु प्राप्त नहीं कर ली है।

दृष्टांत

किसी निधि की वसीयत क की ऐसी संतानों के लिए, जो 18 वर्ष की आयु प्राप्त करें, इस निदेश के साथ की गई है कि जब तक क की कोई संतान 18 वर्ष से कम आयु की रहेगी, उस अंश की आय, जिसके लिए यह उपधारणा की जा सकती है कि वह अन्ततः हकदार होगा, उसके भरण-पोषण और शिक्षा पर उपयोजित की जाएगी। क की ऐसी संतान का, जो 18 वर्ष से कम आयु की हो, वसीयत में निहित हित नहीं है।

दुर्भर वसीयतें

122. दुर्भर वसीयतें:- जहां वसीयत, वसीयतदार पर कोई बाध्यता अधिरोपित करती है, वहां वह उसके द्वारा तब तक कुछ नहीं पा सकता है, जब तक वह उसे पूर्णतः प्रतिगृहीत नहीं करता/करती है।

दृष्टांत

क, जिसके एक उन्नतिशील संयुक्त स्टाक कंपनी (X) में शेयर हैं और (Y) में भी हैं, जो एक कठिनाई में पड़ी संयुक्त स्टाक कंपनी है, जिसके शेयरों के संबंध में भारी मांग किए जाने की प्रत्याशा है, उन संयुक्त स्टाक कंपनियों में अपने समस्त शेयरों को ख के लिए वसीयत करता है; ख (Y) में के शेयरों को प्रतिगृहीत करने से इंकार करता है। (X) में उसके शेयर सम्पहत हो जाते हैं।

123. एक ही व्यक्ति को दो पृथक् और स्वतंत्र वसीयतों में से एक प्रतिगृहीत तथा दूसरी इंकार की जा सकती है.- जहां किसी विल में एक ही व्यक्ति के लिए दो पृथक् और स्वतंत्र वसीयत अन्तर्विष्ट हैं, वहां वसीयतदार उनमें से एक को प्रतिगृहीत करने और दूसरी को इंकार करने के लिए स्वतंत्र है, यद्यपि पूर्ववर्ती फायदाप्रद है और पश्चात्त्वर्ती दुर्भर है।

दृष्टांत

क, जिसके पास कोई गृह निश्चित अवधि के लिए पट्टे पर है, जिसका भाटक उस अवधि के दौरान संदाय करने का दायित्व उस पर तथा उसके प्रतिनिधियों पर है, और जो उससे अधिक है जिसके लिए गृह को भाटक पर दिया जा सकता है, ख को उस पट्टे की और एक धन की वसीयत करता है। ख पट्टे को प्रतिगृहीत करने से इंकार करता है। इस इंकार से उसका धन समपहत नहीं होगा।

समाश्रित वसीयतें

124. वसीयत जो किसी विनिर्दिष्ट अनिश्चित घटना पर, जिसके घटित होने के लिए समय उल्लिखित नहीं है, समाश्रित है.- जहां कोई वसीयत संपदा किसी विनिर्दिष्ट अनिश्चित घटना के घटित होने पर दी जाती है और उस घटना के घटित होने के लिए विल में कोई समय नहीं दिया गया है, वहां वह वसीयत तब तक प्रभावी नहीं होगी जब तक ऐसी घटना उस कालावधि से पूर्व घटित नहीं होती है जब वसीयत की गई निधि संदेय या वितरणीय होती है।

दृष्टांत

- (i) किसी वसीयत संपदा की वसीयत क को, और, उसकी मृत्यु की दशा में ख को की जाती है। यदि क वसीयतकर्ता का उत्तरजीवी होता है तो वसीयत संपदा ख के लिए प्रभावी नहीं होती है।
- (ii) किसी वसीयत संपदा की वसीयत क को, और, उसकी निःसंतान मृत्यु होने की दशा में ख को की जाती है। यदि क वसीयतकर्ता का

उत्तरजीवी होता है या उसके जीवनकाल में कोई संतान छोड़कर उसकी मृत्यु हो जाती है तो ख के लिए वसीयत संपदा प्रभावी नहीं होती है।

- (iii) किसी वसीयत संपदा की वसीयत क को जब और यदि वह 18 वर्ष की आयु प्राप्त कर लेता है, और, उसकी मृत्यु की दशा में ख को की जाती है। क 18 वर्ष की आयु प्राप्त कर लेता है। ख के लिए वसीयत संपदा प्रभावी नहीं होती है।
- (iv) किसी वसीयत संपदा की वसीयत क को, जीवनपर्यन्त, और, उसकी मृत्यु के पश्चात् ख को, और, "यदि ख की निःसंतान मृत्यु हो जाती है" तो ग को की जाती है। "यदि ख की निःसंतान मृत्यु हो जाती है" शब्दों से यह समझा जाएगा कि उनसे अभिप्रेत है, यदि ख की क के जीवनकाल के दौरान निःसंतान मृत्यु हो जाती है।
- (v) किसी वसीयत संपदा की वसीयत क को जीवनपर्यन्त और, उसकी मृत्यु के पश्चात् ख को, और, "ख की मृत्यु की दशा में" ग को की जाती है। "ख की मृत्यु की दशा में" शब्दों से यह समझा जाएगा कि उनसे "क के जीवनकाल में ख की मृत्यु की दशा में," अभिप्रेत है।

125. निश्चित व्यक्तियों में से ऐसे व्यक्तियों को वसीयत जो अविनिर्दिष्ट कालावधि पर उत्तरजीवी हैं.- जहां कोई वसीयत निश्चित व्यक्तियों में से ऐसे व्यक्तियों को की जाती है जो किसी कालावधि पर उत्तरजीवी रहें, किंतु निश्चित कालावधि विनिर्दिष्ट नहीं हैं, वहां वह वसीयत संपदा, जब तक कि विल से कोई प्रतिकूल आशय प्रतीत नहीं होता है, उन व्यक्तियों में से ऐसे को चली जाएगी जो संदाय या वितरण के समय जीवित हैं।

दृष्टांत

- (i) किसी संपदा की वसीयत क और ख को, उनके मध्य समान रूप से विभाजित किए जाने के लिए, या उनके उत्तरजीवी को की गई है। यदि क और ख दोनों वसीयतकर्ता के उत्तरजीवी होते हैं, तो वसीयत संपदा उनके मध्य समान रूप से विभाजित की जाती है। यदि क की

मृत्यु वसीयतकर्ता से पूर्व हो जाती है, और ख वसीयतकर्ता का उत्तरजीवी होता है तो, यह ख को चली जाती है।

- (ii) किसी संपदा की वसीयत क को जीवनपर्यन्त, और, उसकी मृत्यु के पश्चात्, ख और ग को, उनके मध्य समान रूप से विभाजित किए जाने के लिए, या उनके उत्तरजीवी को की गई है। ख की मृत्यु क के जीवनकाल में हो जाती है; ग, क का उत्तरजीवी होता है। क की मृत्यु पर, वसीयत संपदा ग को मिलती है।
- (iii) किसी संपदा की वसीयत क को जीवनपर्यन्त, और उसकी मृत्यु के पश्चात् ख और ग को या उत्तरजीवी को, इस निदेश के साथ की जाती है कि यदि ख वसीयतकर्ता का उत्तरजीवी नहीं होता है, तो उसका स्थान उसकी संतानें लेगी। ग की मृत्यु वसीयतकर्ता के जीवनकाल में हो जाती है; ख वसीयतकर्ता का उत्तरजीवी होता है किंतु क के जीवन काल में मर जाता है। वसीयत संपदा ख के प्रतिनिधियों को मिलती है।
- (iv) किसी संपदा की वसीयत क को जीवनपर्यन्त, और, उसकी मृत्यु के पश्चात् ख और ग को, इस निदेश के साथ की जाती है कि यदि उनमें से किसी की मृत्यु क के जीवनकाल में हो जाती है, तो संपूर्ण संपदा उत्तरजीवी को मिलेगी। ख की मृत्यु क के जीवनकाल में हो जाती है। तत्पश्चात् ग की मृत्यु क के जीवनकाल में हो जाती है। वसीयत संपदा ग के प्रतिनिधियों को मिलेगी।

सशर्त वसीयतें

126. असंभव शर्त पर वसीयत.- असम्भव शर्त पर वसीयत शून्य है।

दृष्टांत

- (i) किसी संपदा की वसीयत क को इस शर्त पर की गई है कि वह एक घंटे में 100 मील चलेगा। वसीयत शून्य है।
- (ii) क 50,000 रुपए की वसीयत ख को इस शर्त पर करता है कि वह क की पुत्री से विवाह करेगा। क की पुत्री की मृत्यु विल की तारीख को हो गई थी। वसीयत शून्य है।

127. अवैध या अनैतिक शर्त पर वसीयत.- ऐसी शर्त के साथ की गई वसीयत शून्य है जिसका पूरा किया जाना विधि या नैतिकता के विरुद्ध है।

दृष्टांत

- (i) क 50,000 रुपए की वसीयत ख को इस शर्त पर करता है कि वह ग की हत्या करेगा। वसीयत शून्य है।
- (ii) क 50,000 रुपए की वसीयत अपनी नीस को इस शर्त पर करता है कि वह अपने पति को त्याग देगी। वसीयत शून्य है।

128. वसीयत संपदा के निहित होने के लिए पुरोभाव्य शर्त की पूर्ति.- जहां विल कोई ऐसी शर्त अधिरोपित करती है जो इससे पहले कि वसीयतदार वसीयत की गई किसी चीज में निहित हित प्राप्त कर सके, पूर्ण की जानी हो वहां यदि उस शर्त का सारतः अनुपालन कर दिया गया है तो यह समझा जाएगा कि उसकी पूर्ति कर दी गई है।

दृष्टांत

- (i) एक वसीयत संपदा की वसीयत क को इस शर्त पर की गई है कि वह ख, ग, घ और ड की सम्मति से विवाह करेगा। क, ख की लिखित सम्मति से विवाह करता है, ग विवाह के समय उपस्थित रहता है। घ विवाह से पूर्व क को उपहार भेजता है। ड को क ने अपने आशय की व्यक्तिगत रूप से सूचना दी, और उसने कोई आक्षेप नहीं किया। क ने शर्त को पूरा कर दिया है।
- (ii) किसी वसीयत संपदा की वसीयत क को इस शर्त पर की गई है कि वह ख, ग और घ की सम्मति से विवाह करेगा। घ की मृत्यु हो जाती है। क, ख और ग की सम्मति से विवाह करता है। क ने शर्त पूरी कर दी है।
- (iii) किसी वसीयत संपदा की वसीयत क को इस शर्त पर की गई है कि ख, ग और घ की सम्मति से विवाह करेगा। क केवल ख और ग की सम्मति से ख, ग और घ के जीवनकाल में विवाह करता है। क ने शर्त पूर्ण नहीं की है।
- (iv) किसी वसीयत संपदा की वसीयत क को इस शर्त पर की गई है कि वह ख, ग और घ की सम्मति से विवाह करेगा। क, ड के साथ

अपने विवाह के लिए ख, ग और घ की शर्त रहित अनुमति अभिप्राप्त करता है। तत्पश्चात् ख, ग और घ अनुचित रूप से अपनी सम्मति वापस ले लेते हैं। क, ड के साथ विवाह करता है। क ने शर्त पूरी कर दी है।

- (v) किसी वसीयत संपदा की वसीयत क को इस शर्त पर की गई है कि वह ख, ग और घ की सम्मति से विवाह करेगा। क, ख, ग और घ की सम्मति के बिना विवाह करता है किंतु विवाह के पश्चात् उनकी सम्मति अभिप्राप्त करता है। ख ने शर्त पूरी नहीं की है।
- (vi) क अपनी विल करता है, जिसके द्वारा वह एक राशि की वसीयत ख को यदि वह ख के निष्पादकों की सम्मति से विवाह करे तो, करता है। ख, क के जीवनकाल में विवाह करता है और बाद में क विवाह को अपना अनुमोदन देता है। क की मृत्यु हो जाती है। ख को वसीयत प्रभावी होगी।
- (vii) किसी वसीयत संपदा की वसीयत क को की जाती है यदि वह विल में विनिर्दिष्ट समय के भीतर कोई दस्तावेज निष्पादित करता है। दस्तावेज को क युक्तियुक्त समय के भीतर निष्पादित करता है किन्तु विल में विनिर्दिष्ट समय के भीतर निष्पादित नहीं करता है। क ने शर्त पूर्ण नहीं की है और वसीयत संपदा को प्राप्त करने का हकदार नहीं है।

129. 'क' को वसीयत और पूर्विक वसीयत के निष्फल हो जाने पर, 'ख' को वसीयत.- जहां कोई वसीयत एक व्यक्ति को की गई है और उसी चीज की वसीयत, यदि पूर्विक वसीयत निष्फल हो जाए, तो किसी अन्य व्यक्ति को की गई है, वहां पूर्विक वसीयत के निष्फल होने पर द्वितीय वसीयत प्रभावी हो जाएगी यद्यपि वह वसीयतकर्ता द्वारा अनुध्यात रीति से नहीं हुई है।

दृष्टांत

- (i) क एक धनराशि की वसीयत अपनी स्वयं की संतानों को यदि वे उसकी उत्तरजीवी हों, और, यदि वे समस्त 18 वर्ष से कम आयु में मर जाएं, तो ख को करता है। क की मृत्यु हो जाती है। उसकी कभी भी कोई संतान नहीं थी। ख को वसीयत प्रभावी होती है।

- (ii) क एक धनराशि की वसीयत ख को इस शर्त पर करता है, कि वह क की मृत्यु के पश्चात् तीन मास के भीतर कतिपय दस्तावेज को निष्पादित करेगा, और, यदि वह ऐसा करने में उपेक्षा करता है, तो ग को वसीयत करता है। ख की मृत्यु निष्पादक के जीवनकाल में हो जाती है। ग को वसीयत प्रभावी होती है।

130. प्रथम वसीयत की निष्फलता पर द्वितीय वसीयत का कब प्रभावी नहीं होना- जहां विल से यह आशय दर्शित होता है कि प्रथम वसीयत के किसी विशिष्ट प्रकार से निष्फल होने की दशा में ही द्वितीय वसीयत प्रभावी होगी, वहां जब तक पूर्ववर्ती वसीयत उस विशिष्ट प्रकार से निष्फल नहीं होती है द्वितीय वसीयत प्रभावी नहीं होगी।

दृष्टांत

क एक वसीयत अपनी पत्नी को करता है, किन्तु उसके जीवनकाल में पत्नी की मृत्यु हो जाने की दशा में, उसी चीज की वसीयत, जिसकी वसीयत उसने अपनी पत्नी को की थी, ख को करता है। क और उसकी पत्नी ऐसी परिस्थितियों में साथ-साथ मर जाते हैं कि यह साबित करना असंभव हो जाता है कि पत्नी उसके पूर्व मरी थी। ख को वसीयत प्रभावी नहीं होती है।

131. परवर्ती वसीयत का विनिर्दिष्ट अनिश्चित घटना के घटित होने या घटित नहीं होने पर आश्रित होना- (1) कोई वसीयत किसी व्यक्ति को इस अधियोजित शर्त के साथ की जा सकेगी कि विनिर्दिष्ट अनिश्चित घटना के घटित होने की दशा में वसीयत की गई चीज दूसरे व्यक्ति को मिलेगी या विनिर्दिष्ट अनिश्चित घटना के घटित नहीं होने की दशा में वसीयत की गई चीज दूसरे व्यक्ति को मिलेगी।

(2) प्रत्येक मामले में परतर वसीयत धारा 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 129 और 130 में अन्तर्विष्ट नियमों के अधीन है।

दृष्टांत

- (i) एक धनराशि की वसीयत क को, 18 वर्ष की आयु प्राप्त करने पर उसे संदत्त किए जाने के लिए, और यदि उसकी उस आयु को प्राप्त करने के पूर्व मृत्यु हो जाए तो ख को की गई है। क वसीयत संपदा में निहित हित इस शर्त के अधीन रहते हुए पाता है कि 18 वर्ष से

कम आयु में क की मृत्यु हो जाने की दशा में वह निर्निहित हो जाएगी और ख को चली जाएगी।

- (ii) एक संपदा की वसीयत क को इस परंतुक के साथ की गई है कि यदि क विल करने की वसीयतकर्ता की सक्षमता पर विवाद करेगा, तो संपदा ख को चली जाएगी। क, विल करने की वसीयतकर्ता की सक्षमता पर विवाद करता है। संपदा ख को चली जाती है।
- (iii) एक धनराशि की वसीयत क को जीवनपर्यन्त और उसकी मृत्यु के पश्चात् ख को की गई है, किन्तु तब यदि ख की मृत्यु एक पुत्र छोड़कर हो जाती है, तो ऐसा पुत्र ख का स्थान ले लेगा। ख वसीयत संपदा में निहित हित इस शर्त के अधीन रहते हुए लेता है कि यदि उसकी मृत्यु क के जीवनकाल में एक पुत्र छोड़कर हो जाती है तो वह निर्निहित हो जाएगी।
- (iv) एक धनराशि की वसीयत क और ख को और यदि उनमें से किसी की मृत्यु ग के जीवनकाल में हो जाती है, तो उस उत्तरजीवी को, जो ग की मृत्यु पर जीवित हो, की जाती है। क और ख की मृत्यु ग से पूर्व हो जाती है। परवर्ती दान प्रभावी नहीं रह सकता है किन्तु धन का आधा क का प्रतिनिधि ले लेगा, और दूसरा आधा ख का प्रतिनिधि ले लेगा।
- (v) क किसी निधि में हित की वसीयत ख को जीवनपर्यन्त के लिए करती है और यह निदेश देती है कि वह निधि उसकी मृत्यु पर उसकी तीन संतानों के मध्य या उनमें से उनके बीच, जो उसकी मृत्यु पर जीवित रहे, बराबर-बराबर विभाजित की जाएगी। ख की समस्त संतानें ख के जीवनकाल में मर जाती हैं। परवर्ती वसीयत प्रभावी नहीं रह सकती है, किन्तु संतानों के हित, उसके प्रतिनिधियों को संक्रान्त हो जाते हैं।

132. शर्तों का कड़ाई से पूरा किया जाना.- धारा 131 द्वारा अनुध्यात प्रकार की परतर वसीयत प्रभावी नहीं हो सकती जब तक कि शर्त की पूर्ति कड़ाई से नहीं हो जाती है।

दृष्टांत

- (i) एक वसीयत संपदा का वसीयत क को, इस परंतुक के साथ की जाती है यदि वह ख, ग और घ की सम्मति के बिना विवाह करता है तो वसीयत संपदा ड को चली जाएगी। घ की मृत्यु हो जाती है। यद्यपि क अपना विवाह ख और ग की सम्मति के बिना करता है फिर भी ड को दान प्रभावी नहीं होता है।
- (ii) एक वसीयत संपदा की वसीयत क को, इस परंतुक के साथ किया जाता है कि यदि यह ख की सम्मति के बिना विवाह करता है तो वसीयत संपदा ग को चली जाएगी। क, ख की सम्मति से विवाह करता है, वह बाद में विधुर हो जाता है और सम्मति के बिना पुनः विवाह करता है। ग का वसीयत प्रभावी नहीं होती है।

133. मूल वसीयत का द्वितीय वसीयत की अविधिमान्यता द्वारा प्रभावित नहीं होना.- यदि परतर वसीयत विधिमान्य नहीं हो तो मूल वसीयत पर उसका प्रभाव नहीं पड़ेगा।

दृष्टांत

- (i) किसी वसीयत संपदा का वसीयत क को जीवनपर्यन्त के लिए इस अधियोजित शर्त के साथ की जाती है कि, यदि वह किसी बताए गए दिन को एक घंटे में 100 मील नहीं चलेगा, तो संपदा ख को चली जाएगी। यह शर्त शून्य होने के कारण, क अपनी संपदा उसी प्रकार प्रतिधारित करता है मानो विल में कोई शर्त अन्तःस्थापित नहीं की गई थी।
- (ii) किसी संपदा की वसीयत क को जीवनपर्यन्त और यदि वह अपने पति का त्याग नहीं करती है, तो ख को किया गया है। क अपने जीवनकाल के दौरान संपदा के लिए वैसे ही हकदार है मानो विल में कोई शर्त अन्तःस्थापित नहीं की गई।
- (iii) किसी संपदा की वसीयत क को जीवनपर्यन्त और यदि वह विवाह करता है, तो ख के ज्येष्ठतम पुत्र को जीवनपर्यन्त के लिए किया गया है। ख को, वसीयतकर्ता की मृत्यु की तिथि पर कोई पुत्र नहीं था। परवर्ती वसीयत धारा 106 के अधीन शून्य है और क अपने जीवनकाल के दौरान संपदा के लिए हकदार है।

134. इस शर्त के साथ वसीयत कि यह विनिर्दिष्ट अनिश्चित घटना के घटित होने या नहीं होने की दशा में प्रभावी नहीं रहेगी.- कोई वसीयत इस अधियोजित शर्त के साथ की जा सकेगी कि किसी विनिर्दिष्ट अनिश्चित घटना के घटित होने की दशा में, या किसी विनिर्दिष्ट अनिश्चित घटना के घटित नहीं होने की दशा में वह प्रभावहीन हो जाएगी।

दृष्टांत

- (i) किसी संपदा की वसीयत क को जीवनपर्यन्त के लिए इस परंतुक के साथ की जाती है कि, यदि यह एक विशेष जंगल काटता है, तो वसीयत का कोई प्रभाव नहीं रह जाएगा। क उस जंगल को काटता है। वह संपदा में अपना जीवनपर्यन्त हित खो देता है।
- (ii) किसी संपदा की वसीयत क को, इस परंतुक के साथ की जाती है कि, यदि यह विल में नामित निष्पादकों की सम्मति के बिना 25 वर्ष की आयु से कम में विवाह करता है, तो संपदा उसकी नहीं रह जाएगी। क निष्पादकों की सम्मति के बिना 25 वर्ष से कम आयु में विवाह करता है। संपदा उसकी नहीं रह जाती है।
- (iii) किसी संपदा का वसीयत क को इस परंतुक के साथ की जाती है कि यदि वह वसीयतकर्ता की मृत्यु के पश्चात् तीन वर्ष के भीतर इंग्लैण्ड नहीं जाता है तो संपदा में उसका हित नहीं रह जाएगा। क विहित समय के भीतर इंग्लैण्ड नहीं जाता है। संपदा में उसका हित समाप्त हो जाता है।
- (iv) किसी संपदा का वसीयत क को इस परंतुक के साथ की जाती है कि यदि यह नन हो जाती है, तो संपदा में उसका कोई हित नहीं रह जाएगा। क नन बन जाती है। वह विल के अधीन अपना हित खो देती है।
- (v) एक निधि का वसीयत क को जीवनपर्यन्त और उसकी मृत्यु के पश्चात् ख को, यदि ख उस समय जीवित रहे, इस परंतुक के साथ की जाती है कि यदि ख नन बन जाएगी, तो उसकी वसीयत का कोई प्रभाव नहीं रह जाएगा। ख, क के जीवनकाल में नन बन जाती है। इसके द्वारा वह निधि में अपना समाश्रित हित खो देती है।

135. ऐसी शर्त धारा 120 के अधीन अविधिमान्य नहीं होनी चाहिए.- इसके लिए कि यह शर्त विधिमान्य हो कि वसीयत निष्प्रभावी हो जाएगी, यह आवश्यक है कि वह घटना, जिससे वह संबंधित है, वसीयत की शर्त ऐसी हो जो धारा 120 में अनुध्यात शर्त के अनुसार विधितः हो सकती है।

136. वसीयतदार द्वारा उस कार्य को असंभव बनाने या अनिश्चित काल तक मुलतवी किये जाने का परिणाम.- जहां कोई वसीयत इस अधियोजित शर्त के साथ की जाती है कि जब तक वसीयतदार अमुक कार्य न करे, वसीयत की विषयवस्तु अन्य व्यक्ति को मिलेगी या वसीयत निष्प्रभावी हो जाएगी, किन्तु इस कार्य को करने के लिए कोई समय विनिर्दिष्ट नहीं है; वहां यदि वसीयतदार ऐसा कोई कार्य करता है जो अपेक्षित कार्य का किया जाना असंभव बना देता है या अनिश्चितकाल तक मुलतवी कर देता है तो वसीयत संपदा वैसे ही मिलेगी मानो वसीयतदार ऐसा कार्य किए बिना मर गया है।

दृष्टांत

- (i) एक वसीयत क को इस परंतुक के साथ की गयी है कि, यदि वह सेना में भर्ती नहीं होता है, तो वह संपदा ख को चली जाएगी। क संन्यास ले लेता है, और तदद्वारा शर्त पूरी होना असंभव हो जाता है। ख वसीयत संपदा प्राप्त करने के लिए हकदार है।
- (ii) एक वसीयत क को, इस परंतुक के साथ की जाती है कि यदि यह ख की पुत्री से विवाह नहीं करता है तो वह निष्प्रभावी हो जाएगी। क किसी पर-व्यक्ति से विवाह कर लेता है जिससे उस शर्त को पूरा करना अनिश्चितकाल के लिए मुलतवी हो जाता है। वसीयत निष्प्रभावी हो जाती है।

137. पुरोभाव्य या उत्तरभाव्य शर्त का विनिर्दिष्ट समय के भीतर पूरा किया जाना.- जहां विल में यह अपेक्षा की गई है कि वसीयत संपदा का उपभोग किए जाने से पूर्व पूर्ण की जाने वाली शर्त के रूप में या ऐसी शर्त के रूप में जिसको पूरा नहीं करने की दशा में वसीयत की विषयवस्तु अन्य व्यक्ति को मिलती है या वसीयत निष्प्रभावी हो जाती

है, कोई कार्य, विनिर्दिष्ट समय के भीतर वसीयतकर्ता द्वारा किया जाए वहां वह कार्य, विनिर्दिष्ट समय के भीतर किया जाना चाहिए जब तक कि उसका किया जाना कपट द्वारा निवारित न कर दिया जाए, और ऐसा होने पर इतना अतिरिक्त समय अनुज्ञात किया जाएगा, जितना ऐसे कपट द्वारा किए गए विलम्ब की प्रतिपूर्ति के लिए अपेक्षित है।

लागू होने या उपभोग के बारे में निदेश के साथ वसीयत

138. किसी व्यक्ति को या उसके फायदा के लिए निधि की आत्यंतिक वसीयत के पश्चात् यह निदेश कि निधि का उपयोजन विशिष्ट रीति से किया जाए.- जहां किसी निधि की वसीयत किसी व्यक्ति को या उसके फायदे के लिए आत्यंतिक रूप से की जाती है, किन्तु विल में यह निदेश है कि उसका उपयोजन या उपभोग विशिष्ट रीति से किया जाएगा, वहां वसीयतदार उस निधि को ऐसे प्राप्त करने का हकदार होगा मानो विल में कोई निदेश अन्तर्विष्ट नहीं है।

दृष्टांत

एक राशि की वसीयत क के लिए एक ग्राम्य निवास का क्रय करने के लिए या क के लिए एक वार्षिकी का क्रय करने के लिए या क को किसी कारबार में लगाने के लिए की जाती है। क वसीयत संपदा को धन में प्राप्त करना चाहता है। वह ऐसा करने का हकदार है।

139. यह निदेश कि आत्यन्तिक वसीयत के उपभोग की रीति, वसीयतदार के लिए विनिर्दिष्ट फायदा सुनिश्चित करने के लिए निर्धारित की जानी है.- जहां वसीयतकर्ता किसी निधि की आत्यंतिक वसीयत करता/करती है, जिससे वह निधि उसकी स्वयं की संपदा से पृथक् हो जाती है, किन्तु यह निदेश देता/देती है कि वसीयतदार द्वारा उसके उपभोग की रीति निर्बन्धित होगी जिससे वसीयतदार के लिए विनिर्दिष्ट फायदा सुनिश्चित किया जा सके; वहां यदि वह फायदा वसीयतदार के लिए अभिप्राप्त नहीं किया जा सकता है, तो निधि उसकी वैसे ही होगी मानो विल में ऐसा कोई निदेश अन्तर्विष्ट नहीं था।

दृष्टांत

- (i) क अपनी संपदा के अवशिष्ट का वसीयत अपनी पुत्रियों के मध्य समान रूप से विभाजित किए जाने के लिए करता है, और निदेश देता है कि पुत्रियों के अंशों का व्यवस्थापन उन पर क्रमशः उनके जीवनपर्यन्त के लिए किया जाएगा और उनकी मृत्यु के पश्चात् उनके अंश उनकी संतानों को संदत्त किए जाएंगे। समस्त पुत्रियां बिना विवाह किए मर जाती हैं। प्रत्येक पुत्री के प्रतिनिधि शेष में उसके अंश के लिए हकदार हैं।
- (ii) क अपनी पुत्री के लिए धनराशि एकत्र करने के लिए अपने न्यासियों को निदेश देता है, और फिर वह निदेश देता है कि वे निधि का विनिधान करेंगे और उससे उद्भूत आय को उसके जीवनकाल में उसे देंगे, और उसकी मृत्यु के पश्चात् मूलधन को उसकी संतानों के मध्य विभाजित करेंगे। पुत्री को कभी कोई संतान नहीं हुई और उसकी मृत्यु हो जाती है। उसके प्रतिनिधि निधि के हकदार हैं।

140. निधि की कतिपय प्रयोजनों के लिए, जिनमें से कुछ को पूर्ण नहीं किया जा सकता है, वसीयत.- जहां वसीयतकर्ता निधि की आत्यंतिक रूप से वसीयत नहीं करता/करती है जिससे वह निधि उसकी स्वयं की संपदा से पृथक् नहीं हो पाती है, किन्तु उसे कतिपय प्रयोजनों के लिए देता/देती है और उन प्रयोजनों का कोई भाग पूर्ण नहीं किया जा सकता है, वहां वह निधि, या उसका उतना भाग, जो विल द्वारा अनुध्यात प्रयोजनों पर व्यय नहीं किया गया है, वसीयतकर्ता की संपदा का भाग बना रहता है।

दृष्टांत

- (i) क निदेश देता है कि उसके न्यासी किसी धनराशि का विनिधान किसी विशिष्ट रीति से करेंगे और ब्याज उसके पुत्र को जीवनपर्यन्त संदत्त करेंगे, और उसकी मृत्यु पर मूलधन को उसकी संतानों में विभाजित करेंगे। पुत्र की, कभी कोई संतान नहीं हुई और उसकी निःसंतान मृत्यु हो जाती है। निधि, पुत्र की मृत्यु के पश्चात् वसीयतकर्ता की संपदा हो जाती है।
- (ii) क अपनी संपदा के शेष की वसीयत, अपनी पुत्रियों में समान रूप से विभाजित किए जाने के लिए इस निदेश के साथ करता है कि उनका

हित केवल उनके जीवनकाल के दौरान रहेगा और उनकी मृत्यु के पश्चात् निधि उनकी संतानों को मिलेगी। पुत्रियों की संतानें नहीं हैं। निधि, वसीयतकर्ता की संपदा हो जाती है।

किसी निष्पादक को वसीयत

141. निष्पादक के रूप में नामित वसीयतदार जब तक निष्पादक के रूप में कार्य करने का आशय दर्शित न करे, वह वसीयत संपदा प्राप्त नहीं कर सकता है।- यदि कोई वसीयत संपदा किसी व्यक्ति को, जिसे विल के निष्पादक के रूप में नामित किया गया है, वसीयत की गई है, तो वह जब तक विल को साबित न करे या अन्यथा निष्पादक के रूप में कार्य करने का कोई आशय व्यक्त न करे, वसीयत संपदा प्राप्त नहीं करेगा/करेगी।

दृष्टांत

एक वसीयत संपदा क को दी जाती है जिसे निष्पादक के रूप में नामित किया गया है। क विल में अन्तर्विष्ट निदेशों के अनुसार अन्त्येष्टि का आदेश देता है और वसीयतकर्ता की मृत्यु के कुछ दिन पश्चात् उसकी विल को सिद्ध किए बिना मृत्यु हो जाती है। क ने निष्पादक के रूप में कार्य करने का आशय व्यक्त किया है।

विनिर्दिष्ट वसीयत संपदा

142. विनिर्दिष्ट वसीयत संपदा की परिभाषा।- जहां कोई वसीयतकर्ता किसी व्यक्ति को अपनी संपदा का कोई ऐसा विनिर्दिष्ट भाग वसीयत करता/करती है, जो उसकी संपदा के समस्त अन्य भागों से भिन्न है, वहां वसीयत संपदा को विनिर्दिष्ट वसीयत संपदा कहा जाता है।

दृष्टांत

(i) क, ख को वसीयत करता है-

"हीरे की अंगूठी, जो ग ने मुझे उपहार में दी है";

"मेरी सोने की जंजीर";

"ऊन की अमुक गांठ";

"कपड़े का अमुक टुकड़ा";
 "मेरा समस्त घरेलू माल, जो मेरी मृत्यु के समय, बूंदी में मेरे निवास-गृह में या उसके पास हो";
 "अमुक पेटी में की 10,000 रुपए की राशि";
 "वह ऋण जो मेरा ख पर है";
 "मेरे समस्त नोट, बंधपत्र और मेरी प्रतिभूतियां जो जयपुर स्थित मेरे निवास में हैं";
 "मेरे कोटा स्थित घर में का मेरा समस्त फर्नीचर";
 "अमुक पोत पर, जो अब चंबल नदी में खड़ा है, मेरा समस्त माल";
 "मेरे 35,000 रुपए जो ग के हाथ में हैं";
 "घ के बंधपत्र पर मुझे देय धन";
 "जयपुर के कारखाने पर मेरा बंधक";
 "जोधपुर के कारखाने के मेरे बंधक पर मुझे देय धन का आधा";
 "50,000 रुपए, जो ग से मुझे देय ऋण का भाग है";
 "XYZ स्टाक में 1,00,000 रुपए का मेरा पूंजी स्टाक";
 "15,000 रुपए के मेरे केन्द्रीय सरकार के वचनपत्र जो उनके 4 प्रतिशत वाले ऋण में हैं";
 "ऐसी समस्त धनराशियां, जो मेरे निष्पादक, मेरी मृत्यु के पश्चात् R और कंपनी की दिवालिया फर्म से मुझे देय ऋण के संबंध में, प्राप्त करें";
 "वह समस्त शराब जो मेरे पास मेरी मृत्यु के समय मेरे सुरागार में हो";
 "मेरे ऐसे घोड़े जिनका ख चयन करें";
 "स्टेट बैंक आफ इंडिया में मेरे समस्त शेयर";
 "स्टेट बैंक आफ इंडिया में मेरे समस्त शेयर, जो, मेरे पास मेरी मृत्यु के समय हों";
 "ऐसे समस्त धन, जो केन्द्रीय सरकार के 5 प्रतिशत वाले ऋण में मेरे हैं";

"समस्त सरकारी प्रतिभूतियां, जिनके लिए मैं मेरी मृत्यु के समय हकदार होऊंगा";

इनमें से प्रत्येक वसीयत संपदा विनिर्दिष्ट है।

(ii) क, जिसके पास 1,00,000 रुपए के सरकारी वचनपत्र हैं, ख के फायदे के लिए "1,00,000 रुपए के सरकारी वचनपत्र विक्रय के लिए न्यास के रूप में" अपने निष्पादकों को वसीयत करता है। वसीयत संपदा विनिर्दिष्ट है।

(iii) क, जिसकी उदयपुर में और अन्य स्थान पर भी संपदा है, ख को उदयपुर स्थित अपनी समस्त संपदा की वसीयत करता है। वसीयत संपदा विनिर्दिष्ट है।

(iv) क एक धनराशि की वसीयत निम्नलिखित के लिए करता है-

"ख के लिए बूंदी में एक गृह का क्रय करने के लिए";

"ख के लिए पाली में संपदा का क्रय करने के लिए";

"ख के लिए हीरे की अंगूठी का क्रय करने के लिए";

"ख के लिए एक घोड़े का क्रय करने के लिए";

"ख के लिए स्टेट बैंक आफ इंडिया के शेयर में विनिधान करने के लिए";

"ख के लिए सरकारी प्रतिभूतियों में विनिधान करने के लिए"।

क, ख के लिए-

"एक हीरे की अंगूठी";

"एक घोड़ा";

"10,000 रुपए मूल्य की सरकारी प्रतिभूति";

"25,000 रुपए की एक वार्षिकी";

"20,000 रुपए नकद में संदत्त किए जाने के लिए";

"इतना धन जिससे 50,000 रुपए की 4 प्रतिशत ब्याज वाली सरकारी प्रतिभूतियां आ सके",

वसीयत करता है।

ये वसीयतें विनिर्दिष्ट नहीं हैं।

(v) क, जिसकी इंगलैंड में संपदा और राजस्थान (भारत) में संपदा है, ख के लिए एक वसीयत संपदा का वसीयत करता है, और यह निदेश देता है कि उसका संदाय उस संपदा में से किया जाएगा जो वह राजस्थान (भारत) में छोड़े। वह ग को भी एक वसीयत संपदा का वसीयत करता है, और निदेश देता है कि उसका संदाय उस संपदा में से किया जाएगा जो वह इंगलैंड में छोड़े।

इनमें से कोई भी वसीयत संपदा विनिर्दिष्ट नहीं है।

143. कतिपय राशि की वसीयत, जहां वह स्टाक आदि, जिसमें उसका विनिधान किया गया है, वर्णित है.- जहां कतिपय राशि की वसीयत की गई है, वहां वसीयत संपदा केवल इस कारण विनिर्दिष्ट वसीयत संपदा नहीं है कि उस स्टाक, निधियों या प्रतिभूतियों का, जिनमें उनका विनिधान किया गया है, विल में वर्णन है।

दृष्टांत

क, ख को निम्नलिखित वसीयत करता है-

"मेरी निधि में विनिहित संपदा के 1,00,000 रुपए";

"मेरी संपदा के 1,00,000 रुपए, जो अब टाटा मोटर्स लिमिटेड के शेयरों में विनिहित हैं";

"1,00,000 रुपए, जो इस समय जयपुर के कारखाने के बंधक द्वारा प्रतिभूत हैं";

इनमें से कोई भी वसीयत संपदा विनिर्दिष्ट नहीं है।

144. स्टाक की वसीयत, जहां वसीयतकर्ता के पास विल की तारीख को उसी प्रकार के स्टाक के समान या अधिक मात्रा है.- जहां किसी प्रकार के स्टाक की कतिपय मात्रा की साधारण निबंधनों के अनुसार वसीयत की जाती है, वहां वसीयत संपदा केवल इस कारण विनिर्दिष्ट वसीयत संपदा नहीं है कि वसीयतकर्ता के कब्जे में, उसकी विल की तारीख को, वसीयत की गई मात्रा के बराबर या उससे अधिक मात्रा के विनिर्दिष्ट प्रकार के स्टाक थे।

दृष्टांत

क, 50,000 रुपए की पांच प्रतिशत ब्याज वाली सरकारी प्रतिभूतियां ख को वसीयत करता है। क के पास विल की तिथि को 50,000 रुपयों की पांच प्रतिशत ब्याज वाली सरकारी प्रतिभूतियां थीं। वसीयत संपदा विनिर्दिष्ट नहीं है।

145. धन की वसीयत, जहां वह, जब तक वसीयतकर्ता की संपदा का कतिपय रीति से व्ययन न किया जाए, संदेय नहीं है.- कोई धन के रूप में वसीयत संपदा केवल इस कारण विनिर्दिष्ट वसीयत संपदा नहीं है कि विल में उसके संदाय को तब तक मुलतवी करने का निदेश है, जब तक वसीयतकर्ता की संपदा का कुछ भाग विशेष रूप में परिवर्तित नहीं कर दिया गया हो या विशेष स्थान पर प्रेषित नहीं कर दिया गया हो।

दृष्टांत

क, 1,00,000 रुपए का वसीयत ख को करता है और निदेश देता है कि क की राजस्थान (भारत) स्थित संपदा के इंगलैंड में आप्त होने पर यथाशीघ्र इस वसीयत संपदा को संदत्त किया जाएगा। वसीयत संपदा विनिर्दिष्ट नहीं है।

146. कब प्रगणित वस्तुओं का विनिर्दिष्ट रूप में वसीयत किया गया नहीं माना जाता है.- जहां किसी विल में वसीयतकर्ता की संपदा के शेष की वसीयत, संपदा की कुछ ऐसी मदों को प्रगणित करते हुए की गई है जिनकी पूर्व में वसीयत नहीं की गई हो, वहां प्रगणित वस्तुओं को विनिर्दिष्ट रूप से वसीयत किया गया नहीं माना जाएगा।

147. विभिन्न व्यक्तियों को क्रमवार विनिर्दिष्ट वसीयत का उसी रूप में प्रतिधारण.- जहां संपदा की दो या अधिक व्यक्तियों को क्रमवार विनिर्दिष्ट रूप से वसीयत की गई है, वहां वह उसी रूप में प्रतिधारित की जाएगी जिस रूप में वसीयतकर्ता ने उसे छोड़ा था, यद्यपि वह ऐसी प्रकृति की हो सकती है कि जिसका मूल्य निरंतर कम हो रहा है।

दृष्टांत

- (i) क किसी गृह का निश्चित वर्षों की अवधि के लिए पट्टेदार है, उसकी मृत्यु के समय से उसमें पन्द्रह वर्ष व्यतीत नहीं हुए थे, क ने पट्टे की वसीयत ख को उसके जीवनपर्यन्त, और ख की मृत्यु के पश्चात् ग को की है। ख को संपदा का उपभोग वैसे ही करना है जैसे क ने उसे छोड़ा था। तथापि, यदि ख पन्द्रह वर्ष तक जीवित रहता है तो ग को वसीयत के अधीन कुछ भी प्राप्त नहीं हो सकेगा।
- (ii) क, जिसके पास ख के जीवन काल के दौरान एक वार्षिकी है, उसका वसीयत ग को, उसके जीवनपर्यन्त, और, ग की मृत्यु के पश्चात् घ को करता है। ग को वार्षिकी का उपभोग वैसे ही करना है जैसे क ने उसे छोड़ा था, तथापि, यदि ख की मृत्यु घ से पूर्व हो जाती है, तो घ को वसीयत के अधीन कुछ प्राप्त नहीं हो सकेगा।

148. दो या अधिक व्यक्तियों को क्रमवार वसीयत की गई संपदा का विक्रय और आगमों का विनिधान.- जहां दो या अधिक व्यक्तियों को क्रमवार वसीयत में समाविष्ट संपदा की विनिर्दिष्ट रूप में वसीयत नहीं की गई है वहां उसका, किसी विरुद्ध निदेश के न होने पर, विक्रय किया जाएगा, और विक्रय के आगमों को, ऐसी प्रतिभूतियों में विनिहित किया जाएगा जो उच्च न्यायालय किसी साधारण नियम द्वारा प्राधिकृत या निदेशित करे, और इस प्रकार गठित निधि का उपभोग आनुक्रमिक वसीयतदारों द्वारा विल के निबंधनों के अनुसार किया जाएगा।

दृष्टांत

क, जिसके पास निश्चित वर्षों की अवधि का कोई पट्टा है, अपनी समस्त संपदा की वसीयत ख को जीवनपर्यन्त, और, ख की मृत्यु के पश्चात् ग को करता है। पट्टे का विक्रय किया जाना चाहिए, आगमों का विनिधान इस धारा में जैसा कथित है उस रूप में किया जाना चाहिए, और निधि से उद्भूत वार्षिक आय का संदाय ख को जीवनपर्यन्त किया जाएगा। ख की मृत्यु के पश्चात् निधि की पूंजी का संदाय ग को किया जाएगा।

149. जहां वसीयत संपदा के संदाय के लिए आस्तियों में कमी है, वहां विनिर्दिष्ट वसीयत संपदा का साधारण वसीयत संपदा के साथ उपशमन न होना.- यदि वसीयत संपदा के संदाय के लिए आस्तियों की

कमी है, तो कोई विनिर्दिष्ट वसीयत संपदा साधारण वसीयत संपदा के साथ उपशमन के लिए दायी नहीं है।

निर्देशित वसीयत संपदाएं

150. निर्देशित वसीयत संपदा की परिभाषा.- जहां वसीयतकर्ता कतिपय धनराशि की, या किसी अन्य वस्तु की कतिपय मात्रा की वसीयत करता है, और किसी ऐसी विशिष्ट निधि या स्टाक को निर्दिष्ट करता है कि वह ऐसी मूल निधि या स्टाक के रूप में गठित हो जाए, जिसमें से संदाय किया जाने वाला है, वहां वसीयत संपदा को निर्देशित वसीयत संपदा कहा जाता है।

स्पष्टीकरण.- विनिर्दिष्ट वसीयत संपदा और निर्देशित वसीयत संपदा के मध्य विभेद इस बात में है कि-

जहां वसीयतदार को विनिर्दिष्ट संपदा दी जाती है वहां वसीयत संपदा विनिर्दिष्ट है।

जहां वसीयत संपदा को किसी विनिर्दिष्ट संपदा में से संदत्त किए जाने का निदेश है, वहां यह निर्देशित है।

दृष्टांत

(i) क, 1,00,000 रुपए की वसीयत ख को करता है। ये ब से उसे देय ऋण का भाग है। वह 1,00,000 रुपए की वसीयत ग को भी करता है जो ब से उसे देय ऋण से संदत्त की जानी है। ख की वसीयत संपदा विनिर्दिष्ट वसीयत संपदा है, ग की वसीयत संपदा निर्देशित वसीयत संपदा है।

(ii) क, ख को निम्नलिखित की वसीयत करता है-

"दस बूशल अनाज जो जोधपुर वाले मेरे खेत में उपजे";

"नीली कलम की, जो जयपुर के मेरे कारखाने में बनायी जाए, 800 पेटियां";

"मेरे पांच प्रतिशत वाले केन्द्रीय सरकार के वचनपत्र में से 10,000 रुपए";

"मेरी निधि में विनिहित संपदा में से 5,000 रुपए की वार्षिकी";

"ग से मुझे देय 20,000 रुपए की राशि में से 10,000 रुपए";

एक वार्षिकी का, और यह निदेश देता है कि उसका "सिरोही की मेरी संपदा से उद्धृत भाटक में से" संदाय किया जाएगा।

(iii) क, ख को-

"सिरोही की मेरी संपदा में से 10,000 रुपए" की वसीयत करता है या उसे सिरोही की अपनी संपदा पर भारित करता है;

"10,000 रुपए, जो कतिपय कारबार में लगाई गई पूंजी के मेरे शेयर हैं" की वसीयत करता है।

इनमें से प्रत्येक वसीयत निर्देशित है।

151. संदाय का आदेश जहां वसीयत संपदा का संदाय ऐसी निधि से किए जाने का निदेश हो, जो विनिर्दिष्ट वसीयत संपदा की विषय-वस्तु हो.- जहां निधि का कोई भाग विनिर्दिष्ट रूप से वसीयत किया गया है और वसीयत संपदा को उसी निधि में से संदाय किए जाने का निदेश है, वहां विनिर्दिष्ट रूप से वसीयत किया गया भाग वसीयतदार को पहले संदत्त किया जाएगा, और निर्देशित वसीयत संपदा निधि के शेष में से संदत्त की जाएगी, और शेष में जितनी कमी हो, उतनी वसीयतकर्ता की साधारण आस्तियों में से संदत्त की जाएगी।

दृष्टांत

क, 10,000 रुपए का वसीयत, जो ब से उसे देय ऋण का भाग है, ख को करता है। वह 10,000 रुपए का वसीयत ग को भी करता है जो उसे ब से उसे देय ऋण में से संदत्त किया जाना है। ब से क को देय ऋण केवल 15,000 रुपए है; इन 15,000 रुपए में से, 10,000 रुपए ख के हैं; और 5,000 रुपए ग को संदत्त किए जाने हैं। ग वसीयतकर्ता की साधारण आस्तियों में से भी 5,000 रुपए प्राप्त करेगा।

वसीयत का विखंडन

152. विखंडन का स्पष्टीकरण.- यदि ऐसी कोई वस्तु, जो विनिर्दिष्ट रूप से वसीयत की गई है, वसीयतकर्ता की मृत्यु के समय उसकी नहीं है, या भिन्न प्रकार की संपदा में परिवर्तित कर दी गई है, तो वसीयत संपदा विखंडित हो जाती है; अर्थात् यह इस कारण प्रभावी

नहीं हो सकता है कि विषयवस्तु को विल के प्रवर्तन से प्रत्याहृत कर लिया गया है।

दृष्टांत

(i) क, ख को निम्नलिखित की वसीयत करता है-

"ग द्वारा मुझे उपहार में दी गई हीरे की अंगूठी";

"मेरी सोने की जंजीर";

"ऊन की अमुक गांठ";

"कपड़े का अमुक टुकड़ा";

"मेरा समस्त घरेलू माल, जो बूंदी स्थित मेरे निवास गृह में या उसके आस-पास मेरी मृत्यु के समय हो"।

क अपने जीवन काल में-

अंगूठी का विक्रय कर देता है या उसे दे देता है;

जंजीर को प्याले में संपरिवर्तित कर देता है;

ऊन को कपड़े में संपरिवर्तित कर देता है;

कपड़े का परिधान बना देता है;

दूसरा गृह ले लेता है, जिसमें वह अपना समस्त माल हटा देता है।

इनमें से प्रत्येक वसीयत विखंडित हो गई है।

(ii) क, ख को वसीयत करता है-

"एक निश्चित पेटी में 10,000 रुपए की राशि";

"मेरे अस्तबल के समस्त घोड़े"।

क की मृत्यु पर, उस पेटी में कोई धन, और अस्तबल में कोई घोड़ा नहीं पाया जाता है। वसीयतें विखंडित हो जाती हैं।

(iii) क माल की कतिपय गांठें ख को वसीयत करता है। क माल को अपने साथ समुद्र यात्रा पर ले जाता है। पोत और माल समुद्र में नष्ट हो जाते हैं और क डूब जाता है। वसीयत संपदा विखंडित हो जाती है।

153. निर्देशित वसीयत संपदा का विखंडित नहीं होना.- कोई निर्देशित वसीयत इस कारण विखंडित नहीं होता है कि ऐसी संपदा जिस

पर वह वसीयत विल द्वारा भारित है, वसीयतकर्ता की मृत्यु के समय अस्तित्व में नहीं है, या भिन्न प्रकार की संपदा में संपरिवर्तित कर दी गई है, किंतु ऐसे मामले में उसका संदाय वसीयतकर्ता की साधारण आस्तियों में से किया जाएगा।

154. तृतीय पक्षकार से कुछ प्राप्त करने के अधिकार की विनिर्दिष्ट वसीयत का विखंडन.- जहां विनिर्दिष्ट रूप से वसीयत की गई चीज तृतीय पक्षकार से कोई मूल्यवान चीज प्राप्त करने का अधिकार है और वसीयतकर्ता स्वयं उसे प्राप्त करता है, वहां वसीयत विखंडित हो जाती है।

दृष्टांत

(i) क, ख को निम्नलिखित वसीयत करता है-

"वह ऋण जिसके लिए ग मुझे देनदार है";

"मेरे 20,000 रुपए जो घ के पास हैं";

"वह धन जो ड के बंधपत्र पर मुझे देय है";

"जयपुर कारखाने पर मेरा बंधक"।

ये समस्त ऋण क के जीवनकाल में, कुछ उसकी सम्मति से और कुछ उसकी सम्मति के बिना, समाप्त हो जाते हैं। समस्त वसीयतें विखंडित हो गयी हैं।

(ii) क जीवन बीमा की कतिपय पालिसियों में अपने हित ख को वसीयत करता है। क अपने जीवनकाल में पालिसियों की रकम प्राप्त करता है। वसीयत संपदा विखंडित हो गई है।

155. विनिर्दिष्ट रूप से वसीयत की गई संपूर्ण चीज के भाग की वसीयतकर्ता द्वारा प्राप्ति पर उस सीमा तक विखंडन.- विनिर्दिष्ट रूप से वसीयत की गई संपूर्ण चीज के किसी भाग की वसीयतकर्ता द्वारा प्राप्ति, इस प्रकार प्राप्त राशि के विस्तार तक वसीयत संपदा के विखंडन के रूप में प्रवर्तित होगी।

दृष्टांत

क "ग द्वारा मुझे देय ऋण" ख को वसीयत करता है। ऋण 10,000 रुपए है। ग, क को ऋण का आधा, 5,000 रुपए संदत्त करता है।

वसीयत संपदा, जहां तक क द्वारा प्राप्त 5,000 रुपए का संबंध है, विखंडन द्वारा प्रतिसंहत हो जाती है।

156. ऐसी संपूर्ण निधि के भाग की, जिसका भाग विनिर्दिष्ट रूप में वसीयत किया गया है, वसीयतकर्ता द्वारा प्राप्ति पर उस सीमा तक विखंडन.- यदि किसी संपूर्ण निधि या स्टाक का कोई भाग विनिर्दिष्ट रूप में वसीयत किया गया है तो निधि या स्टाक के भाग की वसीयतकर्ता द्वारा प्राप्ति, केवल उस रकम तक ही, जो इस प्रकार प्राप्ति की गई है, विखंडन के रूप में प्रवर्तित होगी; और निधि या स्टाक के शेष का उपयोजन विनिर्दिष्ट संपदा को चुकाने के लिए किया जाएगा।

दृष्टांत

क 10,000 रुपयों की राशि का, जो ब द्वारा उसे देय है, आधा ख को वसीयत करता है। क अपने जीवनकाल में 6,000 रुपए, जो 10,000 रुपए का भाग है, प्राप्त करता है। 4000 रुपए जो ब द्वारा क को, उसकी मृत्यु के समय देय हैं, विनिर्दिष्ट वसीयत के अधीन ख के होंगे।

157. संदाय का क्रम, जहां निधि का भाग एक वसीयतदार को विनिर्दिष्ट रूप में वसीयत किया गया है और उसी निधि पर भारित वसीयत संपदा अन्य व्यक्ति को वसीयत की गई है.- जहां निधि का एक भाग एक वसीयतदार को विनिर्दिष्ट रूप में वसीयत किया गया है, और उसी निधि पर भारित वसीयत संपदा अन्य वसीयतदार को वसीयत की गई है, वहां, यदि वसीयतकर्ता उस निधि का कोई भाग प्राप्त करता है, और उस निधि का शेष विनिर्दिष्ट और निर्देशित दोनों, वसीयत संपदा का संदाय करने के लिए अपर्याप्त हैं, तो विनिर्दिष्ट वसीयत का संदाय पहले किया जाएगा और निधि के शेष (यदि कोई हों) का उपयोजन, जहां तक हो सके, निर्देशित वसीयत संपदा का संदाय करने के लिए किया जाएगा, और शेष निर्देशित वसीयत संपदा का संदाय वसीयतकर्ता की साधारण आस्तियों में से किया जाएगा।

दृष्टांत

क, 10,000 रुपए का वसीयत, जो ब द्वारा उसे देय 20,000 रुपयों के ऋण का भाग है, ख को करता है। वह 10,000 रुपए का वसीयत ग को भी करता है, जिसका ब द्वारा उसे देय ऋण में से संदाय किया जाना है। क तत्पश्चात् 5,000 रुपए, जो उस ऋण का भाग है, प्राप्त करता है, और ब से उसे देय केवल 15,000 रुपए छोड़कर मर जाता है। इन 15,000 रुपए में से 10,000 रुपए ख के होते हैं और 5,000 रुपए ग को संदत्त किए जाने के लिए हैं। ग को 5,000 रुपए वसीयतकर्ता की साधारण आस्तियों में से भी प्राप्त करने हैं।

158. जहां विनिर्दिष्ट रूप में वसीयत किया गया स्टॉक वसीयतकर्ता की मृत्यु के समय विद्यमान नहीं है.- जहां विखंडन जहां वह स्टॉक, जो विनिर्दिष्ट रूप में वसीयत किया गया है, वसीयतकर्ता की मृत्यु के समय विद्यमान नहीं है वहां वसीयत संपदा विखंडित हो जाती है।

दृष्टांत

क, ख को वसीयत करता है-

"XYZ स्टॉक में 10,000 रुपए का मेरा पूंजी स्टॉक";

"10,000 रुपए के मेरे केन्द्रीय सरकार के वचनपत्र जो उनके 4 प्रतिशत ब्याज वाले उधार में हैं",

क स्टॉक और वचनपत्रों का विक्रय करता है। वसीयत संपदा विखंडित हो जाती है।

159. जहां विनिर्दिष्ट रूप में वसीयत किया गया स्टॉक, वसीयतकर्ता की मृत्यु के समय, केवल भागतः विद्यमान रहता है, वहां उस सीमा तक विखंडन.- जहां वह स्टॉक, जो विनिर्दिष्ट रूप में वसीयत किया गया है वसीयतकर्ता की मृत्यु के समय केवल भागतः विद्यमान रहता है वहां वसीयत संपदा, स्टॉक के उस भाग के संबंध में, जो विद्यमान नहीं रह गया है, विखंडित हो जाती है।

दृष्टांत

क, केन्द्रीय सरकार के 5.5 प्रतिशत ब्याज वाले उधारों में अपने 10,000 रुपए की वसीयत ख को करता है। क प्रश्नगत उधार में अपने 10,000

रुपए के आधे का विक्रय करता है। आधी वसीयत संपदा विखंडित हो जाती है।

160. ऐसे माल की, जिसका वर्णन किसी स्थान से उसे संबंधित करता है, विनिर्दिष्ट वसीयत का माल हटाए जाने के कारण विखंडित नहीं होना.- ऐसे किसी माल की, जिसका वर्णन उसे किसी निश्चित स्थान से संबंधित करता है, विनिर्दिष्ट वसीयत इस कारण विखंडित नहीं होती है कि उसे किसी अस्थायी कारण से, या कपट द्वारा, या वसीयतकर्ता की जानकारी या मंजूरी के बिना ऐसे स्थान से हटा दिया गया है।

दृष्टांत

- (i) क "मेरे समस्त घरेलू माल, जो मेरी मृत्यु के समय अलवर में मेरे निवास-गृह में या उसके पास हों" ख को वसीयत करता है। माल को अग्नि से बचाने के लिए गृह से हटा दिया गया है। उसे वापस लाने से पूर्व क की मृत्यु हो जाती है।
- (ii) क "मेरे समस्त घरेलू माल, जो मेरी मृत्यु के समय अलवर में मेरे निवास-गृह में या उसके पास हों", ख को वसीयत करता है। क के यात्रा पर होने के कारण अनुपस्थित रहने के दौरान, संपूर्ण माल को गृह से हटा दिया जाता है। उन्हें हटाने की मंजूरी दिए बिना क की मृत्यु हो जाती है।

इनमें से कोई भी वसीयत संपदा विखंडित नहीं होती है।

161. वसीयत की गई वस्तु का हटाया जाना कब विखंडन गठित नहीं करता है.- वसीयत की गई चीज का उस स्थान से हटाए जाने से, जिसमें स्थित होने का विल में कथन किया गया है, कोई विखंडन नहीं होगा, जहां उस स्थान का निर्देश केवल उस चीज का वर्णन पूर्ण करने के लिए किया गया है जिसको वसीयत करने का वसीयतकर्ता का अभिप्राय था।

दृष्टांत

- (i) क "मेरे समस्त नोट, बंधपत्र और धन की समस्त अन्य प्रतिभूतियां जो अब उदयपुर में मेरे निवास में रखी हैं" ख को वसीयत करता है।

उसकी मृत्यु के समय इन चीजबस्तों को उदयपुर में उसके निवास से हटा दिया गया था।

- (ii) क, अपने समस्त ऐसे फर्नीचर की, जो उस समय सीकर में उसके गृह में हो, ख को वसीयत करता है। वसीयतकर्ता का एक गृह सीकर में और दूसरा कोटा में जिसमें वह बारी-बारी से रहता है, और उसके पास फर्नीचर का केवल एक सैट है जिसे वह अपने साथ प्रत्येक गृह में ले जाता है। उसकी मृत्यु के समय वे फर्नीचर कोटा के गृह में हैं।
- (iii) क, अपना समस्त माल, जो उस समय चंबल नदी में स्थित कतिपय पोत पर है, ख को वसीयत करता है। माल को क के निदेशानुसार किसी भंडार गृह में ले जाया जाता है, जिसमें वह क की मृत्यु के समय रहता है।

इन वसीयतों में से कोई भी वसीयत संपदा विखंडन द्वारा प्रतिसंहत नहीं है।

162. जहां वसीयत की गई चीज वसीयतकर्ता द्वारा अन्य व्यक्ति से प्राप्त होने वाली मूल्यवान वस्तु है.- जहां वसीयत की गई चीज अन्य व्यक्ति से कोई मूल्यवान चीज प्राप्त करने का अधिकार नहीं है किन्तु ऐसा धन या अन्य वस्तु है जो स्वयं वसीयतकर्ता द्वारा या उसके प्रतिनिधियों द्वारा अन्य व्यक्ति से प्राप्त की जा सकती है, वहां ऐसी धनराशि या अन्य वस्तु का वसीयतकर्ता द्वारा प्राप्ति से विखंडन नहीं होगा; किन्तु यदि वह उसे अपनी संपदा के साधारण पुंज में मिला देता/देती है, तो वसीयत संपदा विखंडित हो जाएगी।

दृष्टांत

क, जो कोई राशि ग पर उसके दावे से प्राप्त हो ख को वसीयत करता है। क, ग पर अपने संपूर्ण दावे को प्राप्त करता है, और उसे अपनी संपदा के साधारण पुंज से अलग रखता है। वसीयत संपदा विखंडित नहीं होती है।

163. विनिर्दिष्ट वसीयत की विषयवस्तु में, विल की तारीख और वसीयतकर्ता की मृत्यु के मध्य, विधि के प्रवर्तन द्वारा परिवर्तन.- जहां विनिर्दिष्ट रूप से वसीयत की गई वस्तु में विल की तारीख और वसीयतकर्ता की मृत्यु के मध्य कोई परिवर्तन होता है, और वह परिवर्तन

विधि के प्रवर्तन द्वारा या किसी ऐसी विधिक लिखत के उपबंधों के निष्पादन के अनुक्रम में होता है जिसके अधीन वसीयत की गई वस्तु धारित थी, वहां वसीयत संपदा ऐसे परिवर्तन के कारण विखंडित नहीं होती है।

दृष्टांत

- (i) क "मेरा वह समस्त धन जो केन्द्रीय सरकार के 5.5 प्रतिशत ब्याज वाले उधार में है" ख को वसीयत करता है। 5.5 प्रतिशत ब्याज वाले उधार के लिए प्रतिभूतियां क के जीवनकाल में 5 प्रतिशत ब्याज वाले स्टॉक में संपरिवर्तित हो जाती हैं।
- (ii) क 20,000 रुपए की राशि, जो क के न्यासियों के नाम में सरकारी प्रतिभूतियों में विनिहित है, ख को वसीयत करता है। 20,000 रुपए की राशि न्यासियों द्वारा क के नाम में अंतरित कर दी जाती है। इन वसीयत संपदाओं में से कोई भी विखंडित नहीं हुई है।

164. वसीयतकर्ता की जानकारी के बिना विषयवस्तु में परिवर्तन.- जहां विनिर्दिष्ट रूप में वसीयत की गई वस्तु में, विल की तारीख और वसीयतकर्ता की मृत्यु के मध्य कोई परिवर्तन होता है और ऐसा परिवर्तन वसीयतकर्ता की जानकारी या मंजूरी के बिना होता है, वहां वसीयत संपदा विखंडित नहीं होती है।

दृष्टांत

क "मेरी समस्त 3 प्रतिशत ब्याज वाली सरकारी प्रतिभूतियां" की वसीयत ख को करता है। सरकारी प्रतिभूतियों का विक्रय क की जानकारी के बिना, उसके अभिकर्ता द्वारा कर दिया जाता है, और आगमों को XYZ स्टॉक में संपरिवर्तित कर दिया जाता है। यह वसीयत संपदा विखंडित नहीं हुई।

165. विनिर्दिष्ट रूप में वसीयत किया गया स्टॉक तृतीय पक्षकार को इस शर्त पर पट्टे पर दिया जाना कि उसको प्रतिस्थापित किया जाएगा.- जहां कोई स्टॉक, जो विनिर्दिष्ट रूप में वसीयत किया गया है, किसी तृतीय पक्षकार को इस शर्त पर पट्टे पर दिया गया है कि उसे प्रतिस्थापित किया जाएगा, और उसे तदनुसार प्रतिस्थापित किया जाता है, वहां वसीयत संपदा विखंडित नहीं होती है।

166. विनिर्दिष्ट रूप में वसीयत किए गए स्टॉक को विक्रय करके उसका प्रतिस्थापन होना, और वसीयतकर्ता की मृत्यु पर उसका वसीयतकर्ता से संबंधित होना.- जहां विनिर्दिष्ट रूप में वसीयत किए गए स्टॉक का विक्रय किया जाता है, और उसी स्टॉक की समान मात्रा को बाद में क्रय किया जाता है और वह वसीयतकर्ता की मृत्यु पर उससे संबंधित होता है, वहां वसीयत संपदा विखंडित नहीं होती है।

किसी वसीयत की विषय-वस्तु के संबंध में दायित्वों का संदाय

167. विनिर्दिष्ट वसीयतदारों को विमुक्त करने का निष्पादक का दायित्व नहीं होना.- (1) जहां विनिर्दिष्ट रूप से वसीयत की गई संपदा वसीयतकर्ता द्वारा या ऐसे किसी व्यक्ति द्वारा, जिसके अधीन वह दावा करता है, सृजित किसी गिरवी, धारणाधिकार या विल्लंगम के अधीन, वसीयतकर्ता की मृत्यु के समय है, वहां जब तक विल से कोई विरुद्ध आशय प्रतीत न हो, वसीयतदार, यदि वह वसीयत को स्वीकार करता/करती है तो, उसे ऐसी गिरवी या विल्लंगम के अध्यक्षीन रहते हुए स्वीकार करेगा/करेगी और (जहां तक उसके और वसीयतकर्ता की संपदा के मध्य संबंध है) ऐसी गिरवी या विल्लंगम की रकम की प्रतिपूर्ति करने का/की दायी होगा/होगी।

(2) यदि विल में वसीयतकर्ता के ऋणों को साधारणतः संदाय करने के लिए कोई निदेश अंतर्विष्ट है, तो इससे किसी विरुद्ध आशय का अनुमान नहीं लगाया जाएगा।

स्पष्टीकरण.- भू-राजस्व की प्रकृति का या भाटक की प्रकृति का कालिक संदाय ऐसा विल्लंगम नहीं है, जो इस धारा द्वारा अनुज्ञात है।

दृष्टान्त

- (i) क, एक हीरे की अंगूठी ख को वसीयत करता है जो ग ने उसे दी थी। क की मृत्यु पर वह अंगूठी घ द्वारा जिसके पास क ने उसे गिरवी रखा था, पण्यम में धारित है। क के निष्पादकों का यह कर्तव्य है कि, यदि वसीयतकर्ता की आस्तियों की स्थिति को देखते

हुए ऐसा किया जा सकता है तो, ख को अंगूठी का मोचन करने की अनुज्ञा दें।

- (ii) क एक संपदा की वसीयत ख को करता है जो क की मृत्यु पर 10,000 रुपए के अध्यधीन बंधक है; और सम्पूर्ण मूलधन की रकम उस पर 1,000 रुपए ब्याज सहित, क की मृत्यु के समय देय है। ख यदि वह वसीयत को स्वीकार करता है, तो उसे इस भार के अध्यधीन स्वीकार करता है और जहां तक उसका और क की संपदा के मध्य संबंध है, वह इस प्रकार देय 11,000 रुपए की राशि का संदाय करने के लिए दायी है।

168. वसीयत की गई चीज के लिए वसीयतकर्ता के हक को पूर्ण करना उसकी वसीयत संपदा के खर्च पर होगा.- जहां वसीयत की गई चीज के लिए वसीयतकर्ता के हक को पूर्ण करने के लिए कोई बात की जानी है, वहां वह वसीयतकर्ता की वसीयत संपदा के खर्च पर की जाएगी।

दृष्टांत

- (i) क, जिसने कतिपय कीमत पर भूमि के किसी भाग का क्रय करने के लिए साधारण निबन्धनों में संविदा की है, उसे ख को वसीयत करता है और क्रयधन संदत्त करने से पूर्व उसकी मृत्यु हो जाती है। क्रयधन की प्रतिपूर्ति क की आस्तियों में से ही की जानी चाहिए।

- (ii) क, जिसमें कतिपय धनराशि के बदले भूमि के किसी भाग का क्रय करने के लिए संविदा की है, इसमें से आधी तुरंत संदत्त करनी है और अन्य आधी भूमि के बन्धक द्वारा प्रतिभूत की जानी है, उसकी ख को वसीयत करता है और क्रयधन के किसी भाग को संदत्त या प्रतिभूत करने से पूर्व उसकी मृत्यु हो जाती है। क्रयधन के आधे का संदाय क की आस्तियों में से ही किया जाना चाहिए।

169. वसीयतदार की स्थावर संपदा की वियुक्ति, जिसके लिए भू-राजस्व या किराया कालिक रूप से संदेय है.- जहां ऐसी स्थावर संपदा में जिसके संबंध में भू-राजस्व की प्रकृति में या किराये की प्रकृति में

संदाय कालिक रूप से किया जाना है, किसी हित की वसीयत की जाती है वहां वसीयतकर्ता की संपदा से (जहां तक ऐसी संपदा और वसीयतदार के बीच का संबंध है) उसकी मृत्यु के दिन तक, ऐसे संदायों या, यथास्थिति, इनके अनुपात की प्रतिपूर्ति की जाएगी।

दृष्टांत

क एक गृह की वसीयत जिसके संबंध में किराये के रूप में प्रतिवर्ष 36,500 रुपये संदेय है ख को करता है। क प्रायिक समय पर अपने किराये का संदाय करता है और उसके 25 दिन पश्चात् उसकी मृत्यु हो जाती है। क की संपदा किराये के संबंध में 2,500 रुपये की प्रतिपूर्ति की जायेगी।

170. संयुक्त स्टाक कम्पनी में विनिर्दिष्ट वसीयतदार के स्टाक की वियुक्ति.- विल में किसी निदेश के अभाव में, जहां किसी संयुक्त स्टाक कंपनी में स्टाक की विनिर्दिष्ट वसीयत है, वहां यदि स्टाक के संबंध में उसकी मृत्यु के समय वसीयतकर्ता से कोई मांग या अन्य संदाय देय है तो वसीयतकर्ता की संपदा और वसीयतदार के बीच ऐसी मांग या संदाय का वहन वसीयतकर्ता की संपदा और वसीयतदार के बीच, संपदा द्वारा किया जाएगा; किन्तु यदि वसीयतकर्ता की मृत्यु के पश्चात् ऐसे स्टाक के संबंध में कोई मांग या अन्य संदाय देय होता है तो, उसका वहन, वसीयतकर्ता की संपदा और वसीयतदार के बीच वसीयतदार द्वारा किया जायेगा; यदि वह वसीयत स्वीकार करता/करती है।

दृष्टांत

(i) क कतिपय कम्पनी में अपने शेयर की वसीयत ख को करता है। क की मृत्यु पर प्रत्येक शेयर के संबंध में 100 रुपये की राशि उसके द्वारा देय थी, जो सम्यक् रूप से की गई मांग की रकम थी और प्रत्येक शेयर के संबंध में पांच रुपये की राशि देय थी, जो ऐसे ब्याज की रकम थी, जो उस मांग के संबंध में देय थी। इन संदायों का वहन क की संपदा द्वारा किया जायेगा।

(ii) क ने एक आशयित संयुक्त स्टाक कम्पनी में, 50 शेयरों के लिए करार किया है और प्रत्येक शेयर के संबंध में 100 रुपये का संदाय करने की संविदा की है जिस राशि को उन शेयरों के लिए उसके हक को पूर्ण करने से पूर्व संदत्त किया जाना चाहिए। क इन शेयरों की ख को वसीयत करता है। क की संपदा उन संदायों की प्रतिपूर्ति करेगी, जो क के हक को पूर्ण करने के लिए आवश्यक है।

(iii) क कतिपय कम्पनी में अपने शेयर ख को वसीयत करता है। ख वसीयत संपदा स्वीकार करता है। क की मृत्यु के पश्चात्, शेयरों के संबंध में मांग की जाती है। ख मांगों का संदाय करेगा।

(iv) क संयुक्त स्टाक कम्पनी के अपने शेयरों की वसीयत ख को करता है। ख वसीयत स्वीकार करता है। तत्पश्चात् कंपनी के कार्यकलाप का परिसमापन हो जाता है और प्रत्येक शेयरधारक से अपने अभिदाय के लिये बुलाया जाता है। अभिदाय की रकम वसीयतदार द्वारा वहन की जायेगी।

(v) क किसी कम्पनी में दस शेयरों का स्वामी है। इनके जीवनकाल के दौरान आयोजित एक बैठक में तीन किस्तों में संदेय पचास रुपये प्रति शेयर की मांग की जाती है। क अपने शेयरों की वसीयत ख को करता है और प्रथम किस्त के संदाय के लिए नियत दिन और द्वितीय किस्त के संदाय के लिए नियत दिन के बीच, और प्रथम किस्त का संदाय किए बिना उसकी मृत्यु हो जाती है। क की संपदा प्रथम किस्त का संदाय करेगी और यदि ख, वसीयत संपदा स्वीकार करता है, तो वह शेष किस्तों का संदाय करेगा।

साधारण शब्दों में वर्णित वस्तुओं की वसीयतें

171. साधारण शब्दों में वर्णित वस्तुओं की वसीयत.- यदि किसी एसी वस्तु की वसीयत की जाती है जिसका साधारण शब्दों में वर्णन किया गया है तो निष्पादक को वसीयतदार के लिए ऐसा क्रय करना चाहिए जो युक्तियुक्त रूप से वर्णन के अनुरूप माना जा सके ।

दृष्टांत

(i) क मोटरयान या एक हीरे की अंगूठी ख को वसीयत करता है। निष्पादक को, यदि आस्तियों को देखते हुए ऐसा किया जा सकता है तो, वसीयतदार के लिए ऐसी वस्तुओं की व्यवस्था करनी चाहिए।

(ii) क "मेरी मोटरयानों" की वसीयत ख को करता है। क के पास उसकी मृत्यु के समय कोई मोटरयान नहीं था। वसीयत संपदा निष्फल हो जाती है।

निधि के ब्याज या आगम की वसीयतें

172. निधि के ब्याज या आगम की वसीयत.- जहां किसी निधि के ब्याज या आगम की वसीयत किसी व्यक्ति को की जाती है और विल में यह आशय उपदर्शित नहीं किया जाता है कि वसीयत का उपभोग सीमित अवधि तक किया जाना चाहिए, वहां मूलधन के साथ-साथ ब्याज भी वसीयतदार के होंगे।

दृष्टांत

(i) क अपने पाँच प्रतिशत ब्याज वाले केन्द्रीय सरकार के वचनपत्रों के ब्याज की वसीयत ख को करता है। उस विल में उन प्रतिभूतियों को प्रभावित करने वाला कोई अन्य खण्ड नहीं है। क के पाँच प्रतिशत वाले केन्द्रीय सरकार के वचन पत्रों के लिए ख हकदार है।

(ii) क अपने 5.5 प्रतिशत ब्याज वाले केन्द्रीय सरकार के वचनपत्रों के ब्याज की वसीयत ख को, उसके जीवनकाल के लिए और उसकी मृत्यु के पश्चात् ग को, करता है। ख अपने जीवनकाल के दौरान वचनपत्रों के ब्याज का हकदार है और ख की मृत्यु पर ग वचनपत्रों के लिए हकदार है।

(iii) क, भ स्थित अपनी भूमियों के किराये की वसीयत ख को करता है। ख भूमियों के लिए हकदार है।

वार्षिकी की वसीयतें

173. जब तक कि विल से कोई प्रतिकूल आशय प्रकट न हो, विल द्वारा सृजित वार्षिकी केवल जीवनपर्यंत के लिये संदेय होगी.- जहां

विल द्वारा कोई वार्षिकी सृजित की जाती है वहां, वसीयतदार, जब तक कि विल से कोई प्रतिकूल आशय प्रकट न हो। इस बात के होते हुए भी कि वार्षिकी का साधारणतः संपदा में से संदत्त किया जाना निदेशित है या कि कोई धनराशि उसके क्रय में विनिधान किये जाने के लिये वसीयत की गई है, वसीयतदार उसे केवल अपने जीवनपर्यंत प्राप्त करने का हकदार है,

दृष्टांत

- (i) क 5,000 रुपये प्रतिवर्ष की वसीयत ख को करता है। ख अपने जीवनकाल के दौरान 5,000 रुपये की वार्षिक राशि प्राप्त करने का हकदार है।
- (ii) क 1,000 रुपये की मासिक राशि की वसीयत ख को करता है। ख अपने जीवनकाल के दौरान प्रतिमास 1,000 रुपये की राशि प्राप्त करने का हकदार है।
- (iii) क 5,000 रुपये की एक वार्षिकी की वसीयत ख को जीवनपर्यंत और ख की मृत्यु पर ग को करता है। ख अपने जीवनकाल के दौरान 5,000 रुपये की वार्षिकी का हकदार है। ग, यदि वह ख का उत्तरजीवी होता है, तो ख की मृत्यु से अपनी स्वयं की मृत्यु तक 5,000 रुपये की वार्षिकी का हकदार है।

174. निहित करने की कालावधि जहां विल निदेशित करती है कि वार्षिकी संपदा के आगमों में से उपलब्ध करायी जायेगी.- जहां विल में यह निदेश दिया गया है कि कोई वार्षिकी किसी व्यक्ति को संपदा के आगमों में से या साधारणतः संपदा में से उपलब्ध करायी जायेगी या जहां वसीयत किए गए धन का विनिधान वसीयतकर्ता की मृत्यु पर, किसी व्यक्ति के लिए किसी वार्षिकी का क्रय करने में किया जाना है वहां वसीयत संपदा में वसीयतदार का हित निहित हो जाता है और वह अपने विकल्प पर अपने लिए कोई वार्षिकी का क्रय करने का/की या विल द्वारा उस प्रयोजन के लिए विनियोजित धन प्राप्त करने का/की हकदार है।

दृष्टांत

- (i) क अपनी विल द्वारा यह निदेश देता है कि उसके निष्पादक उसकी संपदा में से, 10,000 रुपये की वार्षिकी का क्रय ख के लिए करेंगे। ख अपने विकल्प पर 10,000 रुपये की वार्षिकी अपने जीवनपर्यंत क्रय करने का या ऐसी राशि को, जो ऐसी किसी वार्षिकी का क्रय करने के लिए पर्याप्त हो, प्राप्त करने का हकदार है।
- (ii) क कोई निधि ख को, उसके जीवनपर्यंत के लिए, वसीयत करता है और निदेश देता है कि ख की मृत्यु के पश्चात् उसे ग के लिये वार्षिकी के क्रय में उपगत किया जाएगा। ख और ग वसीयतकर्ता के उत्तरजीवी होते हैं। ग की मृत्यु ख के जीवनकाल में हो जाती है। ख की मृत्यु पर निधि ग के प्रतिनिधियों की हो जाती है।

175. वार्षिकी का उपशमन.- जहां किसी वार्षिकी की वसीयत की गई है किन्तु वसीयतकर्ता की आस्तियां विल द्वारा दी गई समस्त वसीयत-संपदाओं का संदाय करने के लिए पर्याप्त नहीं है। वहां वार्षिकी का उपशमन उसी अनुपात में होगा जैसा कि विल द्वारा दी गई अन्य धन सम्बन्धी वसीयत-संपदाओं का होगा।

176. जहां वार्षिकी का दान और अवशिष्ट दान हो, वहां सम्पूर्ण वार्षिकी का पहले चुकाया जाना.- जहां किसी वार्षिकी का दान और कोई अवशिष्ट दान है वहां सम्पूर्ण वार्षिकी, उसके अवशेष के किसी भाग का अवशिष्ट वसीयतदार को संदत्त किए जाने से पूर्व, चुकाई जाएगी और यदि आवश्यक हो, तो वसीयतकर्ता की संपदा की पूंजी उस प्रयोजन के लिए उपयोग में लाई जाएगी।

लेनदारों और हिस्सा पाने वालों की वसीयत संपदा

177. लेनदार, प्रथमदृष्ट्या, वसीयत संपदा, के साथ-साथ ऋण, के लिए हकदार है.- जहां कोई ऋणी अपने लेनदार को किसी वसीयत संपदा की वसीयत करता है और विल से यह प्रकट नहीं होता है कि वसीयत

संपदा से ऋण का चुकता हो जाना अभिप्रेत है वहां लेनदार वसीयत संपदा के साथ-साथ ऋण की रकम, के लिए भी हकदार होगा।

178. संतान प्रथमदृष्ट्या, वसीयत संपदा के साथ-साथ हिस्से का भी हकदार है.- जहां माता या पिता, जो संविदा द्वारा किसी संतान के लिए किसी हिस्से का उपबन्ध करने के लिए बाध्य है, ऐसा करने में असफल रहता है और तत्पश्चात् संतान के लिए किसी वसीयत संपदा की वसीयत करता है और अपनी विल द्वारा यह सूचित नहीं करता/करता है कि वसीयत संपदा से हिस्से का चुकता हो जाना अभिप्रेत है, वहां संतान वसीयत संपदा के साथ-साथ उस हिस्से को भी प्राप्त करने का हकदार है।

दृष्टांत

क ने ख के साथ अपने विवाह को आसन्न मानकर किए गए किसी अनुच्छेद द्वारा, यह प्रसंविदा की है कि वह आशयित विवाह की प्रत्येक पुत्री को, उसके विवाह पर, 20,000 रुपये के हिस्से का संदाय करेगा। इस प्रसंविदा के टूट जाने पर क अपनी और ख की प्रत्येक विवाहिता पुत्री को 20,000 रुपये की वसीयत करता है। वसीयतदार उनके हिस्से के अतिरिक्त इस वसीयत के फायदे का भी हकदार है।

179. वसीयतदार के लिए पश्चात्कर्ती उपबन्ध द्वारा विखंडन न होना.- वसीयतदार के लिए व्यवस्थापन द्वारा या अन्यथा किए गए किसी पश्चात्कर्ती उपबन्ध द्वारा कोई वसीयत पूर्णतः या भागतः विखंडित नहीं होगी।

दृष्टांत

(1) क अपने पुत्र ख को 20,000 रुपये की वसीयत करता है। तत्पश्चात् ख को 20,000 रुपये की राशि देता है। वसीयत संपदा इसके द्वारा विखंडित नहीं होती है।

(ii) क अपनी अनाथ भतीजी ख को, जिसे उसने उसकी बाल्यावस्था से पाला था, 40,000 रुपये की वसीयत करता है। तत्पश्चात् ख के विवाह

के अवसर पर क उसे 30,000 रुपये का व्यवस्थापन करता है। इससे वसीयत संपदा में कमी नहीं होती है।

निर्वाचन

180. किन परिस्थितियों में निर्वाचन होता है.- जहां कोई व्यक्ति, अपनी विल द्वारा ऐसी किसी वस्तु का व्ययन करने की प्रव्यंजना करता है जिसका व्ययन करने का उसे कोई अधिकार नहीं है, वहां उस व्यक्ति को जिसकी यह वस्तु है यह निर्वाचन करेगा कि या तो यह ऐसे व्ययन को पुष्ट करे या उससे विसम्मत हो और पश्चात्कथित मामले में वह ऐसे किन्हीं फायदे को त्याग देगी जिनका उपबन्ध विल द्वारा उसके लिए किया गया है।

181. स्वामी द्वारा त्यागे गए हित का न्यागमन.- धारा 180 में कथित परिस्थितियों में त्यागे गए किसी हित का न्यागमन वैसे ही होगा मानो उसका विल द्वारा व्ययन वसीयतदार के पक्ष में नहीं किया गया है, ऐसा होने पर भी, यह हित उस निराश वसीयतदार को उस दान की, जिसे विल द्वारा उसे दिए जाने का प्रयत्न किया गया था, रकम या उसके मूल्य की प्रतिपूर्ति करने के भार के अधीन होगा।

182. वसीयतकर्ता के स्वामित्व के बारे में उसका विश्वास तत्त्वहीन है.- धारा 180 और 181 के उपबन्ध लागू होते हैं चाहे वसीयतकर्ता यह विश्वास करता हो या न करता हो कि जिसका व्ययन करने की यह अपनी विल द्वारा प्रव्यंजना करता है यह उसका स्वयं का है।

दृष्टांत

(i) भीलवाड़ा का खेत ग की संपदा था। क ने ग को 1,00,000 रुपयों की वसीयत संपदा देकर उसे ख को वसीयत कर दिया। ग ने, भीलवाड़ा के अपने खेत को, जो 80,000 रुपये मूल्य का है, अपने पास प्रतिधारण का निर्वाचन किया है। ग की 1,00,000 रुपये का वसीयत संपदा सम्पहत हो जाती है जिसमें 80,000 रुपये ख को चले जाते हैं

और शेष 20,000 रुपये अवशिष्ट वसीयत में चले जाते हैं, या, यथास्थिति, निर्वसीयत उत्तराधिकार के नियमों के अनुसार न्यागत होते हैं।

(ii) क किसी संपदा की ख को वसीयत करता है। यदि ख, के ज्येष्ठ भाई की (जो विवाहित है और जिसके संतानें हैं) उसकी मृत्यु पर कोई जीवित संतति न हो, क एक आभूषण, जो ख का है, ग को भी वसीयत करता है। ख को आभूषण को त्यागने या संपदा को खोने का निर्वाचन करना चाहिए।

(iii) क 1,00,000 रुपये ख को और एक संपदा, जो व्यवस्थापन के अधीन ख की होगी, ग वसीयत को करता है, यदि ख के ज्येष्ठ भाई को (जो विवाहित है और जिसके संतानें हैं) उसकी मृत्यु पर कोई जीवित संतति न हो। ख को संपदा को त्यागने या वसीयत संपदा को खोने का निर्वाचन करना चाहिए।

(iv) क, 18 वर्ष की आयु का एक व्यक्ति है, जो भारत में राजस्थान का अधिवासी है किन्तु इंग्लैंड में भू-संपदा का स्वामीत्व रखता है जिसके लिए ग विधि वारिस है। क एक वसीयत संपदा की ग को वसीयत करता है और उसके अध्यक्षीन रहते हुए विल लिखकर "मेरी समस्त संपदा चाहे जितनी हो और जहां हो" की ख को वसीयत करता है और 21 वर्ष की आयु से पहले उसकी मृत्यु हो जाती है। इंग्लैंड में स्थित भू-संपदा विल द्वारा संक्रांत नहीं होती है। ग उसकी वसीयत संपदा का दावा इंग्लैंड स्थित भू-संपदा का त्याग किए बिना कर सकता है।

183. व्यक्ति के फायदे के लिए वसीयत, निर्वाचन के प्रयोजन के लिए कैसे माना जाए.- किसी व्यक्ति के फायदे के लिए वसीयत को, निर्वाचन के प्रयोजन के लिए, वैसे ही मानी जाती है जैसे उसे की गयी वसीयत को।

दृष्टांत

क, अलवर के खेतों को, जो ख की संपदा है, ग को वसीयत करता है; और जैसलमेर फार्महाउस नामक एक दूसरे खेतों को अपने स्वयं के निष्पादकों

को, इस निदेश के साथ वसीयत करता है कि उसका विक्रय किया जायेगा और उसके आगमों का उपयोजन ख के ऋणों के संदाय में किया जायेगा। ख, को यह निर्वाचन करना होगा कि क्या वह विल का पालन करेगा या उसके विपरीत अलवर का उसका खेत अपने पास रखेगा।

184. अप्रत्यक्षत रूप से फायदा प्राप्त करने वाले व्यक्ति को निर्वाचन नहीं करना है.- जो व्यक्ति किसी विल के अधीन प्रत्यक्षतः कोई फायदा नहीं लेता है किन्तु उसके अधीन अप्रत्यक्षतः फायदा प्राप्त निर्वाचन करने की आवश्यकता नहीं है।

दृष्टांत

हनुमानगढ की भूमियों का व्यवस्थापन ग पर जीवनपर्यन्त और उसकी मृत्यु के पश्चात् घ पर, जो उसकी एकमात्र संतान है, किया गया है। क हनुमानगढ की भूमि की ख को और 100,000 रुपये की ग को वसीयत करता है। वसीयतकर्ता की मृत्यु के कुछ दिन बाद ग की निर्वसीयत मृत्यु हो जाती है और उसने कोई निर्वाचन नहीं किया है। घ, ग के लिए प्रशासन प्राप्त करता है, और प्रशासक के रूप में ग की संपदा की ओर से विल के अधीन भूमि लेने का निर्वाचन करता है। उस हैसियत में वह 1,00,000 रुपये की वसीयत संपदा प्राप्त करता है और हनुमानगढ की भूमि के किराये के लिए, जो वसीयतकर्ता की मृत्यु के पश्चात् और ग की मृत्यु के पूर्व प्रोद्भूत हुई थी ख को लेखा देता है। अपनी व्यष्टिक हैसियत में वह विल के विरुद्ध हनुमानगढ की भूमि को प्रतिधारित करता है।

185. विल के अधीन व्यष्टिक हैसियत में लेने वाला व्यक्ति दूसरी हैसियत में उसके विपरीत लेने का निर्वाचन कर सकेगा.- जो व्यक्ति अपनी व्यष्टिक हैसियत में कोई फायदा विल के अधीन लेता है वह दूसरी हैसियत में विल के विपरीत लेने का निर्वाचन कर सकेगा।

दृष्टांत

भिवाड़ी की संपदा का व्यवस्थापन क पर, जीवन पर्यन्त के लिए और उसकी मृत्यु के पश्चात् ख पर किया गया है। क भिवाड़ी की संपदा घ के लिए और 2,00,000 रुपये ख के लिए तथा 1,00,000 रुपये ग के

लिए छोड़ता है जो ख की एकमात्र संतान है। वसीयतकर्ता की मृत्यु के कुछ समय पश्चात् ख की निर्वसीयत मृत्यु हो जाती है और उसने कोई निर्वाचन नहीं किया है। ग, ख का प्रशासन प्राप्त करता है और प्रशासक के रूप में विल के विपरीत भिवाड़ी की संपदा रखने का और 2,00,000 रुपये की वसीयत संपदा को त्यागने का निर्वाचन करता है। ग ऐसा कर सकता है और फिर भी विल के अधीन 1,00,000 रुपयों की अपनी वसीयत संपदा का दावा कर सकता है।

186. अंतिम छह धाराओं के उपबन्धों का अपवाद.- धारा 180 से 185 में अन्तर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, जहां वसीयतदार को किसी ऐसी वस्तु के बदले, जो वसीयतदार का है, किसी विशिष्ट दान का दावा किया जाना विल में अभिव्यक्त किया गया है और उसका ऐसे विल द्वारा वस्तुतः व्ययन भी किया गया है वहां यदि ऐसा वसीयतदार उस वस्तु का दावा करता है तो उसे उस विशिष्ट दान का त्याग करना होगा किन्तु वह विल द्वारा उसे दिए गए किसी अन्य फायदे को त्यागने के लिए आबद्ध नहीं है।

दृष्टांत

क के विवाह व्यवस्थापन के अधीन उसकी पत्नी क की उत्तरजीवी होने पर अपने जीवनकाल के दौरान बूंदी की संपदा के उपभोग की हकदार है। क बूंदी की संपदा में अपनी पत्नी के हित के बदले उसे उसके जीवनकाल के दौरान, 2,00,000 रुपये की वार्षिकी की वसीयत अपनी विल द्वारा करता है और वह संपदा अपने पुत्र को विल कर देता है। वह अपनी पत्नी को 10,00,000 रुपये की वसीयत संपदा भी देता है। विधवा उसका, निर्वाचन करती है जिसके लिए वह व्यवस्थापन के अधीन हकदार है। वह वार्षिकी को त्यागने के लिए आबद्ध है किन्तु 10,00,000 रुपयों की वसीयत संपदा को त्यागने के लिए आबद्ध नहीं है।

187. विल के अधीन दिए गए फायदे का प्रतिग्रहण कब विल के अधीन लेने के निर्वाचन को गठित करता है.- विल द्वारा दिए गए किसी फायदे का प्रतिग्रहण, विल के अधीन लेने के लिए, वसीयतदार द्वारा

किया गया निर्वाचन गठित करता है यदि उसे निर्वाचन करने के अपने अधिकार का ज्ञान है और उन परिस्थितियों का ज्ञान है जो निर्वाचन करने में किसी युक्तियुक्त व्यक्ति के निर्णय पर असर डालती हों या यदि वह उन परिस्थितियों की जांच करने का अधित्यजन कर देता है।

दृष्टांत

- (i) क, केसर फार्म नामक किसी संपदा का स्वामी है और नागौर फार्म नामक किसी दूसरी संपदा में जीवनपर्यन्त हित रखता है जिसके लिए उसकी मृत्यु पर उसका पुत्र आत्यंतिक रूप से हकदार होगा। क की विल में केसर फार्म की संपदा ख को तथा नागौर फार्म की संपदा ग को दी गई है। ख नागौर फार्म की संपदा में अपने स्वयं के अधिकार की अनभिज्ञता के कारण ग को उसका कब्जा लेना अनुज्ञात करता है और केसर फार्म की संपदा का कब्जा ले लेता है। ख ने ग को नागौर फार्म की वसीयत की पुष्टि नहीं की है।
- (ii) ख जो क का ज्येष्ठतम पुत्र है रोज फार्महाऊस नामक संपदा का कब्जाधारी है। क रोज फार्महाऊस की वसीयत ग को और क की संपदा का अवशेष ख को वसीयत करता है। ख, क के निष्पादकों द्वारा यह जानकारी दिए जाने पर कि अवशेष 5,00,000 रुपये के बराबर होगा ग को रोज फार्महाऊस का कब्जा लेना अनुज्ञात करता है। तत्पश्चात् उसे यह पता चलता है कि अवशेष 50,000 रुपये से अधिक नहीं है। ख ने ग को रोज फार्महाऊस की वसीयत की पुष्टि नहीं की है।

188. वे परिस्थितियां जिनमें ज्ञान या अधित्यजन उपधारित या अनुमित किया जाता है.-(1) यदि वसीयतदार विसम्मति अभिव्यक्त करने के लिए कोई कार्य किए बिना विल द्वारा उसके लिए उपबंधित लाभों का उपभोग दो वर्ष तक कर लेता है तो ऐसा ज्ञान या जांच का अधित्यजन प्रतिकूल साक्ष्य के अभाव में उपधारित कर लिया जाएगा।

(2) ऐसा ज्ञान या जांच का अधित्यजन वसीयतदार के किसी ऐसे कार्य से अनुमित किया जा सकेगा जिसने वसीयत की विषयवस्तु में हितबद्ध व्यक्तियों को उसी दशा में रखना असंभव बना दिया है जिसमें वे होते यदि वह कार्य न किया गया होता।

दृष्टांत

क कोई संपदा ख को वसीयत करता है जिसके लिए ग हकदार है और ग को कोयले की एक खान की वसीयत करता है। ग खान को, कब्जा में लेता है और उसे निःशेष कर देता है। उसके द्वारा उसने संपदा में ख की वसीयत की पुष्टि कर दी है।

189. वसीयतकर्ता के प्रतिनिधि वसीयतदार से निर्वाचन करने के लिए कब बुला सकेंगे.- यदि वसीयतदार वसीयतकर्ता की मृत्यु के पश्चात् एक वर्ष के भीतर विल की पुष्टि करने या उससे विसम्मति का अपना आशय वसीयतकर्ता के प्रतिनिधियों को संज्ञापित नहीं कर देता है तो प्रतिनिधि उस कालावधि के अवसान पर उससे यह अपेक्षा कर सकेगा कि वह निर्वाचन करे और यदि वह ऐसी अपेक्षा की प्राप्ति के पश्चात् युक्तियुक्त समय के भीतर उसका अनुपालन नहीं करता है तो यह समझा जाएगा कि उसने विल की पुष्टि करने का निर्वाचन कर लिया है।

190. निर्योग्यता की दशा में निर्वाचन को मुलतवी करना.- निर्योग्यता की दशा में निर्वाचन उस समय तक मुलतवी रहेगा जब तक वह निर्योग्यता समाप्त नहीं हो जाती या जब तक निर्वाचन किसी सक्षम प्राधिकारी द्वारा नहीं किया जाता।

मृत्यु को आसन्न मानकर किए गए दान

191. मृत्यु को आसन्न मानकर दान द्वारा अन्तरणीय संपदा.-
(1) कोई व्यक्ति मृत्यु को आसन्न मानकर किए गए दान द्वारा किसी ऐसी जंगम संपदा का व्ययन कर सकेगा जिसका वह विल द्वारा व्ययन कर सकता है।

(2) किसी दान को, मृत्यु को आसन्न मानकर किया गया दान वहां कहा जाता है जहां कोई व्यक्ति जो बीमार है और जिसे अपनी

बीमारी के कारण शीघ्र ही मर जाने की प्रत्याशका है, किसी जंगम संपदा का कब्जा किसी अन्य को दे देता है कि वह, यदि दाता की उस बीमारी के कारण मृत्यु होने की दशा में उसे दान के रूप में रखने के लिये परिदान करता है।

(3) ऐसे दान को दानकर्ता वापस ले सकेगा; और यदि वह उस बीमारी से, जिसके दौरान वह किया गया था, पुनः निरोगी हो जाता है या यदि वह उस व्यक्ति का उत्तरजीवी होता है, जिसके लिए वह दान किया गया था तो वह प्रभावशील नहीं होगा।

दृष्टांत

- (i) क बीमार है, और वह मृत्यु की प्रत्याशका में ख को, निम्नलिखित का परिदान करता है, जो क की मृत्यु हो जाने की दशा में उसके द्वारा प्रतिधारित की जायेगी-

एक घड़ी;

ग द्वारा क को अनुदत्त एक बन्धपत्र;

एक बैंक-नोट;

निरंक पृष्ठांकित केन्द्रीय सरकार का एक वचनपत्र;

निरंक पृष्ठांकित एक विनिमय-पत्र;

कतिपय बन्धक-विलेख।

क की मृत्यु उस बीमारी के कारण हो जाती है जिसके दौरान उसने इन वस्तुओं का परिदान किया था।

ख निम्नलिखित का हकदार है-

घड़ी;

ग के बन्धपत्र द्वारा प्रतिभूत ऋण;

बैंक नोट;

केन्द्रीय सरकार के वचनपत्र;

विनिमय-पत्र;

बन्धक-विलेख द्वारा प्रतिभूत धन।

(ii) क बीमार है, और मृत्यु की प्रत्याशका में ख को किसी ट्रंक की चाबी का या किसी ऐसे भण्डागार की चाबी का परिदान, जिसमें क के भारी मात्रा में माल निक्षिप्त हैं या ट्रंक में रखी गई वस्तुओं पर या निक्षिप्त माल पर उसे नियंत्रण देने के आशय से, करता है और उससे यह वांछा करता है कि वह क की मृत्यु की दशा में उन्हें रखे। क की मृत्यु उस बीमारी से हो जाती है जिसके दौरान उसने ऐसी वस्तुओं का परिदान किया था। ख ट्रंक और उसकी अन्तर्वस्तुओं का या भण्डारगार में क के भारी मात्रा में माल का हकदार है।

(iii) क बीमार है और मृत्यु की प्रत्याशका में कतिपय वस्तुओं को पृथक् पार्सलों में अलग रख देता है और पार्सलों पर क्रमशः ख और ग के नाम चिह्नांकित कर देता है। पार्सल, क के जीवनकाल के दौरान परिदत्त नहीं किए जाते हैं। क की मृत्यु उस बीमारी से हो जाती है, जिसके दौरान उसने उन पार्सलों को अलग रखा था। ख और ग पार्सलों की अर्त्तवस्तुओं के हकदार नहीं हैं।

अध्याय 3

मृतक की संपदा का संरक्षण

192. मृतक की संपदा के उत्तराधिकार द्वारा अधिकार का दावा करने वाला व्यक्ति सदोष कब्जे के विरुद्ध अनुतोष के लिए आवेदन कर सकेगा.-(1) यदि कोई व्यक्ति जंगम या स्थावर संपदा छोड़कर मर जाता है तो उसके लिए या उसके किसी हिस्से के लिए उत्तराधिकार द्वारा किसी अधिकार का दावा करने वाला व्यक्ति, दूसरे व्यक्ति द्वारा वास्तविक कब्जा लिए जाने के पश्चात् या जब कब्जा अभिग्रहण करने के बल का प्रयोग किए जाने की आशंका हो तो, उस जिले के जिला न्यायाधीश को, जिसमें संपदा का कोई हिस्सा पाया जाता है या, स्थित है, अनुतोष के लिए आवेदन कर सकेगा।

(2) किसी अवयस्क, या किसी निरर्हित या अनुपस्थित व्यक्ति के उत्तराधिकार द्वारा यथापूर्वोक्त ऐसी संपदा के लिए हकदार होने की दशा में कोई संरक्षक, अभिकर्ता, नातेदार या निकट मित्र अनुतोष के लिये वैसे ही आवेदन कर सकेगा।

193. न्यायाधीश द्वारा की गई जांच.- वह जिला न्यायाधीश, जिसे ऐसा आवेदन किया गया है, प्रथमतः आवेदक की शपथ पर परीक्षा करेगा और ऐसी जांच, यदि कोई हो, कर सकेगा/सकेगी जैसा वह आवश्यक समझे कि क्या यह विश्वास करने के लिए पर्याप्त आधार है कि कब्जाधारी पक्षकार को या कब्जा अभिग्रहण के लिए बल का प्रयोग करने वाले पक्षकार को विधिपूर्ण हक नहीं है, और वह आवेदक या वह व्यक्ति, जिसके निमित्त वह आवेदन करता है, वास्तव में हकदार है और यदि उसे वाद के मामूली उपचार के लिए छोड़ दिया जाता है तो उस पर तात्त्विक रूप से प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की संभावना है, और आवेदन सद्भावपूर्वक किया गया है।

194. प्रक्रिया.- यदि जिला न्यायाधीश का यह समाधान हो जाता है कि यथापूर्वोक्त विश्वास करने के लिए पर्याप्त आधार है किन्तु अन्यथा नहीं है, तो वह उस पक्षकार को, जिसके विरुद्ध परिवाद किया गया है, समन करेगा और खाली या विघ्नयुक्त कब्जे की सूचना प्रकाशन द्वारा देगा और युक्तियुक्त समय के अवसान के पश्चात् कब्जे के अधिकार को (इसमें इसके पश्चात् यथाउपबन्धित वाद के अध्यधीन रहते हुए) संक्षिप्ततः अवधारित करेगा और तदनुसार कब्जे का परिदान देगा:

परन्तु न्यायाधीश को ऐसे अधिकारी को नियुक्त करने की शक्ति होगी, जो किसी चीजबस्त की सूची तैयार करने और उसे मुद्रांकित करने या अन्यथा उसे सुरक्षित रखने के प्रयोजन के लिए आवेदन किये जाने पर, अविलंब वैसा करेगा चाहे उसने उस पक्षकार को, जिसके विरुद्ध परिवाद किया गया है, समन करने के लिए आवश्यक जांच पूरी कर ली है या नहीं।

195. कार्यवाहियों के अवधारण के लंबित रहने के दौरान रक्षक की नियुक्ति.- यदि यथापूर्वोक्त ऐसी जांच किए जाने पर आगे यह प्रतीत होता है कि संक्षिप्त कार्यवाही का अवधारण किए जाने से पूर्व संपदा के दुर्विनियोजन या दुर्व्यय के खतरे की आशंका है और कब्जाधारी पक्षकार से प्रतिभूति अभिप्राप्त करने में विलम्ब या उसकी अपर्याप्तता से कब्जा विहीन पक्षकार के लिए पर्याप्त जोखिम होने की संभावना है परन्तु यह कि वह विधिपूर्ण स्वामी भी है तो जिला न्यायाधीश एक या अधिक रक्षक नियुक्त कर सकेगा जिसका प्राधिकार उसकी या उनकी संबंधित नियुक्तियों के निबन्धनों के अनुसार जारी रहेगा और किसी भी दशा में संक्षिप्त कार्यवाहियों का अवधारण किए जाने और उसके परिणामस्वरूप कब्जे की पुष्टि या परिदान किए जाने के आगे जारी नहीं रहेगा:

परन्तु भूमि के मामले में, न्यायाधीश रक्षक की शक्तियों को कलेक्टर या कलेक्टर के अधीनस्थ किसी अधिकारी को प्रत्यायोजित कर सकेगा:

परन्तु यह और कि किसी संपदा के संबंध में रक्षक की प्रत्येक नियुक्ति सम्यक् रूप से प्रकाशित की जाएगी।

196. रक्षक को प्रदत्त की जा सकने वाली शक्तियां.- जिला न्यायाधीश रक्षक को संपदा का कब्जा लेने के लिए, या तो साधारणतः या तब तक के लिए प्राधिकृत कर सकेगा जब तक के लिए कब्जाधारी पक्षकार द्वारा प्रतिभूति न दे दी जाए या जब तक संपदा की सूचियां न बना ली जाएं या कब्जाधारी पक्षकार द्वारा दुर्विनियोजन या दुर्व्यय से संपदा को सुरक्षित रखने के लिए आवश्यक किसी अन्य प्रयोजन के लिए प्राधिकृत कर सकेगा;

परन्तु यह न्यायाधीश के विवेक पर होगा कि वह प्रतिभूति देने या न देने पर कब्जाधारी पक्षकार को ऐसा कब्जा बनाए रखने की अनुज्ञा दे और कब्जे को रखना ऐसे आदेशों के अधीन होगा जैसा वह न्यायाधीश सूचियों या विलेखों या अन्य चीजबस्त की सुरक्षा के सम्बन्ध में जारी करे।

197. रक्षक द्वारा कतिपय शक्तियों के प्रयोग का प्रतिषेध.- (1)

जहां इस भाग के अध्याय-6 के अधीन प्रमाणपत्र अनुदत्त किया गया है या प्रोबेट या प्रशासन-पत्र का अनुदान किया गया है वहां इस अध्याय के अधीन नियुक्त रक्षक, प्रमाणपत्र के धारक के या निष्पादक या प्रशासक के किसी विधिसम्मत प्राधिकार का प्रयोग नहीं करेगा।

(2) ऐसे सभी व्यक्तियों की, जिन्होंने कोई ऋण या किराया प्राप्त करने के लिए न्यायालय द्वारा प्राधिकृत रक्षक को ऋण या किराये का संदाय किया है, क्षतिपूर्ति की जाएगी और रक्षक उनका संदाय ऐसे व्यक्ति को करने के लिए उत्तरदायी होगा, जिसने, यथास्थिति, प्रमाणपत्र, प्रोबेट या प्रशासन-पत्र अभिप्राप्त किया है।

198. रक्षक प्रतिभूति देगा और पारिश्रमिक प्राप्त कर सकेगा.-

(1) न्यायाधीश रक्षक से उसके न्यास के निष्ठापूर्वक निर्वहन के लिए और इसमें इसके पश्चात् उपबन्धित रीति से उसका समाधानप्रद लेखा देने के लिए प्रतिभूति लेगा और उसे संपदा में से ऐसा पारिश्रमिक प्राप्त करने के लिए प्राधिकृत कर सकेगा जो जिला न्यायाधीश युक्तियुक्त समझे, किन्तु ऐसा पारिश्रमिक किसी भी दशा में जंगम संपदा के और स्थावर संपदा के वार्षिक फायदे के पांच प्रतिशत से अधिक नहीं होगा।

(2) रक्षक द्वारा वसूली किया गया सभी अधिशेष धन न्यायालय में संदत्त किया जाएगा और उन व्यक्तियों के फायदे के लिए लोक प्रतिभूतियों में विनिहित किया जाएगा जो संक्षिप्त कार्यवाहियों के न्यायनिर्णयन पर उनके लिए हकदार हों।

(3) रक्षक से प्रतिभूति की अपेक्षा युक्तियुक्त शीघ्रता से की जाएगी और जहां यह साध्य हो वहां यह साधारणतः ऐसे सभी मामलों के संबंध में होगी जिनके लिए वह व्यक्ति वाद में रक्षक नियुक्त किया जाए; किन्तु प्रतिभूति लेने में कोई विलम्ब न्यायाधीश को अपने पद की शक्तियों को रक्षक में तुरन्त विनिहित करने से निवारित नहीं करेगा।

199. कलेक्टर की रिपोर्ट जहां संपदा में राजस्व संदत्त करने वाली भूमि सम्मिलित है.- (1) जहां मृत व्यक्ति की संपदा में पूर्णतः या

भागतः ऐसी भूमि सम्मिलित है, जिसके लिए सरकार को राजस्व संदत्त किया जाता है, वहां कब्जाधारी पक्षकार को समन करने, रक्षक की नियुक्ति करने या उस नियुक्ति के लिए व्यष्टियों को नामनिर्देशित करने के औचित्य के संबंध में समस्त विषयों में जिला न्यायाधीश कलेक्टर से एक रिपोर्ट मांगेगा और तब कलेक्टर रिपोर्ट देगा:

परन्तु अत्यन्त आवश्यक मामलों में न्यायाधीश प्रथमतः ऐसी रिपोर्ट के बिना कार्यवाही कर सकेगा।

(2) न्यायाधीश ऐसी किसी रिपोर्ट के अनुरूप कार्य करने के लिए बाध्य नहीं होगा।

200. वादों को संस्थित करना और उनमें प्रतिरक्षा करना.- रक्षक वादों को संस्थित करने या उनमें प्रतिरक्षा करने के संबंध में जिला न्यायाधीश के समस्त आदेशों के अध्यक्षीन होगा और समस्त वाद संपदा की ओर से रक्षक के नाम से संस्थित किए जा सकेंगे या उनमें प्रतिरक्षा की जा सकेगी:

परन्तु रक्षक की नियुक्ति के आदेश में ऋणों या किरायों के संग्रहण के लिए अभिव्यक्त प्राधिकार की अपेक्षा होगी किन्तु ऐसा अभिव्यक्त प्राधिकार उसके आधार पर प्राप्त धन की किन्हीं राशियों का पूर्ण निस्तारण करने के लिए रक्षक को समर्थ बनाएगा।

201. रक्षक द्वारा अभिरक्षा के लंबित रहने के दौरान दृश्यमान स्वामियों को भत्ते.- रक्षक द्वारा संपदा की अभिरक्षा के लंबित रहने के दौरान उनके लिए प्रथमदृष्ट्या अधिकार रखने वाले पक्षकारों को जिला न्यायाधीश ऐसे भत्ते दे सकेगा जैसे वह हितबद्ध पक्षकारों के अधिकारों और परिस्थितियों का संक्षिप्त अन्वेषण करने पर आवश्यक समझे, और संक्षिप्त कार्यवाही के न्यायनिर्णयन पर पक्षकार से उसके लिए हकदार न पाए जाने की दशा में उसका ब्याज सहित प्रतिसंदाय करने के लिए अपने विवेकानुसार प्रतिभूति ले सकेगा।

202. रक्षक द्वारा लेखा फाइल किया जाना.- रक्षक संक्षिप्त मासिक लेखा फाइल करेगा और तीन मास की प्रत्येक कालावधि के अवसान पर, यदि उसका प्रशासन इतने समय तक चलता रहे, और संपदा का कब्जा त्याग देने पर जिला न्यायाधीश के समाधानप्रद रूप में अपने प्रशासन का विस्तृत लेखा फाइल करेगा।

203. लेखाओं का निरीक्षण और दोहरी प्रति रखने का हितबद्ध पक्षकार का अधिकार.-(1) रक्षक का लेखा समस्त हितबद्ध पक्षकारों द्वारा निरीक्षण के लिए खुला रहेगा और ऐसा कोई हितबद्ध पक्षकार, रक्षक द्वारा समस्त प्राप्तियों और संदायों का दोहरा लेखा रखने के लिए पृथक् व्यक्ति की नियुक्ति करने के लिए सक्षम होगा।

(2) यदि यह पाया जाता है कि रक्षक के लेखा बकाया हैं या वे त्रुटिपूर्ण या अपूर्ण हैं या यदि रक्षक को जब किसी जिला न्यायाधीश द्वारा उन्हें पेश करने के लिए आदेश दिया जाता है तब वह उन्हें पेश नहीं करता/करती है तो वह ऐसे प्रत्येक व्यतिक्रम के लिए जुर्माने से दंडनीय होगा/होगी जो एक हजार रुपये से अधिक नहीं होगा।

204. एक ही संपदा के लिए दूसरे रक्षक की नियुक्ति पर वर्जन.- यदि किसी जिला न्यायाधीश ने किसी मृत व्यक्ति की संपूर्ण संपदा के संबंध में, किसी रक्षक की नियुक्ति की है तो ऐसी नियुक्ति उसी राज्य के भीतर किसी अन्य जिले के न्यायाधीश को किसी अन्य रक्षक की नियुक्ति करने से प्रवारित करेगी, किन्तु मृतक की संपदा के किसी भाग के संबंध में किसी रक्षक की नियुक्ति, अवशिष्ट की या उसके किसी भाग के संबंध में उसी राज्य के भीतर किसी अन्य रक्षक की नियुक्ति को प्रवारित नहीं करेगी:

परन्तु कोई न्यायाधीश किसी ऐसी संपदा के संबंध में, जो किसी अन्य न्यायाधीश के समक्ष इस अध्याय के अधीन पहले से संस्थित किसी संक्षिप्त कार्यवाही की विषय-वस्तु है कोई रक्षक नियुक्त नहीं करेगा या संक्षिप्त कार्यवाही ग्रहण नहीं करेगा;

परन्तु यह और कि यदि किसी संपदा के विभिन्न भागों के लिए भिन्न-भिन्न न्यायाधीशों द्वारा दो या अधिक रक्षक नियुक्त किए गए हैं तो उच्च न्यायालय, सम्पूर्ण संपदा के एक रक्षक की नियुक्ति करने के लिए ऐसा आदेश देगा जो वह ठीक समझे।

205. रक्षक के लिए आवेदन करने की समय-सीमा.- जिला न्यायाधीश को इस अध्याय के अधीन कोई आवेदन उस स्वत्वधारी की मृत्यु से छह मास के भीतर किया जाना चाहिए जिसकी संपदा का दावा उत्तराधिकार में अधिकार द्वारा किया जाता है।

206. मृतक द्वारा लोक व्यवस्थापन या विधिक निदेश के विरुद्ध इस अध्याय के प्रवर्तन का वर्जन.- इस अध्याय में की कोई बात, व्यवस्थापन के किसी लोक कार्य के या किसी संपदा के मृतक स्वत्वधारी द्वारा, अवयस्कता की दशा में या अन्यथा उसकी मृत्यु के पश्चात् उसकी संपदा के कब्जे के लिए दिए गए किन्हीं विधिक निदेशों के उल्लंघन को प्राधिकृत करने वाली नहीं मानी जाएगी, और ऐसे प्रत्येक मामले में मृत व्यक्ति की संपदा पर अधिकारिता रखने वाले न्यायाधीश का ऐसे निदेशों के विद्यमान होने के बारे में जैसे ही समाधान हो जाए वहां वह उन्हें प्रभावशील करेगा।

207. वाद लाने के अधिकार की व्यावृत्ति.- इस अध्याय में अन्तर्विष्ट कोई बात ऐसे पक्षकार द्वारा कोई वाद लाने में अड़चन डालने वाली नहीं होगी जिसका आवेदन कब्जाधारी पक्षकार को समन करने से पूर्व या पश्चात् नामंजूर कर दिया गया है या पक्षकार द्वारा जिसे इस अध्याय के अधीन कब्जे से बेदखल कर दिया गया है।

208. संक्षिप्त कार्यवाही के विनिश्चय का प्रभाव.- इस अध्याय के अधीन किसी संक्षिप्त कार्यवाही में जिला न्यायाधीश के विनिश्चय का वास्तविक कब्जे के परिनिर्धारण से भिन्न कोई प्रभाव नहीं होगा; किन्तु इस प्रयोजन के लिए यह अन्तिम होगा और किसी अपील या पुनर्विलोकन के अधीन नहीं होगा।

209. लोक रक्षकों की नियुक्ति.- राज्य सरकार किसी जिले या कुछ जिलों के लिए लोक रक्षकों की नियुक्ति कर सकेगी, और ऐसा जिला न्यायाधीश जो अधिकारिता रखता है, ऐसे समस्त मामलों में, जिसमें इस अध्याय के अधीन रक्षकों का निर्वाचन करना उसके विवेक पर छोड़ दिया गया है, ऐसे लोक रक्षकों को नामनिर्दिष्ट करेगा।

अध्याय 4

उत्तराधिकार पर मृतक की संपदा के लिए प्रतिनिधि हक

210. रक्षक या प्रशासक की, उस रूप में, प्रकृति और संपदा.- मृत व्यक्ति का यथास्थिति, निष्पादक या प्रशासक समस्त प्रयोजनों के लिए उसका विधिक प्रतिनिधि है और मृत व्यक्ति की समस्त संपदा उसमें, उस रूप में, विनिहित होती है।

211. न्यायालय के माध्यम से मृत व्यक्तियों के ऋणियों से ऋणों की वसूली के लिए प्रतिनिधि हक का पुरोभाव्य शर्त होना.- (1) कोई भी न्यायालय-

- (क) किसी मृत व्यक्ति के किसी ऋणी के विरुद्ध, उसके ऋण का संदाय ऐसे व्यक्ति को करने के लिए, जो उत्तराधिकार पर मृत व्यक्ति की चीज-बस्त के लिए या उसके किसी भाग के लिए हकदार होने का दावा करता है, कोई डिक्री पारित नहीं करेगा, या
- (ख) इस प्रकार हकदार होने का दावा करने वाले किसी व्यक्ति के आवेदन पर ऐसे ऋणी के विरुद्ध, उसके ऋण का संदाय करने के लिए, कोई डिक्री या आदेश निष्पादित करने के लिए अग्रसर नहीं होगा, जहां इस प्रकार दावा करने वाला व्यक्ति निम्नलिखित पेश करे -
 - (i) वह प्रोबेट या प्रशासन-पत्र जो मृतक की संपदा का प्रशासन उसे अनुदत्त करने का साक्ष्य है, या

(ii) इस भाग के अध्याय-6 के अधीन अनुदत्त किया गया वह उत्तराधिकार प्रमाणपत्र जो और जिसमें ऋण वर्णित है।

(2) उपधारा (1) में, शब्द "ऋण" के अन्तर्गत कृषि प्रयोजनों के लिए उपयोग में लाई गई भूमि के संबंध में संदेय किराये, राजस्व या लाभों के सिवाय कोई ऋण है।

212. पश्चात्तर्ती प्रोबेट या प्रशासन-पत्र का प्रमाणपत्र पर प्रभाव.-

(1) किसी संपदा के संबंध में प्रोबेट या प्रशासन-पत्र के अनुदान को, संपदा में सम्मिलित किन्हीं ऋणों या प्रतिभूतियों के संबंध में इस भाग के अध्याय-6 के अधीन पूर्व में अनुदत्त किसी प्रमाणपत्र का अधिक्रमण करने वाला समझा जाएगा।

(2) जब प्रोबेट या पत्रों के अनुदान के समय, किसी ऐसे ऋण या प्रतिभूति के बारे में किसी ऐसे प्रमाणपत्र के धारक द्वारा संस्थित कोई वाद या अन्य कार्यवाही लम्बित है, तब वह व्यक्ति, जिसे अनुदान किया गया है, उस न्यायालय में जिसमें वाद या कार्यवाही लम्बित है, आवेदन देने पर, वाद या कार्यवाही में प्रमाणपत्र के धारक का स्थान लेने के लिए हकदार होगा:

परन्तु जब कोई प्रमाणपत्र, इस धारा के अधीन अधिकांत किया जाता है तब ऐसे अधिक्रमण की अनभिज्ञता के कारण ऐसे प्रमाणपत्र के धारक को किए समस्त संदाय, प्रोबेट या प्रशासन-पत्र के अधीन दावों के विरुद्ध मान्य होंगे।

213. केवल प्रोबेट या प्रशासन-पत्र के प्राप्तकर्ता द्वारा, जब तक उसे प्रतिसंहत न कर दिया जाए, वाद आदि लाया जाना.- प्रोबेट या प्रशासन-पत्र के किसी अनुदान के पश्चात्, उस व्यक्ति से भिन्न, जिसे उसका अनुदान किया जा सकता था, किसी अन्य व्यक्ति को उस राज्य में सर्वत्र, जिसमें वह अनुदत्त किया गया है, मृतक के प्रतिनिधि के रूप में वाद लाने या वाद के बारे में आगे कार्यवाही करने की कोई शक्ति तब

तक नहीं होगी जब तक ऐसे प्रोबेट या प्रशासन-पत्रों को वापस या प्रतिसंहत न कर दिया गया हो।

अध्याय 5

प्रोबेट, प्रशासन-पत्र और मृतक की आस्तियों का प्रशासन

214. इस अध्याय का लागू होना.- इस भाग में या तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि में जैसा अन्यथा उपबन्धित है उसके सिवाय प्रोबेट या विल के साथ उपाबद्ध प्रशासन-पत्रों के समस्त अनुदान तथा निर्वसीयत उत्तराधिकार के मामलों में मृतक की आस्तियों का प्रशासन इस अध्याय के उपबंधों के अनुसार, किया या, यथास्थिति, निर्वहन किया जाएगा।

प्रोबेट और प्रशासन-पत्र का अनुदान

215. प्रशासन किसे अनुदत्त किया जाएगा.- (1) यदि मृतक की निर्वसीयती मृत्यु हो गई है तो उसकी संपदा का प्रशासन किसी ऐसे व्यक्ति को अनुदत्त किया जा सकेगा जो इस भाग के अध्याय-1 के उपबंधों के अनुसार ऐसे मृतक की संपदा के सम्पूर्ण या किसी भाग के लिए हकदार होगा।

(2) जब ऐसे प्रशासन के लिए ऐसे कई व्यक्ति आवेदन करते हैं तब यह न्यायालय के विवेक पर होगा कि वह उसे उनमें से किसी एक को या अधिक को अनुदत्त करे।

(3) जब ऐसा कोई व्यक्ति आवेदन नहीं करता है तब उसे मृतक के लेनदार को अनुदत्त किया जा सकेगा।

216. प्रशासन-पत्र का प्रभाव.- प्रशासन-पत्र, प्रशासक को निर्वसीयती के समस्त अधिकारों के लिए वैसे ही प्रभावशील रूप में हकदार बनाता है मानो प्रशासन उसकी मृत्यु के तुरन्त पश्चात् अनुदत्त किया गया हो।

217. प्रशासन-पत्र द्वारा कृत्यों को वैध न किया जाना.- प्रशासन-पत्र, प्रशासक के किन्हीं अन्तरिम कृत्यों को जो निर्वसीयती की संपदा में कमी या हानि करते हों, वैध नहीं बनाता है।

218. प्रोबेट केवल नियुक्त निष्पादक के लिए ही.- (1) प्रोबेट केवल विल द्वारा नियुक्त निष्पादक को अनुदत्त किया जाएगा।

(2) नियुक्ति या तो अभिव्यक्त या आवश्यक विवक्षा द्वारा हो सकेगी।

दृष्टांत

(i) क यह विल करता है कि यदि ख न हो तो ग उसका निष्पादक होगा। ख विवक्षा द्वारा निष्पादक नियुक्त किया गया है।

(ii) क एक वसीयत संपदा ख को और बहुत सी वसीयत संपदाएं अन्य व्यक्तियों को, बचे हुए में से अपनी पुत्रवधू ग को देता है और यह जोड़ देता है कि "यदि इसमें नामित ग जीवित नहीं है तो मैं ख को अपनी एक मात्र निष्पादिका नियत और नियुक्त करता हूँ"। ग विवक्षा द्वारा निष्पादिका नियुक्त की गई है।

(iii) क विभिन्न व्यक्तियों को अपने विल और क्रोडपत्रों का निष्पादक और अपने भतीजे को अवशिष्ट वसीयतदार नियुक्त करता है और दूसरे क्रोडपत्र में ये शब्द हैं- "मैं विभिन्न तारीखों को हस्ताक्षरित मेरे विल और क्रोडपत्रों के प्रति समस्त विधिसम्मत मांगों को चुकाने के लिए भतीजे को अपना अवशिष्ट वसीयतदार नियुक्त करता हूँ"। भतीजे को विवक्षा द्वारा निष्पादक नियुक्त किया गया है।

219. वे व्यक्ति जिन्हें प्रोबेट अनुदत्त नहीं किए जा सकते हैं.- प्रोबेट ऐसे व्यक्ति को अनुदत्त नहीं किया जा सकता है जो अवयस्क है या विकृतचित है और न ही किसी व्यष्टि के संगम को, किन्तु ऐसे व्यष्टियों के संगम को किया जा सकता है जो ऐसी कम्पनी है जो राज्य सरकार द्वारा राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, इस निमित्त बनाए गए नियमों द्वारा विहित शर्तें पूरी करती है।

220. विभिन्न निष्पादकों को साथ-साथ या विभिन्न समय पर प्रोबेट का अनुदान.- जब विभिन्न निष्पादक नियुक्त किए जाते हैं तब उन्हें प्रोबेट का अनुदान साथ-साथ या भिन्न-भिन्न समय पर किया जा सकेगा।

दृष्टांत

क, ख की विल का अभिव्यक्त नियुक्ति द्वारा निष्पादक और ग उसका विवक्षा द्वारा निष्पादक है। प्रोबेट क और ग को एक ही समय पर या क को पहले और तब ग को या ग को पहले और तब क को अनुदत्त किया जा सकेगा ।

221. प्रोबेट के अनुदान के पश्चात् क्रोडपत्र के पृथक् प्रोबेट का पता लगना.- (1) यदि प्रोबेट के अनुदान के पश्चात् किसी क्रोडपत्र का पता लगता है तो उस क्रोडपत्र का पृथक् प्रोबेट निष्पादक को अनुदत्त किया जा सकेगा यदि क्रोडपत्र से विल द्वारा की गई निष्पादकों की नियुक्ति को किसी भी प्रकार निरसित नहीं किया गया है।

(2) यदि क्रोडपत्र द्वारा भिन्न निष्पादक की नियुक्ति की जाती है तो विल का प्रोबेट प्रतिसंहत किया जाएगा और विल और क्रोडपत्र को मिलाकर नया प्रोबेट अनुदत्त किया जाएगा।

222. उत्तरजीवी निष्पादक के प्रतिनिधित्व का प्रोद्भूत होना.- जब प्रोबेट विभिन्न निष्पादकों को अनुदत्त किया गया है और उन में से एक की मृत्यु हो जाती है तो वसीयतकर्ता का संपूर्ण प्रतिनिधित्व उत्तरजीवी निष्पादक या निष्पादकों को प्रोद्भूत होता है।

223. प्रोबेट का प्रभाव.- जब विल का प्रोबेट अनुदत्त किया जाता है तो वह वसीयतकर्ता की मृत्यु से विल को स्थापित करता है और निष्पादक ने उस रूप में जो अंतरिम कृत्य किए हैं उन्हें वैध बनाता है।

224. राज्य के बाहर साबित विलों की अधिप्रमाणित प्रति की प्रति उपाबद्ध करके प्रशासन.- जब राज्य की सीमा के बाहर, चाहे भारत, की सीमा के भीतर हो या बाहर, स्थित सक्षम अधिकारिता वाले किसी

न्यायालय में कोई विल साबित या निक्षिप्त की गयी है और विल की समुचित रूप से अधिप्रमाणित प्रति पेश की जाती है तो प्रशासन-पत्र ऐसी प्रतियों की एक प्रति को उपाबद्ध करके अनुदत्त किया जा सकेगा।

225. जहां निष्पादक ने पद त्याग नहीं किया है वहां प्रशासन का अनुदान.- जहां निष्पादक के रूप में नियुक्त व्यक्ति ने निष्पादकता का त्याग नहीं किया है वहां प्रशासन-पत्र किसी अन्य व्यक्ति को तब तक अनुदत्त नहीं किया जाएगा जब तक ऐसा उपस्थिति पत्र जारी नहीं किया गया है जिसमें निष्पादक को अपने निष्पादकता को स्वीकार करने या त्यागने के लिए कहा गया है:

परन्तु जब विभिन्न निष्पादकों में से एक या अधिक ने किसी विल को साबित किया है तब न्यायालय उनके उत्तरजीवियों की मृत्यु पर, जिन्होंने उसे साबित किया है, उनको उपस्थिति पत्र जारी किए बिना, जिन्होंने उन्हें साबित नहीं किया है, प्रशासन-पत्र अनुदत्त कर सकेगा।

226. निष्पादकता के त्याग का प्ररूप और प्रभाव.- त्याग, न्यायाधीश की उपस्थिति में मौखिक रूप से या त्याग करने वाले व्यक्ति द्वारा हस्ताक्षरित लेख द्वारा किया जा सकेगा और जब ऐसा किया जाता है तब वह इसके पश्चात् कभी भी उसे निष्पादक नियुक्त करने वाले विल के प्रोबेट के लिए आवेदन करने से प्रवारित रहेगा।

227. जहां निष्पादक त्याग करता है या समय के भीतर स्वीकार करने में असफल रहता है वहां प्रक्रिया.- यदि कोई निष्पादक निष्पादकता का त्याग करता है या उसे स्वीकार या इंकार करने के लिए समय सीमा के भीतर उसे स्वीकार करने में असफल रहता है तो विल को साबित किया जा सकेगा और प्रशासन-पत्र विल की प्रति को उपाबद्ध करते हुए उस व्यक्ति को अनुदत्त किए जा सकेंगे जो निर्वसीयतता की दशा में प्रशासन के लिए हकदार होता है।

228. सर्वस्व या अवशिष्ट वसीयतदार को प्रशासन का अनुदान.-
जब-

- (क) मृतक ने कोई विल की है, किन्तु कोई निष्पादक नियुक्त नहीं किया है, या
- (ख) मृतक ने कोई निष्पादक नियुक्त किया है जो विधिक रूप से असमर्थ है या कृत्य करने से इंकार करता है या जिसकी मृत्यु वसीयतकर्ता के पूर्व या विल को उसके द्वारा साबित किए जाने के पूर्व हो जाती है, या
- (ग) निष्पादक की मृत्यु विल को साबित करने के पश्चात् किन्तु उसके द्वारा मृतक की संपूर्ण संपदा का प्रशासन लिए जाने के पूर्व हो जाती है,

तब सर्वस्व या अवशिष्ट वसीयतदार को विल को साबित करने के लिए गृहीत किया जा सकेगा और उसे संपूर्ण संपदा के या उसके उतने भाग के, जिसको प्रशासित नहीं किया गया है, विल के साथ प्रशासन-पत्र को उपाबद्ध करते हुए अनुदत्त किए जा सकेंगे।

229. मृतक अवशिष्ट वसीयतदार के प्रतिनिधि का प्रशासन के लिए अधिकार.- जब कोई अवशिष्ट वसीयतदार, जो फायदाप्रद हित रखता है, वसीयतकर्ता का उत्तरजीवी होता है किन्तु संपदा को पूर्णतः प्रशासित किए जाने से पूर्व उसकी मृत्यु हो जाती है तब उसके प्रतिनिधि को विल उपाबद्ध करके प्रशासन के लिए वही अधिकार होता है जैसा ऐसे अवशिष्ट वसीयतदार का था।

230. जहां कोई निष्पादक, अवशिष्ट वसीयतदार या ऐसे वसीयतदार का प्रतिनिधि नहीं है वहां प्रशासन का अनुदान.- जहां कोई निष्पादक या कोई अवशिष्ट वसीयतदार या अवशिष्ट वसीयतदार का प्रतिनिधि नहीं है या वह कृत्य करने से इंकार करता है या असमर्थ है या पाया नहीं जा सकता है वहां ऐसा व्यक्ति या ऐसे व्यक्ति, जो मृतक की संपदा का, यदि उसकी निर्वसीयती मृत्यु हो जाती है, प्रशासन करने के लिए हकदार है, या कोई फायदाप्रद हित रखने वाला कोई अन्य वसीयतदार या कोई लेनदार विल को साबित कर सकेगा और तदनुसार उसे या उन्हें प्रशासन-पत्र अनुदत्त किया जा सकेगा।

231. सर्वस्व या अवशिष्ट वसीयतदार से भिन्न वसीयतदारों को प्रशासन के अनुदान के पूर्व उपस्थिति पत्र.- किसी सर्वस्व या अवशिष्ट वसीयतदार से भिन्न किसी अन्य वसीयतदार को प्रशासन-पत्र, विल को उपाबद्ध करते हुए, तब तक अनुदत्त नहीं किया जाएगा जब तक उसके निकट संबंधी को प्रशासन-पत्र को स्वीकार या इंकार करने के लिए कहते हुए उसमें इसके पश्चात वर्णित रीति में कोई उपस्थिति पत्र जारी या प्रकाशित नहीं किया गया है।

232. किन्हें प्रशासन अनुदत्त नहीं किया जा सकेगा.- प्रशासन-पत्र ऐसे व्यक्ति को अनुदत्त नहीं किया जा सकता है जो अवयस्क है या विकृतचित्त है और न ही किसी व्यष्टियों के संगम को जब तक कि वह कोई कंपनी है जो राज्य सरकार द्वारा राजपत्र में अधिसूचना द्वारा इस निमित्त बनाए गए नियमों द्वारा विहित शर्तें पूरी करती है।

233. नियमों का राज्य विधान मण्डल के समक्ष रखा जाना.- धारा 219 और धारा 232 के अधीन राज्य सरकार द्वारा, बनाया गया प्रत्येक नियम, बनाए जाने पर यथाशीघ्र, राज्य विधान-मंडल के समक्ष रखा जाएगा।

सीमित अनुदान

सीमा वाले अनुदान

234. खो गए विल की प्रति या प्रारूप का प्रोबेट.- जब कोई विल वसीयतकर्ता की मृत्यु के बाद खो गयी है या गलत स्थान पर रख दी गयी है या गलती या दुर्घटना से न कि वसीयतकर्ता के किसी कृत्य द्वारा, विनष्ट हो गया है और विल की एक प्रति का प्रारूप परिरक्षित है तब ऐसी प्रति या प्रारूप का प्रोबेट अनुदत्त किया जा सकेगा जो मूल या उसकी समुचित रूप से अधिप्रमाणित प्रति के पेश किए जाने तक के लिए सीमित होगा।

235. खो गए या विनष्ट विल की अंतर्वस्तुओं का प्रोबेट.- जब कोई विल खो गयी और उसकी कोई प्रति नहीं बनाई गई है, न ही उसका

प्रारूप परिरक्षित है तब उसकी अन्तर्वस्तुओं का प्रोबेट, यदि उन्हें साक्ष्य द्वारा स्थापित किया जा सके, अनुदत्त किया जा सकेगा।

236. जहां मूल विद्यमान है वहां उसकी प्रति का प्रोबेट.- जहां कोई विल किसी ऐसे व्यक्ति के कब्जे में है, जो उस राज्य के बाहर निवास करता है जिसने प्रोबेट के लिए आवेदन किया है और जिसने उसे प्रदत्त करने से इंकार किया है या प्रदत्त करने की उपेक्षा की है किन्तु एक प्रति निष्पादक को प्रेषित की गई है और संपदा के हित में यह आवश्यक है कि मूल के पहुंचने तक प्रतीक्षा किए बिना प्रोबेट अनुदत्त किया जाए तो इस प्रकार प्रेषित प्रति का प्रोबेट अनुदत्त किया जा सकेगा, जो विल या उसकी अधिप्रमाणित प्रति को पेश किए जाने तक के लिए सीमित होगा।

237. विल के पेश किए जाने तक प्रशासन.- जहां मृतक की कोई विल उपलब्ध नहीं है किन्तु यह विश्वास करने का कारण है कि कोई विल विद्यमान है वहीं प्रशासन-पत्र अनुदत्त किया जा सकेगा जो विल या उसकी प्राधिकृत प्रति को पेश किए जाने तक के लिए सीमित होगा।

अधिकार रखने वाले अन्य व्यक्तियों के उपयोग और फायदे के लिए अनुदान

238. अनुपस्थित निष्पादक के अटर्नी को विल को उपाबद्ध करते हुए प्रशासन.- जब कोई निष्पादक उस राज्य से अनुपस्थित है, जिसमें आवेदन किया गया है, और राज्य के भीतर ऐसा कोई निष्पादक नहीं है जो कृत्य करने के लिए इच्छुक है, तब अनुपस्थित निष्पादक के अटर्नी या अभिकर्ता को प्रशासन-पत्र, विल को उपाबद्ध करते हुए, उसके मालिक के उपयोग और फायदे के लिए अनुदत्त किया जाएगा जो तब तक के लिए सीमित होगा जब तक वह उसे अनुदत्त प्रोबेट या प्रशासन-पत्र अभिप्राप्त न कर ले।

239. ऐसे अनुपस्थित व्यक्ति के, जो यदि उपस्थित होता, तो प्रशासन के लिए हकदार होता, अटर्नी को विल उपाबद्ध करते हुए प्रशासन.- जब ऐसा कोई व्यक्ति, जिसे यदि वह उपस्थित होता तो विल

उपाबद्ध करके प्रशासन-पत्र अनुदत्त किया जाता, राज्य में उपस्थित नहीं है तब उसके अटर्नी या अभिकर्ता को, विल को उपाबद्ध करते हुए प्रशासन-पत्र अनुदत्त किया जा सकेगा, जो धारा 238 में वर्णित रूप में सीमित होगा।

240. निर्वसीयतता के मामले में प्रशासन के लिए हकदार अनुपस्थित व्यक्ति के अटर्नी को प्रशासन.- जब निर्वसीयतता के मामले में प्रशासन के लिए हकदार कोई व्यक्ति राज्य में उपस्थित नहीं है और समान रूप से हकदार कोई व्यक्ति कृत्य करने के लिए इच्छुक नहीं है तब अनुपस्थित व्यक्ति के अटर्नी या अभिकर्ता को प्रशासन-पत्र अनुदत्त किए जा सकेंगे, जो धारा 238 में वर्णित रूप में सीमित होंगे।

241. एकमात्र निष्पादक या अवशिष्ट वसीयतदार की अवयस्कता के दौरान प्रशासन.- जब कोई अवयस्क एकमात्र निष्पादक या एकमात्र अवशिष्ट वसीयतदार है, तब विल को उपाबद्ध करते हुए प्रशासन-पत्र, ऐसे अवयस्क के विधिक संरक्षक को या ऐसे अन्य व्यक्ति को, जिसे न्यायालय ठीक समझे, उस कालावधि पर जब तक अवयस्क, वयस्कता अर्जित करे, और न कि उसके पूर्व, विल का प्रोबेट उसे अनुदत्त किया जाएगा।

242. विभिन्न निष्पादकों या अवशिष्ट वसीयतदारों की अवयस्कता के दौरान प्रशासन.- जहां दो या अधिक अवयस्क निष्पादक हैं और ऐसा कोई भी निष्पादक नहीं है जिसने वयस्कता अर्जित कर ली हो या दो या अधिक अवशिष्ट वसीयतदार हैं और ऐसा कोई भी अवशिष्ट वसीयतदार नहीं है जिसने वयस्कता अर्जित कर ली हो वहां अनुदान तब तक के लिए सीमित होगा जब तक उनमें से एक वयस्कता अर्जित न कर ले।

243. पागल या अवयस्क के उपयोग और फायदे के लिए प्रशासन.- यदि ऐसा एकमात्र निष्पादक या एकमात्र सर्वस्व या अवशिष्ट वसीयतदार या ऐसा कोई व्यक्ति, जो मृतक के मामले में लागू निर्वसीयती की संपदाओं को इस भाग के अध्याय-1 के उपबंधों के

अनुसार निर्वसीयतता की संपदा के लिए एकमात्र हकदार है, अवयस्क या पागल है तो विल को उपाबद्ध करते हुए या, यथास्थिति, उपाबद्ध न करते हुए प्रशासन उस व्यक्ति को अनुदत्त किया जाएगा, जिसे उसकी संपदा की देखभाल सक्षम प्राधिकारी द्वारा सौंपी गई है या यदि ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है तो ऐसे अन्य व्यक्ति को अनुदत्त किया जाएगा जिसे न्यायालय ऐसे अवयस्क के वयस्क होने तक या, यथास्थिति, पागल के स्वस्थचित्त होने तक उसके उपयोग और फायदे के लिए नियुक्त करना ठीक समझे।

244. वाद के विचाराधीन रहने के दौरान प्रशासन.- किसी मृत व्यक्ति की विल की विधिमान्यता से संबंधित या किसी प्रोबेट को अभिप्राप्त करने के लिए या प्रशासन-पत्रों के किसी अनुदान के लिए किसी वाद के विचाराधीन रहने के दौरान न्यायालय ऐसे मृत व्यक्ति की संपदा का प्रशासक नियुक्त कर सकेगा, और उसे ऐसी संपदा के वितरण के अधिकार से भिन्न साधारण प्रशासक के समस्त अधिकार और शक्तियां होंगी और हर ऐसा प्रशासक न्यायालय के तत्काल नियंत्रण के अधीन होगा और उसके निदेश के अधीन कार्य करेगा।

विशेष प्रयोजनों के लिए अनुदान

245. विल में विनिर्दिष्ट प्रयोजन तक सीमित प्रोबेट.- यदि कोई निष्पादक विल में विनिर्दिष्ट किसी सीमित प्रयोजन के लिए नियुक्त किया गया है तो प्रोबेट उस प्रयोजन तक सीमित होगा और यदि वह उसकी ओर से प्रशासन के लिए किसी अटर्नी या अभिकर्ता की नियुक्ति करता है तो विल को उपाबद्ध करते हुए प्रशासन-पत्र तदनुसार सीमित होंगे।

246. विशिष्ट प्रयोजन के लिए विल को उपाबद्ध करते हुए सीमित प्रशासन.- यदि साधारणतः नियुक्त कोई निष्पादक अपनी ओर से किसी विल को साबित करने के लिए किसी अटर्नी या अभिकर्ता को

प्राधिकार देता है और प्राधिकार किसी विशिष्ट प्रयोजन तक सीमित है तो विल को उपाबद्ध करते हुए प्रशासन-पत्र तदनुसार सीमित होगा।

247. संपदा, जिसमें व्यक्ति फायदाप्रद हित रखता है, तक सीमित प्रशासन.- जहां किसी व्यक्ति, की मृत्यु ऐसी संपदा को छोड़कर हो जाती है जिसका वह एकमात्र उत्तरजीवी न्यासी था/थी या जिसमें उसका अपने लेखे कोई फायदाप्रद हित नहीं था और कोई साधारण प्रतिनिधि नहीं छोड़ जाता है या ऐसा कोई है जो उस रूप में कृत्य करने में असमर्थ या अनिच्छुक है वहां ऐसी संपदा तक सीमित प्रशासन-पत्र हिताधिकारी को या उसकी ओर से किसी अन्य व्यक्ति को अनुदत्त किया जा सकेगा।

248. वाद तक सीमित प्रशासन.- जब यह आवश्यक है कि किसी मृत व्यक्ति के प्रतिनिधि को किसी लंबित वाद में पक्षकार बनाया जाए और निष्पादक या प्रशासन के लिए हकदार व्यक्ति कृत्य करने में असमर्थ है या अनिच्छुक है तब ऐसे वाद में किसी पक्षकार के नामनिर्देशिती को ऐसा प्रशासन-पत्र अनुदत्त किया जाएगा जो उक्त वाद में या किसी अन्य हेतुक या वाद में, जो उन्हीं पक्षकारों के बीच या किन्हीं अन्य पक्षकारों के बीच उस हेतुक या वाद में विवादक विषय के संबंध में उसी या किसी अन्य न्यायालय में प्रारंभ किया जाए और उक्त हेतु या वाद में अंतिम डिक्री किए जाने तक और संपूर्ण निष्पादन हो जाने तक मृतक का प्रतिनिधित्व करने के प्रयोजन तक सीमित होगा ।

249. प्रशासक के विरुद्ध लाए जाने वाले वाद में पक्षकार बनने के प्रयोजन तक सीमित प्रशासन.- यदि किसी प्रोबेट या प्रशासन-पत्र की तारीख से बारह मास के अवसान पर वह निष्पादक या प्रशासक, जिसे प्रोबेट या प्रशासन-पत्र अनुदत्त किया गया है, उस राज्य में उपस्थित नहीं रहता है, जिसमें वह न्यायालय, जिसने प्रोबेट या प्रशासन-पत्र जारी किया है, अधिकारिता का प्रयोग करता है तो न्यायालय किसी व्यक्ति को, जिसे वह ठीक समझे, ऐसे प्रशासन-पत्र अनुदत्त कर सकेगा जो निष्पादक या प्रशासक के विरुद्ध वाद में पक्षकार होने या बनाए जाने

और उस डिक्री को, जो उसमें दी जाए, प्रभावशील बनाए जाने के प्रयोजन तक सीमित होगा ।

250. मृत व्यक्ति की संपदा के संग्रहण और परिरक्षण तक सीमित प्रशासन.- ऐसे किसी मामले में जिसमें किसी मृत व्यक्ति की संपदा के परिरक्षण के लिए यह आवश्यक प्रतीत हो, वह न्यायालय, जिसकी अधिकारिता के भीतर कोई संपदा स्थित है, किसी व्यक्ति को, जिसे वह न्यायालय ठीक समझे, ऐसे प्रशासन-पत्र अनुदत्त कर सकेगा जो मृतक की संपदा के संग्रहण और परिरक्षण तक और न्यायालय के निदेशों के अधीन रहते हुए, उसकी संपदा के लिए देय ऋणों को उन्मोचन देने तक सीमित होगा।

251. उस व्यक्ति से भिन्न किसी व्यक्ति की प्रशासक के रूप में नियुक्ति जो सामान्य परिस्थितियों में प्रशासन के लिए हकदार है.-

(1) जब किसी व्यक्ति की मृत्यु निर्वसीयती या ऐसी कोई विल छोड़कर हो जाती है, जिसका कोई निष्पादक कृत्य करने के लिए इच्छुक या सक्षम नहीं है या जहां निष्पादक ऐसे व्यक्ति की मृत्यु के समय राज्य के बाहर निवास करता है और न्यायालय को उस व्यक्ति से, जो सामान्य परिस्थितियों में प्रशासन के अनुदान के लिए हकदार होता, भिन्न किसी व्यक्ति को संपदा या उसके किसी भाग का प्रशासन करने के लिए नियुक्त करना आवश्यक या सुविधाजनक प्रतीत होता है, तो न्यायालय अपने विवेकानुसार नातेदारी, हित की मात्रा, संपदा की सुरक्षा और इस संभाव्यता का कि उसका समुचित प्रशासन किया जाएगा ध्यान रखते हुए ऐसे व्यक्ति को, जिसे वह ठीक समझे, प्रशासक के रूप में नियुक्त कर सकेगा।

(2) ऐसे प्रत्येक मामले में प्रशासन-पत्र सीमित हो सकेंगे या सीमित नहीं हो सकेंगे, जैसा न्यायालय ठीक समझे।

अपवाद सहित अनुदान

252. अपवाद के अध्यधीन रहते हुए, प्रोबेट या विल को उपाबद्ध करते हुए प्रशासन-पत्र.- जब भी मामले की प्रकृति से यह अपेक्षित हो कि कोई अपवाद किया जाना चाहिए तो विल का प्रोबेट या विल को उपाबद्ध करते हुए प्रशासन-पत्र ऐसे अपवादों के अध्यधीन रहते हुए अनुदत्त किए जाएंगे।

253. अपवाद सहित प्रशासन.- जब भी मामले की प्रकृति से यह अपेक्षित हो कि कोई अपवाद किया जाना चाहिए तो प्रशासन-पत्र ऐसे अपवादों के अध्यधीन रहते हुए अनुदत्त किए जाएंगे।

अवशेष के अनुदान

254. अवशेष का प्रोबेट या प्रशासन.- जब भी प्रोबेट या विल को उपाबद्ध करके या विल के बिना प्रशासन-पत्र का अनुदान अपवाद सहित किया जाता है तब मृतक की संपदा के अवशेष भाग में प्रोबेट या प्रशासन के लिए हकदार व्यक्ति मृतक की अवशिष्ट संपदा का प्रोबेट या, यथास्थिति, प्रशासन-पत्र का अनुदान ले सकता है।

अप्रशासित चीजबस्त का अनुदान

255. अप्रशासित चीजबस्त का अनुदान.- यदि किसी ऐसे प्रशासक की मृत्यु, जिसे प्रोबेट अनुदत्त किया गया है, वसीयतकर्ता की संपदा के किसी भाग को अप्रशासित छोड़ कर हो जाती है तो संपदा के ऐसे भाग के प्रशासन के प्रयोजन के लिए किसी नए प्रतिनिधि को नियुक्त किया जा सकेगा।

256. अप्रशासित चीजबस्त के अनुदान के बारे में नियम.- किसी ऐसी संपदा के, जो पूर्णतः प्रशासित न हो, प्रशासन-पत्रों के अनुदान में न्यायालय का मार्गदर्शन उन्हीं नियमों से होगा जो मूल अनुदानों को लागू होते हैं और वह प्रशासन-पत्र केवल उन व्यक्तियों को अनुदत्त करेगा, जिन्हें मूल अनुदान दिए जा सकते थे।

257. प्रशासन जहां सीमित अनुदान का पर्यवसान हो गया हो फिर भी संपदा का कुछ भाग अप्रशासित हो.- जहां कोई सीमित अनुदान

का, समय व्यतीत हो जाने पर या ऐसी घटना या आकस्मिकता के घटित होने से, जिस पर वह सीमित था. अवसान हो जाता है और फिर भी मृतक की संपदा का कुछ भाग अप्रशासित रह जाता है वहां प्रशासन-पत्र उन व्यक्तियों को अनुदत्त किया जाएगा जिन्हें मूल अनुदान किए जा सकते थे।

अनुदानों का परिवर्तन और प्रतिसंहरण

258. कौन सी गलतियां न्यायालय द्वारा सुधारी जा सकेंगी.- किसी सीमित अनुदान में नामों और वर्णनों में या मृतक की मृत्यु के समय और स्थान के या प्रयोजनों के उपवर्णनों में गलतियों को न्यायालय द्वारा सुधारा जा सकेगा और प्रोबेट या प्रशासन-पत्र के अनुदान में तदनुसार परिवर्तन और संशोधन किया जा सकेगा।

259. विल को उपाबद्ध करते हुए प्रशासन का अनुदान करने के पश्चात् क्रोडपत्र का पता चलने पर प्रक्रिया.- यदि, विल को उपाबद्ध करते हुए प्रशासन-पत्र का अनुदान करने के पश्चात् किसी क्रोडपत्र का पता चलता है तो उसे सम्यक् सबूत और पहचान पर अनुदान के साथ जोड़ा जा सकेगा और अनुदान में तदनुसार परिवर्तन और संशोधन किया जा सकेगा।

260. न्यायोचित कारण से प्रतिसंहरण या बातिलीकरण.- प्रोबेट या प्रशासन-पत्र का अनुदान न्यायोचित कारणों से प्रतिसंहृत या बातिल किया जा सकेगा। स्पष्टीकरण न्यायोचित कारण वहां विद्यमान माना जाएगा जहां-

(क) अनुदान अभिप्राप्त करने की कार्यवाहियां सारवान रूप में त्रुटिपूर्ण थी; या

(ख) अनुदान असत्य द्वारा या उस मामले के लिए किसी तात्त्विक बात को न्यायालय से छिपाकर कपटपूर्वक अभिप्राप्त किया गया था; या

(ग) अनुदान, अनुदान को न्यायोचित बनाने के लिए विधि की दृष्टि से आवश्यक तथ्य के असत्य अभिकथन के माध्यम से अभिप्राप्त

किया गया था यद्यपि ऐसा अभिकथन अनभिज्ञता से या अनवधानता से किया गया था; या

(घ) परिस्थितियों के कारण अनुदान अनुपयोगी और अप्रवर्तनीय हो गया है; या

(ङ) उस व्यक्ति ने, जिसे अनुदान किया गया था, जानबूझकर और युक्तियुक्त कारण के बिना, धारा 311 से धारा 326 के अनुसार किसी सूची या लेखा को प्रदर्शित करना छोड़ दिया है या उन उपबंधों के अधीन ऐसी सूची या लेखा प्रदर्शित किया है, जो तात्त्विक रूप में असत्य हैं।

दृष्टांत

(i) उस न्यायालय को जिसके द्वारा अनुदान किया गया था, अधिकारिता नहीं थी ।

(ii) अनुदान ऐसे पक्षकारों को उपस्थिति पत्र भेजे बिना किया गया था जिन्हें उपस्थिति पत्र भेजा जाना चाहिए था।

(iii) वह विल, जिसका प्रोबेट अभिप्राप्त किया था, कूटकृत था या प्रतिसंहत हो चुका था।

(iv) क ने ख की संपदा के लिए प्रशासन-पत्र उसकी विधवा के रूप में अभिप्राप्त किया था, किन्तु उसके बाद यह प्रकट हुआ कि क का ख से कभी भी विवाह नहीं हुआ था।

(v) क ने ख की संपदा का प्रशासन उस रूप में लिया था मानो उसकी निर्वसीयती मृत्यु हो गई थी किन्तु उसके बाद एक विल का पता चला।

(vi) प्रोबेट के परिदत्त किए जाने के बाद पश्चात्कर्ती विल का पता चला।

(vii) प्रोबेट के अनुदान किए जाने के बाद एक क्रोडपत्र का पता चला जो विल के अधीन निष्पादकों की नियुक्ति को प्रतिसंहत करता है या उसमें वृद्धि करता है।

(viii) वह व्यक्ति जिसे प्रोबेट का या प्रशासन-पत्र का अनुदान किया गया था, बाद में विकृतचित्त हो गया।

प्रोबेटों और प्रशासन-पत्रों के अनुदान और प्रतिसंहरण की पद्धति

261. प्रोबेटों आदि के अनुदान और प्रतिसंहरण में जिला न्यायाधीश की अधिकारिता.- जिला न्यायाधीश को अपने जिले के भीतर सभी मामलों में प्रोबेटों और प्रशासन-पत्रों का अनुदान और प्रतिसंहरण करने की अधिकारिता होगी।

262. अप्रतिविरोधात्मक मामलों में कार्यवाही करने के लिए जिला न्यायाधीश की प्रत्यायोजिती की नियुक्ति करने की शक्ति.- (1) उच्च न्यायालय किसी जिले के भीतर ऐसे न्यायिक अधिकारियों की नियुक्ति कर सकेगा जैसा वह ऐसी स्थानीय सीमाओं के भीतर, जिसे वह विहित करे, अप्रतिविरोधात्मक मामलों में प्रोबेट और प्रशासन-पत्रों का अनुदान करने के लिए जिला न्यायाधीश के प्रत्यायोजिती के रूप में कार्य करने के लिए ठीक समझे;

(2) इस प्रकार नियुक्त व्यक्ति "जिला प्रतिनिधि" कहा जाएगा।

263. प्रोबेट और प्रशासन के अनुदान के बारे में जिला न्यायाधीश की शक्तियां.- जिला न्यायाधीश को प्रोबेट और प्रशासन-पत्र के अनुदान तथा उससे संबंधित समस्त विषयों के संबंध में वैसी ही शक्तियां और प्राधिकार होंगे जैसे उसके न्यायालय में लंबित किसी सिविल वाद या कार्यवाहियों के संबंध में उसमें विधि द्वारा निहित हैं।

264. जिला न्यायाधीश किसी व्यक्ति को वसीयती कागज पत्र पेश करने का आदेश दे सकेगा.-(1) जिला न्यायाधीश किसी व्यक्ति के ऐसे किसी कागज या लेख को, जो वसीयती है या जिसका वसीयती होना तात्पर्यित है तथा जिसके बारे में यह दर्शित किया जाता है कि वह ऐसे व्यक्ति के कब्जे में या उसके नियंत्रणाधीन है, न्यायालय में पेश करने या लाने के लिए आदेश दे सकेगा।

(2) यदि यह दर्शित नहीं किया गया है कि ऐसा कोई कागज या लेख ऐसे व्यक्ति के कब्जे में या नियंत्रणाधीन है किन्तु यह विश्वास करने का कारण है कि उसे ऐसे किसी कागज या लेख की जानकारी है

तो न्यायालय ऐसे व्यक्ति को उसके संबंध में परीक्षा किए जाने के प्रयोजन के लिए न्यायालय में उपस्थित होने के लिए निदेश दे सकेगा।

(3) ऐसा व्यक्ति ऐसे प्रश्नों का, जो न्यायालय उससे पूछे, सत्यतापूर्वक उत्तर देने के लिए और यदि ऐसा आदेश दिया जाए तो ऐसे कागज या लेख को पेश करने या लाने के लिए आबद्ध होगा और उपस्थित न होने या ऐसे प्रश्नों का उत्तर न देने या ऐसे कागज या लेख को न लाने के व्यतिक्रम के मामले में भारतीय न्याय संहिता, 2023 (2023 का केन्द्रीय अधिनियम सं. 45) के अधीन वैसे ही दण्ड के अध्याधीन होगा जैसे वह उस मामले में होता जिसमें यह वाद में पक्षकार होता और ऐसे व्यतिक्रम करता।

(4) कार्यवाही के खर्चे न्यायाधीश के विवेकाधीन होंगे।

265. प्रोबेट और प्रशासन के संबंध में जिला न्यायाधीश के न्यायालय की कार्यवाहियां.- प्रोबेट और प्रशासन-पत्र के अनुदान के संबंध में जिला न्यायाधीश के न्यायालय की कार्यवाहियां, इसमें इसके पश्चात् अन्यथा उपबन्धित के सिवाय, जहां तक मामले की परिस्थितियों में अनुज्ञेय है, वहां सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 (1908 का केन्द्रीय अधिनियम सं. 5) द्वारा विनियमित होंगी।

266. संपदा के संरक्षण के लिए जिला न्यायाधीश कब और कैसे हस्तक्षेप कर सकता है.-जब तक किसी मृत व्यक्ति के विल का प्रोबेट अनुदत्त नहीं किया जाता है या उसकी संपदा का प्रशासक नियत नहीं किया जाता है तब तक वह जिला न्यायाधीश, जिसकी अधिकारिता के भीतर मृत व्यक्ति की संपदा का कोई भाग स्थित है, उनमें हितबद्ध होने का दावा करने वाले किसी व्यक्ति के अनुरोध पर और ऐसे समस्त अन्य मामलों में, जहां न्यायाधीश का यह विचार है कि संपदा को कोई हानि या नुकसान का जोखिम है, ऐसी संपदा के संरक्षण के लिए हस्तक्षेप करने के लिए और उस प्रयोजन के लिए, यदि वह ठीक समझे तो संपदा का कब्जा लेने और रखने के लिए किसी अधिकारी की नियुक्ति करने के लिए प्राधिकृत है और उससे ऐसा अपेक्षित है।

267. जिला न्यायाधीश द्वारा प्रोबेट या प्रशासन-पत्र कब अनुदत्त किया जा सकेगा.- मृत व्यक्ति के विल का प्रोबेट या संपदा के लिए प्रशासन-पत्र जिला न्यायाधीश द्वारा, अपनी न्यायालय की मुद्रा के अधीन अनुदत्त किया जा सकेगा यदि उसके लिए आवेदन करने वाले व्यक्ति की, इसमें इसके पश्चात् उपबंधित रीति से सत्यापित, किसी याचिका द्वारा यह प्रतीत होता है कि, वसीयतकर्ता या, यथास्थिति, निर्वसीयती का उसकी मृत्यु के समय उस न्यायाधीश की अधिकारिता के भीतर कोई नियत निवास स्थान था या उसकी कोई जंगम या स्थावर सम्पत्ति थी।

268. उस जिले के न्यायाधीश को, जिसमें मृतक का नियत निवास स्थान नहीं था, किए गए आवेदन का निपटारा.- जब उस जिले के न्यायाधीश को, जिसमें मृतक का उसकी मृत्यु के समय कोई नियत निवास स्थान नहीं था, आवेदन किया जाता है तब यह न्यायाधीश के विवेकाधीन होगा कि वह आवेदन को, यदि उसके निर्णय के अनुसार उसका निपटारा किसी अन्य जिले में अधिक न्यायसंगत और सुविधाजनक रूप में किया जा सकता है, नामंजूर कर दे या जहां आवेदन प्रशासन-पत्र के लिए है, वहां उसे पूर्णतः या अपनी अधिकारिता के भीतर की संपदा तक सीमित रूप में अनुदत्त करे।

269. प्रोबेट और प्रशासन-पत्र प्रतिनिधि द्वारा अनुदत्त किया जा सकता है.- प्रोबेट और प्रशासन-पत्र का अनुदान, जिला प्रतिनिधि को उस प्रयोजन के लिए किए गए किसी आवेदन पर, उसके द्वारा ऐसे किसी मामले में जिसमें कोई प्रतिविरोध न हो, किया जा सकेगा यदि इसमें इसके पश्चात् उपबंधित रूप में सत्यापित याचिका द्वारा यह प्रकट होता है कि वसीयतकर्ता या, यथास्थिति, निर्वसीयती का उसकी मृत्यु के समय ऐसे प्रतिनिधि की अधिकारिता के भीतर नियत निवास स्थान था।

270. प्रोबेट या प्रशासन-पत्र का निश्चायक होना.- प्रोबेट या प्रशासन-पत्र का प्रभाव मृतक की समस्त संपदा पर उस सम्पूर्ण राज्य में होगा जिसमें उसे या उन्हें अनुदत्त किया गया है और वह मृतक के

समस्त ऋणियों और ऐसे समस्त व्यक्तियों के विरुद्ध जो उस संपदा को, जो उसकी है, धारण करते हैं, प्रतिनिधि हक के बारे में निश्चायक होगा और ऐसे समस्त ऋणियों को जो अपने ऋणों का संदाय और ऐसे समस्त व्यक्तियों को, जो ऐसी संपदा का परिदान उस व्यक्ति को करते हैं, जिसे ऐसे प्रोबेट या प्रशासन-पत्रों का अनुदान किया गया है, पूर्ण क्षतिपूर्ति प्रदान करेगा:

परन्तु जिला न्यायाधीश द्वारा, जहां मृतक का उसकी मृत्यु के समय ऐसे न्यायाधीश की अधिकारिता के भीतर नियत निवास स्थान था और ऐसा न्यायाधीश यह प्रमाणित करता है कि राज्य की सीमा के बाहर प्रभावित संपदा और संपदा का मूल्य दस लाख रुपये से अधिक नहीं है, अनुदत्त प्रोबेटों और प्रशासन-पत्रों का, जब तक अनुदान द्वारा अन्यथा निदेश न दिया गया हो, अन्य राज्यों में सर्वत्र वैसा ही प्रभाव होगा।

271. धारा 270 के परन्तुक के अधीन अनुदानों के प्रमाणपत्र का उच्च न्यायालय को पारेषण.-(1) जहां धारा 270 के परन्तुक में निर्दिष्ट प्रभाव का प्रोबेट या प्रशासन-पत्र किसी जिला न्यायाधीश द्वारा अनुदत्त किया गया है, वहां जिला न्यायाधीश उसका प्रमाणपत्र उच्च न्यायालय को, जिसके अधीनस्थ वह जिला न्यायाधीश है, और प्रत्येक अन्य उच्च न्यायालय को भेजेगा।

(2) उप-धारा (1) में निर्दिष्ट प्रत्येक प्रमाणपत्र परिस्थितियों में यथासंभव अनुसूची-3 में दिए गए प्ररूप में तैयार किया जाएगा और ऐसा प्रमाणपत्र उसे प्राप्त करने वाले उच्च न्यायालय द्वारा फाइल किया जाएगा।

(3) जहां याचिकाकर्ता द्वारा, जैसा इसमें इसके पश्चात् धारा 273 और धारा 275 में उपबंधित है, यह कहा गया है कि आस्तियों का कोई भाग किसी अन्य राज्य में किसी जिला न्यायाधीश की अधिकारिता के भीतर स्थित है वहां वह न्यायालय, जिससे उप-धारा (1) में निर्दिष्ट प्रमाणपत्र भेजने की अपेक्षा की गई है, उसकी एक प्रति ऐसे जिला

न्यायाधीश को भेजेगा और ऐसी प्रति उसे प्राप्त करने वाले जिला न्यायाधीश द्वारा फाइल की जाएगी।

272. प्रोबेट या प्रशासन के लिए आवेदन का, यदि उन्हें समुचित रूप से लिखा और सत्यापित किया गया है, निश्चायक होना.- प्रोबेट या प्रशासन-पत्र के लिए आवेदन, यदि उसे इसमें इसके पश्चात् उपबंधित रीति से लिखा और सत्यापित किया गया है, प्रोबेट या प्रशासन के अनुदान को प्राधिकृत करने के प्रयोजन के लिए निश्चायक होगा; और ऐसे किसी अनुदान पर केवल इस कारण अधिक्षेप नहीं किया जाएगा कि वसीयतकर्ता या निर्वसीयती का उसकी मृत्यु के समय जिले के भीतर कोई नियत स्थान या कोई संपदा नहीं थी, किन्तु यदि अनुदान न्यायालय से कपट करके अभिप्राप्त किया गया है तो उसे प्रतिसंहत करने के लिए कार्यवाही की जा सकेगी।

273. प्रोबेट के लिए याचिका.-(1) प्रोबेट के लिए या विल को उपाबद्ध करके प्रशासन-पत्र के लिए आवेदन अंग्रेजी/हिन्दी में या उस न्यायालय के, जिसमें आवेदन किया गया है, समक्ष होने वाली कार्यवाहियों में साधारणतः प्रयुक्त होने वाली भाषा में सुस्पष्टतः लिखित याचिका द्वारा, विल के साथ या धारा 234, 235 और 236 में वर्णित मामलों में उसकी प्रति, प्रारूप या उसकी विषय-वस्तु के कथन को उपाबद्ध करते हुए, प्रस्तुत किया जाएगा और निम्नलिखित कथन होंगे-

- (क) वसीयतकर्ता की मृत्यु का समय,
- (ख) कि उपाबद्ध लेख उसकी अंतिम विल और वसीयत है,
- (ग) कि यह सम्यक् रूप से निष्पादित किया गया था,
- (घ) उन आस्तियों की रकम, जिनकी याचिकाकर्ता के हाथों में आने की संभावना है, और
- (ङ) जब आवेदन प्रोबेट के लिए है तो यह कि याचिकाकर्ता विल में नामित निष्पादक है।

(2) इन विशिष्टियों के अतिरिक्त, याचिका में आगे निम्नलिखित कथन होंगे-

(क) जब आवेदन जिला न्यायाधीश को किया गया है तब यह कि मृतक का उसकी मृत्यु के समय न्यायाधीश की अधिकारिता के भीतर स्थित नियत निवास स्थान था या कुछ संपदा थी; और

(ख) जब आवेदन किसी जिला प्रतिनिधि को किया गया है तब यह कि मृतक का उसकी मृत्यु के समय ऐसे प्रतिनिधि की अधिकारिता के भीतर एक नियत निवास स्थान था।

(3) जहां आवेदन किसी जिला न्यायाधीश को किया गया है और उन आस्तियों का कोई भाग, जिनकी याचिकाकर्ता के हाथों में आने की संभावना है, किसी अन्य राज्य में स्थित है वहां याचिका में प्रत्येक राज्य में ऐसी आस्तियों की रकम का और उन जिला न्यायाधीशों का भी कथन किया जाएगा जिनकी अधिकारिता के भीतर ऐसी आस्तियां स्थित हैं।

274. किन मामलों में विल का अनुवाद याचिका के साथ उपाबद्ध किया जाएगा। न्यायालय के अनुवादक से भिन्न किसी व्यक्ति द्वारा अनुवाद का सत्यापन.- ऐसे मामलों में जिनमें विल, प्रति या प्रारूप ऐसी भाषा में लिखा गया है जो अंग्रेजी/हिन्दी से या न्यायालय के समक्ष कार्यवाहियों में प्रयुक्त भाषा से भिन्न है वहां उस न्यायालय के किसी अनुवादक द्वारा किया गया अनुवाद, यदि वह भाषा ऐसी है जिसके लिए कोई अनुवादक नियुक्त किया गया है, याचिका के साथ उपाबद्ध किया जाएगा या, यदि विल, प्रति या प्रारूप किसी अन्य भाषा में है तो किसी अन्य व्यक्ति द्वारा, जो उसका अनुवाद करने में सक्षम है, किया गया अनुवाद याचिका के साथ उपाबद्ध किया जाएगा; ऐसे मामले में उस अनुवाद को उस व्यक्ति द्वारा निम्नलिखित रूप में सत्यापित किया जाएगा, अर्थात् -

"मैं (कख) यह घोषणा करता हूं कि मैंने मूल को पढ़ा है और मैं उसकी भाषा और प्रकृति को पूर्णतः समझता हूं और उपरोक्त उसका सत्य और शुद्ध अनुवाद है"।

275. प्रशासन-पत्र के लिए याचिका.-(1) प्रशासन-पत्र के लिए, याचिका द्वारा पूर्वोक्त रूप में सुस्पष्टतः लिखा गया आवेदन किया जाएगा और उसमें निम्नलिखित कथन होंगे-

- (क) मृतक की मृत्यु का समय और स्थान;
- (ख) मृतक का कुटुम्ब और अन्य नातेदार तथा उनके निवास स्थान;
- (ग) वह अधिकार जिसके आधार पर याचिकाकर्ता दावा करता है;
- (घ) उन आस्तियों की रकम जिनकी याचिकाकर्ता के हाथों में आने की संभावना है;
- (ङ) जब आवेदन जिला न्यायाधीश को किया गया है, तब मृतक का, उसकी मृत्यु के समय, न्यायाधीश की अधिकारिता के भीतर स्थित नियत निवास स्थान था या कुछ संपदा थी; और
- (च) जब आवेदन किसी जिला प्रतिनिधि को किया गया है तब यह कि मृतक का, उसकी मृत्यु के समय, ऐसे प्रतिनिधि की अधिकारिता के भीतर नियत निवास स्थान था।

(2) जहां आवेदन किसी जिला न्यायाधीश को किया गया है और उन आस्तियों का कोई भाग, जिनकी याचिकाकर्ता के हाथों में आने की संभावना है, किसी अन्य राज्य में स्थित है वहां याचिका में प्रत्येक राज्य में ऐसी आस्तियों की रकम का और उन जिला न्यायाधीशों का भी कथन किया जाएगा जिनकी अधिकारिता के भीतर ऐसी आस्तियां स्थित हैं।

276. कतिपय मामलों में प्रोबेट या प्रशासन-पत्र के लिए याचिका, आदि में अतिरिक्त कथन.-(1) ऐसा प्रत्येक व्यक्ति, जो विल के प्रोबेट के लिए या किसी संपदा के प्रशासन-पत्र के लिए जिनके भारत में सर्वत्र प्रभावी किए जाने का आशय है, धारा 270 के परन्तुक में उल्लिखित न्यायालय को आवेदन करता है, अपनी याचिका में धारा 273 और धारा 275 द्वारा क्रमशः अपेक्षित विषयों के अतिरिक्त यह कथन करेगा कि उसके सर्वोत्तम विश्वास के अनुसार उसी विल के प्रोबेट के लिए या उसी

संपदा के प्रशासन-पत्र के लिए, जिनको पूर्व कथित रूप में प्रभावी करने का आशय है, किसी अन्य न्यायालय में कोई आवेदन नहीं किया गया है,

या जहां ऐसा कोई आवेदन किया गया है वहां यह कथन करेगा कि वह कौन सा न्यायालय है जिसे आवेदन किया गया है, वह कौन व्यक्ति या वे कौन व्यक्ति हैं जिनके द्वारा वह किया गया है और क्या कार्यवाही (यदि कोई हो) उस पर की गई है।

(2) यदि वह न्यायालय, जिसे धारा 270 के परन्तुक के अधीन ऐसा कोई आवेदन किया गया है, ठीक समझे तो, उसे नामंजूर कर सकेगा।

277. प्रोबेट आदि के लिए याचिका पर हस्ताक्षर और उसका सत्यापन.- प्रोबेट या प्रशासन-पत्र के लिए याचिका पर समस्त मामलों में याचिकाकर्ता और उसका अभिकर्ता, यदि कोई हो, हस्ताक्षर करेगा और याचिकाकर्ता उसे निम्नलिखित रीति से सत्यापित करेगा, अर्थात् -

"मैं (क ख), जो उपरोक्त याचिका में याचिकाकर्ता हूं यह घोषणा करता हूं कि उसमें किया गया कथन मेरी सर्वोत्तम जानकारी और विश्वास के अनुसार सही है।"

278. प्रोबेट के लिए याचिका को विल के एक साक्षी द्वारा सत्यापित किया जाना.- जहां आवेदन प्रोबेट के लिए है वहां याचिका में विल के साक्षियों में से कम से कम एक द्वारा (यदि उपलब्ध हो) निम्नलिखित रूप में या निम्नलिखित प्रभाव का सत्यापन भी किया जाएगा अर्थात्-

"मैं (ग घ), उपरोक्त याचिका में उल्लिखित वसीयतकर्ता के अंतिम विल और वसीयत का एक साक्षी हूं और यह घोषणा करता हूं कि मैं उपस्थित था और मैंने उक्त वसीयतकर्ता को उस पर अपने हस्ताक्षर करते (या चिह्न लगाते) देखा था (या कि उक्त वसीयतकर्ता ने

उपरोक्त याचिका से उपावद्ध लेख को अपने अंतिम विल और वसीयत के रूप में मेरे समक्ष अभिस्वीकृति दी थी।"

279. याचिका या घोषणा में मिथ्या प्रकथन के लिए दंड.- यदि किसी ऐसी याचिका या घोषणा में, जिसे इसके द्वारा सत्यापित किए जाने की अपेक्षा है, ऐसा कोई प्रकथन है जिसके मिथ्या होने का सत्यापन करने वाले व्यक्ति को या तो ज्ञान है या विश्वास है तो ऐसे व्यक्ति के बारे में यह समझा जाएगा कि उसने भारतीय न्याय संहिता 2023 (2023 का केन्द्रीय अधिनियम सं. 45) की धारा 229 के अधीन कोई अपराध किया है।

280. जिला न्यायाधीश की शक्तियां.- (1) यदि जिला न्यायाधीश या जिला प्रतिनिधि, उचित समझे तो वह समस्त मामलों में-

(क) याचिकाकर्ता की शपथ पर व्यक्तिगत रूप में परीक्षा कर सकेगा;

(ख) विल के सम्यक् निष्पादन के या यथास्थिति, प्रशासन-पत्र पाने के लिए याचिकाकर्ता के अधिकार के और साक्ष्य की अपेक्षा कर सकेगा;

(ग) मृतक की संपदा में कोई हित रखने का दावा करने वाले समस्त व्यक्तियों को यह अपेक्षा करने वाले उपस्थिति पत्र जारी कर सकेगा कि वे आकर और प्रोबेट या प्रशासन-पत्र का अनुदान किए जाने से पूर्व की कार्यवाहियां देखें।

(2) उपस्थिति पत्र न्याय सदन के किसी सहजदृश्य भाग पर और जिले के क्लर्क के कार्यालय पर भी चिपकाया जाएगा और ऐसी अन्य रीति से प्रकाशित किया जाएगा या ज्ञापित किया जाएगा जैसा उसे जारी करने वाला न्यायाधीश या जिला प्रतिनिधि निदेश दे।

(3) जहां आस्तियों के किसी भाग के बारे में याचिकाकर्ता द्वारा यह कथन किया गया है कि वह किसी अन्य राज्य में किसी जिला न्यायाधीश की अधिकारिता के भीतर स्थित है वहां उसे जारी करने वाला

जिला न्यायाधीश उपस्थिति पत्र की एक प्रति ऐसे अन्य जिला न्यायाधीश को भेजेगा जो उसे उसी रीति में प्रकाशित करेगा मानो वह उसके द्वारा जारी किया गया उपस्थिति पत्र है और ऐसे प्रकाशन का प्रमाणपत्र उस जिला न्यायाधीश को देगा जिसने उपस्थिति पत्र जारी किया था।

281. प्रोबेट या प्रशासन के अनुदान के विरुद्ध केवियट.-(1) प्रोबेट या प्रशासन के अनुदान के विरुद्ध केवियट जिला न्यायाधीश या जिला प्रतिनिधि के पास दाखिल किए जाएंगे।

(2) किसी जिला प्रतिनिधि के पास किसी केवियट के दाखिल किए जाने पर तुरन्त वह उसकी एक प्रति जिला न्यायाधीश को भेजेगा।

(3) जिला न्यायाधीश के पास किसी केवियट की प्रविष्टि किए जाने पर तुरन्त उसकी एक प्रति उस जिला प्रतिनिधि को, यदि कोई हो, दी जाएगी जिसकी अधिकारिता के भीतर वह अभिकथन किया गया है कि मृतक का, उसकी मृत्यु के समय, नियत निवास स्थान था और किसी अन्य न्यायाधीश या जिला प्रतिनिधि को दी जाएगी जिसे केवियट पारेषित करना जिला न्यायाधीश को समीचीन प्रतीत हो।

(4) केवियट, परिस्थितियों में यथासंभव, अनुसूची-4 में दिए गए प्ररूप में तैयार किया जाएगा।

282. केवियट की प्रविष्टि के पश्चात् याचिका पर किसी कार्यवाही का तब तक न प्रोबेट या किया जाना जब तक केवियटकर्ता को सूचना न दे दी जाए.- प्रोबेट या प्रशासन-पत्र के लिए याचिका पर उसके अनुदान के विरुद्ध किसी केवियट के किसी ऐसे न्यायाधीश या जिला प्रतिनिधि के पास, जिसे आवेदन किया गया है, प्रविष्टि किए जाने के पश्चात् या किसी अन्य प्रतिनिधि के पास उसके प्रविष्टि किए जाने की सूचना दिए जाने के पश्चात् कोई कार्यवाही तब तक नहीं की जाएगी जब तक उस व्यक्ति को जिसके द्वारा यह प्रविष्टि किया गया है ऐसी सूचना न दे दी जाए जैसी न्यायालय युक्तियुक्त समझे।

283. जिला प्रतिनिधि कब प्रोबेट या प्रशासन का अनुदान नहीं करेगा.- कोई जिला प्रतिनिधि प्रोबेट या प्रशासन-पत्र का अनुदान ऐसे किसी मामले में नहीं करेगा जिसमें अनुदान के संबंध में प्रतिविरोध है या जिसमें उसे यह प्रतीत होता है कि प्रोबेट या प्रशासन-पत्र को उसके न्यायालय में अनुदत्त नहीं किया जाना चाहिए।

स्पष्टीकरण- "प्रतिविरोध" से कार्यवाही का विरोध करने के लिए किसी का व्यक्तिगत रूप में या अपने मान्यताप्राप्त अभिकर्ता द्वारा या उसकी ओर से कृत्य करने के लिए सम्यक् रूप से नियुक्त किसी अधिवक्ता द्वारा उपसंजात होना अभिप्रेत है।

284. संदेहास्पद मामलों में जहां कहीं प्रतिविरोध नहीं है जिला न्यायाधीश को कथन पारेषित करने की शक्ति.- ऐसे प्रत्येक मामले में जिसमें कोई प्रतिविरोध नहीं है, किन्तु जिला प्रतिनिधि को यह संदेहास्पद होता है कि प्रोबेट या प्रशासन-पत्र का अनुदान किया जाना चाहिए या नहीं या किसी प्रोबेट या प्रशासन-पत्र के अनुदान के या अनुदान के लिए आवेदन के संबंध में कोई प्रश्न उठाता है, तो जिला प्रतिनिधि, यदि वह उचित समझे, प्रश्नगत विषयवस्तु का कथन जिला न्यायाधीश को पारेषित कर सकेगा। जिला न्यायाधीश जिला प्रतिनिधि को आवेदन के विषय में ऐसे अनुदेशों के अनुसार, कार्यवाही करने का निदेश दे सकेगा जैसे न्यायाधीश आवश्यक या समीचीन समझे या ऐसे आवेदन की विषयवस्तु के संबंध में आगे कार्यवाही करने से जिला प्रतिनिधि को निषिद्ध कर सकेगा और प्रश्नगत अनुदान के लिए आवेदन करने वाले पक्षकार को न्यायाधीश को आवेदन करने के लिए छूट दे सकेगा।

285. जहां प्रतिविरोध है या जिला प्रतिनिधि यह सोचता है कि प्रोबेट या प्रशासन-पत्र देना उसके न्यायालय में नामंजूर किया जाना चाहिए वहां प्रक्रिया.- ऐसे प्रत्येक मामले में जिसमें प्रतिविरोध है या जिला प्रतिनिधि की यह राय है कि प्रोबेट या प्रशासन-पत्र देना उसके न्यायालय में नामंजूर किया जाना चाहिए तो याचिका उसके साथ फाइल

किये गये दस्तावेजों सहित उस व्यक्ति को लौटा दी जाएगी जिसने आवेदन किया था जिससे कि वह जिला न्यायाधीश को पेश की जा सके जब तक कि जिला प्रतिनिधि न्याय के प्रयोजनों के लिए, उसे परिबद्ध करना आवश्यक न समझे। ऐसा करने के लिए उसे इसके द्वारा प्राधिकृत किया जाता है और ऐसे मामले में जिला प्रतिनिधि वह आवेदन जिला न्यायाधीश को भेजेगा।

286. प्रोबेट के अनुदान का न्यायालय की मुद्रा के अधीन होना.-

जब जिला न्यायाधीश या जिला प्रतिनिधि को यह प्रतीत हो कि विल के प्रोबेट का अनुदान किया जाना चाहिए तब वह उसका अनुदान अपने न्यायालय की मुद्रा के अधीन अनुसूची-5 में दिए गए प्ररूप में करेगा/करेगी ।

287. प्रशासन-पत्रों के अनुदान का न्यायालय की मुद्रा के अधीन होना.- जब जिला न्यायाधीश या जिला प्रतिनिधि को यह प्रतीत होता है कि किसी मृत व्यक्ति की संपदा के लिए प्रशासन-पत्र का अनुदान विल की प्रति को उपाबद्ध करते हुए या किए बिना किया जाना चाहिए तब वह उसका अनुदान अपने न्यायालय की मुद्रा के अधीन, अनुसूची-6 में दिए गए प्ररूप में करेगा/करेगी।

288. प्रशासन बन्धपत्र.- ऐसा प्रत्येक व्यक्ति जिसे कोई प्रोबेट या प्रशासन-पत्र अनुदत्त किया जाता है, मृतक की संपदा का सम्यक् संग्रहण करने, भार-साधन में लेने और प्रशासन करने के लिए वचनबद्ध होते हुए एक या अधिक प्रतिभू या प्रतिभूओं के साथ जिला न्यायाधीश को एक बन्धपत्र देगा जो बन्धपत्र ऐसे प्ररूप में होगा जैसा जिला न्यायाधीश साधारण या विशेष आदेश द्वारा निदेश दे।

289. प्रशासन बन्धपत्र का समनुदेशन.- न्यायालय याचिका द्वारा किए गए आवेदन पर और अपना यह समाधान हो जाने पर कि ऐसे किसी बन्धपत्र के वचनबन्ध का पालन नहीं किया गया है और प्रतिभूति के संबंध में ऐसे निबन्धनों पर या यह उपबन्ध करते हुए कि

प्राप्त धन न्यायालय में या अन्यथा, जैसा न्यायालय ठीक समझे, संदत्त किया जाए उसे किसी व्यक्ति को या उसके निष्पादकों या प्रशासकों को समनुदिष्ट कर सकेगा जो उसके पश्चात् अपने नाम या अपने नामों से उक्त बन्धपत्र पर वाद लाने के लिए वैसे ही हकदार होंगे मानो वह न्यायालय के न्यायाधीश के स्थान पर उसे या उन्हें मूल रूप में दिया गया हो और उस पर, सभी हितबद्ध व्यक्तियों के न्यासियों के रूप में उसके किसी भंग के संबंध में वसूल की जा सकने वाली संपूर्ण रकम वसूल करने के हकदार होंगे।

290. प्रोबेट और प्रशासन के अनुदान के लिए समय.- विल के प्रोबेट का अनुदान वसीयतकर्ता या निर्वसीयती की मृत्यु के दिन से सात पूर्ण दिनों का अवसान हो जाने पर और किसी प्रशासन-पत्र का अनुदान वसीयतकर्ता या निर्वसीयती की मृत्यु के दिन से चौदह पूर्ण दिनों का अवसान हो जाने पर ही किया जाएगा।

291. मूल विलों को, जिनके प्रोबेट या प्रशासन-पत्र विल को उपाबद्ध करते हुए, अनुदत्त किए गए हों, फाइल करना.- (1) प्रत्येक जिला न्यायाधीश या जिला प्रतिनिधि ऐसी समस्त मूल विलों को, जिनके प्रोबेट या विल को उपाबद्ध करते हुए, प्रशासन-पत्र, उसके द्वारा अनुदत्त किए जाएं, अपने न्यायालय के अभिलेखों में तब तक फाइल और परिरक्षित रखेगा जब तक विल के लिए कोई लोक रजिस्ट्री स्थापित नहीं कर दी जाती है।

(2) राज्य सरकार इस प्रकार फाइल किए गए विलों के परिरक्षण और निरीक्षण के लिए विनियम बनाएगी।

292. प्रतिविरोध के मामले में प्रक्रिया.- जिला न्यायाधीश के समक्ष ऐसे किसी मामले में जिसमें प्रतिविरोध है, कार्यवाहियां, सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 (1908 का केन्द्रीय अधिनियम सं. 5) के उपबन्धों के अनुसार, यथासंभव, नियमित वाद के निकटतम रूप में होगी जिनमें प्रोबेट या यथास्थिति, प्रशासन-पत्र के लिए याचिकाकर्ता वादी होगा और

वह व्यक्ति प्रतिवादी होगा जो अनुदान का विरोध करने के लिए उपसंजात हुआ है।

293. प्रतिसंहत प्रोबेट या प्रशासन-पत्र का अभ्यर्पण.- (1) जब प्रोबेट या प्रशासन-पत्र का अनुदान इस भाग के अधीन प्रतिसंहत या बातिल किया जाता है तब वह व्यक्ति, जिसे अनुदान किया गया है, प्रोबेट या प्रशासन-पत्र को तुरन्त उस न्यायालय को परिदत्त करेगा, जिसने अनुदान किया था।

(2) यदि ऐसा व्यक्ति, जानबूझकर या युक्तियुक्त कारण के बिना, प्रोबेट या पत्र को इस प्रकार परिदत्त नहीं करता है तो वह जुर्माने से, जो दस हजार रुपये तक का हो सकेगा, या कारावास से, जिसकी अवधि तीन मास तक की हो सकेगी, या दोनों से, दंडनीय होगा।

294. प्रोबेट या प्रशासन के प्रतिसंहत किए जाने के पूर्व निष्पादक या प्रशासक को संदाय.- जब प्रोबेट या प्रशासन-पत्र का अनुदान प्रतिसंहत किया जाता है तब उसके प्रतिसंहत किए जाने के पूर्व, ऐसे अनुदान के अधीन किसी निष्पादक या प्रशासक को किए गए समस्त सद्भाविक संदाय, ऐसे प्रतिसंहरण के होते हुए भी, उसे करने वाले व्यक्ति के लिए वैध उन्मोचन होंगे और ऐसा निष्पादक या प्रशासक, जिसने ऐसे प्रतिसंहत अनुदान के अधीन कृत्य किया है, अपने द्वारा किए गए ऐसे किन्हीं संदायों के संबंध में, जो वह व्यक्ति जिसे प्रोबेट या प्रशासन-पत्र बाद में अनुदत्त किया जाता तो विधिपूर्ण रूप से करता, प्रतिधारण और अपनी प्रतिपूर्ति कर सकेगा।

295. प्रशासन-पत्र को नामंजूर करने की शक्ति.- इसमें इसके पूर्व किसी बात के अंतर्विष्ट होते हुए भी, न्यायालय के विवेकाधीन होगा कि वह इस भाग के अधीन किए गए प्रशासन-पत्र के लिए किए गए किसी आवेदन के अनुदान को, उसके द्वारा लिखित में कारणों को अभिलिखित करते हुए, नामंजूर करने का आदेश दे।

296. जिला न्यायाधीश के आदेश के विरुद्ध अपीलें.- जिला न्यायाधीश को इसके द्वारा प्रदत्त शक्तियों के आधार पर, उसके द्वारा

किए गए प्रत्येक आदेश से अपील, सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 (1908 का केन्द्रीय अधिनियम सं. 5) के, अपीलों को लागू होने वाले, उपबन्धों के अनुसार, उच्च न्यायालय में हो सकेगी।

297. निष्पादक या प्रशासक का हटाया जाना और उत्तराधिकारी के लिए उपबंध.- जिला न्यायाधीश, उसे आवेदन किए जाने पर किसी निजी निष्पादक या प्रशासक को निलंबित कर सकेगा, हटा सकेगा या सेवोन्मुक्त कर सकेगा और ऐसे किसी निष्पादक या प्रशासक के, जो अपने पद पर नहीं रह जाता है, स्थान पर किसी अन्य व्यक्ति के उत्तराधिकार के लिए और संपदा की किसी संपत्ति के ऐसे उत्तराधिकारी में निहित होने का उपबंध कर सकेगा।

298. निष्पादक या प्रशासक को निदेश.- जहां किसी संपदा के संबंध में कोई प्रोबेट या प्रशासन-पत्र इस भाग के अधीन अनुदत्त किया गया है या किए गए हैं वहां जिला न्यायाधीश, उसे आवेदन किए जाने पर, संपदा के संबंध में या उसके प्रशासन के संबंध में कोई साधारण या विशेष निदेश निष्पादक या प्रशासक को दे सकेगा।

स्वयं के दोष से निष्पादक

299. स्वयं के दोष से निष्पादक.- कोई व्यक्ति जो, जब कोई अधिकारवान निष्पादक या प्रशासक विद्यमान न हो तब मृतक की संपदा के साथ दखलअंदाजी करता है या ऐसा कोई अन्य कार्य करता है जो निष्पादक के पद का कार्य है, ऐसा करके अपने को स्वयं के दोष से निष्पादक बनाता/बनाती है।

अपवाद -

(1) मृतक के माल के साथ, उसे परिरक्षित करने के या उसकी अन्त्येष्टि के लिए या उसके कुटुम्ब या संपदा की तत्काल आवश्यकताओं के लिए उपबन्ध करने के प्रयोजन के लिए दखलअंदाजी करने से कोई व्यक्ति स्वयं के दोष से निष्पादक नहीं बन जाता है।

(2) किसी अन्य से प्राप्त मृतक के माल के साथ कारबार के सामान्य अनुक्रम में संव्यवहार करने से कोई व्यक्ति स्वयं के दोष से निष्पादक नहीं बन जाता है।

दृष्टांत

(i) क मृतक के कुछ माल का उपयोग करता है या दे देता है या विक्रय करता या उन्हें स्वयं के ऋण या वसीयत संपदा को चुकाने के लिए ले लेता है या मृतक के ऋणों के संदाय को प्राप्त करता है। यह अपने स्वयं के दोष से निष्पादक है।

(ii) क को मृतक ने अपने जीवन काल में अपने ऋणों का संग्रह करने और उसके माल का विक्रय करने के लिए अभिकर्ता के रूप में नियुक्त किया था। क को उसकी मृत्यु की जानकारी होने के पश्चात् भी वह ऐसा करता रहता है। यह उन कार्यों के संबंध में, जो वह मृत्यु की जानकारी होने के पश्चात् करता है, स्वयं के दोष से निष्पादक है।

(iii) क मृतक के निष्पादक के रूप में, जबकि वह ऐसा नहीं है, वाद लाता है। यह स्वयं के दोष से निष्पादक है।

300. स्वयं के दोष से निष्पादक का दायित्व.- जब कोई व्यक्ति इस प्रकार कार्य करता है कि यह स्वयं के दोष से निष्पादक बन जाता है तब वह मृतक के अधिकारवान निष्पादक या प्रशासक के या उसके किसी लेनदार या वसीयतदार के प्रति उस सीमा तक आस्तियों के लिए उत्तरदायी है जो अधिकारवान निष्पादक या प्रशासक को किए गए संदायों और प्रशासन के सम्यक् अनुक्रम में किए गए संदाय की कटौतियों के पश्चात् उसके हाथ में आई हों।

निष्पादक या प्रशासक की शक्तियां

301. मृतक की मृत्यु से समाप्त न हुए वाद हेतुकों और मृत्यु पर देय ऋणों के संबंध में.- किसी निष्पादक या प्रशासक को उन समस्त वाद हेतुकों के संबंध में, जो मृतक की मृत्यु से समाप्त नहीं हुए हैं, वही

शक्ति है, और वह ऋणों की वसूली के लिए उसी शक्ति का प्रयोग कर सकेगा जो मृतक की उसके जीवित रहते समय थी।

302. मृतक की या उसके विरुद्ध मांगें और कार्यवाही करने के अधिकारों का निष्पादक या प्रशासक के पक्ष में या उसके विरुद्ध समाप्त न होना.- किसी व्यक्ति के पक्ष में या उसके विरुद्ध, उसकी मृत्यु के समय, विद्यमान सभी मांगें, चाहे वे जो भी हों, और किसी कार्रवाई या विशेष कार्यवाही को आगे चलाने के या उसमें प्रतिरक्षा करने के समस्त अधिकार, भारतीय न्याय संहिता, 2023 (2023 का केन्द्रीय अधिनियम सं. 45) में, यथापरिभाषित मानहानि, हमले या अन्य ऐसी वैयक्तिक क्षतियों के, जिससे पक्षकार की मृत्यु कारित न हो, वाद हेतुकों के सिवाय; और ऐसे मामलों के सिवाय, जहां पक्षकार की मृत्यु के पश्चात् ईप्सित अनुतोष का उपभोग न किया जा सकता हो या उसका प्रदान करना निरर्थक होगा, उसके निष्पादक या प्रशासक को और उनके विरुद्ध समाप्त नहीं होते हैं।

दृष्टांत

(i) किसी रेल पर किसी पदधारी की उपेक्षा या व्यतिक्रम के परिणामस्वरूप कोई टक्कर होती है और किसी यात्री को गंभीर उपहति होती है किन्तु उतनी नहीं कि उसकी मृत्यु कारित हो जाए। तत्पश्चात् कोई कार्यवाही किए बिना उसकी मृत्यु हो जाती है। वाद हेतुक समाप्त हो जाता है।

(ii) क विवाह-विच्छेद के लिए वाद लाता है। क की मृत्यु हो जाती है। वाद हेतुक समाप्त हो जाता है उसके प्रतिनिधि के लिए बचा नहीं रहता है।

303. संपदा के व्ययन के लिए निष्पादक या प्रशासक की शक्ति.- (1) उप-धारा (2) के उपबन्धों के अधीन रहते हुए, किसी निष्पादक या प्रशासक को धारा 210 के अधीन उसमें निहित मृतक की

संपदा को, या तो पूर्णतः या भागतः ऐसी रीति से, जैसी वह ठीक समझे, व्ययन करने की शक्ति है।

दृष्टांत

(i) मृतक ने अपनी संपदा के भाग का विनिर्दिष्ट वसीयत की है, निष्पादक वसीयत के लिए अनुमति नहीं देता है और उसकी विषय वस्तु का विक्रय करता है। विक्रय वैध है।

(ii) निष्पादक, अपने विवेक का प्रयोग करते हुए, मृतक की स्थावर संपदा के एक भाग को बंधक रखता है। विक्रय वैध है।

(2) उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त साधारण शक्ति, निम्नलिखित निर्बन्धनों और शर्तों के अधीन होगी, अर्थात्-

(i) किसी निष्पादक की, उसमें इस प्रकार निहित स्थावर संपदा का विक्रय करने की शक्ति ऐसे किसी निर्बन्धन के अधीन, जो उसकी नियुक्ति करने वाले विल द्वारा अधिरोपित किया जाए, तब तक है जब तक उसे प्रोबेट अनुदत्त न किया गया हो, और उस न्यायालय ने, जिसने प्रोबेट अनुदत्त किया है, निर्बन्धन के होते हुए भी, लिखित आदेश द्वारा उसे आदेश में विनिर्दिष्ट किसी स्थावर संपदा का आदेश द्वारा अनुज्ञात रीति से व्ययन करने की अनुज्ञा न दे दी हो;

(ii) कोई प्रशासक उस न्यायालय की पूर्व अनुज्ञा के बिना, जिसने प्रशासन-पत्र अनुदत्त किया है-

(क) धारा 210 के अधीन उसमें निहित किसी स्थावर संपदा को बन्धक नहीं रख सकेगा, भारित नहीं कर सकेगा या विक्रय, दान या विनिमय द्वारा या अन्यथा अन्तरित नहीं कर सकेगा; या

(ख) ऐसी किसी संपदा को पांच वर्ष से अधिक की अवधि के लिए पट्टे पर नहीं दे सकेगा।

(iii) निष्पादक या प्रशासक द्वारा संपदा का खण्ड (i) या, यथास्थिति, खण्ड (ii) का उल्लंघन करते हुए, कोई व्ययन, संपदा में हितबद्ध किसी अन्य व्यक्ति की प्रेरणा पर, शून्यकरणीय है।

(3) ऐसे किसी मामले में, कोई प्रोबेट या प्रशासन-पत्र का अनुदान किए जाने के पूर्व, उप-धारा (1) और उप-धारा (2) के खण्ड (i) और खण्ड (iii) की या, यथास्थिति, उप-धारा (1) और उप-धारा (2) के खण्ड (ii) और खण्ड (iii) की एक प्रति उस पर पृष्ठांकित या उससे उपाबद्ध की जाएगी।

(4) कोई प्रोबेट या प्रशासन-पत्र केवल इस कारण अवैध नहीं होगा कि उप-धारा (3) द्वारा अपेक्षित पृष्ठांकन या उपाबन्ध उस पर नहीं किया गया है या उससे संलग्न नहीं किया गया है, न ही ऐसे पृष्ठांकन या उपाबन्ध का न होना किसी निष्पादक या प्रशासक को इस धारा के उपबन्धों के अनुसार से भिन्न, कोई कार्य करने के लिए प्राधिकृत करेगा।

304. प्रशासन की साधारण शक्तियां.- कोई निष्पादक या प्रशासक, उसके द्वारा विधिपूर्वक प्रयोग की जा सकने वाली व्यय करने की किन्हीं अन्य शक्तियों के अतिरिक्त और ना कि अल्पीकरण में,-

(क) ऐसे कार्यों पर, जो उसके द्वारा प्रशासित किसी संपदा की किसी संपत्ति की उचित देखभाल या प्रबन्ध के लिए आवश्यक हों; और

(ख) जिला न्यायाधीश की पूर्व अनुज्ञा से, ऐसे धार्मिक, पूर्त और अन्य उद्देश्यों पर और ऐसी अभिवृद्धि पर, जो ऐसी संपदा के मामले में युक्तियुक्त और उचित हो,

व्यय उपगत कर सकेगा।

305. मृतक की संपदा का निष्पादक या प्रशासक द्वारा क्रय किया जाना.- यदि कोई निष्पादक या प्रशासक मृतक की संपदा के किसी भाग का, या तो प्रत्यक्षतः या अप्रत्यक्षतः क्रय करता है तो विक्रय, विक्रीत सम्पत्ति में हितबद्ध किसी अन्य व्यक्ति की प्रेरणा पर शून्यकरणीय है।

306. कई निष्पादकों या प्रशासकों की शक्तियों का उनमें से एक द्वारा प्रयोग.- जब कई निष्पादक या प्रशासक हैं, तो किसी प्रतिकूल निदेश के न होने पर, उनमें से कोई एक, जिसने विल को साबित किया है या प्रशासन ग्रहण किया है, सभी की शक्तियों का प्रयोग कर सकेगा।

दृष्टांत

- (i) कई निष्पादकों में से किसी एक को मृतक को देय ऋण को निर्मोचित करने की शक्ति है।
- (ii) एक को पट्टे के अभ्यर्पण की शक्ति है।
- (iii) एक को मृतक की, जंगम या स्थावर संपदा का विक्रय करने की शक्ति है।
- (iv) एक को किसी वसीयत संपदा का अनुमोदन करने की शक्ति है।
- (v) एक को मृतक को संदेय किसी वचनपत्र पर पृष्ठांकन करने की शक्ति है।
- (vi) विल क, ख, ग और घ को निष्पादक नियुक्त करती है और निदेश देती है कि उनमें से दो से गणपूर्ति होगी। कोई भी कार्य किसी एकल निष्पादक द्वारा नहीं किया जा सकता है।

307. कई निष्पादकों या प्रशासकों में से एक की मृत्यु पर शक्तियों का समाप्त न होना.- कई निष्पादकों या प्रशासकों में से एक या अधिक की मृत्यु हो जाने पर, विल में या प्रशासन-पत्र के अनुदान में किसी प्रतिकूल निदेश के न होने पर, पद की समस्त शक्तियां उत्तरजीवियों में या उत्तरजीवी में निहित हो जाती हैं।

308. अप्रशासित चीजबस्त के प्रशासक की शक्तियां.- अप्रशासित चीजबस्त के प्रशासक को, ऐसी चीजबस्त के संबंध में, मूल निष्पादक या प्रशासक के समान ही शक्तियां होती हैं।

309. अवयस्कता के दौरान प्रशासक की शक्तियां.- अवयस्कता के दौरान किसी प्रशासक को मामूली प्रशासक की समस्त शक्तियां होती हैं।

310. विवाहित निष्पादिका या प्रशासिका की शक्तियां.- जब प्रोबेट या प्रशासन-पत्रों का अनुदान किसी विवाहित स्त्री को किया जाता है तो उसे मामूली निष्पादक या प्रशासक की समस्त शक्तियां होती हैं।

निष्पादक या प्रशासक के कर्तव्य

311. मृतक की अन्त्येष्टि के संबंध में.- निष्पादक का यह कर्तव्य है कि वह मृतक की स्थिति के उपयुक्त रीति से उसका आवश्यक अन्त्येष्टि संस्कार करने के लिए निधि का उपबन्ध करे, यदि उसने इस प्रयोजन के लिए पर्याप्त संपदा छोड़ी है।

312. सूची और लेखा.- (1) कोई निष्पादक या प्रशासक, प्रोबेट या प्रशासन-पत्र के अनुदान से छह मास के भीतर या ऐसे और समय के भीतर, जैसा वह न्यायालय, जिसने प्रोबेट या प्रशासन-पत्र का अनुदान किया है, नियत करे, उस न्यायालय में एक सूची प्रदर्शित करेगा, जिसमें कब्जे में की समस्त संपदा का और समस्त पावनों का और किसी व्यक्ति द्वारा देय ऐसे समस्त ऋणों का भी, जिसके लिए कोई निष्पादक या प्रशासक उस रूप में हकदार है, पूर्ण और सही प्राक्कलन होगा; और उसी रीति से अनुदान से एक वर्ष के भीतर या ऐसे और समय के भीतर, जैसा उक्त न्यायालय नियत करे, संपदा का एक ऐसा लेखा प्रदर्शित करेगा जिसमें वे आस्तियां, जो उसके हाथ में आयी हों, और वह रीति, जिससे वे उपयोजित की गयी हैं या व्यनित की गयी हैं, प्रदर्शित की जाएगी।

(2) उच्च न्यायालय वह प्ररूप, जिसमें इस धारा के अधीन कोई सूची या लेखा प्रदर्शित किया जाएगा, विहित कर सकेगा ।

(3) यदि कोई निष्पादक या प्रशासक इस धारा के अधीन कोई सूची या लेखा प्रदर्शित करने के लिए उच्च न्यायालय द्वारा अपेक्षा किए जाने पर, साशय उस अध्यपेक्षा के अनुपालन का लोप करता है तो यह समझा जायेगा कि उसने भारतीय न्याय संहिता, 2023 (2023 का केन्द्रीय अधिनियम सं. 45) की धारा 211 के अधीन अपराध कारित किया है।

(4) इस धारा के अधीन किसी सूची या लेखा कासाशय मिथ्या प्रदर्शन करना भारतीय न्याय संहिता, 2023 (2023 का केन्द्रीय अधिनियम सं. 45) की धारा 229 के अधीन अपराध समझा जायेगा।

313. कतिपय मामलों में भारत के किसी भी भाग की संपदा का सूची में सम्मिलित किया जाना.- ऐसे समस्त मामलों में, जहां प्रोबेट या प्रशासन-पत्र का अनुदान इसके संपूर्ण भारत में प्रभाव के आशय से किया गया है वहां निष्पादक या प्रशासक मृतक की चीजबस्त की सूची में उसकी भारत में स्थित समस्त जंगम और स्थावर संपदा को सम्मिलित करेगा और प्रत्येक राज्य में स्थित ऐसी संपदा का मूल्य ऐसी सूची में पृथकतः कथित किया जाएगा और प्रोबेट या प्रशासन-पत्र, उसके द्वारा प्रभावित संपदा की, चाहे वह भारत के भीतर जहां भी स्थित हों, संपूर्ण रकम या मूल्य की तत्संबंधी फीस द्वारा प्रभार्य होगा।

314. मृतक की संपदा और उसे देय ऋण के संबंध में.- निष्पादक या प्रशासक मृतक की संपदा और ऋणों का, जो उसकी मृत्यु के समय उसे देय थे, युक्तियुक्त तत्परता से संग्रह करेगा।

315. व्ययों का समस्त ऋणों के पूर्व संदाय किया जाना.- मृतक की प्रास्थिति और हैसियत के अनुसार, युक्तियुक्त मात्रा तक अन्त्येष्टि व्ययों और मृत्यु शैय्या प्रभारों का, जिसके अंतर्गत उसकी मृत्यु के पूर्व के एक मास तक की चिकित्सा परिचर्या और भोजन और आवास की फीस भी सम्मिलित हैं, संदाय समस्त ऋणों से पूर्व संदत्त किये जायेंगे।

316. ऐसे व्ययों के पश्चात् संदत्त किये जाने वाले व्यय.- प्रोबेट या प्रशासन-पत्र अभिप्राप्त करने के लिए व्ययों का, जिनके अंतर्गत ऐसी किन्हीं न्यायिक कार्यवाहियों के लिए या उनके संबंध में, जो संपदा के प्रशासन के लिए आवश्यक हैं, उपगत खर्च भी हैं, संदाय अन्त्येष्टि व्ययों और मृत्यु शैय्या प्रभारों के संदाय के पश्चात् किया जाएगा।

317. उसके बाद कतिपय सेवाओं के लिए मजदूरियों का और बाद में अन्य ऋणों का संदाय.- उसके बाद किसी श्रमिक, कारीगर या घरेलू सेवक द्वारा मृतक की, उसकी मृत्यु के ठीक पूर्ववर्ती तीन मास के भीतर की गई सेवाओं के लिए देय मजदूरी, संदत्त की जाएगी और तब मृतक के अन्य ऋण उनकी क्रमिक पूर्विकता के अनुसार (यदि कोई हों) संदत्त किए जाएंगे।

318. पूर्वोक्त के सिवाय, समस्त ऋणों का समान रूप से और आनुपातिक रूप से संदाय किया जाना.- पूर्वोक्त के सिवाय, किसी भी लेनदार को दूसरे पर पूर्विकता का अधिकार नहीं होगा, किन्तु निष्पादक या प्रशासक ऐसे समस्त ऋणों का, जिसे वह जानता हो, जिसके अन्तर्गत उसका ऋण भी है, समान रूप से और आनुपातिक रूप से वहां तक संदाय करेगा जहां तक मृतक की आस्तियों से किया जा सके।

319. जहां अधिवास भारत में न हो, ऋणों के संदाय के लिए जंगम संपदा का उपयोजन.- (1) यदि मृतक का अधिवास भारत में नहीं था तो उसके ऋणों के संदाय के लिए उसकी जंगम संपदा का उपयोजन भारत की विधि द्वारा विनियमित किया जाएगा।

(2) कोई भी लेनदार, जिसने उप-धारा (1) के आधार पर, अपने ऋणों के किसी एक भाग का संदाय प्राप्त किया है, मृतक की स्थावर संपदा के आगमों में किसी अंश के लिए तब तक हकदार नहीं होगा जब तक कि वह ऐसे संदाय को अन्य लेनदारों के फायदे के लिए हिसाब में नहीं लाता है।

दृष्टांत

क की मृत्यु किसी ऐसे देश में अधिवास करते हुए होती है जहां मुद्रांकित लिखतें अमुद्रांकित लिखतों पर पूर्विकता रखती हैं और वह 5,00,000 रुपए मूल्य की जंगम संपदा और 10,00,000 रुपए मूल्य की स्थावर संपदा, मुद्रांकित लिखतों पर 10,00,000 रुपए की रकम का ऋण और उतनी ही रकम का ऋण अमुद्रांकित लिखतों पर छोड़ जाता है।

मुद्रांकित लिखतों के धारक लेनदार अपने आधे ऋण जंगम संपदा के आगमों में से प्राप्त करते हैं। स्थावर संपदा के आगमों का उपयोजन अमुद्रांकित लिखतों पर ऋणों का संदाय करने में तब तक किया जाएगा, जब तक ऐसे ऋणों का आधा उन्मोचित न हो जाए। इससे 5,00,000 रुपए बचेंगे जिसका आनुपातिक वितरण समस्त लेनदारों के मध्य बिना किसी विभेद के, उन्हें शोध्‍य रकम के अनुपात में किया जाएगा।

320. वसीयत संपदाओं के पूर्व ऋणों का संदाय किया जाना.- किसी वसीयत संपदा से पूर्व हर प्रकार के ऋणों का संदाय किया जाएगा।

321. निष्पादक या प्रशासक का क्षतिपूर्ति के बिना, वसीयत संपदा के संदाय के लिए बाध्य न होना.- यदि मृतक की संपदा किन्हीं समाश्रित दायित्वों के अध्यधीन है तो निष्पादक या प्रशासक उन दायित्वों को, जब भी वे शोध्‍य हो जाएं, पूरा करने के लिए पर्याप्त क्षतिपूर्ति के बिना किसी वसीयत संपदा का संदाय करने के लिए बाध्य नहीं है।

322. साधारण वसीयत संपदाओं में कमी.- यदि आस्तियां ऋणों, आवश्यक व्ययों और विनिर्दिष्ट वसीयत संपदाओं का संदाय करने के पश्चात् समस्त साधारण वसीयत संपदाओं का पूर्ण संदाय करने के लिए पर्याप्त नहीं हैं तो साधारण वसीयत संपदा में कमी कर दी जाएगी या उसे समान अनुपात में घटा दिया जाएगा और विल में किसी प्रतिकूल निदेश के नहीं होने पर, निष्पादक को एक वसीयतदार को दूसरे पर पूर्विकता देकर संदाय करने का या अपने लिए या ऐसे किसी व्यक्ति के लिए, जिसके लिए वह न्यासी है, वसीयत संपदा के लिए कोई धन प्रतिधारित करने का कोई अधिकार नहीं है।

323. जब आस्तियां ऋणों के संदाय के लिए पर्याप्त हों तब विनिर्दिष्ट वसीयत संपदाओं में कमी न होना.- जहां कोई विनिर्दिष्ट वसीयत संपदा और आस्तियां ऋणों और आवश्यक व्ययों के संदाय के

लिए पर्याप्त हैं वहां विनिर्दिष्ट वस्तु वसीयतदार को कोई कमी किए बिना परिदत्त की जाएगी।

324. जब आस्तियां ऋणों और आवश्यक व्ययों के संदाय के लिए पर्याप्त हैं तब निदर्शित वसीयत संपदा के अधीन अधिकार.- जहां कोई निदर्शित वसीयत संपदा है और आस्तियां ऋणों और आवश्यक व्ययों का संदाय करने के लिए पर्याप्त है वहां वसीयतदार उस निधि में से, जिसमें से वसीयत संपदा का संदाय करने का निदेश है, जब तक ऐसी निधि निःशेष न हो जाए, अपनी वसीयत संपदा के संदाय के लिए पूर्विकता दावा रखता है और यदि निधि के निःशेष हो जाने के पश्चात् भी वसीयत संपदा का कोई भाग असंदत्त रह जाता है तो वह अवशेष की रकम साधारण आस्तियों में से उसी प्रकार पाने का हकदार है मानो वह ऐसे असंदत्त अवशेष की रकम की वसीयत संपदा पाने का हकदार हो।

325. विनिर्दिष्ट वसीयत संपदाओं में आनुपातिक कमी किया जाना.- यदि आस्तियां, ऋणों और विनिर्दिष्ट वसीयत संपदा को चुकाने के लिए पर्याप्त नहीं है तो बाद वाली वसीयत संपदा में से उनकी क्रमिक रकमों के अनुपात में कमी की जाएगी।

दृष्टांत

क ने ख को एक हीरे की अंगूठी, जिसका मूल्य 50,000 रुपए है और ग को एक मोटरयान, जिसका मूल्य 1,00,000 रुपए है, वसीयत की है। वसीयतकर्ता के समस्त चीजबस्त का विक्रय करना आवश्यक पाया जाता है और उसकी आस्तियां ऋणों का संदाय करने के पश्चात् केवल, 1,00,000 रुपए है। इस राशि में से 33,333 रुपए ख को और 66,667 रुपए ग को संदाय किए जाने के लिए हैं।

326. वे वसीयत संपदाएं जो कमी करने के प्रयोजन के लिए साधारण वसीयत संपदाएं मानी जाती हैं.- जीवनपर्यन्त की वसीयत संपदा, किसी वार्षिकी के सृजन के लिए विल द्वारा विनियोजित राशि

और वार्षिकी के मूल्य को, जब उसके सृजन के लिए कोई राशि विनियोजित नहीं की गई है, कमी करने के प्रयोजन के लिए साधारण वसीयत संपदाएं मानी जाएंगी।

निष्पादक या प्रशासक द्वारा वसीयत संपदा के लिए अनुमति

327. वसीयतदार के हक को पूर्ण करने के लिए अनुमति का आवश्यक होना.- निष्पादक या प्रशासक की अनुमति उसकी वसीयत संपदा के लिए वसीयतदार का हक पूर्ण करने के लिए आवश्यक है।

दृष्टांत

(i) क अपनी विल द्वारा ख को अपनी सरकारी प्रतिभूति की, जो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में निक्षिप्त है, वसीयत करता है। निष्पादक की अनुमति के बिना ना तो बैंक को प्रतिभूतियों का परिदान करने का प्राधिकार है और ना ही ख को उसका कब्जा लेने का अधिकार है।

(ii) क ने अपनी विल द्वारा बूंदी स्थित अपना गृह, जिसका अभिधारी ख है, ग को वसीयत किया है। ग निष्पादक या प्रशासक की अनुमति के बिना किराया प्राप्त करने का हकदार नहीं है।

328. विनिर्दिष्ट वसीयत संपदा के लिए निष्पादक की अनुमति का प्रभाव.- (1) विनिर्दिष्ट वसीयत के निष्पादक या प्रशासक की अनुमति उसमें निष्पादक या प्रशासक के रूप में उसका हित निर्निहित करने के लिए और वसीयतदार की वसीयत की विषयवस्तु को अन्तरित करने के लिए तभी पर्याप्त है जब संपदा की प्रकृति या परिस्थितियों में यह अपेक्षा नहीं है कि वह विशिष्ट रीति से अन्तरित की जायेगी।

(2) यह अनुमति मौखिक हो सकेगी और या तो अभिव्यक्त या निष्पादक या प्रशासक के आचरण से विवक्षित हो सकेगी।

दृष्टांत

(i) एक घोड़े की वसीयत की जाती है। निष्पादक वसीयतदार से उसका व्ययन करने का निवेदन करता है या कोई अन्य व्यक्ति निष्पादक से उस घोड़े को क्रय करने का प्रस्ताव करता है और वह उसे वसीयतदार को आवेदन करने का निदेश करता है। वसीयत संपदा के लिए अनुमति विवक्षित है।

(ii) विल में यह निदेश है कि किसी निधि के ब्याज को वसीयतदार की अवयस्कता के दौरान उसके भरण-पोषण के लिए उपयोजन में लाया जाए। निष्पादक उसका इस प्रकार उपयोजन प्रारंभ करता है। यह संपूर्ण वसीयत के लिए अनुमति है।

(iii) एक निधि की वसीयत को और उसके पश्चात् ख को की गई है। निष्पादक निधि का ब्याज क को संदत्त करता है। यह ख को वसीयत के लिए विवक्षित अनुमति है।

(iv) वसीयतकर्ता के समस्त ऋणों का संदाय करने के पश्चात् किन्तु विनिर्दिष्ट वसीयत संपदाओं को चुकाने के पूर्व निष्पादकों की मृत्यु हो जाती है। वसीयत संपदाओं के लिए अनुमति की उपधारणा की जा सकेगी।

(v) कोई व्यक्ति, जिसे किसी विनिर्दिष्ट वस्तु की वसीयत की गयी है, उसका कब्जा ले लेता है और किसी आक्षेप के बिना, निष्पादक की ओर से उसे प्रतिधारित रखता है। उसकी अनुमति की उपधारणा की जा सकेगी।

329. सशर्त अनुमति.- किसी वसीयत संपदा के लिए निष्पादक या प्रशासक की अनुमति सशर्त हो सकेगी और यदि शर्त ऐसी है जिसे प्रवृत्त करने का उसे अधिकार है और उसका पालन नहीं किया जाता है, तो अनुमति नहीं है।

दृष्टांत

(i) क बूंदी की अपनी भूमि को, जो विल की तारीख को और क की मृत्यु पर 5,00,000 रुपए के लिए बंधक के अधीन थी, ख को वसीयत करता है। निष्पादक वसीयत के लिए इस शर्त पर अनुमति देता है कि ख वसीयतकर्ता की मृत्यु पर बंधक पर देय रकम का एक सीमित समय के भीतर संदाय करेगा। रकम का संदाय नहीं किया जाता है। यहां अनुमति नहीं है।

(ii) निष्पादक किसी वसीयत के लिए इस शर्त पर अनुमति देता है कि वसीयतदार उसे किसी धनराशि का संदाय करेगा। संदाय नहीं किया जाता है। ऐसा होने पर भी अनुमति वैध है।

330. अपनी स्वयं की वसीयत संपदा के लिए निष्पादक की अनुमति.- (1) जब निष्पादक या प्रशासक एक वसीयतदार है तब उसकी स्वयं की वसीयत संपदा के लिए उसकी अनुमति उसके हक को पूरा करने के लिए वैसे ही आवश्यक है जैसे तब अपेक्षित होती है जब वसीयत दूसरे व्यक्ति के लिए हो, और उसकी अनुमति उसी प्रकार अभिव्यक्त या विवक्षित हो सकेगी।

(2) अनुमति तब विवक्षित होगी यदि संपदा का प्रशासन करने की उसकी रीति से वह ऐसा कोई कार्य करता है जो उसकी वसीयतदार की वसीयत को निर्दिष्ट करती है और उसकी निष्पादक या प्रशासक की वसीयत को निर्दिष्ट नहीं करती है।

दृष्टांत

कोई निष्पादक उसे वसीयत किए गए गृह का किराया या सरकारी प्रतिभूतियों का ब्याज लेता है और उसका उपयोजन अपने स्वयं के उपयोग के लिए करता है। यह अनुमति है।

331. निष्पादक की अनुमति का प्रभाव.- किसी वसीयत संपदा के लिए निष्पादक या प्रशासक की अनुमति उसे वसीयतकर्ता की मृत्यु से प्रभावशील करती है।

दृष्टांत

(i) एक वसीयतदार अपनी वसीयत संपदा का, उस पर निष्पादक की अनुमति मिलने के पूर्व, विक्रय कर देता है। तत्पश्चात् निष्पादक की अनुमति क्रेता के फायदे के लिए प्रवृत्त होती है और वसीयत संपदा के लिए उसके हक को पूर्ण करती है।

(ii) क, 1,00,000 रुपए की वसीयत अपनी मृत्यु से ब्याज सहित ख को करता है। निष्पादक उसकी वसीयत संपदा के लिए अनुमति क की मृत्यु से एक वर्ष का अवसान हो जाने तक नहीं देता है। ख, क की मृत्यु से ब्याज का हकदार है।

332. निष्पादक वसीयत संपदा का परिदान कब करेगा.- कोई निष्पादक या प्रशासक किसी वसीयत संपदा का संदाय या परिदान तब तक करने के लिए बाध्य नहीं है जब तक वसीयतकर्ता की मृत्यु से एक वर्ष का अवसान न हो जाए।

दृष्टांत

क अपनी विल द्वारा अपनी वसीयत संपदाओं का संदाय अपनी मृत्यु के पश्चात् छह मास के भीतर करने का निदेश देता है। निष्पादक एक वर्ष के अवसान के पूर्व उनका संदाय करने के लिए बाध्य नहीं है।

वार्षिकियों का संदाय और प्रभाजन

333. वार्षिकी का प्रारंभ, जब विल में कोई समय नियत न हो.- जहां विल द्वारा कोई वार्षिकी दी जाती है और उसके प्रारंभ के लिए कोई समय नियत नहीं है, वहां वह वसीयतकर्ता की मृत्यु से प्रारंभ होगी और प्रथम संदाय उस घटना के ठीक पश्चात् एक वर्ष के अवसान पर किया जाएगा।

334. त्रैमासिक या मासिक संदाय वाली वार्षिकी प्रथम बार कब शोध्य होती है.- जहां यह निदेश है कि वार्षिकी त्रैमासिक या मासिक संदत्त की जायेगी, वहां प्रथम संदाय वसीयतकर्ता की मृत्यु के पश्चात् प्रथम त्रैमास या, यथास्थिति, प्रथम मास के अन्त में शोध्य होगा; और

यदि निष्पादक या प्रशासक ठीक समझता है तो उस समय संदत्त की जाएगी जब शोध्य हो, किन्तु निष्पादक या प्रशासक उसका संदाय वर्ष के अन्त तक करने के लिए बाध्य नहीं होगा।

335. आनुक्रमिक संदायों की तारीखें जब प्रथम संदाय दिए गए समय के भीतर या निश्चित दिन करने का निदेश हो: संदाय की तारीख से पूर्व वार्षिकीदार की मृत्यु.- (1) जहां यह निदेश है कि किसी वार्षिकी का प्रथम संदाय वसीयतकर्ता की मृत्यु से एक मास या किसी अन्य समय के अंतराल के भीतर या किसी निश्चित दिन किया जाएगा वहां आनुक्रमिक संदाय उस सर्वप्रथम दिन की, जिसको विल प्रथम संदाय किया जाना प्राधिकृत करता है, आब्दिकी पर किया जाएगा।

(2) यदि वार्षिकीदार की मृत्यु संदाय के समयों के मध्य के अंतराल में हो जाती है तो वार्षिकी का प्रभाजित अंश उसके प्रतिनिधियों को संदत्त किया जाएगा।

वसीयत संपदाओं का उपबंध करने के लिए निधियों का विनिधान

336. जहां वसीयत संपदा, जो विनिर्दिष्ट नहीं है, जीवनपर्यन्त के लिए दी गई है, वहां वसीयत की गई राशि का विनिधान.- जहां कोई वसीयत संपदा, जो विनिर्दिष्ट वसीयत संपदा नहीं है, जीवनपर्यन्त के लिए दी गई है वहां वसीयत की गई राशि का विनिधान वर्ष के अन्त में ऐसी प्रतिभूतियों में किया जाएगा जैसा उच्च न्यायालय किसी साधारण नियम द्वारा प्राधिकृत करे या निदेश दे और उसके आगमों को, जैसे ही वे प्रोदभूद् शोध्य हो जाएं, वसीयतदार को संदत्त किया जाएगा।

337. भविष्य में संदेय, साधारण वसीयत संपदा का विनिधान और मध्यवर्ती ब्याज का व्ययन.- (1) जहां कोई साधारण वसीयत संपदा भविष्य में संदाय किए जाने के लिए दी जाती है वहां निष्पादक या प्रशासक उसे पूरा करने के लिए पर्याप्त राशि का विनिधान उस प्रकार की प्रतिभूतियों में करेगा जो धारा 336 में वर्णित है।

(2) मध्यवर्ती ब्याज वसीयतकर्ता की संपदा के अवशिष्ट का भाग होगा।

338. जहां कोई निधि वार्षिकी से भारित या उसके लिए विनियोजित नहीं की गई है वहां प्रक्रिया.- जहां कोई वार्षिकी दी गई है और कोई निधि उसके संदाय के लिए भारित या उसे पूरा करने के लिए विल द्वारा विनियोजित नहीं की गई है वहां विनिर्दिष्ट रकम की सरकारी प्रतिभूति का क्रय किया जाएगा या यदि ऐसी कोई वार्षिकी अभिप्राप्त नहीं की जा सकती है तो उस प्रयोजन के लिए वार्षिकी के सृजन के लिए पर्याप्त राशि का विनिधान उस प्रकार की प्रतिभूतियों में किया जाएगा जो धारा 336 में वर्णित है।

339. समाश्रित वसीयत का अवशिष्ट वसीयतदार को अन्तरण.- जहां कोई वसीयत समाश्रित है वहां निष्पादक या प्रशासक वसीयत संपदा की रकम का विनिधान करने के लिए बाध्य नहीं है किन्तु वह संपदा के संपूर्ण अवशेष को अवशिष्ट वसीयतदार द्वारा, यदि कोई हो. वसीयत संपदा का, यदि वह देय हो जाए, संदाय करने के लिए उसके द्वारा पर्याप्त प्रतिभूति देने पर अन्तरण कर सकेगा।

340. किन्हीं विशिष्ट प्रतिभूतियों में विनिधान किए जाने के निदेश के बिना जीवनपर्यन्त के लिए वसीयत के अवशिष्ट का विनिधान.- जहां किसी वसीयतकर्ता ने अपनी संपदा के अवशेष की, किन्हीं विशिष्ट प्रतिभूतियों में उनका विनिधान किए जाने का निदेश दिए बिना, किसी व्यक्ति को जीवनपर्यन्त के लिए वसीयत की है वहां उसका उतना भाग, जितना वसीयतकर्ता की मृत्यु के समय धारा 336 में वर्णित प्रकार की प्रतिभूतियों में विनिहित नहीं किया गया है, धन में संपरिवर्तित किया जाएगा और उसका ऐसी प्रतिभूतियों में विनिधान किया जाएगा।

341. किन्हीं विनिर्दिष्ट प्रतिभूतियों में विनिधान किए जाने के निदेश सहित जीवनपर्यन्त के लिए वसीयत के अवशिष्ट का विनिधान.-

जहां वसीयतकर्ता ने, अपनी संपदा के अवशेष की वसीयत किसी व्यक्ति को जीवनपर्यन्त के लिए इस निदेश के साथ की है कि उसका विनिधान कतिपय विनिर्दिष्ट प्रतिभूतियों में किया जाएगा, वहां उतनी संपदा का, जितनी का विनिधान उसकी मृत्यु के समय विनिर्दिष्ट प्रकार की प्रतिभूतियों में नहीं किया गया है, धन में संपरिवर्तित किया जाएगा और उसका ऐसी प्रतिभूतियों में विनिधान किया जाएगा।

342. संपरिवर्तन और विनिधान का समय और रीति.- ऐसा संपरिवर्तन और विनिधान, जैसा धारा 340 और धारा 341 में अनुध्यात है, ऐसे समय पर और ऐसी रीति से किया जाएगा, जैसा निष्पादक या प्रशासक ठीक समझे और जब तक ऐसा संपरिवर्तन और विनिधान पूरा नहीं कर दिया जाए, तब तक वह व्यक्ति, जो इस प्रकार विनिधान किए जाने पर तत्समय निधि की आय का हकदार होगा, निधि के ऐसे भाग के, जिसको इस प्रकार विनिधान नहीं हसे जाता है, बाजार मूल्य पर (जो वसीयतकर्ता की मृत्यु की तारीख को संगणित किया जाएगा) प्रतिवर्ष छह प्रतिशत की दर से ब्याज प्राप्त करेगा।

343. प्रक्रिया जब अवयस्क वसीयत के तुरन्त संदाय या कब्जे का हकदार है और उसके निमित्त किसी व्यक्ति को संदाय किए जाने का निदेश नहीं है.- (1) जहां वसीयत के निबंधनों द्वारा वसीयतदार वसीयत किए गए धन या वस्तु के तुरन्त संदाय या कब्जे का हकदार है, किन्तु अवयस्क है, और विल में उसके निमित्त किसी व्यक्ति को उसका संदाय करने के लिए कोई निदेश नहीं है वहां निष्पादक या प्रशासक उसे उस जिला न्यायाधीश के न्यायालय में, जिसके द्वारा या जिसके जिला प्रतिनिधि द्वारा प्रोबेट या उपाबद्ध विल का प्रशासन-पत्र वसीयतदार के लेखे में अनुदत्त किया गया है, संदत्त या परिदत्त करेगा।

(2) जिला न्यायाधीश के न्यायालय में ऐसा संदाय इस प्रकार संदत्त धन के लिए पर्याप्त उन्मोचन होगा।

(3) जब धन इस धारा के अधीन संदत्त किया जाता है तब उसका विनिधान सरकारी प्रतिभूतियों का क्रय करने में किया जाएगा

जिन्हें, उन पर ब्याज सहित, उसके लिए हकदार व्यक्ति को अन्तरित या संदत्त किया जाएगा और उसके फायदे के लिए अन्यथा अनुप्रयुक्त किया जायेगा, जैसा न्यायाधीश निदेश दे।

वसीयत संपदाओं के उत्पाद और ब्याज

344. विनिर्दिष्ट वसीयत संपदा के उत्पाद के लिए वसीयतदार का हक.- विनिर्दिष्ट वसीयत संपदा का वसीयतदार उसके स्पष्ट उत्पाद का, यदि कोई हो, वसीयतकर्ता की मृत्यु से हकदार होगा ।

अपवाद- किसी विनिर्दिष्ट वसीयत में, जो उसके निबंधनों के अनुसार समाश्रित है. वसीयतकर्ता की मृत्यु और वसीयत संपदा के निहित होने के मध्य वसीयत संपदा का उत्पाद नहीं आता है। इसका स्पष्ट उत्पाद वसीयतकर्ता की संपदा के अवशेष का भाग होता है।

दृष्टांत

(i) क अपनी भेड़ों के झुंड की वसीयत ख को करता है। क की मृत्यु और उसके निष्पादक द्वारा परिदान किए जाने के मध्य भेड़ों की ऊन उतारी जाती है या कुछ भेड़ें मेमनों को जन्म देती हैं। ऊन और मेमने ख की संपदा है।

(ii) क अपनी सरकारी प्रतिभूतियों की वसीयत ख को करता है किन्तु उनके परिदान को ग की मृत्यु तक रोक मुलतवी कर देता है। क की मृत्यु और ग की मृत्यु के मध्य शोध्य ब्याज ख का होगा और प्राप्त होते ही उसे, जब वह अवयस्क है, के सिवाय संदत्त किया जाना चाहिए ।

(iii) वसीयतकर्ता, अपने समस्त चार प्रतिशत वाले सरकारी वचनपत्र क को, जब वह 18 वर्ष की आयु प्राप्त कर ले, वसीयत करता है। यदि क वह आयु पूर्ण कर लेता है तो वह वचनपत्र प्राप्त करने का हकदार है, किन्तु वह ब्याज, जो उसके संबंध में वसीयतकर्ता की मृत्यु

और क के 18 वर्ष की आयु पूर्ण करने के बीच प्रोद्भूत होता है, अवशेष का भाग होगा।

345. अवशिष्ट निधि के उत्पाद पर अवशिष्ट वसीयतदार का हक.- साधारण अवशिष्ट वसीयत के अधीन वसीयतदार, अवशिष्ट निधि के उत्पाद के लिए वसीयतकर्ता की मृत्यु से हकदार है।

अपवाद- साधारण अवशिष्ट वसीयत में, जो उसके निबन्धनों के अनुसार समाश्रित है. ऐसी आय नहीं आती है. जो वसीयतकर्ता की मृत्यु और वसीयत संपदा के निहित होने के मध्य वसीयत की गई निधि से प्रोद्भूत हो सकेगी। ऐसी आय अव्ययनित आय होती है।

दृष्टांत

(i) वसीयतकर्ता अपनी संपदा के अवशेष की वसीयत एक अवयस्क क को, उसके 18 वर्ष की आयु पूर्ण करने पर संदत्त किए जाने के लिए करता है। वसीयतकर्ता की मृत्यु से आय क की होगी।

(ii) वसीयतकर्ता अपनी संपदा के अवशेष का वसीयत क को, जब वह 18 वर्ष की आयु पूर्ण कर ले, करता है। यदि क वह आयु पूर्ण कर लेता है, तो वह अवशेष प्राप्त करने का हकदार है। वह आय जो उसके संबंध में वसीयतकर्ता की मृत्यु से प्रोद्भूत होती है, अव्ययनित आय होती है।

346. ब्याज, जब साधारण वसीयत संपदा के संदाय के लिए कोई समय नियत नहीं है.- जहां किसी साधारण वसीयत संपदा के संदाय के लिए कोई समय नियत नहीं किया गया है वहां ब्याज वसीयतकर्ता की मृत्यु से एक वर्ष के अवसान से प्रारम्भ होता है।

अपवाद -

- (1) जहां वसीयत संपदा की वसीयत किसी ऋण को चुकाने के लिए किया गया है वहां ब्याज वसीयतकर्ता की मृत्यु से प्रारम्भ होता है।

- (2) जहां वसीयतकर्ता वसीयतदार का माता-पिता या अधिक दूरस्थ पूर्वज था या उसने अपने आप को वसीयतदार के माता-पिता के स्थान में रखा है वहां, वसीयत संपदा पर ब्याज वसीयतकर्ता की मृत्यु से लगेगा ।
- (3) जहां कोई राशि किसी अवयस्क को इस निदेश के साथ वसीयत की गई है कि उसके भरण-पोषण के लिए उसमें से संदाय किया जाएगा वहां ब्याज वसीयतकर्ता की मृत्यु से संदेय है।

347. ब्याज जब समय नियत है.- जहां साधारण वसीयत संपदा के संदाय के लिए कोई समय नियत किया गया है वहां ब्याज इस प्रकार नियत समय से प्रारंभ होता है। ऐसे समय तक का ब्याज वसीयतकर्ता की संपदा के अवशेष का भाग होता है।

अपवाद- जहां वसीयतकर्ता वसीयतदार का माता-पिता या अधिक दूरस्थ पूर्वज था या अपने आप को उसने वसीयतदार के पिता के स्थान में रखा है और वसीयतदार अवयस्क है, वहां जब तक भरण-पोषण के लिए विल द्वारा कोई विनिर्दिष्ट राशि नहीं दे दी गई हो या जब तक वसीयत में कोई प्रतिकूल निदेश अंतर्विष्ट नहीं हो, वसीयत संपदा पर ब्याज वसीयतकर्ता की मृत्यु से लगेगा।

348. ब्याज की दर.- ब्याज की दर प्रतिवर्ष छह प्रतिशत होगी।

349. वसीयतकर्ता की मृत्यु के पश्चात् प्रथम वर्ष के भीतर वार्षिकी के बकाया पर कोई ब्याज नहीं.- वसीयतकर्ता की मृत्यु से प्रथम वर्ष के भीतर किसी वार्षिकी के बकाया पर कोई ब्याज संदेय नहीं है यद्यपि उस वर्ष के अवसान से पूर्व की कोई कालावधि वार्षिकी का प्रथम संदाय करने के लिए विल द्वारा नियत की गई है।

350. वार्षिकी का सृजन करने के लिए विनिहित की जाने वाली राशि पर ब्याज.- जहां किसी वार्षिकी के सृजन के लिए किसी धनराशि के विनिहित किए जाने के लिए निदेश है, वहां उस पर ब्याज वसीयतकर्ता की मृत्यु से संदेय होगा।

वसीयत संपदाओं के प्रतिदाय

351. न्यायालय के आदेशों के अधीन संदत्त वसीयत संपदा का प्रतिदाय.- जहां किसी निष्पादक या प्रशासक ने, किसी न्यायालय के आदेश के अधीन किसी वसीयत संपदा का संदाय किया है वहां वह यह साबित हो जाने पर कि समस्त वसीयत संपदाओं का संदाय किये जाने के लिए आस्तियां अपर्याप्त हैं, की दशा में, वसीयतदार से उसका प्रतिदाय करने की मांग करने का हकदार है।

352. यदि संदाय स्वैच्छिक है तो प्रतिदाय नहीं होगा.- जब किसी निष्पादक या प्रशासक ने, वसीयत संपदा का संदाय स्वेच्छा से किया है तब वह यह साबित हो जाने पर कि आस्तियां समस्त वसीयत संपदाओं का संदाय किए जाने के लिए अपर्याप्त हैं, वसीयतदार से उसका प्रतिदाय करने की मांग नहीं कर सकता है।

353. उस समय प्रतिदाय जब वसीयत संपदा धारा 137 के अधीन अनुज्ञात समय के भीतर शर्त का अनुपालन करने पर देय हो गई है.- जब किसी शर्त का अनुपालन करने के लिए विल में विनिर्दिष्ट समय, शर्त का अनुपालन किए बिना बीत गया है और तत्पश्चात् निष्पादक या प्रशासक ने कपट के बिना आस्तियों का वितरण कर दिया है, तब ऐसे मामले में यदि शर्त के अनुपालन के लिए धारा 137 के अधीन अतिरिक्त समय अनुज्ञात किया गया है और तदनुसार शर्तों का अनुपालन कर दिया गया है तो निष्पादक या प्रशासक से वसीयत संपदा का दावा नहीं किया जा सकता है किन्तु वे, जिन्हें उसने इसे संदत्त किया है, रकम के प्रतिदाय के लिए दायी हैं।

354. प्रत्येक वसीयतदार अनुपात में प्रतिदाय करने के लिए कब विवश किया जा सकेगा.- जब निष्पादक या प्रशासक ने वसीयत संपदाओं में की आस्तियों को संदत्त कर दिया है और तत्पश्चात् वह किसी ऐसे ऋण के उन्मोचन के लिए बाध्य होता है, जिसकी उसे पूर्व सूचना नहीं थी तब वह प्रत्येक वसीयतदार को अनुपात में प्रतिदाय करने की मांग करने का हकदार है।

355. आस्तियों का वितरण.- जहां निष्पादक या प्रशासक ने लेनदारों या अन्यो को मृतक की संपदा के प्रति उनके दावे उसे भेजने के लिए ऐसी सूचनाएं दी हैं जैसी उच्च न्यायालय किसी साधारण नियम द्वारा विहित करे, वहां वह दावे को भेजने के लिए उसमें नामित समय के अवसान पर, ऐसे विधिपूर्ण दावों पर, जिन्हें वह जानता हो, उन्मोचन के लिए आस्तियों या उसके किसी भाग का वितरण करने के लिए स्वतंत्र होगा और इस प्रकार वितरित आस्तियों के लिए किसी ऐसे व्यक्ति के प्रति दायी नहीं होगा जिसके दावों की उसे ऐसे वितरण के समय सूचना नहीं थी:

परन्तु इसमें अन्तर्विष्ट कोई बात किसी लेनदार या दावेदार के उस व्यक्ति के हाथों में की आस्तियों या उसके किसी भाग का, जिसने उसे प्राप्त किया है, पीछा करने के अधिकार पर प्रतिकूल प्रभाव नहीं डालेगी ।

356. लेनदार वसीयतदार से प्रतिदाय की मांग कर सकेगा.- ऐसा लेनदार, जिसने अपने ऋण का संदाय प्राप्त नहीं किया है, ऐसे वसीयतदार से, जिसने अपनी वसीयत संपदा का संदाय प्राप्त कर लिया है, प्रतिदाय की मांग कर सकेगा चाहे वसीयतकर्ता की संपदा उसकी मृत्यु के समय ऋणों और वसीयत संपदाओं, दोनों का संदाय करने के लिए पर्याप्त थी या नहीं; और चाहे निष्पादक या प्रशासक द्वारा वसीयत संपदाओं का संदाय स्वैच्छिक रहा था या नहीं।

357. ऐसा वसीयतदार, जिसकी तुष्टि नहीं हुई है या जिसे धारा 356 के अधीन प्रतिदाय करने के लिए विवश किया गया है, उस वसीयतदार को, जिसे पूर्ण संदत्त कर दिया है, प्रतिदाय करने के लिए कब बाध्य नहीं कर सकता है.- यदि आस्तियां वसीयतकर्ता की मृत्यु के समय समस्त वसीयत संपदाओं की तुष्टि के लिए पर्याप्त थीं तो ऐसा वसीयतदार, जिसने अपनी वसीयत संपदा का संदाय प्राप्त नहीं किया है या जिसे धारा 356 के अधीन प्रतिदाय करने के लिए विवश किया गया है, किसी ऐसे व्यक्ति को, जिसने पूर्ण संदाय प्राप्त किया है, चाहे वसीयत संपदा का संदाय उसे वाद के साथ या बिना वाद के किया गया है, प्रतिदाय करने के लिए बाध्य नहीं कर सकता है, यद्यपि आस्तियां निष्पादक द्वारा दुर्व्यय के कारण तत्पश्चात् कम पड़ गई हैं।

358. अतुष्ट वसीयतदार को निष्पादक के विरुद्ध, यदि वह ऋणशोधक्षम है, पहले कब कार्यवाही करनी चाहिए.- यदि आस्तियां वसीयतकर्ता की मृत्यु के समय समस्त वसीयत संपदाओं की तुष्टि के लिए पर्याप्त नहीं थीं तो ऐसे वसीयतदार को, जिसने अपनी वसीयत संपदा का संदाय प्राप्त नहीं किया है, प्रतिदाय के लिए ऐसे वसीयतदार से मांग करने के पूर्व, जिसकी तुष्टि की गई है, निष्पादक या प्रशासक के विरुद्ध, यदि वह ऋणशोधक्षम है, पहले कार्यवाही करनी चाहिए, किन्तु यदि निष्पादक या प्रशासक दिवालिया है या संदाय करने के लिए दायी नहीं है तो अतुष्ट वसीयतदार प्रत्येक तुष्ट वसीयतदार को आनुपातिक रूप से प्रतिदाय करने के लिए बाध्य कर सकता है।

359. एक वसीयतदार की दूसरे वसीयतदार को प्रतिदाय करने की सीमा.- एक वसीयतदार से दूसरे वसीयतदार को प्रतिदाय उस राशि से अधिक नहीं होगा जितनी तुष्ट वसीयत संपदा में से कम की जाती यदि संपदा का उचित प्रशासन किया गया होता।

दृष्टांत

क ने ख को 24,000 रुपए की, ग को 48,000 रुपए की और घ को 72,000 रुपए की वसीयत की है। आस्तियां केवल 1,20,000 रुपए हैं और यदि वसीयत उचित रूप से प्रशासित होती तो ख को 20,000 रुपए, ग को 40,000 रुपए और घ को 60,000 रुपए दिये जायेंगे। ग और घ को उनकी वसीयत संपदा पूर्ण रूप से संदत्त की गई है, ख के लिए कुछ भी शेष नहीं बचा है। ख, ग को 8,000 रुपए का प्रतिदाय करने के लिए और घ को 12,000 रुपए का प्रतिदाय करने के लिए बाध्य कर सकता है।

360. ब्याज के बिना किया जाने वाला प्रतिदाय.- प्रतिदाय समस्त मामलों में ब्याज के बिना होगा।

361. अवशेष का प्रायिक संदायों के पश्चात् अवशिष्ट वसीयतदार को संदत्त किया जाना.- मृतक की संपदा के अधिशेष या अवशेष को, ऋणों और वसीयत संपदाओं का संदाय करने के पश्चात्, अवशिष्ट वसीयतदार को, यदि विल द्वारा कोई नियुक्त किया गया हो, संदत्त किया जाएगा।

362. अधिवास के देश के निष्पादक या प्रशासक को भारत से आस्तियों का वितरण के लिए अंतरण.- जहां ऐसा कोई व्यक्ति, जो भारत का अधिवासी नहीं है, भारत में और उस देश में, जहां का वह अपनी मृत्यु के समय अधिवासी था, दोनों में, आस्तियां छोड़कर मर गया है और भारत में उसकी आस्तियों के संबंध में भारत में प्रोबेट या प्रशासन-पत्र का अनुदान और अधिवास के देश में की आस्तियों के संबंध में उस देश में प्रशासन-पत्र का अनुदान किया गया है, वहां भारत का निष्पादक या, यथास्थिति, प्रशासक ऐसी सूचनाएं देकर, जैसी धारा 355 में वर्णित है, और ऐसे विधिपूर्ण दावों को, जिन्हें वह जानता है, उनमें नामित समय के अवसान पर उन्मोचन के पश्चात्, मृतक की संपदा के किसी अधिशेष या अवशेष को भारत के बाहर निवास करने वाले ऐसे व्यक्तियों को, जो

उनके लिए हकदार है, स्वयं वितरण करने के स्थान पर, अधिशेष या अवशेष को, अधिवास के देश के निष्पादक या, यथास्थिति, प्रशासक की अनुमति से उसे, उन व्यक्तियों को वितरण करने के लिए अन्तरित कर सकेगा।

विनाश के लिए निष्पादक या प्रशासक का दायित्व

363. विनाश के लिए निष्पादक या प्रशासक का दायित्व.- जब कोई निष्पादक या प्रशासक मृतक की संपदा का दुरुपयोजन करता है या उसे हानि या क्षति पहुंचाता है वहां वह इस प्रकार हुई हानि या नुकसान की प्रतिपूर्ति करने के लिए दायी है।

दृष्टांत

- (i) निष्पादक संपदा में से निराधार दावे का संदाय करता है। वह हानि की प्रतिपूर्ति करने के लिए दायी है।
- (ii) मृतक के पास एक मूल्यवान पट्टा था जिसका नवीकरण सूचना देकर किया जा सकता था, निष्पादक समुचित समय पर सूचना देने में उपेक्षा करता है। निष्पादक हानि की प्रतिपूर्ति करने के लिए दायी है।
- (iii) मृतक के पास एक पट्टा था, जो उसके लिए देय किरायों से कम मूल्य का था किन्तु जो किसी विशिष्ट समय पर सूचना द्वारा समाप्त किया जा सकता था। निष्पादक सूचना देने में उपेक्षा करता है। वह हानि की प्रतिपूर्ति करने के लिए दायी है।

364. संपदा का कोई भाग प्राप्त करने में उपेक्षा के लिए निष्पादक या प्रशासक का दायित्व.- जहां निष्पादक या प्रशासक मृतक की संपदा का कोई भाग प्राप्त करने में उपेक्षा करके, संपदा की हानि करता है वहां वह उस रकम की प्रतिपूर्ति करने के लिए दायी है।

दृष्टांत

- (i) निष्पादक किसी ऋणशोधक्षम व्यक्ति से मृतक को देय कोई ऋण पूर्णतः छोड़ देता है या ऐसे ऋणी से, जो पूर्णतः संदाय करने में समर्थ है, प्रशमन करता है। निष्पादक उस रकम की प्रतिपूर्ति करने के लिए दायी है।
- (ii) निष्पादक किसी ऋण के लिए उस समय तक दावा करने में उपेक्षा करता है जब तक ऋणी यह अभिवाक् करने में समर्थ हो जाता है कि दावा परिसीमा से वर्जित है और उसके द्वारा उस संपदा का वह ऋण डूब जाता है। निष्पादक उस रकम की प्रतिपूर्ति करने के लिए दायी है।

अध्याय 6

उत्तराधिकार प्रमाणपत्र

365. प्रमाणपत्र अनुदत्त करने की अधिकारिता रखने वाला न्यायालय.- वह जिला न्यायाधीश, जिसकी अधिकारिता के भीतर मृतक अपनी मृत्यु के समय मामूली तौर से निवास करता था या यदि उस समय उसका कोई नियत निवास स्थान नहीं था तो वह जिला न्यायाधीश जिसकी अधिकारिता के भीतर मृतक की संपदा का कोई भाग पाया जाता है, इस अध्याय के अधीन प्रमाणपत्र अनुदत्त कर सकेगा।

366. प्रमाणपत्र के लिए आवेदन.- (1) ऐसे प्रमाणपत्र के लिए आवेदन सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 (1908 का केन्द्रीय अधिनियम सं. 5) द्वारा, वादी द्वारा या उसके निमित्त किसी वाद को हस्ताक्षरित और सत्यापित करने के लिए, विहित रीति से आवेदक द्वारा या उसके निमित्त हस्ताक्षरित और सत्यापित याचिका द्वारा जिला न्यायाधीश को किया जाएगा और उसमें निम्नलिखित विशिष्टियां दी जाएंगी, अर्थात्-

(क) मृतक की मृत्यु का समय;

(ख) मृतक का उसकी मृत्यु के समय मामूली निवास स्थान और यदि ऐसा निवास स्थान उस न्यायाधीश की, जिसे आवेदन किया गया है, अधिकारिता की स्थानीय सीमाओं के भीतर नहीं था तब उन सीमाओं के भीतर मृतक की संपदा;

(ग) मृतक का कुटुम्ब या निकट नातेदार और उनके अपने-अपने निवास स्थान;

(घ) वह अधिकार, जिस पर याचिकाकर्ता दावा करता है;

(ङ) प्रमाणपत्र के अनुदान के लिए या यदि वह अनुदत्त किया गया है तो उसकी विधिमान्यता के लिए इस भाग के किसी उपबंध या किसी अन्य अधिनियमिति के अधीन किसी अड़चन का अभाव; और

(च) वे ऋण और प्रतिभूतियां जिनके संबंध में प्रमाणपत्र के लिए आवेदन किया गया है।

(2) यदि याचिका में ऐसा कोई प्रकथन है जिसके, उसे सत्यापित करने वाले व्यक्ति को, मिथ्या होने का या तो ज्ञान है या विश्वास है या जिसके सत्य होने का विश्वास नहीं है तो उस व्यक्ति के बारे में यह माना जाएगा कि उसने भारतीय न्याय संहिता, 2023 (2023 का केन्द्रीय अधिनियम सं.45) की धारा 235 के अधीन अपराध कारित किया है।

(3) ऐसे प्रमाणपत्र के लिए आवेदन मृत लेनदार को देय किसी ऋण या किन्हीं ऋणों के संबंध में या उनके प्रभागों के संबंध में किया जा सकेगा।

367. आवेदन पर प्रक्रिया.- (1) यदि जिला न्यायाधीश का यह समाधान हो जाता है कि आवेदन को ग्रहण करने के लिए आधार है तो वह उसकी सुनवाई के लिए एक दिन नियत करेगा/करेगी और आवेदन की और उसकी सुनवाई के लिए नियत दिन की सूचना -

- (क) ऐसे किसी व्यक्ति पर तामील करायी जाएगी जिसे न्यायाधीश की राय में, आवेदन की विशेष सूचना दी जानी चाहिए, और
- (ख) न्याय सदन के किसी सहजदृश्य स्थान पर लगवाएगा और ऐसी अन्य रीति से, यदि कोई हो, प्रकाशित कराएगा जैसा न्यायाधीश, इस निमित्त उच्च न्यायालय द्वारा बनाए गए नियमों के अधीन रहते हुए, ठीक समझे, और नियत दिन को या उसके पश्चात् यथासाध्यशीघ्र प्रमाणपत्र के अधिकार का संक्षिप्त रीति से विनिश्चय करने के लिए अग्रसर होगा/होगी।

(2) जब न्यायाधीश यह विनिश्चय करता है कि उसके लिए आवेदक को अधिकार है तो न्यायाधीश उसे प्रमाणपत्र के अनुदान के लिए आदेश देगा।

(3) यदि न्यायाधीश ऐसी विधि या तथ्य के प्रश्नों का अवधारण किए बिना, जो संक्षिप्त कार्यवाहियों में अवधारण के लिए अधिक जटिल और कठिन प्रतीत होते हैं, प्रमाणपत्र के अधिकार का विनिश्चय नहीं कर सकता है तो ऐसा होने पर भी यदि आवेदक प्रमाणपत्र के लिए प्रथमदृष्ट्या सर्वोत्तम हक रखने वाला प्रतीत होता है तो वह उसे प्रमाणपत्र का अनुदान कर सकेगा/सकेगी।

(4) जब प्रमाणपत्र के लिए एक से अधिक आवेदक हैं और न्यायाधीश को यह प्रतीत होता है कि ऐसे आवेदकों में से एक से अधिक मृतक की संपदा में हितबद्ध हैं तब न्यायाधीश, यह विनिश्चित करने में कि प्रमाणपत्र किसे दिया जाए, आवेदकों के हितों के विस्तार का और अन्य बातों में उनकी उपयुक्तता का ध्यान रख सकेगा।

368. प्रमाणपत्र की विषयवस्तु.- जब जिला न्यायाधीश कोई प्रमाण पत्र अनुदत्त करता है तब वह उन ऋणों और प्रतिभूतियों को विनिर्दिष्ट करेगा/करेगी जो प्रमाणपत्र के लिए आवेदन में उपवर्णित हैं

और उसके द्वारा उस व्यक्ति को, जिसे प्रमाणपत्र अनुदत्त किया गया है, प्रतिभूतियों या उनमें से किसी -

- (1) पर ब्याज या लाभांश प्राप्त करने, या
- (2) का परक्रामण या अंतरण करने, या
- (3) पर ब्याज या लाभांश दोनों प्राप्त करने और उनका परक्रामण या अन्तरण करने या उनमें से कोई कार्य करने के लिए, सशक्त कर सकेगा/सकेगी।

369. प्रमाणपत्र के प्राप्तिकर्ता से प्रतिभूति की अध्यपेक्षा.- (1)

जिला न्यायाधीश ऐसे किसी मामले में जिसमें वह धारा 367 की उप-धारा (3) या उप-धारा (4) के अधीन कार्यवाही करने की प्रस्थापना करता/करती है, प्रमाणपत्र अनुदान करने की पुरोभाव्य शर्त के रूप में यह अध्यपेक्षा करेगा, और किसी अन्य मामले में यह अध्यपेक्षा कर सकेगा कि वह व्यक्ति, जिसे वह अनुदान करने की प्रस्थापना करता है, उसके द्वारा प्राप्त ऋणों और प्रतिभूतियों का लेखा देने के लिए और ऐसे व्यक्तियों के परित्राण के लिए जो उन सम्पूर्ण ऋणों और प्रतिभूतियों के लिए या उसके किसी भाग के लिए हकदार हों, न्यायाधीश को एक या अधिक प्रतिभूति या प्रतिभूतियों के सहित एक बंधपत्र या पर्याप्त प्रतिभूति दे।

(2) न्यायाधीश याचिकाकर्ता द्वारा आवेदन किए जाने पर और उसके समाधानप्रद रूप में हेतुक दर्शित किए जाने पर और प्रतिभूति के संबंध में ऐसे निबन्धनों पर या यह उपबन्ध करके कि प्राप्त धन न्यायालय में या अन्यथा संदत्त किया जाए, जो वह ठीक समझे, बन्धपत्र या अन्य प्रतिभूति को किसी समुचित व्यक्ति को समनुदिष्ट कर सकेगा और तत्पश्चात् वह व्यक्ति उस पर स्वयं अपने नाम से वैसे ही वाद लाने के लिए मानो वह न्यायालय के न्यायाधीश के स्थान पर स्वयं उसे ही मूल रूप से दी गई हो, और समस्त हितबद्ध व्यक्तियों के लिए न्यासी के रूप में ऐसी रकम, जो उसके अधीन प्रत्युद्धरणीय हो, प्रत्युद्धत करने के लिए हकदार होगा/होगी।

370. प्रमाणपत्र का विस्तार.- (1) जिला न्यायाधीश इस अध्याय के अधीन प्रमाणपत्र के धारक के आवेदन पर प्रमाणपत्र का विस्तार ऐसे किसी ऋण या प्रतिभूति के लिए कर सकेगा जो उसमें मूल रूप से विनिर्दिष्ट नहीं है और ऐसे प्रत्येक विस्तार का वही प्रभाव होगा मानों वह ऋण या प्रतिभूति, जिसके लिए प्रमाणपत्र का विस्तार किया गया है, उसमें मूल रूप से विनिर्दिष्ट हो।

(2) प्रमाणपत्र के विस्तार पर, किसी प्रतिभूति की प्राप्ति पर, जिसके लिए प्रमाणपत्र का विस्तार किया गया है, शक्तियां प्रदत्त की जा सकेंगी और धारा 369 में वर्णित प्रयोजनों के लिए बन्धपत्र या अन्य प्रतिभूति की उसी रीति से अपेक्षा की जा सकेगी जैसी प्रमाणपत्र के मूल अनुदान पर अपेक्षित है।

371. प्रमाणपत्र और विस्तारित प्रमाणपत्र का प्ररूप.- प्रमाणपत्रों का अनुदान और प्रमाणपत्रों का विस्तार परिस्थितियों में यथासंभव, अनुसूची-7 में दिए गए प्ररूप में किया जाएगा।

372. प्रतिभूतियों के बारे में शक्तियों के संबंध में प्रमाणपत्र का संशोधन.- जहां किसी जिला न्यायाधीश ने, प्रमाणपत्र के धारक को प्रमाणपत्र में विनिर्दिष्ट प्रतिभूति के संबंध में कोई शक्ति प्रदत्त नहीं की है या उसे प्रतिभूति पर केवल ब्याज या लाभांश लेने या उसका परक्रामण या अन्तरण करने के लिए सशक्त किया है वहां न्यायाधीश, याचिकाकर्ता द्वारा आवेदन दिए जाने पर और उसके समाधानप्रद रूप में कारण दर्शित किए जाने पर, धारा 368 में वर्णित किसी शक्ति को प्रदत्त करते हुए या उन शक्तियों में से किसी एक शक्ति को किसी अन्य शक्ति के स्थान पर प्रतिस्थापित करते हुए, प्रमाणपत्र में संशोधन कर सकेगा।

373. प्रमाणपत्रों पर न्यायालय की फीस के संग्रहण की रीति.- (1) प्रमाणपत्र या प्रमाणपत्र के विस्तार के लिए प्रत्येक आवेदन के साथ, आवेदित प्रमाणपत्र या विस्तार के संबंध में न्यायालय फीस अधिनियम, 1870 (1870 का अधिनियम सं. 7) के अधीन संदेय फीस के समतुल्य राशि जमा की जाएगी।

(2) यदि आवेदन अनुज्ञात किया जाता है तो आवेदक द्वारा जमा राशि को पूर्वोक्त रूप में संदेय फीस के द्योतन के लिए स्टाम्प का क्रय करने में, न्यायाधीश के निदेशाधीन व्यय किया जाएगा।

(3) ऐसी कोई राशि, जो उप-धारा (1) के अधीन प्राप्त की गई है और उप-धारा (2) के अधीन व्यय नहीं की गई है, उस व्यक्ति को प्रतिदत्त की जाएगी जिसने वह जमा की है।

374. प्रमाणपत्र का स्थानीय विस्तार.- इस अध्याय के अधीन प्रमाणपत्र का प्रभाव संपूर्ण भारत पर होगा।

375. प्रमाणपत्र का प्रभाव.- इस अध्याय के उपबंधों के अध्यधीन रहते हुए, जिला न्यायाधीश का प्रमाणपत्र उसमें विनिर्दिष्ट ऋणों और प्रतिभूतियों के संबंध में उन व्यक्तियों के विरुद्ध निश्चायक होगा जो ऐसे ऋणों के शोध या ऐसी प्रतिभूतियों पर दायी हैं, ऐसे समस्त व्यक्तियों को, उस व्यक्ति, को जिसे प्रमाणपत्र अनुदत्त किया गया था, ऐसे ऋणों या प्रतिभूतियों के संबंध में सद्भाविक रूप से किए गए समस्त व्यवहारों के संबंध में पूर्ण परित्राण प्रदान करेगा।

376. प्रमाणपत्र का प्रतिसंहरण.- इस अध्याय के अधीन अनुदत्त प्रमाणपत्र निम्नलिखित में से किन्हीं भी कारणों से प्रतिसंहरित किया जा सकेगा, अर्थात्-

- (1) प्रमाणपत्र अभिप्राप्त करने की कार्यवाहियां सारतः त्रुटिपूर्ण थी;
- (2) प्रमाणपत्र मिथ्या सुझाव देकर या मामले के लिए किसी तात्त्विक बात को न्यायालय से छिपाकर कपटपूर्वक अभिप्राप्त किया गया था;
- (3) प्रमाणपत्र उसके अनुदान को न्यायोचित बनाने के लिए विधि की दृष्टि से आवश्यक तथ्य के असत्य अभिकथन के माध्यम से अभिप्राप्त किया गया था, यद्यपि ऐसे अभिकथन को अनभिज्ञता या अनवधानतापूर्वक किया गया था;

(4) प्रमाणपत्र परिस्थितियों के कारण अनुपयोगी और अप्रवर्तनीय हो गया है;

(5) प्रमाणपत्र में विनिर्दिष्ट ऋणों या प्रत्तिभूतियों को समाविष्ट करने वाली चीजबस्त के संबंध में किसी वाद या अन्य कार्यवाहियों में सक्षम न्यायालय द्वारा दी गई डिक्री या आदेश के कारण प्रमाणपत्र को प्रतिसंहत कर दिया जाना उचित हो गया है।

377. अपीलें.- (1) इस अध्याय के अन्य उपबन्धों के अधीन रहते हुए, इस अध्याय के अधीन प्रमाणपत्र को अनुदत्त, नामंजूर या प्रतिसंहत करने वाले जिला न्यायाधीश के आदेश से अपील उच्च न्यायालय को की जाएगी और उच्च न्यायालय, यदि वह ठीक समझे तो, अपील में अपने आदेश द्वारा उस व्यक्ति की घोषणा कर सकेगा जिसे प्रमाणपत्र दिया जाना चाहिए और जिला न्यायाधीश को यह निदेश दे सकेगा कि वह अनुदान का आवेदन किए जाने पर पहले से अनुदत्त प्रमाणपत्र का, यदि कोई हो, अधिक्रमण करते हुए तदनुसार प्रमाणपत्र अनुदत्त करे।

(2) उप-धारा (1) के अधीन कोई अपील सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 (1908 का केन्द्रीय अधिनियम सं. 5) के अधीन किसी अपील के लिए अनुज्ञात समय के भीतर की जानी चाहिए।

(3) उप-धारा (1) के उपबन्धों के और सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 (1908 का केन्द्रीय अधिनियम सं. 5) की धारा 141 द्वारा यथा लागू उस संहिता के, उच्च न्यायालय को निर्देश या उसके द्वारा पुनरीक्षण के और निर्णय के पुनर्विलोकन के संबंध में, उपबन्धों के अधीन रहते हुए इस भाग के अधीन जिला न्यायाधीश का आदेश अंतिम होगा।

378. पूर्ववर्ती प्रमाणपत्र, प्रोबेट या प्रशासन-पत्र का प्रमाणपत्र पर प्रभाव.- इस भाग द्वारा जैसा उपबंधित है उसके सिवाय, मृत व्यक्ति की किसी चीजबस्त के संबंध में इसके अधीन अनुदत्त प्रमाणपत्र अविधिमान्य होगा यदि मृत व्यक्ति की संपदा के संबंध में ऐसे

प्रमाणपत्र या प्रोबेट या प्रशासन-पत्र का कोई पूर्व अनुदान किया गया है और यदि ऐसा पूर्व अनुदान प्रवृत्त है।

379. अविधिमान्य प्रमाणपत्र के धारक को सद्भाव में किए गए कतिपय संदायों का विधिमान्यकरण.- जहां इस अध्याय के अधीन कोई प्रमाणपत्र अधिक्रांत कर दिया गया है या धारा 376 के अधीन प्रमाणपत्र को प्रतिसंहत कर दिए जाने के कारण या धारा 377 के अधीन किसी अपीलीय आदेश में नामित व्यक्ति को प्रमाणपत्र का अनुदान करने के कारण या प्रमाणपत्र के पूर्ववर्ती अनुदान के कारण या किसी अन्य कारण से अविधिमान्य है वहां उस अधिक्रमण या अविधिमान्यता को अनभिज्ञता में ऐसे अधिक्रांत या अविधिमान्य प्रमाणपत्र में विनिर्दिष्ट ऋणों या प्रतिभूतियों के संबंध में ऐसे प्रमाणपत्र के धारक को किए गए समस्त संदाय या उसके साथ किए गए संव्यवहार किसी अन्य प्रमाणपत्र के अधीन दावों के प्रति मान्य होंगे।

380. इस भाग के अधीन विनिश्चयों का प्रभाव और उसके अधीन प्रमाणपत्र धारक का दायित्व.- किन्हीं पक्षकारों के बीच अधिकार के किसी प्रश्न पर इस अध्याय के अधीन कोई विनिश्चय उन्हीं पक्षकारों के बीच किसी वाद या किसी अन्य कार्यवाही में उसी प्रश्न के विचारण को पारित करने वाला नहीं माना जाएगा और इस अध्याय की किसी बात का इस प्रकार अर्थान्वयन नहीं किया जाएगा कि वह किसी ऐसे व्यक्ति के, जो किसी ऋण या प्रतिभूति का संपूर्ण या उसका कोई भाग या किसी प्रतिभूति पर कोई ब्याज या लाभांश प्राप्त करता है, उसके लिए विधिपूर्ण रीति से हकदार व्यक्ति को उसका लेखा-जोखा देने के दायित्व पर प्रभाव डालता है।

381. इस भाग के प्रयोजनों के लिए जिला न्यायालयों की अधिकारिता अवर न्यायालय को प्रदान करना.- (1) राज्य सरकार इस अध्याय के अधीन जिला न्यायाधीश के कृत्यों का प्रयोग करने की शक्ति

जिला न्यायाधीश की श्रेणी से अवर श्रेणी के किसी न्यायालय को, राजस्थान के राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, प्रदान कर सकेगी।

(2) इस प्रकार शक्ति प्राप्त किसी अवर न्यायालय को अपनी अधिकारिता की स्थानीय सीमाओं के भीतर, इस अध्याय द्वारा जिला न्यायाधीश को प्रदत्त समस्त शक्तियों का प्रयोग करने में जिला न्यायाधीश के साथ समवर्ती अधिकारिता होगी और जिला न्यायाधीश से संबंधित इस अध्याय के उपबन्ध ऐसे अवर न्यायालय को वैसे ही लागू होंगे मानो वह जिला न्यायाधीश हो:

परन्तु किसी अवर न्यायालय के किसी ऐसे आदेश से जैसा धारा 377 की उप-धारा (1) में वर्णित है कोई अपील जिला न्यायाधीश को की जाएगी और ना कि उच्च न्यायालय को और जिला न्यायाधीश, यदि वह ठीक समझे, अपील पर अपने आदेश द्वारा कोई ऐसी घोषणा या ऐसा निदेश कर सकेगा जैसा उस उप-धारा में जिला न्यायाधीश के आदेश से अपील पर उच्च न्यायालय को अपने आदेश द्वारा करने के लिए प्राधिकृत किया गया है।

(3) अंतिम पूर्ववर्ती उप-धारा के अधीन, अवर न्यायालय के आदेश से अपील पर जिला न्यायाधीश का आदेश, उच्च न्यायालय को निर्देश या उसके द्वारा पुनरीक्षण के संबंध में या निर्णय के पुनर्विलोकन के संबंध में सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 (1908 का केन्द्रीय अधिनियम सं. 5) के उपबन्धों के अधीन रहते हुए, जैसा कि उस संहिता की धारा 141 द्वारा लागू हैं, अंतिम होगा।

(4) जिला न्यायाधीश इस अध्याय के अधीन किसी कार्यवाही को अवर न्यायालय से प्रत्याहृत कर सकेगा और उसे या तो स्वयं निपटा सकेगा या जिला न्यायाधीश की अधिकारिता की स्थानीय सीमाओं के भीतर स्थापित ऐसे किसी अन्य न्यायालय को, जिसके पास उन कार्यवाहियों को निपटाने का प्राधिकार हो, अन्तरित कर सकेगा।

(5) उप-धारा (1) के अधीन किसी अधिसूचना में किसी स्थानीय क्षेत्र के किसी अवर न्यायालय को विशेष रूप से या ऐसे न्यायालयों के किसी वर्ग को विनिर्दिष्ट किया जा सकेगा।

(6) कोई सिविल न्यायालय, जो किसी अधिनियमिति के किन्हीं प्रयोजनों के लिए जिला न्यायाधीश का अधीनस्थ है या उसके नियंत्रणाधीन है, इस धारा के प्रयोजनों के लिए जिला न्यायाधीश के ग्रेड से अवर ग्रेड का न्यायालय माना जाएगा ।

382. अधिकांत और अविधिमान्य प्रमाणपत्रों का अभ्यर्पण.- (1) जब इस अध्याय के अधीन कोई प्रमाणपत्र, धारा 379 में वर्णित किन्हीं कारणों से अधिकांत कर दिया गया है या अविधिमान्य है तब उसका धारक, अनुदत्त करने वाले न्यायालय की अध्यक्षता पर, प्रमाणपत्र उस न्यायालय को परिदत्त करेगा।

(2) यदि यह जानबूझकर या युक्तियुक्त कारण के बिना ऐसे परिदान का लोप करता है तो वह जुर्माने से, जो दस हजार रुपए तक का हो सकेगा या कारावास से, जिसकी अवधि तीन मास तक की हो सकेगी, या दोनों से, दण्डनीय होगा।

अध्याय-7

प्रकीर्ण

383. व्यावृत्ति.- इस भाग के अध्याय-2 में कोई भी बात वसीयतकर्ता को निम्नलिखित के लिए प्राधिकृत नहीं करती -

(1) ऐसी संपदा की वसीयत, जिसे वह जीवित व्यक्तियों के बीच बांट सकता था;

(2) किसी व्यक्ति को, जिसे भरण-पोषण के किसी अधिकार से वंचित करे, जो विल द्वारा उसे अन्यथा वंचित नहीं कर सकता था।

भाग-3

लिव-इन रिलेशनशिप

384. लिव-इन रिलेशनशिप के पार्टनरों द्वारा कथन का प्रस्तुतिकरण.- (1) राज्य के भीतर लिव-इन रिलेशनशिप के पार्टनरों के लिए, चाहे वे राजस्थान के निवासी हों या नहीं, धारा 387 की उप-धारा (1) के अधीन उस रजिस्ट्रार के समक्ष लिव-इन रिलेशनशिप का कथन

प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा जिसकी अधिकारिता में वे इस प्रकार प्रवास कर रहें हों।

(2) राज्य के राज्यक्षेत्र के बाहर लिव-इन रिलेशनशिप में रहने वाला राजस्थान का कोई भी निवासी, धारा 387 की उप-धारा (1) के अधीन लिव-इन रिलेशनशिप का कथन उस रजिस्ट्रार के समक्ष प्रस्तुत कर सकेगा जिसकी अधिकारिता में ऐसा (ऐसे) निवासी सामान्यतः निवास करता/करते हो।

385. लिव-इन रिलेशनशिप से बालक.- लिव-इन रिलेशनशिप का कोई भी बालक लिव-इन रिलेशनशिप युगल का धर्मज बालक होगा।

386. लिव-इन रिलेशनशिप का रजिस्ट्रिकरण कब नहीं किया जाना.- दो व्यक्तियों के बीच लिव-इन रिलेशनशिप रजिस्ट्रीकृत नहीं की जायेगी,-

(1) जहां पार्टनर धारा 3 की उप-धारा (1) के खंड (घ) के अधीन यथा परिभाषित प्रतिषिद्ध नातेदारी की डिग्री के भीतर आते हों:

परन्तु प्रतिषेध ऐसे व्यक्ति (व्यक्तियों) पर लागू नहीं होगा जिनकी रूढ़ि और प्रथा ऐसे रिलेशनशिप, यदि यह विवाह होता, की अनुमति देते हों,

(2) जहां ऐसे व्यक्तियों में से कम से कम एक विवाहित हो या पहले से ही लिव-इन रिलेशनशिप में हो; या

(3) जहां ऐसे व्यक्तियों में से कम से कम एक अवयस्क हो; या

(4) जहां पार्टनरों में से किसी एक की सम्मति बलपूर्वक, प्रपीड़न से, अनुचित प्रभाव अथवा दूसरे पार्टनर के संबंध में किसी भी सारवान तथ्य या परिस्थिति के बारे में दुर्यपदेशन या कपट, जिसमें उसकी पहचान भी सम्मिलित है. द्वारा प्राप्त की गई हो।

387. लिव-इन रिलेशनशिप के रजिस्ट्रिकरण की प्रक्रिया.- (1) लिव-इन रिलेशनशिप में के पार्टनर या लिव-इन रिलेशनशिप में प्रवेश करने का आशय रखने वाले व्यक्ति, लिव-इन रिलेशनशिप का कथन

संबंधित रजिस्ट्रार को ऐसे प्रारूप में और ऐसी रीति से, जो विहित की जाए, प्रस्तुत करेंगे।

(2) रजिस्ट्रार इस प्रकार प्रस्तुत लिब-इन रिलेशनशिप के कथन की अंतर्वस्तु की जांच करेगा और जांच द्वारा अपना यह समाधान करेगा कि लिब-इन रिलेशनशिप उस प्रकार का नहीं है जैसा धारा 386 के अधीन उल्लिखित है।

(3) उप-धारा (2) के अधीन संक्षिप्त जांच करते समय रजिस्ट्रार, पार्टनरों/व्यक्तियों या किसी अन्य व्यक्ति को विहित रीति से सत्यापन के लिए बुला सकेगा और यदि आवश्यक हो तो पार्टनरों/व्यक्तियों से अतिरिक्त जानकारी या साक्ष्य प्रदान करने की अपेक्षा कर सकेगा।

(4) ऐसी संक्षिप्त जांच करने के पश्चात्, जो उचित समझी जायें, उप-धारा (1) के अधीन लिब-इन रिलेशनशिप के कथन की प्राप्ति के तीस दिवस के भीतर, रजिस्ट्रार-

- (क) या तो लिब-इन रिलेशनशिप को रजिस्ट्रीकृत करने के लिए विहित रजिस्टर में ऐसे कथन की प्रविष्टि करेगा और पार्टनरों/व्यक्तियों को विहित प्रारूप में रजिस्ट्रीकरण प्रमाणपत्र जारी करेगा; या
- (ख) ऐसे कथन को रजिस्टर करने से इन्कार करेगा और जिस दशा में रजिस्ट्रार पार्टनरों/व्यक्तियों को ऐसे इन्कार करने के कारणों को लिखित रूप में सूचित करेगा।

388. इस भाग के अधीन रजिस्ट्रीकरण का केवल अभिलेख के लिए होना.- धारा 387 की उप-धारा (4) के खंड (क) के अधीन लिब-इन रिलेशनशिप से संबंधित रजिस्ट्रीकरण केवल अभिलेख के प्रयोजनों के लिए होगा।

389. इस भाग के अधीन रजिस्ट्रार का सशक्तिकरण और रजिस्ट्रारों का संधारण.- (1) राज्य सरकार, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, भाग-1 के अधीन नियुक्त रजिस्ट्रार को इस भाग के अधीन रजिस्ट्रार के रूप में कार्य करने के लिए सशक्त कर सकेगी।

(2) रजिस्ट्रार लिव-इन रिलेशनशिप के कथनों के लिए और लिव-इन रिलेशनशिप की समाप्ति के कथनों के लिए ऐसी रीति से रजिस्ट्रार संधारित करेगा, जो विहित की जाये।

390. लिव-इन रिलेशनशिप की समाप्ति के कथन का प्रस्तुतिकरण.- लिव-इन रिलेशनशिप के दोनों पार्टनर या दोनों में से कोई एक इसे समाप्त कर सकेगा और उस रजिस्ट्रार को, जिसकी अधिकारिता के भीतर ऐसे निवासी निवास करता है/करते हैं, विहित प्ररूप और विहित रीति से समाप्ति का कथन प्रस्तुत कर सकेगा। उस मामले में जहां पार्टनरों में से केवल एक लिव-इन रिलेशनशिप को समाप्त करता है रजिस्ट्रार वहां ऐसे कथन की एक प्रति दूसरे पार्टनर को उपलब्ध करायेगा। ऐसे मामलों में रजिस्ट्रार, राज्य सरकार द्वारा विहित प्ररूप में, दोनों पार्टनरों को लिव-इन रिलेशनशिप की समाप्ति से संबंधित एक प्रमाणपत्र जारी करेगा:

परन्तु, कोई लिव-इन रिलेशनशिप स्वतः समाप्त हुई मानी जायेगी यदि दोनों पार्टनर इस संहिता के सुसंगत उपबंधों के अनुसार एक दूसरे से विवाह कर लेते हैं।

391. रजिस्ट्रार के कर्तव्य.- (1) रजिस्ट्रार, धारा 387 की उप-धारा (1) के अधीन प्रस्तुत लिव-इन रिलेशनशिप का कोई भी कथन, अभिलेख के प्रयोजन के लिए स्थानीय थाने के प्रभारी अधिकारी को भेजेगा, और यदि पार्टनरों में से कोई भी इक्कीस वर्ष से कम आयु का हो, तो ऐसे पार्टनर (पार्टनरों) के माता-पिता/अभिभावकों को भी सूचित करेगा।

(2) यदि रजिस्ट्रार इस निष्कर्ष पर पहुंचता है कि लिव-इन रिलेशनशिप इस प्रकार का है जैसा कि धारा 386 के अधीन उल्लिखित

है, या कि धारा 387 की उप-धारा (1) के अधीन प्रस्तुत कथन की अंतर्वस्तु गलत या संदिग्ध है, तो वह समुचित कार्रवाई के लिए स्थानीय थाने के प्रभारी अधिकारी को सूचित करेगा।

(3) लिव-इन रिलेशनशिप के एक पार्टनर द्वारा धारा 390 के अधीन समाप्ति का कथन प्रस्तुत किये जाने पर, रजिस्ट्रार दूसरे पार्टनर को ऐसे कथन के बारे में सूचित करेगा, और यदि दोनों में से किसी एक की आयु इक्कीस वर्ष से कम हो, तो ऐसे पार्टनर के माता-पिता/अभिभावकों को भी सूचित करेगा।

392. लिव-इन रिलेशनशिप के रजिस्ट्रीकरण के लिए नोटिस.- जहां लिव-इन रिलेशनशिप का कोई भी पार्टनर ऐसे रिलेशनशिप का कथन प्रस्तुत करने में विफल रहता है, वहां रजिस्ट्रार स्वप्रेरणा से या इस संबंध में शिकायत या जानकारी प्राप्त होने पर, नोटिस द्वारा ऐसे पार्टनरों से नोटिस प्राप्ति की तारीख के तीस दिनों के भीतर विहित रीति से कथन प्रस्तुत करने की अपेक्षा करेगा। ऐसा कथन प्रस्तुत किए जाने पर, रजिस्ट्रार पूर्ववर्ती उपबंधों में अधिकथित प्रक्रिया के अनुसार कार्य करेगा।

अपराध और दण्ड

393. लिव-इन रिलेशनशिप के कथन के अप्रस्तुतीकरण के लिए दण्ड.- जो कोई भी धारा 387 की उप-धारा (1) के अधीन लिव-इन रिलेशनशिप का कथन प्रस्तुत किये बिना रहता है, लिव-इन रिलेशनशिप में प्रवेश की तारीख से एक मास से अधिक समय तक ऐसे रिलेशनशिप में रहते हुए, वह न्यायिक मजिस्ट्रेट द्वारा दोषसिद्धि पर ऐसी अवधि के कारावास से जो तीन मास तक की हो सकेगी या दस हजार रुपये से अनधिक जुर्माने से या दोनों से दण्डनीय होगा।

394. लिव-इन रिलेशनशिप के कथन में मिथ्या प्रकथन के लिए दण्ड.- कोई व्यक्ति जो धारा 387 की उप-धारा (1) के अधीन प्रस्तुत लिव-इन रिलेशनशिप के कथन में ऐसा कोई प्रकथन करता है जो मिथ्या है और जिसका मिथ्या होने की जानकारी उसे है या ऐसा विश्वास करने

का कारण रखता/रखती है या वह सारवान तथ्य को विधारित करता है जिससे रजिस्ट्रार के इस विनिश्चय को प्रभावित करता हो कि लिव-इन रिलेशनशिप को रजिस्ट्रीकृत किया जाये या ऐसा करना इन्कार किया जाये, वह ऐसी अवधि के कारावास से जो तीन मास तक की हो सकेगी या पच्चीस हजार रुपये से अनधिक जुर्माने से या दोनों से दण्डनीय होगा।

395. धारा 392 के अधीन नोटिस के पश्चात् भी लिव-इन रिलेशनशिप के कथन के अप्रस्तुतीकरण के लिए दण्ड.- लिव-इन रिलेशनशिप में रहने वाला कोई भी पार्टनर, जो धारा 392 के अधीन नोटिस द्वारा अपेक्षा किए जाने पर भी लिव-इन रिलेशनशिप का कथन प्रस्तुत करने में विफल रहता है. तो न्यायिक मजिस्ट्रेट द्वारा दोषसिद्धि पर उसे ऐसी अवधि के कारावास से जो छः मास तक की हो सकेगी या पच्चीस हजार रुपये से अनधिक जुर्माने से या दोनों से दण्डनीय होगा।

396. बल, प्रपीड़न या कपट द्वारा लिव-इन रिलेशनशिप के लिए सम्मति अभिप्राप्त करने के लिए दण्ड.- जो कोई लिव-इन रिलेशनशिप की स्थापना के लिए किसी व्यक्ति की सम्मति बल, प्रपीड़न या कपट द्वारा अभिप्राप्त करता है, तो वह ऐसी अवधि के कारावास से दण्डनीय होगा जो पाँच वर्ष तक की हो सकेगी और जुर्माने के लिए भी दायी होगा।

397. धारा 386 की उप-धारा (2) के उल्लंघन में लिव-इन रिलेशनशिप में रहने के लिए दण्ड.- जो कोई धारा 386 की उप-धारा (2) के उल्लंघन में लिव-इन रिलेशनशिप में रहता है, वह ऐसी अवधि के कारावास से दण्डनीय होगा जो पाँच वर्ष तक की हो सकेगी और जुर्माने के लिए भी दायी होगा:

परन्तु इस उप-धारा की कोई बात ऐसे व्यक्ति पर लागू नहीं होगी जिसने लिव-इन रिलेशनशिप समाप्त कर ली या जिसके पार्टनर के बारे में सात या इससे अधिक वर्ष तक सुना नहीं गया है।

398. अवयस्क के साथ लिव-इन रिलेशनशिप में रहने के लिए दण्ड.- कोई वयस्क व्यक्ति जो धारा 386 की उप-धारा (3) के उल्लंघन में किसी अवयस्क के साथ लिव-इन रिलेशनशिप में रहता है, वह लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम, 2012 (2012 का केन्द्रीय अधिनियम सं. 32) में अधिकथित उपबंधों के अनुसार दण्डनीय होगा।

399. भरण-पोषण.- यदि कोई महिला, जो अपने लिव-इन पार्टनर द्वारा अधित्यक्त कर दी गई है, अपने लिए भरण-पोषण का दावा करने की हकदार होगी, जिसके लिए वह उस स्थान पर अधिकारिता रखने वाले सक्षम न्यायालय में जहां उन्होंने अन्तिम बार सहवास किया था, अनुरोध कर सकेगी और ऐसे मामले में इस संहिता के भाग-1 के अध्याय-5 में अधिकथित उपबंध यथाआवश्यक परिवर्तनों सहित लागू होंगे।

400. लिव-इन रिलेशनशिप के कथन के नामंजूर किए जाने के विरुद्ध अपील.- (1) जहां रजिस्ट्रार धारा 387 की उप-धारा (1) के अधीन प्रस्तुत लिव-इन रिलेशनशिप के कथन को नामंजूर कर देता है, वहां दोनों या कोई एक पार्टनर ऐसी नामंजूरी के आदेश की प्राप्ति के तीस दिवस के भीतर महा रजिस्ट्रार को या ऐसी अपीलों का विनिश्चय करने के लिए राज्य सरकार द्वारा पदाभिहित किसी पदधारी को, जिसका विनिश्चय अंतिम होगा, अपील कर सकेगा:

परन्तु, महा रजिस्ट्रार या पदाभिहित पदधारी विहित समय के पश्चात् प्रस्तुत अपील को, उसका यह समाधान हो जाने पर कि ऐसे समय के भीतर अपील प्रस्तुत नहीं किए जाने के लिए पर्याप्त आधार हैं, ग्रहण कर सकेगा।

(2) उप-धारा (1) के अधीन कोई अपील, नामंजूरी आदेश की सम्यक् रूप से सत्यापित प्रति सहित और ऐसे प्ररूप में और ऐसी रीति से की जायेगी जो विहित की जाए।

(3) अपील का विनिश्चय करते हुए, महा रजिस्ट्रार या पदाभिहित पदधारी, जिसे उप-धारा (1) के अधीन कोई अपील, प्रस्तुत की गई है, परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए और कारणों को लिखित में

अभिलिखित करते हुए या तो रजिस्ट्रार को विहित रजिस्टर में विशिष्टियां प्रविष्टि और रजिस्ट्रीकरण प्रमाणपत्र जारी करने का निदेश देगा या रजिस्ट्रार के आदेश की पुष्टि करेगा:

परन्तु रजिस्ट्रार के आदेश की पुष्टि का कोई आदेश ऐसे पार्टनरों को सुनवाई का अवसर उपलब्ध कराए बिना नहीं किया जाएगा।

(4) इस उप-धारा (1) के अधीन किसी अपील का विनिश्चय, यथासंभव, इसे फाइल किए जाने के साठ दिवस की कालावधि के भीतर किया जाएगा।

401. नियम बनाने की शक्ति.- राज्य सरकार, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, इस भाग के प्रयोजनों को कार्यान्वित करने के लिए नियम बना सकेगी।

भाग-4

प्रकीर्ण

402. निरसन और व्यावृत्तियां.- (1) इस संहिता की धारा 2 के उपबंधों के अध्यधीन रहते हुए, इस संहिता के प्रारंभ के ठीक पूर्व राज्य में प्रवृत्त इस संहिता के अंतर्गत आने वाले विषयों से संबंधित कोई विधि (कानूनी या अन्यथा), पद्धति, रूढ़ि और प्रथा राज्य के राज्यक्षेत्र के भीतर प्रभावहीन होंगे। जहां तक वे इस संहिता में अंतर्विष्ट उपबंधों में से किसी से असंगत हैं।

(2) इस संहिता में अंतर्विष्ट कोई भी बात, इस संहिता के अंतर्गत आने वाले विषयों से संबंधित, इस संहिता के प्रारंभ के पूर्व तत्समय प्रवृत्त किसी विधि के अधीन प्रोद्भूत किसी अधिकार, दायित्व या बाध्यता या आरंभ की गई कार्यवाहियों को प्रभावित नहीं करेगी, और ऐसी कार्यवाहियां इस संहिता के प्रारंभ की तारीख को विद्यमान विधि (कानूनी या अन्यथा), पद्धति, रूढ़ि या प्रथा के अनुसार विद्यमान रहेंगी।

(3) राजस्थान विवाहों का अनिवार्य रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 2009 इसके द्वारा निरसित किया जाता है।

403. नियम बनाने की शक्ति.- (1) राज्य सरकार, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, इस संहिता के प्रयोजनों को क्रियान्वित करने के लिए नियम बना सकेगी।

(2) पूर्वगामी शक्ति की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, ऐसे नियम निम्नलिखित में से किसी या समस्त विषयों के लिए उपबंध कर सकेंगे, अर्थात्-

- (क) इलेक्ट्रानिक और डिजिटल सिस्टम की स्थापना, जिसमें इलेक्ट्रानिक रजिस्टर को सम्मिलित है, द्वारा प्रक्रियाओं को सुकर बनाना, और अभिहित वेब पोर्टलों के माध्यम से पक्षकारों को प्रस्तुतीकरण और आवेदन करने के लिए अनुज्ञेय करना; और
- (ख) विवाहों के रजिस्ट्रीकरण की सुगमता और प्रोत्साहन, जिसमें सरकार द्वारा प्रायोजित कल्याणकारी योजनाओं का फायदा उठाने के लिए रजिस्ट्रीकरण की अनिवार्यता सम्मिलित है; और
- (ग) अन्य कोई मामला जिसे नियमों द्वारा विहित या उपबंधित किया जाना अपेक्षित हो या किया जाये।

404. कठिनाइयों के निराकरण की शक्ति.- (1) यदि इस संहिता के उपबंधों को प्रभावी बनाने में कोई कठिनाई उत्पन्न होती है तो राज्य सरकार, राजपत्र में प्रकाशित आदेश द्वारा, ऐसे उपबंध कर सकेगी जो इस संहिता के उपबंधों से असंगत नहीं हो और जो उन कठिनाई के निराकरण के लिए उसे आवश्यक या समीचीन प्रतीत हों:

परन्तु ऐसा कोई भी आदेश इस संहिता के प्रारम्भ से दो वर्ष की कालावधि की समाप्ति के पश्चात् नहीं किया जायेगा।

(2) इस धारा के अधीन किया गया प्रत्येक आदेश, इसके किये जाने के पश्चात् यथाशक्य शीघ्र, राज्य विधानसभा के समक्ष रखा जायेगा।

अनुसूची-1

[धारा 3 (1) (घ) देखिये]
प्रतिषिद्ध नातेदारियों की सूचियां

सूची-1

1. माता।
2. पिता की विधवा (सौतेली माता)।
3. माता की माता।
4. माता के पिता की विधवा (सौतेली मातामही)।
5. माता की माता की माता।
6. माता की माता के पिता की विधवा (सौतेली प्रमातामही)।
7. माता के पिता की माता।
8. माता के पिता के पिता की विधवा (सौतेली प्रमातामही)।
9. पिता की माता।
10. पिता के पिता की विधवा (सौतेली पितामही)।
11. पिता की माता की माता।
12. पिता की माता के पिता की विधवा (सौतेली प्रमातामही)।
13. पिता के पिता की माता।
14. पिता के पिता के पिता की विधवा (सौतेली प्रपितामही)।
15. पुत्री।
16. पुत्र की विधवा।
17. पुत्री की पुत्री।
18. पुत्री के पुत्र की विधवा।
19. पुत्र की पुत्री।
20. पुत्र के पुत्र की विधवा।
21. पुत्री की पुत्री की पुत्री।
22. पुत्री की पुत्री के पुत्र की विधवा।
23. पुत्री के पुत्र की पुत्री।
24. पुत्री के पुत्र के पुत्र की विधवा।
25. पुत्र की पुत्री की पुत्री।
26. पुत्र की पुत्री के पुत्र की विधवा।

27. पुत्र के पुत्र की पुत्री।
28. पुत्र के पुत्र के पुत्र की विधवा।
29. बहन।
30. बहन की पुत्री।
31. भाई की पुत्री।
32. माता की बहन।
33. पिता की बहन।
34. पिता के भाई की पुत्री।
35. पिता की बहन की पुत्री।
36. माता की बहन की पुत्री।
37. माता के भाई की पुत्री।

स्पष्टीकरण:- इस भाग के प्रयोजनों के लिए, अभिव्यक्ति "विधवा" में विवाह-विच्छिन्न पत्नी भी सम्मिलित है।

सूची-2

1. पिता।
2. माता का पति (सौतेला पिता)।
3. पिता के पिता ।
4. पिता की माता का पति (सौतेला पितामह)।
5. पिता के पिता का पिता।
6. पिता के पिता की माता का पति (सौतेला प्रपितामह)।
7. पिता की माता का पिता।
8. पिता की माता की माता का पति (सौतेला प्रपितामह)।
9. माता के पिता।
10. माता की माता का पति (सौतेला मातामह)।
11. माता के पिता का पिता।
12. माता के पिता की माता का पति (सौतेला प्रमातामह)।
13. माता की माता का पिता।

14. माता की माता की माता का पति (सौतेला प्रमातामह)।
15. पुत्र।
16. पुत्री का पति।
17. पुत्र का पुत्र।
18. पुत्र की पुत्री का पति।
19. पुत्री का पुत्र।
20. पुत्री की पुत्री का पति।
21. पुत्र का पुत्र का पुत्र।
22. पुत्र का पुत्र की पुत्री का पति।
23. पुत्र की पुत्री का पुत्र।
24. पुत्र की पुत्री की पुत्री का पति।
25. पुत्री के पुत्र का पुत्र।
26. पुत्री के पुत्र की पुत्री का पति।
27. पुत्री की पुत्री का पुत्र।
28. पुत्री की पुत्री की पुत्री का पति।
29. भाई।
30. भाई का पुत्र।
31. बहन का पुत्र ।
32. माता का भाई।
33. पिता का भाई।
34. पिता के भाई का पुत्र।
35. पिता की बहन का पुत्र।
36. माता की बहन का पुत्र।
37. माता के भाई का पुत्र।

स्पष्टीकरण:- इस भाग के प्रयोजनों के लिए, अभिव्यक्ति "पति" में विवाह-विच्छिन्न पति भी सम्मिलित है।

अनुसूची-2

[धारा 55 देखिए]

उत्तराधिकार के लिए वारिसों की सूचियां

वर्ग-1

1. पुत्र
2. पुत्री
3. विधवा/विधुर
4. माता और पिता
5. पूर्व मृत पुत्र का पुत्र
6. पूर्व मृत पुत्र की पुत्री
7. पूर्व मृत पुत्री का पुत्र
8. पूर्व मृत पुत्री की पुत्री
9. पूर्व मृत पुत्र की विधवा
10. पूर्व मृत पुत्र के पूर्व मृत पुत्र का पुत्र
11. पूर्व मृत पुत्र के पूर्व मृत पुत्र की पुत्री
12. पूर्व मृत पुत्र के पूर्व मृत पुत्र की विधवा
13. पूर्व मृत पुत्री की पूर्व मृत पुत्री का पुत्र
14. पूर्व मृत पुत्र की पूर्व मृत पुत्री का पुत्र
15. पूर्व मृत पुत्री के पूर्व मृत पुत्र का पुत्र
16. पूर्व मृत पुत्री की पूर्व मृत पुत्री की पुत्री
17. पूर्व मृत पुत्री के पूर्व मृत पुत्र की पुत्री
18. पूर्व मृत पुत्र की पूर्व मृत पुत्री की पुत्री

वर्ग-2

प्रविष्टि-I

(1) भाई

(2) बहन

प्रविष्टि-II	(1) भाई का पुत्र। (2) बहन का पुत्र। (3) भाई की पुत्री। (4) बहन की पुत्री।
प्रविष्टि-III	(1) पिता के पिता। (2) पिता की माता।
प्रविष्टि-IV	(1) पिता की विधवा (सौतेली माता)। (2) भाई की विधवा।
प्रविष्टि-V	(1) पिता का भाई। (2) पिता की बहन।
प्रविष्टि-VI	(1) माता के पिता। (2) माता की माता ।
प्रविष्टि-VII	(1) माता का भाई। (2) माता की बहन।

अनुसूची-3
[धारा 271(2) देखिए]

प्रमाणपत्र का प्ररूप

मैं.....(नाम)..... (जिले का नाम) न्यायाधीश, इसके द्वारा प्रमाणित करता हूं कि..... (तारीख) को..... न्यायालय ने क० ख० (मृतक) निवासी की विल के प्रोबेट (या संपदा के प्रशासन-पत्र) ग० घ० निवासी और ड० च० निवासी को अनुदान किया है और ऐसे प्रोबेट (या पत्रों) का मृतक की भारत में की संपूर्ण संपदा पर प्रभाव होगा।

अनुसूची-4
[धारा 281(4) देखिए]

केविएट का प्ररूप

मृतक क० ख०..... का निवासी था, और उसकी मृत्यु तारीख..... को हुई थी, उसकी संपदा के विषय में कोई भी बात ग० घ० को, जो..... का निवासी है, सूचना दिए बिना न की जाए।

अनुसूची-5
[धारा 286 देखिए]

प्रोबेट का प्ररूप

मैं..... जो..... जिले का न्यायाधीश [या (यहां प्रतिनिधि की अधिकारिता की सीमाएं लिखिए) मैं प्रोबेट या प्रशासन-पत्र के अनुदान के लिए नियुक्त प्रतिनिधि] हूं, यह सर्वविदित करता हूं कि मृतक..... की, जो..... का निवासी था, अंतिम विल, जिसकी एक प्रति इसके साथ उपाबद्ध है, मेरे समक्ष साबित और रजिस्टर की गयी थी और यह कि मृतक और उसके विल से किसी भी प्रकार संबंधित संपदा और पावनों के प्रशासन का अनुदान उस विल में नामित निष्पादक को, उसके द्वारा यह वचनबद्ध किए जाने पर किया गया है कि वह उसका प्रशासन करेगा और इस अनुदान की तारीख से छह मास के भीतर या ऐसे अतिरिक्त समय के भीतर, जो न्यायालय समय-समय पर नियत करे, उक्त संपदा और पावनों की पूर्ण और सही तालिका बनाकर उसे इस न्यायालय में प्रदर्शित करेगा तथा उसी तारीख से एक वर्ष के भीतर या ऐसे अतिरिक्त समय के भीतर, जो न्यायालय समय-समय पर नियत करे, उक्त संपदा और पावनों का सच्चा लेखा भी इस न्यायालय को देगा।

अनुसूची-6

[धारा 287 देखिए]

प्रशासन-पत्र का प्ररूप

मैं..... जो.....जिले का न्यायाधीश [या (यहां प्रतिनिधि की अधिकारिता की सीमाएं लिखिए) मैं प्रोबेट या प्रशासन-पत्र के अनुदान के लिए, नियुक्त प्रतिनिधि] हूं, यह सर्वविदित करता हूं कि मृतक की, जो का निवासी था, संपदा और पावनों के प्रशासन-पत्र का (जिसके साथ विल उपाबद्ध है/नहीं है) अनुदान मृतक के पिता (या जो स्थिति हो वह लिखिए)..... को, उसके द्वारा यह वचनबद्ध किये जाने पर किया गया है कि वह उसका प्रशासन करेगा और इस अनुदान की तारीख से छह मास के भीतर या ऐसे अतिरिक्त समय के भीतर, जो न्यायालय समय-समय पर नियत करे, उक्त संपदा और पावनों की पूर्ण और सही तालिका बनाकर उसे इस न्यायालय में प्रदर्शित करेगा और उसी तारीख से एक वर्ष के भीतर या ऐसे अतिरिक्त समय के भीतर, जो न्यायालय समय-समय पर नियत करे, उक्त संपदा और पावनों का सच्चा लेखा भी इस न्यायालय को देगा।

अनुसूची-7

[धारा 371 देखिए]

प्रमाणपत्र और विस्तारित प्रमाणपत्र के प्ररूप

..... का न्यायालय

प्रेषिती, क ख

आपने निम्नलिखित ऋणों और प्रतिभूतियों के संबंध में राजस्थान समान नागरिक संहिता, 2026 के भाग-2 के अध्याय-6 के अधीन प्रमाणपत्र के लिए तारीख..... को आवेदन किया है, अर्थात्:-

ऋण

क्रम संख्या	ऋणी का नाम	प्रमाणपत्र के लिए आवेदन की तारीख को ब्याज सहित ऋण की रकम	लिखत का विवरण और तारीख, यदि कोई हो, जिसके द्वारा ऋण प्रतिभूत किया गया है

प्रतिभूतियां

क्रम संख्या	विवरण			प्रमाणपत्र के आवेदन की तारीख के समय प्रतिभूति का बाजार मूल्य
	प्रतिभूति की सुभिन्नक संख्या या अक्षर	प्रतिभूति का नाम, शीर्षक या वर्ग	प्रतिभूति की रकम या समतुल्य मूल्य	

तदनुसार यह प्रमाणपत्र आप को अनुदत्त किया जाता है और यह प्रमाणपत्र आपको उन ऋण के संग्रह करने के लिए (और) (उन प्रतिभूतियां) (पर) (ब्याज) (लाभांश) (प्राप्त करने के लिए) (उनका) (अन्तरण करने के लिए) सशक्त करता है।

तारीख.....

जिला न्यायधीश

.....का न्यायालय

क. ख. के मुद्दों को किए गए तारीख..... वाले आवेदन पर मैं इस प्रमाणपत्र का विस्तार निम्नलिखित ऋणों और प्रतिभूतियों पर करता हूँ, अर्थात्:

ऋण

क्रम संख्या	ऋणी का नाम	विस्तार के लिए आवेदन की तारीख से ब्याज सहित ऋण की रकम	यदि ऋण किसी लिखत द्वारा प्रतिभूत है तो उसका वर्णन और उसकी तारीख
-------------	------------	---	---

प्रतिभूति

क्रम संख्या	विवरण			प्रमाणपत्र के लिए आवेदन की तारीख को प्रतिभूति का बाजार मूल्य
	प्रतिभूति की सुभिन्नक संख्या या अक्षर	प्रतिभूति का नाम, शीर्षक या वर्ग	प्रतिभूति की रकम या समतुल्य मूल्य	

यह विस्तार क. ख. को उन ऋणों का संग्रह करने के लिए (और) (उन प्रतिभूतियों) (पर) (ब्याज) (लाभांश) (प्राप्त करने के लिए) (उनका परक्रामण करने के लिए) (अन्तरण करने के लिए) सशक्त करता है।

तारीख

जिला न्यायाधीश

उद्देश्यों और कारणों का कथन

राजस्थान राज्य अपने समस्त नागरिकों के लिए स्वीय विधियों में समता, न्याय और एकरूपता सुनिश्चित करने के सर्वोपरि महत्व को मान्यता देता है। इस दृष्टि से ऐसे व्यापक विधायन का अधिनियमन अनिवार्य है जो न केवल विवाह, विवाह-विच्छेद, उत्तराधिकार और लिव-इन रिलेशनशिप से संबंधित विधियों में सामंजस्य स्थापित करे अपितु अधिक साम्यापूर्ण और सुरक्षित सामाजिक पर्यावरण को भी प्रोत्साहित करे।

प्रस्तावित विधेयक की प्रमुख विशेषताओं में एक एकीकृत विधिक ढांचे की स्थापना सम्मिलित है जो विविध रूढ़िगत परिपाटियों से परे हो, जो विधिमान्य विवाहों के लिए शर्तें, विवाह-विच्छेद के आधारों और भरण-पोषण के अधिकारों के मानकीकरण में निर्णायक भूमिका निभाएगा। यह संहिता संविधान द्वारा प्रत्याभूत अनुसूचित जनजातियों और अन्य विशिष्ट समूहों के संरक्षित रूढ़िगत अधिकारों को सावधानीपूर्वक संरक्षित रखते हुए राजस्थान के समस्त निवासियों पर लागू होती है। इस विधेयक का उद्देश्य पंथ-निरपेक्षता, लैंगिक न्याय और सामाजिक सुधार के सिद्धांतों को बनाए रखना है जिससे समाज की एकता एवं अखण्डता को सुदृढ़ किया जा सके।

यह विधेयक संहिता के प्रशासनिक कृत्यों के दक्षतापूर्ण निर्वहन को सुकर बनाने के लिए एक महारजिस्ट्रार और स्थानीय रजिस्ट्रारों की नियुक्ति की रूपरेखा प्रस्तुत करता है। इसके अतिरिक्त यह राज्य सरकार को रजिस्ट्रीकरण प्रक्रिया को सरल और कारगर बनाने के लिए और अभिलेखों का पारदर्शी रख-रखाव सुनिश्चित करने के लिए इलेक्ट्रॉनिक रजिस्ट्रारों और अभिहित वेब पोर्टलों की स्थापना करने के लिए सशक्त करता है।

यह विधायन सामाजिक सुरक्षा और वैयक्तिक अधिकारों में और वृद्धि करने के लिए आज्ञापक अध्याप्यों जैसे विवाहों और विवाह-विच्छेद की डिक्रियों के अनिवार्य रजिस्ट्रीकरण को पुरःस्थापित करता है। यह

संपदाओं के उचित वितरण को सुनिश्चित करने के लिए दोनों निर्वसीयती और वसीयती उत्तराधिकार के लिए स्पष्ट, मानकीकृत नियमों की स्थापना करता है। यह विधेयक व्यष्टियों पर इन जीवन घटनाओं को आधिकारिक रूप से रजिस्टर करने का उत्तरदायित्व अधिरोपित करता है और विवादों के सौहार्दपूर्ण समझौते को प्रोत्साहित करने के लिए वाद-पूर्व मध्यस्थता आदेशित करता है।

साथ ही साथ यह विधेयक लिव-इन रिलेशनशिप के पार्टनरों से उनके रिलेशनशिप का एक औपचारिक कथन रजिस्ट्रार को प्रस्तुत करने की अपेक्षा करते हुए आधुनिक सामाजिक गतिशीलता को इंगित करता है जिससे पार्टनरों के अधिकारों को सक्रिय रूप से संरक्षित किया जा सके और ऐसे संबंधों से जन्मे बालकों का धर्मजत्व सुनिश्चित किया जा सके। यह विधेयक रजिस्टर करने में असफल रहने, मिथ्या जानकारी प्रस्तुत करने या कपट, बल या प्रपीड़न के माध्यम से सम्मति अभिप्राप्त करने के लिए कठोर शास्तियों और कारावास को सम्मिलित करते हुए इसके अननुपालन से निपटने के लिए एक सुदृढ़ तंत्र की भी स्थापना करता है।

यह विधेयक पूर्वोक्त उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए ईप्सित है।

अतः विधेयक प्रस्तुत है।

भजन लाल शर्मा,
प्रभारी मंत्री।

प्रत्यायोजित विधान संबंधी ज्ञापन

विधेयक के खण्ड 10, 11, 13, 14, 15, 18, 19, 49, 219, 232, 312, 355, 387, 389, 390, 392, 400 और 403, यदि अधिनियमित किये जाते हैं तो, राज्य सरकार को उक्त खण्डों में अधिकथित मामलों के संबंध में नियम बनाने के लिए सशक्त करेंगे।

प्रस्तावित प्रत्यायोजन सामान्य प्रकृति का है और मुख्यतः ब्यौरे के विषयों से संबंधित है।

भजन लाल शर्मा,
प्रभारी मंत्री।

Bill No.13 of 2026

(Authorised English Translation)

THE RAJASTHAN UNIFORM CIVIL CODE BILL, 2026

(To be introduced in the Rajasthan Legislative Assembly)

*A**Bill**to govern and regulate the laws relating to marriage and divorce, succession, live-in relationship and matters related thereto.*

Be it enacted by the Rajasthan State Legislature in the Seventy-seventh Year of the Republic of India, as follows:-

**CHAPTER - I
PRELIMINARY****1. Short title, extent and commencement.-** (1) This Act may be called the Rajasthan Uniform Civil Code, 2026.

(2) It extends to the whole of the State of Rajasthan and applies also to the residents of Rajasthan who reside outside the territories to which this Code extends.

(3) It shall come into force on such date as the State Government may, by notification in the Official Gazette, appoint.

2. Non-applicability of the Code to Scheduled Tribes and other groups of persons.- Nothing contained in this Code shall apply to,-

(1) the members of Scheduled Tribes within the meaning of clause (25) of Article 366 read with Article 342 of the Constitution of India; and

(2) the persons and group of persons whose customary rights are protected under Part XXI of the Constitution of India.

3. Definitions.- (1) In this Code, unless the context otherwise requires,-

(a) **“child”**, in relation to parents, whether married or not, means their biological child, an adopted child, or a child born through surrogacy or assisted reproductive technology;

(b) **“Court”** means a Court of original civil jurisdiction and includes a Family Court established under the Family Courts Act, 1984 (Central Act No. 66 of 1984) or any Court upon which the powers and jurisdiction of a Family Court are conferred;

(c) **“custom and usage”** signify any rule which, having been continuously and uniformly observed for a long time, has obtained the force of law among persons in any local area, tribe or community:

Provided that the rule is certain and not unreasonable or opposed to public policy or morality;

(d) **“degrees of prohibited relationship”** - a man and any of the persons mentioned in List-1 of the Schedule-1 and a woman and any of the persons mentioned in List-2 of the said Schedule are within the degrees of prohibited relationship.

Explanation 1.- Relationship includes-

- (i) relationship by half or uterine blood as well as by full blood, adoption, surrogacy or assisted reproductive technology,
- (ii) blood relationship established by procreation through marriage or without marriage,

and all terms of relationship in this Code shall be construed accordingly;

Explanation 2.- “full blood” - two persons are said to be related to each other by full blood when they are descended from a common ancestor by the same wife;

Explanation 3.- “half blood” - two persons are said to be related to each other by half blood when they are descended from a common ancestor but by different wives;

Explanation 4.- “uterine blood” - two persons are said to be related to each other by uterine blood when they are descended from a common ancestress but by different husbands;

Explanation 5.- in Explanations 2, 3 and 4, “ancestor” includes the father and “ancestress” includes the mother;

(e) **“estate”** means property of any kind, whether movable or immovable, self-acquired or ancestral/coparcenary/joint,

tangible or intangible and includes a share, interest or right in such property;

(f) “**High Court**” means the High Court of Rajasthan;

(g) “**minor**” means a person who has not attained the age of eighteen years;

(h) “**notification**” means a notification published in the Official Gazette of Rajasthan and the expression “notified” shall be construed accordingly;

(i) “**parent**” means father or mother of a child;

(j) “**person**” means an individual, whether female or male, and the expressions “she/he”, “her/his”, “her/him” and “herself/himself” shall be construed accordingly;

(k) “**prescribed**” means prescribed by rules made under this Code;

(l) “**Registrar**” means the Registrar appointed by the State Government under this Code;

(m) “**Registrar General**” means the Registrar General appointed by the State Government under this Code;

(n) “**resident**”, for the purpose of this Code, means a citizen of India, whether residing within or outside the territories of the State of Rajasthan, who—

(i) is eligible to be a resident under the notification issued by the State Government in this regard, or

(ii) is a permanent employee of the State Government or its undertakings/entities, or

(iii) is a permanent employee of the Central Government or its undertakings/entities, employed within the territory of the State, or

(iv) is a beneficiary of any scheme of the State Government or the Central Government applicable in the State and notified by the State Government for this purpose, or

(v) was born in Rajasthan, and has parents who are residents of Rajasthan, or owns immovable property within the State of Rajasthan, provided that such person does not have domicile in any other State, or

(vi) has been residing in the State for not less than one year.

(o) “**spouse**” means either husband or wife in a marriage;

(p) “**State**” means the State of Rajasthan; and

(q) **“State Government”** means the Government of Rajasthan.

(2) In Part - 1 of this Code, unless the context otherwise requires-

(a) **“maintenance”** includes provision for food, clothing, residence, education, medical attendance and treatment, and special needs, if any; and

(b) **“parties to the marriage”** means a man and a woman between whom marriage has been solemnized/contracted.

(3) In Part - 2 of this Code, unless the context otherwise requires –

(a) **“administrator”** means a person appointed by the competent authority to administer the estate of a deceased person when there is no executor;

(b) **“bequest”** means the act of assigning specific estates of a person to others after the death of that person, and its grammatical variations and cognate expressions shall be construed accordingly;

(c) **“caveat”** means the notice for allowing the applicant to be heard by a Court before granting a probate or administration;

(d) **“codicil”** means an instrument made in relation to a Will, and explaining, altering or adding to its dispositions, and shall be deemed to form part of the Will;

(e) **“District Judge”** means the Judge of a principal civil Court of original jurisdiction in a district, and includes an Additional District Judge;

(f) **“executor”** means a person to whom the execution of the last Will of a deceased person is, by the testator's appointment, confided;

(g) **“heir”** means any person who is entitled to succeed to the estate of an intestate;

(h) **“intestate”** - a person is said to die intestate in respect of estate belonging to such person for which no testamentary disposition capable of taking effect has been made;

(i) **“legacy”** signifies the estate which may pass on from one person to other/others in accordance with the provisions contained in Chapter-II of Part-2 of this Code;

(j) **“probate”** means the copy of a Will certified under the seal of a Court of competent jurisdiction with a grant of administration to the estate of the testator;

(k) **“testator”** means the person who executes a Will; and

(l) “**Will**” means the legal declaration of the intention of a testator with respect to her/his estate which she/he desires to be carried into effect after her/his death.

Explanation.- Words and expressions used in Part-2 and not defined in this sub-section but defined in the Indian Succession Act, 1925 (Central Act No. 39 of 1925), shall have the same meanings assigned to them in that Act.

(4) In Part-3 of this Code, unless the context otherwise requires –

(a) “**live-in relationship**” means a relationship between a man and a woman (hereinafter referred to as “partners”), who cohabit in a shared household through a relationship in the nature of marriage, provided that such relationship is not prohibited under Part - 3 of the Code;

(b) “**shared household**” means a household where a man and a woman, not being minors, live under one roof in a rented accommodation or in a house owned jointly or by any one of them or in any other accommodation;

(c) “**statement of live-in relationship**” means a jointly signed statement to the effect that a man and a woman are in a live-in relationship or intend to enter into such a relationship, and submitted to the Registrar for registration of such a relationship in the prescribed manner; and

(d) “**statement of termination**” means a signed statement by either or both partners to an existing live-in relationship that such relationship has been terminated, and submitted to the Registrar in the prescribed manner.

(5) Words and expressions used in this Code, but not defined herein but defined in the Bharatiya Nyaya Sanhita, 2023 (Central Act No. 45 of 2023) and the Bharatiya Nagarik Suraksha Sanhita, 2023 (Central Act No. 46 of 2023) and the Rajasthan General Clauses Act, 1955 (Act No. 8 of 1955), and any other law for the time being in force in India or State of Rajasthan shall have the meanings respectively assigned to them in those Sanhitas /Acts.

Part – 1
Marriage and Divorce

CHAPTER – I
CONDITIONS FOR SOLEMNIZING / CONTRACTING
MARRIAGE

4. Conditions for a valid marriage.- A marriage may be solemnized / contracted between a man and a woman if the following conditions are fulfilled, namely.-

- (i) neither party has a spouse living at the time of the marriage;
- (ii) at the time of the marriage, neither party –
 - (a) is incapable of giving valid consent in consequence of unsoundness of mind; or
 - (b) though capable of giving valid consent, has been suffering from a mental disorder of such a kind or to such an extent so as to be unfit for marriage; or
 - (c) has been subject to recurrent attacks of insanity;
- (iii) the man has completed the age of twenty-one years and the woman the age of eighteen years;
- (iv) the parties are not within the degrees of prohibited relationship, unless the custom and usage governing at least one of them permits marriage between the two;
- (v) the marriage is not prohibited under any other law in force.

5. Ceremonies for marriage.- A marriage may be solemnized/contracted between a man and a woman in accordance with their customary practices, religious beliefs, ceremonies, rites and rituals, including but not limited to “*Saptapadi*”, “*Ashirvad*”, “*Nikah*”, “*Holy Union*”, “*Anand Karaj*”, “*Arya Samaji Vedic Vidhi*”, “*Nissuin*” and “*Mangal Fera*” under the Anand Marriage Act, 1909 (Central Act No.7 of 1909) as well as under, but not limited to, the Special Marriage Act, 1954 (Central Act No. 43 of 1954) and Arya Marriage Validation Act, 1937(Central Act No. 19 of 1937).

CHAPTER –II

Registration of Marriage and Divorce

6. Compulsory registration of marriage solemnized/contracted after the commencement of the Code.- Notwithstanding anything contained in any other law for the time being in force or in any custom and usage to the contrary, a marriage solemnized/contracted in the State or outside the territory thereof, after the commencement of this Code, where at least one party to the marriage is a resident of the State, shall be registered in accordance with the procedure mentioned in sub-section (1) of section 10:

Provided that the conditions under section 4 and requirements of section 5 are fulfilled.

7. Registration of marriage solemnized/contracted before the commencement of the Code.- (1) Unless already registered under the Rajasthan Compulsory Registration of Marriages Act, 2009 (Act No. 16 of 2009), a marriage solemnized / contracted in the State between 11.09.2009 and the date of commencement of this Code, where at least one party to the marriage was a resident of the State at the time of the marriage, shall be registered in accordance with the procedure mentioned in sub-section (2) of section 10:

Provided that any marriage registered under the Rajasthan Compulsory Registration of Marriages Act, 2009 shall be deemed to have been registered under this Code.

(2) Any marriage solemnized/contracted in the State before 11.09.2009, or outside the State before the commencement of the Code, where at least one party to the marriage was/is a resident of the State at the time of the marriage/registration, may be registered in accordance with the procedure mentioned in sub-section (3) of section 10:

Provided that a marriage may be registered under this section only if the following conditions are fulfilled -

- (a) a ceremony of marriage has been performed between the parties and they have been living together as spouses ever since;
- (b) neither party has, at the time of registration, more than one spouse living, unless otherwise permitted

under any statute or custom and usage of any of the parties at the time of marriage;

- (c) at the time of registration, the male has completed the age of twenty-one years and the female the age of eighteen years; and
- (d) the parties are not within the degrees of prohibited relationship:

Provided that the prohibitions will not apply to person(s) whose customs and usage permit the relationship.

8. Registration of decree of divorce or nullity which has attained finality after the commencement of the Code.- (1)

Any decree of divorce or nullity of marriage passed by any Court in the State, which has attained finality after the commencement of this Code, shall be registered in accordance with the procedure mentioned in clause (a) of sub-section (1) of section 11.

(2) Any decree of divorce or nullity of marriage passed by any Court outside the State, which has attained finality after the commencement of this Code, where at least one party to the decree is a resident of the State, shall be registered in accordance with the procedure mentioned in clause (b) of sub-section (1) of section 11.

9. Registration of decree of divorce or nullity which has attained finality before the commencement of the Code.-(1)

Any decree of divorce or nullity of marriage passed by any Court in the State, which has attained finality before the commencement of this Code, may be registered in accordance with the procedure mentioned in clause (a) of sub-section (2) of section 11.

(2) Any decree of divorce or nullity of marriage passed by any Court outside the State, which has attained finality before the commencement of this Code, where at least one party to the decree is a resident of the State, may be registered in accordance with the procedure mentioned in clause (b) of sub-section (2) of section 11.

10. Period and procedure for registration of marriage under sections 6 and 7.- (1) In case of a marriage solemnized/contracted after the commencement of this Code, which is required to be registered under section 6, the parties to the marriage shall

submit a memorandum in the prescribed manner within a period of sixty days from the date of marriage,

- (a) in case of a marriage solemnized/contracted in the State, to the Registrar within whose jurisdiction,—
 - (i) the marriage was solemnized / contracted, or
 - (ii) both or either of the parties to the marriage reside(s), and
- (b) in case of a marriage solemnized/contracted outside the State, to the Registrar who has jurisdiction over the place to which both or either of the parties belong(s).

(2) In case of a marriage solemnized/contracted in the State between 11.09.2009 and the date of commencement of this Code, which is required to be registered under sub-section (1) of section 7, the parties to the marriage shall submit a memorandum in the prescribed manner within a period of one year from the date of commencement of this Code to the Registrar within whose jurisdiction,—

- (i) the marriage was solemnized/contracted, or
- (ii) both or either of the parties to the marriage reside(s).

(3) In case of a marriage solemnized/contracted in the State before 11.09.2009, or outside the State before the commencement of this Code, which may be registered under sub-section (2) of section 7, the parties to the marriage seeking registration may submit a memorandum in the prescribed manner within a period of one year from the date of commencement of this Code,

- (a) in case of a marriage solemnized/contracted in the State, to the Registrar within whose jurisdiction,—
 - (i) the marriage was solemnized/contracted, or
 - (ii) both or either of the parties to the marriage reside(s), and
- (b) in case of a marriage solemnized/contracted outside the State, to the Registrar within whose jurisdiction both or either of the parties belong(s):

Provided that the Registrar may entertain a memorandum presented beyond the period prescribed under this sub-section on being satisfied that there are sufficient grounds for doing so.

11. Period and procedure for registration of decree of divorce or nullity under sections 8 and 9.- (1) In case of any decree of divorce or nullity of marriage that is required to be

registered under section 8, both or either of the parties to the decree shall submit a memorandum in the prescribed manner within a period of sixty days from the date on which the decree has attained finality,

- (a) in case of a marriage solemnized/contracted in the State, to the Registrar within whose jurisdiction (i) the marriage was solemnized / contracted, or (ii) both or either of the parties to the marriage reside(s), and
- (b) in case of a marriage solemnized/contracted outside the State, to the Registrar who has jurisdiction over the place to which both or either of the parties belong(s).

(2) In case of any decree of divorce or nullity of marriage that may be registered under section 9, both or either of the parties to the decree seeking registration may submit a memorandum in the prescribed manner within a period of one year from the date of commencement of this Code,

- (a) in case of a decree of divorce or nullity of marriage passed by any Court in the State, to the Registrar within whose jurisdiction (i) the marriage was solemnized/contracted, or (ii) both or either of the parties to the marriage reside(s), and
- (b) in case of a decree of divorce or nullity of marriage passed by any Court outside the State, to the Registrar who has jurisdiction over the place to which both or either of the parties belong(s):

Provided that the Registrar may entertain a memorandum presented beyond the period prescribed under sub-section (2) on being satisfied that there are sufficient grounds for doing so.

12. Appointment of Registrar General and Registrar.-

The State Government shall, by notification in the official gazette, appoint such person as it considers appropriate to be the Registrar General for the State and shall also, by notification, appoint Registrar(s) for any area(s) as it considers appropriate.

13. Action on receipt of memorandum under section 10 or section 11.-(1) Every memorandum presented under section 10 or section 11 shall be accompanied with a prescribed fee.

(2) Within fifteen days of the receipt of a memorandum of marriage or of divorce or nullity of marriage in the prescribed manner, as the case may be, the Registrar shall either –

- (a) enter the particulars in the register of marriage and divorce and issue, in the case of registration of marriage, a certificate of marriage and, in the case of registration of decree of divorce or nullity of marriage, an acknowledgement thereof, in such form and manner as may be prescribed. While issuing the certificate of marriage or acknowledgement of divorce or nullity of marriage, as the case may be, the Registrar shall satisfy herself/himself that the marriage has been duly solemnized/contracted in accordance with the provisions of this Part or that the decree of divorce or nullity of marriage has been duly passed by a Court; or
- (b) reject the memorandum of marriage or of divorce or nullity of marriage after providing an opportunity of hearing to the parties in the manner prescribed, and pass an order by recording the reasons in writing.

(3) If the Registrar fails to act under sub-section (2), the aggrieved person shall be entitled to file a complaint regarding the inaction of the Registrar to the Registrar General.

14. Cancellation of registration and appeal against rejection of registration.-

(1) Power to cancel registration. – The power to cancel any registration relating to marriage or divorce shall lie with the Registrar General appointed under section 12, or with any officer designated by the Registrar General in this behalf. Before cancelling such registration, the applicant shall be given an opportunity of being heard by the Registrar General or the designated officer.

(2) Appeal against rejection of registration.– (a) Where the Registrar rejects a memorandum presented under section 10 or section 11, both or either party to the marriage or decree of divorce or nullity of marriage, as the case may be, may within a period of thirty days from the date of receipt of such rejection order, prefer an appeal to the Registrar General or to an official designated by

the State Government to decide such appeals, whose decision shall be final and binding:

Provided that the Registrar General or the designated official may entertain an appeal presented beyond the period prescribed under this sub-section on being satisfied that there are sufficient grounds for doing so.

(b) An appeal under clause (a) shall be accompanied with a duly authenticated copy of the rejection order and shall be in such form and manner as may be prescribed.

(c) While deciding the appeal, the Registrar General or the designated official to whom the appeal under clause (a) has been preferred shall, after having regard to all the attendant circumstances and upon recording the reasons in writing, either direct the Registrar to enter the particulars in the register of marriage and divorce and issue certificate of marriage or acknowledgement of divorce or nullity of marriage, or confirm the order of the Registrar:

Provided that no order confirming the order of the Registrar shall be passed without giving the party concerned an opportunity of being heard.

(d) An appeal under sub-section (2) shall, as far as possible, be disposed of within sixty days from the date of filing thereof.

15. Inspection of Registers.-The registers of marriage and divorce, the registers of appeals and such other registers as may be prescribed, which are maintained under this Part, shall, at all reasonable times, be open for inspection, and certified extracts therefrom shall, on application, be issued by such officer as may be authorized by the Registrar or the Registrar General, as the case may be, on payment of the prescribed fee and in the prescribed manner.

16. Evidentiary value of certain documents.-(1) Any extract issued under section 15 shall be signed by such officer as may be authorised by the Registrar concerned or the Registrar General, as the case may be, and shall be admissible in evidence in any Court of law or any other authority for the purpose of establishing the factum of marriage or divorce or nullity of marriage to which such extract relates.

(2) Certificate of marriage or any extract of the register issued under sub-section (1) shall be presumed to be correct unless the contrary is proved.

17. Penalty for neglect and punishment for false statement.-(1) Any person who wilfully omits or neglects to deliver the memorandum, in a case where it is compulsory to do so under section 10 or section 11, shall be liable to pay penalty not exceeding ten thousand rupees, as may be imposed by the Registrar.

(2) Any person who makes any statement in the memorandum which is false and which she/he knows or has reason to believe to be false, or delivers a forged or a fabricated document, shall be punishable according to the provisions contained in the Bharatiya Nyay Sanhita, 2023 (Central Act No. 45 of 2023).

18. Procedure in case of non-registration.-(1) Where it is compulsory to present the memorandum under section 10 or section 11 and the parties to a marriage or to a decree of divorce or nullity of marriage, as the case may be, have failed to do so, the Registrar, either *suo motu* or on receipt of a complaint or information in this regard, shall by notice, require such parties to present a memorandum within thirty days from the date of receipt of the notice. On such memorandum being filed, the Registrar shall register the marriage or the decree of divorce or nullity of marriage, as the case may be, on payment of the prescribed fee and the penalty prescribed under sub-section (1) of section 17.

(2) On failure of the parties to approach the Registrar for registration of marriage, divorce or nullity of marriage, as the case may be, on being required by a notice to do so under sub-section (1), such persons shall be liable to pay a penalty not exceeding twenty-five thousand rupees.

19. Penalty for inaction by Registrar and appeal against penalty.-(1) On coming to know that a Registrar has wilfully failed to act in accordance with sub-section (2) of section 13, the Registrar General shall issue a show-cause notice to the Registrar and, provide an opportunity of hearing to her/him. Upon examining the presentation made by the Registrar, if the Registrar

General finds that the Registrar has wilfully failed to act, she/he may impose a penalty not exceeding twenty-five thousand rupees on the Registrar.

(2) Where a penalty has been imposed on a Registrar under sub-section (1), she/he may prefer an appeal within thirty days before the competent appellate authority as notified by the State Government.

(3) An appeal under sub-section (2) shall be presented along with certified copy of the order of penalty in the manner and in the form as may be prescribed.

(4) The appellate authority may, confirm, modify or annul such order as it deems necessary.

20. Non-registration not to invalidate marriage.- No marriage shall be deemed to be invalid solely by reason of the fact that it was not registered under this Part or that the memorandum was not delivered to the Registrar or that the certificate of marriage was not issued by the Registrar or that the particulars in such memorandum or certificate of marriage were defective, irregular or incorrect.

21. Responsibility of employer etc. regarding verification of marriage registration certificate.-No employer or a Government or Semi-Government Authority or Company or Public Sector Undertaking or Local Authority shall carry out any change in their office record regarding marital status of its employees or of any person dealing with them, unless the person applying for carrying out such a change, submits a certified copy of the registration certificate of marriage granted under this Code.

22. Punishment for secreting, destroying or altering register.- Any person secreting, destroying or dishonestly or fraudulently altering any register maintained under this Code or any part thereof shall, on conviction, be punishable with imprisonment for a term which may extend to two years or with fine which may extend to ten thousand rupees or with both.

23. Registrar to be public servant.-Every Registrar, while acting or purporting to act in pursuance of the provisions of this Code or rules made thereunder, shall be deemed to be a public

servant within the meaning of clause (28) of section 2 of the Bharatiya Nyaya Sanhita, 2023 (Central Act No. 45 of 2023).

24. Indemnity to persons acting under this Code.-No suit, prosecution or other legal proceeding shall lie against the Registrar General, the Registrar or any employee subordinate to them for anything which is done in good faith under this Code or rules made thereunder.

25. Power of State Government to give directions.-The State Government may, from time to time, issue such directions not inconsistent with the provisions of this Code, to the Registrar and to the Registrar General, as it may think fit in this regard, for the effective and smooth implementation of the provisions of this Code, and the Registrar and the Registrar General shall comply with such directions.

CHAPTER – III

Restitution of Conjugal Rights and Judicial Separation

26. Restitution of conjugal rights.-When either the husband or the wife has, without reasonable excuse, withdrawn from the society of the other, the aggrieved party may apply, by petition to the Court, for restitution of conjugal rights and the Court, on being satisfied of the truth of the statements made in such petition and that there is no legal ground for rejection, may decree restitution of conjugal rights accordingly.

Explanation.- Where a question arises whether there has been reasonable excuse for withdrawal from the society of the other, the burden of proving such reasonable excuse shall be on the person who has withdrawn from the society.

27. Judicial separation.-(1) Either party to a marriage, whether solemnized/contracted before or after the commencement of this Code, may present a petition to the Court praying for a decree for judicial separation on any of the grounds specified in sub-section (1) of section 31, and in the case of a wife, also on any of the grounds specified in sub-section (3) thereof, as grounds on which a petition for divorce might have been presented.

(2) Where a decree for judicial separation has been passed, it shall no longer be obligatory for the petitioner to cohabit with the

respondent, but the Court may, on a petition by either party and on being satisfied of the truth of the statement made in such petition, rescind the decree if it considers it just and reasonable to do so.

Nullity of Marriages and Divorce

CHAPTER – IV

28. Void marriages.- Any marriage solemnized/contracted after the commencement of this Code shall be null and void, and may, on a petition presented to the Court by either party thereto against the other party, be so declared by a decree of nullity, if it contravenes any one of the conditions specified in clauses (i), (ii), (iv) and (v) of section 4.

29. Voidable marriages.- Any marriage solemnized/contracted, whether before or after the commencement of this Code, shall be voidable and may be annulled by a decree of nullity on a petition presented to the Court on any of the following grounds, namely—

(1) that the marriage has not been consummated owing to the impotency or wilful refusal of the respondent; or

(2) that the marriage is in contravention of the condition specified in clause (iii) of section 4; or

(3) that the consent of the petitioner was obtained by force, coercion or fraud; or

(4) that the wife was, at the time of the marriage, pregnant by a man other than the husband or that the husband had, at the time of the marriage, impregnated a woman other than the wife; or

(5) that at the time of the marriage one of the parties to the marriage had misrepresented her/his identity.

30. Limitations on filing a petition for decree of nullity of marriage.-Notwithstanding anything contained in section 29, no petition for annulling a marriage shall be entertained by the Court on the ground specified in –

(i) clause (2) of section 29 if the proceedings have been instituted after the expiry of one year from the date of attaining the age of twenty-one years by the petitioner;

(ii) clause (3) of section 29 if –

- (a) the petition is presented more than one year after the force or coercion had ceased to operate or, as the case may be, the fraud had been discovered; or
 - (b) the petitioner has, with her/his free consent, lived with the other party to the marriage as spouse after the force or coercion had ceased to operate or, as the case may be, the fraud had been discovered;
- (iii) clause (4) of section 29 unless the Court is satisfied that -
- (a) the petitioner was at the time of the marriage ignorant of the facts alleged;
 - (b) the proceedings have been instituted, in the case of a marriage solemnized/contracted before the commencement of this Code, within one year of such commencement, and in the case of a marriage solemnized/contracted after such commencement, within one year from the date of the marriage; and
 - (c) marital intercourse with the consent of the petitioner has not taken place since the discovery by the petitioner of the existence of the said ground.

31. Divorce.- (1) Any marriage solemnized/contracted, whether before or after the commencement of this Code, may, on a petition presented to the Court by either party to the marriage, be dissolved by a decree of divorce on the ground that the other party has –

- (a) after the solemnization/contracting of the marriage, had voluntary sexual intercourse with any person other than the petitioner; or
- (b) after the solemnization/contracting of the marriage, treated the petitioner with cruelty; or
- (c) deserted the petitioner for a continuous period of not less than two years immediately preceding the presentation of the petition;

Explanation.- In this clause, the expression “desertion” means the desertion of the petitioner by the other party to the marriage, without reasonable cause and without the consent or against the wish of such party, and includes the wilful neglect of the petitioner by the other party to the marriage, and its grammatical variations and cognate expressions shall be construed accordingly; or

- (d) converted to a religion other than the one to which the petitioner belonged; or
- (e) been incurably of unsound mind, or has been suffering continuously or intermittently from mental disorder of such a kind and to such an extent that the petitioner cannot reasonably be expected to live with the respondent;

Explanation.- In this clause-

(i) the expression “mental disorder” means mental illness, arrested or incomplete development of mind, psychopathic disorder or any other disorder or disability of mind and includes schizophrenia;

(ii) the expression “psychopathic disorder” means a persistent disorder or disability of mind (whether or not including subnormality of intelligence) which results in abnormally aggressive or seriously irresponsible conduct on the part of the other party, and whether or not it requires or is susceptible to medical treatment; or

- (f) been suffering from incurable form of communicable venereal disease; or
- (g) renounced the world by entering any religious order or otherwise; or
- (h) not been heard of as being alive for a period of seven years or more by those persons who would naturally have heard of it, had that party been alive; or
- (i) solemnized/contracted another marriage in contravention of clause (i) of section 4; or
- (j) failed to comply with an order of maintenance passed in favour of the petitioner and against the respondent by a competent Court under any law in force, for a period of not less than one year immediately preceding the presentation of the petition.

(2) Either party to a marriage, whether solemnized/contracted before or after the commencement of this Code, may also present a petition to the Court for dissolution of marriage by a decree of divorce on the ground that –

- (a) there has been no resumption of cohabitation between the parties to the marriage for a period of one year or upwards after the passing of a decree for judicial separation in a proceeding to which they were parties, or
- (b) there has been no restitution of conjugal rights as between the parties to the marriage for a period of one year or upwards after the passing of a decree for restitution of conjugal rights in a proceeding to which they were parties.

(3) A wife may also present a petition to the Court for the dissolution of marriage by a decree of divorce on the additional ground that –

- (a) the husband has, since the solemnization/contracting of the marriage, been guilty of rape ; or
- (b) the husband had more than one wife from marriages solemnized / contracted before the commencement of this Code.

32. Alternate relief in divorce proceedings.- In any proceeding under this Part, on a petition for dissolution of marriage by a decree of divorce, except insofar as the petition is founded on any of the grounds mentioned in clauses (f), (g) and (h) of sub-section (1) or in sub-section (2) or in sub-section (3) of section 31, the Court may, if it considers it just so to do having regard to the circumstances of the case, pass instead a decree for judicial separation.

33. Divorce by mutual consent.-(1) Subject to the provisions of this Part, a petition for dissolution of marriage by a decree of divorce may be presented to the Court by both the parties to a marriage together, whether such marriage was solemnized/contracted before or after the commencement of this Code, on the ground that they have been living separately for a period of one year or more, that they are not able to live together

and that they have mutually agreed that the marriage should be dissolved.

(2) On the motion of both the parties made not earlier than six months after the date of presentation of the petition referred to in sub-section (1) and not later than eighteen months after the said date, if the petition is not withdrawn in the meantime, the Court shall, on being satisfied, after hearing the parties and after making such inquiry as it thinks fit, that a marriage has been solemnized/contracted and that the averments in the petition are true, pass a decree of divorce declaring the marriage to be dissolved with effect from the date of the decree.

(3) Where the Court is of the opinion that due to the case being one of exceptional hardship suffered by any of the parties to the marriage or of exceptional depravity on the part of any such party, there is no possibility of reconciliation between the parties, it may waive off the requirement of one year of separation for filing petition under sub-section (1) as well as the time limit of six months for filing of motion under sub-section (2) and proceed with passing of a decree of divorce declaring the marriage to be dissolved with effect from the date of the decree.

34. Restriction on petition for divorce within one year of marriage.-(1) No petition for divorce shall be presented to the Court unless at the date of the presentation of the petition, one year has elapsed since the date of marriage:

Provided that the Court may, upon application being made to it, allow a petition to be presented before the expiry of one year on the ground that the case is one of exceptional hardship suffered by the petitioner or of exceptional depravity on the part of the respondent.

(2) Where the Court has allowed the petition to be presented before the expiry of one year and it is discovered that such permission has been obtained by any misrepresentation or concealment of facts, the Court may reject the petition without prejudice to the right of the petitioner to present a petition after the expiry of one year upon the same or substantially the same facts and grounds.

(3) In allowing any petition for divorce to be presented within one year of marriage under proviso to sub-section (1), the

Court shall have regard to the best interest and welfare of children of the marriage, if any, and matters related thereto.

35. Prohibition on dissolution of marriage.- No marriage solemnized/contracted before or after the commencement of this Code shall be dissolved in any manner except in accordance with the provisions of this Part, notwithstanding any usage, custom, tradition, personal law of any party to the marriage or any enactment to the contrary.

36. Right of person to remarry where a decree of divorce or nullity of marriage has been passed.- (1) When a decree for divorce or nullity of marriage has been passed and either there is no right of appeal against the decree or, if there is such a right of appeal, the time for appeal has expired without an appeal having been presented, or an appeal has been presented but has been dismissed, it shall be lawful for either party to the decree to marry again.

(2) Right to remarry under sub-section (1) includes the right to remarry the divorced spouse without any condition, such as marrying a third person before such remarriage.

37. Legitimacy of children of void and voidable marriages.- Notwithstanding the fact that a marriage has been declared null and void, any child of such marriage shall be deemed to be legitimate.

38. Punishment for contravention of certain provisions.- (1) Any person who –

- (a) having a husband or wife living, marries another person after the commencement of the Code in contravention of clause (i) of section 4, shall be punishable under the Bharatiya Nyaya Sanhita, 2023 (Central Act No. 45 of 2023);
- (b) contracts a marriage in contravention of clause (iii) of section 4 shall be punishable under the Prohibition of Child Marriage Act, 2006 (Central Act No. 5 of 2007);
- (c) procures a marriage in contravention of clause (iv) of section 4 shall be punishable with simple

- imprisonment for a term which may extend to six months and with fine not exceeding rupees fifty thousand, and in default of fine, to undergo further imprisonment for a term which may extend to one month;
- (d) dissolves a marriage in contravention of section 35 shall be punishable with imprisonment for a term which may extend to three years and shall also be liable to fine;
 - (e) compels, abets or induces a person to observe any condition as is referred to in sub-section (2) of section 36 before remarriage shall be punishable with imprisonment for a term which may extend to three years and shall also be liable to fine of rupees one lakh, and in default of fine, to undergo further imprisonment for a term which may extend to six months;
 - (f) obtains the consent of a person for marriage by force, coercion or fraud shall be punishable with imprisonment for a term which may extend to seven years and shall also be liable to fine;
- (2) Notwithstanding anything contained in the Bharatiya Nagarik Suraksha Sanhita, 2023 (Central Act No. 46 of 2023) –
- (a) an offence punishable under clause (b) or clause (c) of sub-section (1) shall be cognizable;
 - (b) an offence punishable under clause (b) and clause (c) of sub-section (1) shall be compoundable at the instance of the aggrieved person with the permission of the Judicial Magistrate, on such terms and conditions as the Judicial Magistrate may impose.

CHAPTER – V

Incidental Proceedings

39. Maintenance *pendente lite* and expenses of proceedings.—Where in any proceeding under this Part, it appears to the Court that either the wife or the husband, or in case a man having more than one wife prior to the commencement of this Code, each of the petitioner/respondent wives has no independent income sufficient for her/his support and the necessary expenses of the

proceeding, it may, on the application of the wife or the husband, order the respondent to pay to the applicant, during the pendency of the proceeding, the expenses of the proceeding and such monthly sum as, having regard to the applicant's own income and the income of the respondent, it may seem to the Court to be just and reasonable:

Provided that the application for the payment of the expenses of the proceeding and such monthly sum during the proceeding, shall, as far as possible, be disposed of within sixty days from the date of service of notice on the respondent.

40. Permanent alimony and maintenance.-(1) Any Court exercising jurisdiction under this Part may, at the time of passing any decree or at any time subsequent thereto, on application made by any of the parties to the decree, order that the other party shall pay to the applicant for her/his maintenance and support such gross sum or such monthly or periodical sum for a term not exceeding the life of the applicant as, having regard to the respondent's income and estate, the income and estate of the applicant, any mutual agreement/settlement between the parties, if any, the conduct of the parties and other circumstances of the case, it may seem to the Court to be just, and such payment may be secured, if necessary, by a charge on the immovable property of the other party:

Provided that *mahr*, dower, *streedhan* or any other property presented to the wife shall be in addition to her claim for maintenance.

(2) If the Court is satisfied that there is a change in the circumstances of either party at any time after it has made an order under sub-section (1), it may, at the instance of either party, vary, modify or rescind any such order in such manner as the Court may deem just and proper.

41. Custody and care of children.-(1) In any proceeding under this Part, the Court may, from time to time, pass such interim orders and make such provisions in the decree as it may deem just and proper with respect to the custody, care, maintenance and education of minor children consistently with their wishes, wherever possible, and may, after the decree, upon application for the purpose, make from time to time, all such

orders and provisions with respect to the custody, care, maintenance and education of such children as might have been made by such decree or interim orders in case the proceeding for obtaining such decree were still pending, and the Court may also from time to time revoke, suspend or vary any such orders and provisions previously made:

Provided that the application with respect to the custody, care, maintenance and education of such children shall, as far as possible, be disposed of within sixty days from the date of service of notice on the respondent;

(2) In arriving at a decision under sub-section (1), the best interest and welfare of the child shall be the paramount consideration of the Court:

Provided that the custody of a minor child who has not completed the age of five years shall ordinarily be with the mother.

42. Disposal of estate.- (1) In any proceeding under this Part, the Court may, for the benefit of the wife or the husband or their children, make such provisions in the decree as it deems just and proper with respect to any estate which may belong, either individually or jointly, to the parties whose marriage is the subject of the decree.

(2) In making any such provisions in the decree under sub-section (1), the Court shall have regard to the existence of any mutual agreement/settlement between the parties to the marriage and may vary or modify any such agreement/settlement so made for the benefit of the wife or the husband or their children as may be deemed just and proper.

CHAPTER – VI

Jurisdiction and Procedure

43. Courts to which petition shall be presented.- Every petition under this Part shall be presented to the Court within the local limits of whose jurisdiction –

- (1) the marriage was solemnized/contracted, or
- (2) the respondent, at the time of the presentation of the petition, resides, or
- (3) the parties to the marriage last resided together, or
- (4) in case the wife is the petitioner, where she is residing on the date of presentation of the petition, or

(5) the petitioner is residing at the time of the presentation of the petition, in a case where the respondent is, at that time, residing outside the territories to which this Code extends, or has not been heard of as being alive for a period of seven years or more by those persons who would naturally have heard of it, had the respondent been alive.

44. Pleadings under this Part.- (1) Every pleading filed under this Part shall state as distinctly as the nature of the case permits, the facts on which the claim to relief and the objection thereto are founded and, except in a petition under section 28, shall also state that there is no collusion between the petitioner and the other party to the marriage.

(2) The statements contained in every petition, written statement and any other pleading filed under this Part shall be verified by the petitioner or the respondent, as the case may be, or by some other competent person in the manner prescribed for the verification of pleadings under the Code of Civil Procedure, 1908 (Central Act No. 5 of 1908).

45. Procedure for proceedings in the Court under this Part.- Subject to the other provisions contained in this Part, all proceedings in the Court under this Part shall be regulated as per the procedure prescribed under the Family Courts Act, 1984 (Central Act No. 66 of 1984) and the rules made thereunder.

46. Power to transfer petitions in certain cases.- (1) Where-

- (a) a petition under this Part has been presented to the Court having jurisdiction by a party to a marriage praying for a decree for restitution of conjugal rights, nullity of marriage, judicial separation or divorce under this Part, and
- (b) another petition under this Part has been presented thereafter by the other party to the marriage praying for a decree for any of the reliefs contemplated under clause (a) on any ground, whether in the same Court or in a different Court,

the petitions shall be dealt with as specified in sub-section (2).

(2) In a case where sub-section (1) applies –

- (a) if the petitions are presented to the same Court, both the petitions shall be tried and heard together by that Court;
- (b) if the petitions are presented to different Courts, the petition presented later shall be transferred to the Court in which the earlier petition was presented and both the petitions shall be heard and disposed of together by the Court in which the earlier petition was presented.

(3) Notwithstanding anything contained in clause (b) of sub-section (2), the High Court may, on an application by any of the parties or on its own motion, assign and transfer all the petitions to one of the Courts hearing the petitions or any other Court as may be considered just and proper.

47. Special provisions relating to trial and disposal of petitions under this Part.- (1) The hearing of a petition under this Part shall, as far as practicable, be continued from day-to-day, unless otherwise directed for reasons to be recorded.

(2) Every petition under this Part shall be heard as expeditiously as possible, and endeavour shall be made to conclude the hearing within six months from the date of service of notice of the petition on the respondent.

(3) Every appeal under this Part shall be heard as expeditiously as possible, and endeavour shall be made to conclude the hearing within three months from the date of service of notice of appeal on the respondent.

48. Documentary evidence.- Notwithstanding anything in any enactment to the contrary, no document shall be inadmissible in evidence in any proceeding at the hearing of a petition under this Part on the ground that it is not duly stamped or registered.

49. Decree in proceedings.- (1) Whether any mediation agreement between the spouses exists or not, the parties, before filing any suit or proceedings under this Part of Code, may try to settle the disputes through the prescribed pre-litigation mediation process.

(2) In any proceeding under this Part, whether defended or not, if the Court is satisfied that-

- (a) any of the grounds for granting relief exists and the petitioner, except in cases where the relief is sought by her/him on the ground specified in sub-clauses (a), (b) or (c) of clause (ii) of section 4, is not in any way taking advantage of her/his own wrong or disability for the purpose of such relief; and
- (b) where the ground of the petition is the ground specified in clause (a) of sub-section (1) of section 31, the petitioner has not in any manner been accessory to or connived at or condoned the act or acts complained of, or where the ground of the petition is as specified in clause (b) of sub-section (1) of section 31, the petitioner has not willingly condoned the cruelty; and
- (c) when a divorce is sought on the ground of mutual consent under section 33, such consent has not been obtained by force, fraud or undue influence;

the Court shall decree such relief accordingly.

(3) Before proceeding to grant any relief under this Part, it shall be the duty of the Court in the first instance, in every case where it is possible so to do consistently with the nature and circumstances of the case, to make every endeavour to bring about reconciliation between the parties:

Provided that nothing contained in this sub-section shall apply to any proceeding wherein relief is sought on any of the grounds specified in clauses (e), (f), (g) and (h) of sub-section (1) of section 31.

(4) For the purpose of aiding the Court in bringing about such reconciliation, the Court may, if the parties so desire or if the Court thinks it just and proper so to do, adjourn the proceedings for a reasonable period not exceeding thirty days and refer the matter to any person named by the parties in this behalf or to any person nominated by the Court, if the parties fail to name any person. On such reconciliation being successful, a report to that effect shall be filed with the Court for appropriate orders. However, on failure of the reconciliation, no record of the reconciliation proceedings shall be maintained and only the failure of reconciliation shall be communicated to the Court.

50. Relief to respondent in divorce and other proceedings.- In any proceeding for divorce or judicial separation or restitution of conjugal rights, the respondent may not only oppose the relief but also seek relief on any of the grounds permissible under this Part and if proved, the Court may grant such relief to the respondent under this Part to which she/he would have been entitled, if she/he had presented a petition seeking such relief on that ground.

51. Power to punish and procedure therefor.- Any Judicial Magistrate within whose jurisdiction any offence under this Part is committed may, on a complaint made to him, try and impose such punishment as is prescribed under the provisions of this Part in accordance with the Bharatiya Nagarik Suraksha Sanhita, 2023 (Central Act No. 46 of 2023).

CHAPTER – VII

Supplemental Provisions

52. Appeals from decrees and orders.-(1) All decrees, except consent decrees, made by the Court in proceedings under this Part shall, subject to the provisions of sub-section (3), be appealable to the High Court.

(2) Orders made by the Court under section 40, section 41 or section 42 shall, subject to the provisions of sub-section (3), be appealable if they are not interim orders, and every such appeal shall lie to the High Court.

(3) There shall be no appeal under this section on the subject of costs only.

(4) Every appeal under this section shall be preferred within a period of ninety days from the date of the decree or order:

Provided that if the Court is satisfied that the appellant was prevented by sufficient cause from preferring the appeal within the said period of ninety days, it may entertain the appeal within a further period not exceeding sixty days.

53. Enforcement of decrees and orders.-All decrees and orders made by the Court in any proceeding under this Part shall be enforced in the like manner as the decrees and orders under the Code of Civil Procedure, 1908 (Central Act No. 5 of 1908) and

the Bharatiya Nagarik Suraksha Sanhita, 2023 (Central Act No. 46 of 2023).

54. Power to make rules.—The State Government may, by notification in the *official Gazette*, make rules for carrying out the purposes of this Part.

Part – 2 Succession

CHAPTER – I Intestate Succession Order of Preference and Distribution of Shares

55. General rules of succession.—The estate of a person dying intestate shall devolve according to the provisions of this Chapter in the following order of preference –

- (i) firstly, upon the heirs being the relatives specified in Class-1 of Schedule-2 of this Code;
- (ii) secondly, if there is no heir of Class-1, then upon the heirs being the relatives specified in Class-2 of Schedule-2 of this Code;
- (iii) thirdly, if there is no heir of the two classes mentioned in clauses (i) or (ii), then upon the other relatives;
- (iv) lastly, if there is no heir belonging to any of the clauses above, then by escheat upon the Government; and the Government shall take the estate subject to all the obligations and liabilities to which an heir would have been subject.

Explanation.— In this Chapter, any reference to –

- (a) “Class-1 heirs”, in relation to the intestate, shall mean the spouse(s); the children; the children and the spouses of predeceased children; the children and the spouses of predeceased children of predeceased children; and the parents, limited to the relatives enumerated in Schedule-2;
- (b) “Class-2 heirs”, in relation to the intestate, shall mean the step parents; the siblings; the children and the spouses of predeceased siblings; the siblings of

parents; the paternal grandparents; and the maternal grandparents, limited to the relatives enumerated in Schedule - 2;

- (c) “Other relatives”, in relation to the intestate, shall mean the persons who are related to the intestate, other than the Class-1 and Class-2 heirs enumerated in Schedule-2;

(d) “branch” of a predeceased person shall mean her/his surviving spouse(s) and children, and in case of branch of a predeceased child of the intestate, shall also include the surviving spouse(s) and children of a predeceased child of such predeceased child of the intestate:

Provided that the heirs included in such a branch shall be limited to the relatives specified in the list of Class-1 heirs of Schedule-2 of this Code.

56. Manner of succession.—The heirs specified in each of the clauses (i), (ii) or (iii) of section 55 shall succeed to the estate of the intestate and shall take such shares as are specified hereinafter.

57. Distribution of estate amongst Class- I heirs.—Class-1 heirs shall succeed simultaneously and the estate of an intestate shall be divided amongst them in accordance with the following rules –

Rule 1 - Every surviving spouse of the intestate shall take one share each.

Rule 2 - Every surviving child of the intestate shall take one share each.

Rule 3 - The heirs in the branch of each predeceased child of the intestate shall take one share together.

Rule 4 - The share devolving upon the branch of a predeceased child shall be divided equally amongst every surviving spouse, surviving child and branch of a predeceased child of the predeceased child.

Rule 5 -The share devolving upon the branch of a predeceased child of a predeceased child shall be divided equally amongst every surviving spouse and child.

Rule 6 - Surviving parents of the intestate shall together take one share in equal proportion, and in case of only one of the parents surviving the intestate, such parent shall alone take one share:

Provided that in case both the parents have together taken one share and one of them subsequently dies, her/his interest in that one share shall devolve upon the other.

58. Distribution of estate amongst the Class-2 heirs.-

The estate of an intestate shall be divided amongst Class-2 heirs in accordance with the following rules –

Rule 1 - The heirs in the first entry in Class-2 shall be preferred to those in the second entry; those in the second entry shall be preferred to those in the third entry; and so on in succession.

Rule 2 - The estate of an intestate shall be divided among the heirs specified in any one entry in Class-2 of the Schedule-2 so that they share equally.

59. Distribution of estate amongst other relatives.-

The relatives of the nearest degree shall succeed together to the estate of an intestate to the exclusion of all other relatives in accordance with the following rule –

Rule - Each one of the ‘other relatives’ of the nearest degree shall take one share each.

Illustration

A dies intestate and is survived by his two grandnephews, *A1* and *A2*, and a child of a predeceased grandnephew, *A3*. The estate of *A* shall be divided equally between *A1* and *A2*; *A3* shall not take any share.

General Provisions

60. Computation of degrees.- For the purposes of computing degrees under this Part, relationship shall be reckoned such that every generation in ascent or descent constitutes one degree, exclusive of the person whose relatives are to be reckoned.

Illustration

A dies intestate and is survived by his father A_1 , grandchild A_2 , nephew A_3 and a first cousin A_4 .

A_1 , A_2 , A_3 and A_4 are removed from *A* by one, two, three and four degrees respectively.

61. Right of child in womb.-For the purposes of intestate succession, there is no distinction between an heir who was actually born in the lifetime of an intestate and an heir who at the time of her/his death was only conceived in the womb, but who has been subsequently born alive, and such a child shall be deemed to be the successor of the intestate with effect from the time of the death of the intestate.

62. Presumption in cases of simultaneous deaths.-Where two persons have died in circumstances rendering it uncertain whether either of them, and if so which, survived the other, then, for all purposes affecting succession to estate, it shall be presumed, until the contrary is proved, that the younger survived the elder.

Disqualifications

63. Disqualification upon remarriage.-Where a widow or widower of any predeceased relative of an intestate has married again in the lifetime of the intestate, such widow or widower shall not succeed to the estate of the intestate.

64. Murderer disqualified.-A person who commits murder or abets the commission of murder shall be disqualified from succeeding to the estate of the person murdered, or any other estate in furtherance of the succession to which she/he committed or abetted the commission of the murder.

65. Succession when heir disqualified.-If any person is disqualified from succeeding to any estate under this Code, it shall devolve as if such person had died before the intestate.

66. Disease, defect or deformity not to disqualify.-No person shall be disqualified from succeeding to any estate on the ground of any disease, defect or deformity, or save as provided in this Code, on any other ground whatsoever.

CHAPTER – II

Testamentary Succession

Wills and Codicils

67. Person capable of making Wills.-Every person of sound mind not being a minor may dispose of her/his estate by Will.

Explanation 1.- Persons who are deaf or dumb or blind are not thereby incapacitated for making a Will if they are able to know what they do by it.

Explanation 2.- A person who is ordinarily insane may make a Will during interval in which she/he is of sound mind.

Explanation 3.- No person can make a Will while she/he is in such a state of mind, whether arising from intoxication or from illness or from any other cause, that she/he does not know what she/he is doing.

Illustrations

- (i) A can perceive what is going on in his immediate neighbourhood, and can answer familiar questions, but has not a competent understanding as to the nature of his estate, or the persons who are of kindred to him, or in whose favour it would be proper that he should make his Will. A cannot make a valid Will.
- (ii) A executes an instrument purporting to be his Will, but he does not understand the nature of the instrument, nor the effect of its provisions. This instrument is not a valid Will.
- (iii) A, being very feeble and debilitated, but capable of exercising a judgment as to the proper mode of disposing of his estate, makes a Will. This is a valid Will.

68. Will obtained by fraud, coercion or importunity.- A Will or any part of a Will, the making of which has been caused by fraud or coercion, or by such importunity as takes away the free agency of the testator, is void.

Illustrations

- (i) A, falsely and knowingly represents to the testator, that the testator's only child is dead, or that he has done some undutiful act and thereby induces the testator to make a Will in his favour; such Will has been obtained by fraud, and is void.
- (ii) A, by fraud and deception, prevails upon the testator to bequeath a legacy to him. The bequest is void.
- (iii) A, being a prisoner by lawful authority, makes his Will. The Will is not invalid by reason of the imprisonment.
- (iv) A threatens to shoot B, or to burn his house or to cause him to be arrested on a criminal charge, unless he makes a bequest in favour of C. B, in consequence, makes a bequest in favour of C. The bequest is void, the making of it having been caused by coercion.
- (v) A, being of sufficient intellect, if undisturbed by the influence of others, to make a Will yet being so much under the control of B that he is not a free agent, makes a Will, dictated by B. It appears that he would not have executed the Will but for fear of B. The Will is invalid.
- (vi) A, being in so feeble a state of health as to be unable to resist importunity, is pressed by B to make a Will of a certain purport and does so merely to purchase peace and in submission to B. The Will is invalid.
- (vii) A being in such a state of health as to be capable of exercising his own judgment and volition, B uses urgent intercession and persuasion with him to induce him to make a Will of a certain purport. A, in consequence of the intercession and persuasion, but in the free exercise of his judgment and volition makes his Will in the manner recommended

by B. The Will is not rendered invalid by the intercession and persuasion of B.

- (viii) A, with a view to obtaining a legacy from B, pays him attention and flatters him and thereby produces in him a capricious partiality to A. B, in consequence of such attention and flattery, makes his Will, by which he leaves a legacy to A. The bequest is not rendered invalid by the attention and flattery of A.

69. Will may be revoked or altered.—A Will is liable to be revoked or altered by the maker of it at any time when she/he is competent to dispose of her/his estate by Will.

Execution of Wills

70. Execution of Wills:—

(1) Unprivileged Wills.— Every testator, not being a soldier employed in an expedition or engaged in actual warfare, or an airman so employed or engaged, or a mariner at sea, shall execute her/his Will according to the following rules –

- (a) The testator shall sign or shall affix her/his mark to the Will, or it shall be signed by some other person in her/his presence and by her/his direction.
- (b) The signature or mark of the testator, or the signature of the person signing for her/him, shall be so placed that it shall appear that it was intended thereby to give effect to the writing as a Will.
- (c) The Will shall be attested by two or more witnesses, each of whom has seen the testator sign or affix her/his mark to the Will or has seen some other person sign the Will, in the presence and by the direction of the testator, or has received from the testator a personal acknowledgment of her/his signature or mark, or of the signature of such other person; and each of the witnesses shall sign the Will in the presence of the testator, but it shall not be necessary that more than one witness be present at the

same time, and no particular form of attestation shall be necessary.

(2) Privileged Wills.- Any soldier being employed in an expedition or engaged in actual warfare, or an airman so employed or engaged, or any mariner being at sea, may, if she/he has completed the age of eighteen years, dispose of her/his estate by a Will made in the manner provided in sub-section (3). Such Wills are called privileged Wills.

Illustrations

- (i) A, a medical officer attached to a regiment is actually employed in an expedition. He is a soldier actually employed in an expedition, and can make a privileged Will.
- (ii) A is at sea in a merchant-ship, of which he is the purser. He is a mariner, and, being at sea, can make a privileged Will.
- (iii) A, a soldier serving in the field against insurgents, is a soldier engaged in actual warfare, and as such can make a privileged Will.
- (iv) A, a mariner of a ship, in the course of a voyage, is temporarily on shore while the ship is lying in harbour. He is, for the purposes of this section, a mariner at sea, and can make a privileged Will.
- (v) A, an admiral who commands a naval force, but who lives on shore, and only occasionally goes on board his ship, is not considered as at sea, and cannot make a privileged Will.
- (vi) A, a mariner serving on a military expedition, but not being at sea, is considered as a soldier, and can make a privileged Will.

(3) Mode of making, and rules for executing, privileged Wills.-

- (a) Privileged Wills may be in writing, or may be made by word of mouth.

- (b) The execution of privileged Wills shall be governed by the following rules –
- (i) The Will may be written wholly by the testator, with her/his own hand. In such case it need not be signed or attested.
 - (ii) It may be written wholly or in part by another person, and signed by the testator. In such case it need not be attested.
 - (iii) If the instrument purporting to be a Will is written wholly or in part by another person and is not signed by the testator, it shall be deemed to be her/his Will, if it is shown that it was written by the testator's directions or that she/he recognised it as her/his Will.
 - (iv) If it appears on the face of the instrument that the execution of it in the manner intended by the testator was not completed, the instrument shall not, by reason of that circumstance, be invalid, provided that her/his non-execution of it can be reasonably ascribed to some cause other than the abandonment of the testamentary intentions expressed in the instrument.
 - (v) If the soldier, airman or mariner has written instructions for the preparation of her/his Will, but has died before it could be prepared and executed, such instructions shall be considered to constitute her/his Will.
 - (vi) If the soldier, airman or mariner has, in the presence of two witnesses, given verbal instructions for the preparation of her/his Will, and they have been reduced into writing in her/his lifetime, but she/he has died before the instrument could be prepared and executed, such instructions shall be considered to constitute her/his Will, although they may not have been reduced into writing in her/his presence, nor read over to her/him.
 - (vii) The soldier, airman or mariner may make a Will by word of mouth by declaring her/his

intentions before two witnesses present at the same time.

- (viii) A Will made by word of mouth shall be null at the expiration of one month after the testator, being still alive, has ceased to be entitled to make a privileged Will.

71. Incorporation of papers by reference.- If a testator, in a Will or codicil duly attested, refers to any other document then actually written as expressing any part of her/his intentions, such document shall be deemed to form a part of the Will or codicil in which it is referred to.

Attestation, Revocation, Alteration and Revival of Wills

72. Witness not disqualified by interest or by being executor.-No person, by reason of interest in, or of her/his being an executor of, a Will, shall be disqualified as a witness to prove the execution of the Will or to prove the validity or invalidity thereof.

73. Revocation of Will or codicil.-(1) No unprivileged Will or codicil, nor any part thereof, shall be revoked otherwise than by another Will or codicil, or by some writing declaring an intention to revoke the same and executed in the manner in which an unprivileged Will is hereinbefore required to be executed, or by the burning, tearing, or otherwise destroying the same by the testator with the intention of revoking the same.

Illustrations

- (i) A has made an unprivileged Will. Afterwards, A makes another unprivileged Will which purports to revoke the first. This is a revocation.
- (ii) A has made an unprivileged Will. Afterwards, A, being entitled to make a privileged Will, makes a privileged Will, which purports to revoke his unprivileged Will. This is a revocation.

(2) A privileged Will or codicil, may be revoked by the testator by an unprivileged Will or codicil, or by any act expressing

an intention to revoke it and accompanied by such formalities as would be sufficient to give validity to a privileged Will, or by the burning, tearing or otherwise destroying the same by the testator, or by some person in her/his presence and by her/his direction, with the intention of revoking the same.

Explanation.- In order to the revocation of a privileged Will or codicil by an act accompanied by such formalities as would be sufficient to give validity to a privileged Will, it is not necessary that the testator should at the time of doing that act be in a situation which entitles her/him to make a privileged Will.

74. Effect of obliteration, interlineation or alteration in unprivileged Will.- No obliteration, interlineation or other alteration made in any unprivileged Will after the execution thereof shall have any effect, except so far as the words or meaning of the Will have been thereby rendered illegible or undiscernible, unless such alteration has been executed in like manner as hereinbefore is required for the execution of the Will:

Provided that the Will, as so altered, shall be deemed to be duly executed if the signature of the testator and the subscription of the witnesses is made in the margin or on some other part of the Will opposite or near to such alteration, or at the foot or end of or opposite to a memorandum referring to such alteration, and written at the end or some other part of the Will.

75. Revival of unprivileged Will.-(1) No unprivileged Will or codicil, nor any part thereof, which has been revoked in any manner, shall be revived otherwise than by the re-execution thereof, or by a codicil executed in manner hereinbefore required, and showing an intention to revive the same.

(2) When any Will or codicil, which has been partly revoked and afterwards wholly revoked, is revived, such revival shall not extend to so much thereof as has been revoked before the revocation of the whole thereof, unless an intention to the contrary is shown by the Will or codicil.

Construction of Wills

76. Wording of Wills.-It is not necessary that any technical words or terms of art be used in a Will, but only that the

wording be such that the intentions of the testator can be known therefrom.

77. Inquiries to determine questions as to object or subject of Will.- For the purpose of determining questions as to what person or what estate is denoted by any words used in a Will, a Court shall inquire into every material fact relating to the persons who claim to be interested under such Will, the estate which is claimed as the subject of disposition, the circumstances of the testator and of her/his family, and into every fact knowledge of which may conduce to the right application of the words which the testator has used.

Illustrations

- (i) A, by his Will, bequeaths 100,000 rupees to his eldest son or to his youngest grandchild, or to his cousin, Divya. A Court may make inquiry in order to ascertain to what person the description in the Will applies.
- (ii) A, by his Will, leaves to B “my estate called Maha Farms”. It may be necessary to take evidence in order to ascertain what the subject-matter of the bequest is; that is to say, what estate of the testator is called Maha Farms.
- (iii) A, by his Will, leaves to B “the estate which I purchased of C”. It may be necessary to take evidence in order to ascertain what estate the testator purchased of C.

78. Misnomer or mis-description of object.-(1) Where the words used in a Will to designate or describe a legatee or a class of legatees sufficiently show what is meant, an error in the name or description shall not prevent the legacy from taking effect.

(2) A mistake in the name of a legatee may be corrected by a description of her/him, and a mistake in the description of a legatee may be corrected by the name.

Illustrations

- (i) A bequeaths a legacy to “Sanjay, the second son of my brother Mohan”. The testator has an only brother named Mohan, who has no son named Sanjay, but has a second son whose name is Mahesh. Mahesh will have the legacy.
- (ii) A bequeaths a legacy to “Sanjay, the second son of my brother Mohan”. The testator has an only brother, named

Mohan, whose first son is named Sanjay and whose second son is named Mahesh. Sanjay will have the legacy.

- (iii) The testator gives his residuary estate to be divided among “my seven children” and, proceeding to enumerate them, mentions six names only. This omission will not prevent the seventh child from taking a share with the others.
- (iv) The testator, having six grandchildren, makes a bequest to “my six grandchildren” and, proceeding to mention them by their names, mentions one twice over omitting another altogether. The one whose name is not mentioned will take a share with the others.
- (v) The testator bequeaths “100,000 rupees to each of the three children of A”. At the date of the Will, A has four children. Each of these four children will, if she/he survives the testator, receive a legacy of 100,000 rupees.

79. When words may be supplied.- Where any word material to the full expression of the meaning has been omitted, it may be supplied by the context.

Illustration

The testator gives a legacy of “50,000” to his daughter A and a legacy of “50,000 rupees” to his daughter B. A will take a legacy of 50,000 rupees.

80. Rejection of erroneous particulars in description of subject.- If the thing which the testator intended to bequeath can be sufficiently identified from the description of it given in the Will, but some parts of the description do not apply, such parts of the description shall be rejected as erroneous, and the bequest shall take effect.

Illustration

A bequeaths to B “my marsh-lands lying in L and in the occupation of X”. The testator had marsh-lands lying in L but had no marsh-lands in the occupation of X. The words “in the occupation of X” shall be rejected as erroneous, and the marsh-lands of the testator lying in L will pass by the bequest.

81. When part of description may not be rejected as erroneous.- If a Will mentions several circumstances as

descriptive of the thing which the testator intends to bequeath, and there is any estate of her/his in respect of which all those circumstances exist, the bequest shall be considered as limited to such estate, and it shall not be lawful to reject any part of the description as erroneous, because the testator had other estate to which such part of the description does not apply.

Explanation.- In judging whether a case falls within the meaning of this section, any words which would be liable to rejection under section 80 shall be deemed to have been struck out of the Will.

Illustrations

- (i) A bequeaths to B “my marsh-lands lying in L and in the occupation of X”. The testator had marsh-lands lying in L, some of which were in the occupation of X, and some not in the occupation of X. The bequest will be considered as limited to such of the testator’s marsh-lands in L as were in the occupation of X.
- (ii) A bequeaths to B “my marsh-lands lying in L and in the occupation of X, comprising 1,000 bighas of lands”. The testator had marsh-lands lying in L some of which were in the occupation of X and some not in the occupation of X. The measurement is wholly inapplicable to the marsh-lands of either class, or to the whole taken together. The measurement will be considered as struck out of the Will, and such of the testator’s marsh-lands lying in L as were in the occupation of X shall alone pass by the bequest.

82. Extrinsic evidence admissible in cases of patent ambiguity.- Where the words of a Will are unambiguous, but it is found by extrinsic evidence that they admit of applications, one only of which can have been intended by the testator, extrinsic evidence may be taken to show which of these applications was intended.

Illustrations

- (i) A man, having two cousins of the name of Geeta, bequeaths a sum of money to “my cousin Geeta”. It appears that there are two persons, each answering the description in the Will. That description, therefore, admits of two applications, only one of which can have been intended by the testator. Evidence is admissible to show which of the two applications was intended.
- (ii) A, by his Will, leaves to B “my estate called Bikaner Farmhouse”. It turns out that he had two estates called Bikaner Farmhouse. Evidence is admissible to show which estate was intended.

83. Extrinsic evidence inadmissible in case of patent ambiguity or deficiency.- Where there is an ambiguity or deficiency on the face of a Will, no extrinsic evidence as to the intentions of the testator shall be admitted.

Illustrations

- (i) A man has an aunt, Geeta, and a cousin, Radha, and has no aunt of the name of Radha. By his Will, he bequeaths 100,000 rupees to “my aunt, Geeta” and 100,000 rupees to “my cousin, Radha” and afterwards bequeaths 200,000 rupees to “my before-mentioned aunt, Radha”. There is no person to whom the description given in the Will can apply, and evidence is not admissible to show who was meant by “my before-mentioned aunt, Radha”. The bequest is, therefore, void for uncertainty under section 91.
- (ii) A bequeaths 100,000 rupees to leaving a blank for the name of the legatee. Evidence is not admissible to show what name the testator intended to insert.
- (iii) A bequeaths to B rupees, or “my estate of”. Evidence is not admissible to show what sum or what estate the testator intended to insert.

84. Meaning of clause to be collected from entire Will.-

The meaning of any clause in a Will is to be collected from the entire instrument, and all its parts are to be construed with reference to each other.

Illustrations

- (i) The testator gives to B a specific fund or estate at the death of A, and by a subsequent clause gives the whole of his estate to A. The effect of the several clauses taken together is to vest the specific fund or estate in A for life, and after his decease in B; it appearing from the bequest to B that the testator meant to use in a restricted sense the words in which he describes what he gives to A.
- (ii) Where a testator having an estate, one part of which is called Ajmer Farm, bequeaths the whole of his estate to A, and in another part of his Will bequeaths Ajmer Farm to B, the latter bequest is to be read as an exception out of the first as if he had said "I give Ajmer Farm to B, and all the rest of my estate to A".

85. When words may be understood in restricted sense, and when in sense wider than usual.- General words may be understood in a restricted sense where it may be collected from the Will that the testator meant to use them in a restricted sense; and words may be understood in a wider sense than that which they usually bear, where it may be collected from the other words of the Will that the testator meant to use them in such wider sense.

Illustrations

- (i) A testator gives to A "my farm in the occupation of B", and to C "all my marsh-lands in L". Part of the farm in the occupation of B consists of marsh-lands in L, and the testator also has other marsh-lands in L. The general words, "all my marsh-lands in L", are restricted by the gift to A. A takes the whole of the farm in the occupation of B, including that

portion of the farm which consists of marsh-lands in L.

- (ii) The testator (a sailor on ship-board) bequeathed to his mother his gold ring, buttons and chest of clothes, and to his friend, A (a shipmate) his red box, clasp-knife and all things not before bequeathed. The testator's share in a house does not pass to A under this bequest.
- (iii) A, by his Will, bequeathed to B all his household furniture, plate, linen, books, pictures and all other goods of whatever kind; and afterwards bequeathed to B a specified part of his estate. Under the first bequest B is entitled only to such articles of the testator's as are of the same nature with the articles therein enumerated.

86. Which of two possible constructions preferred.-

Where a clause is susceptible of two meanings according to one of which it has some effect, and according to the other of which it can have none, the former shall be preferred.

87. No part rejected, if it can be reasonably construed.-

No part of a Will shall be rejected as destitute of meaning if it is possible to put a reasonable construction upon it.

88. Interpretation of words repeated in different parts of Will.- If the same words occur in different parts of the same Will, they shall be taken to have been used everywhere in the same sense, unless a contrary intention appears.

89. Testator's intention to be effectuated as far as possible.- The intention of the testator shall not be set aside because it cannot take effect to the full extent, but effect is to be given to it as far as possible.

90. The last of two inconsistent clauses prevails.- Where two clauses of gifts in a Will are irreconcilable, so that they cannot possibly stand together, the last shall prevail.

Illustrations

- (i) The testator by the first clause of his Will leaves his estate of Jaipur “to A”, and by the last clause of his Will leaves it “to B and not to A”. B will have it.
- (ii) If a man, at the commencement of his Will gives his house to A, and at the close of it directs that his house shall be sold and the proceeds invested for the benefit of B, the latter disposition will prevail.

91. Will or bequest void for uncertainty.- A Will or bequest not expressive of any definite intention is void for uncertainty.

Illustration

If a testator says “I bequeath goods to A”, or “I bequeath to A”, or “I leave to A all the goods mentioned in the Schedule” and no Schedule is found, or “I bequeath ‘money’, ‘wheat’, ‘oil’” or the like, without saying how much, this is void.

92. Words describing subject refer to estate answering description at testator’s death.- The description contained in a Will of estate, the subject of gift, shall, unless a contrary intention appears by the Will, be deemed to refer to and comprise the estate answering that description at the death of the testator.

93. Power of appointment executed by general bequest.- Unless a contrary intention appears by the Will, a bequest of the estate of the testator shall be construed to include any estate which she/he may have power to appoint by Will to any object she/he may think proper, and shall operate as an execution of such power; and a bequest of estate described in a general manner shall be construed to include any estate to which such description may extend, which she/he may have power to appoint by Will to any object she/he may think proper, and shall operate as an execution of such power.

94. Implied gift to objects of power in default of appointment.- Where estate is bequeathed to or for the benefit of certain objects as a specified person may appoint or for the benefit of certain objects in such proportions as a specified person may

appoint, and the Will does not provide for the event of no appointment being made; if the power given by the Will is not exercised, the estate belongs to all the objects of the power in equal shares.

Illustration

A, by his Will bequeaths a fund to his wife, for her life, and directs that at her death it shall be divided among his children in such proportions as she shall appoint. The widow dies without having made any appointment. The fund will be divided equally among the children.

95. Bequest to heirs, etc. of particular person without qualifying terms.- Where a bequest is made to the “heirs” “right heirs” or “relatives” or “nearest relatives” or “family” or “kindred” or “nearest of kin” or “next-of-kin” of a particular person without any qualifying terms, and the class so designated forms the direct and independent object of the bequest, the estate bequeathed shall be distributed as if it had belonged to such person and she/he had died intestate in respect of it, leaving assets for the payment of her/his debts independently of such estate.

Illustrations

- (i) A leaves his estate “to my own nearest relatives”. The estate goes to those who would be entitled to it if A had died intestate, leaving assets for the payment of his debts independently of such estate.
- (ii) A bequeaths 10,000 rupees “to B for his life, and, after the death of B, to my right heirs”. The legacy after B’s death belongs to those who would be entitled to it if it had formed part of A’s unbequeathed estate.
- (iii) A leaves his estate to B; but if B dies before him, to B’s next-of kin; B dies before A; the estate devolves as if it had belonged to B, and he had died intestate, leaving assets for the payment of his debts independently of such estate.
- (iv) A leaves 10,000 rupees “to B for his life, and after his death to the heirs of C”. The legacy goes as if it had belonged to C, and he had died intestate, leaving assets for the payment of his debt independently of the legacy.

96. Bequest to ‘representatives’ etc. of particular person.- Where a bequest is made to the “representatives” or “legal representatives” or “personal representatives” or “executors or administrators” of a particular person, and the class so designated forms the direct and independent object of the bequest, the estate bequeathed shall be distributed as if it had belonged to such person and she/he had died intestate in respect of it.

Illustration

A bequest is made to the “legal representatives” of A. A has died intestate and insolvent. B is his administrator. B is entitled to receive the legacy, and will apply it in the first place to the discharge of such part of A’s debt as may remain unpaid. If there be any surplus, B will pay it to those persons who at A’s death would have been entitled to receive any estate of A’s which might remain after payment of his debts, or to the representatives of such persons.

97. Bequest without words of limitation.- Where estate is bequeathed to any person, she/he is entitled to the whole interest of the testator therein, unless it appears from the Will that only a restricted interest was intended for her/him.

98. Bequest in alternative.- Where an estate is bequeathed to a person with a bequest in the alternative to another person or to a class of persons, then, if a contrary intention does not appear by the Will, the legatee first named shall be entitled to the legacy if she/he is alive at the time when it takes effect; but if she/he is then dead, the person or class of persons named in the second branch of the alternative shall take the legacy.

Illustrations

- (i) A bequest is made to A or to B. A survives the testator. B takes nothing.
- (ii) A bequest is made to A or to B. A dies after the date of the Will, and before the testator. The legacy goes to B.
- (iii) A bequest is made to A or to B. A is dead at the date of the Will. The legacy goes to B.

- (iv) Estate is bequeathed to A or his heirs. A survives the testator. A takes the estate absolutely.
- (v) Estate is bequeathed to A or his nearest of kin. A dies in the lifetime of the testator. Upon the death of the testator, the bequest to A's nearest of kin takes effect.
- (vi) Estate is bequeathed to A for life, and after his death to B or his heirs. A and B survive the testator. B dies in A's lifetime. Upon A's death the bequest to the heirs of B takes effect.
- (vii) Estate is bequeathed to A for life, and after his death to B or his heirs. B dies in the testator's lifetime. A survives the testator. Upon A's death, the bequest to the heirs of B takes effect.

99. Effect of words describing a class added to bequest to person.- Where estate is bequeathed to a person, and words are added which describe a class of persons but do not denote them as direct objects of a distinct and independent gift, such person is entitled to the whole interest of the testator therein, unless a contrary intention appears by the Will.

Illustrations

- (i) A bequest is made –
 - to A and his children,
 - to A and his children by his present wife,
 - to A and his heirs,
 - to A and the heirs of his body,
 - to A and the heirs male of his body,
 - to A and the heirs female of his body,
 - to A and his issue,
 - to A and his family,
 - to A and his descendants,
 - to A and his representatives,
 - to A and his personal representatives,
 - to A, his executors and administrators.

In each of these cases, A takes the whole interest which the testator had in the estate.

- (ii) A bequest is made to A and his brothers. A and his brothers are jointly entitled to the legacy.

- (iii) A bequest is made to A for life and after his death to his issue. At the death of A, the estate belongs in equal shares to all persons who then answer the description of issue of A.

100. Bequest to class of persons under general description only.- Where a bequest is made to a class of persons under a general description only, no one to whom the words of the description are not in their ordinary sense applicable shall take the legacy.

101. Construction of terms.- In a Will-

- (1) the word “children” applies only to lineal descendants in the first degree of the person whose “children” are spoken of;
- (2) the word “grandchildren” applies only to lineal descendants in the second degree of the person whose “grandchildren” are spoken of;
- (3) the words “nephews” and “nieces” apply only to children of brothers or sisters;
- (4) the word “descendants” applies to all lineal descendants whatever of the person whose “descendants” are spoken of;
- (5) words expressive of collateral relationship apply alike to relatives of full and of half-blood; and
- (6) all words expressive of relationship apply to a child in the womb who is afterwards born alive.

102. Rules of construction where Will purports to make two bequests to same person.- Where a Will purports to make two bequests to the same person, and a question arises whether the testator intended to make the second bequest instead of or in addition to the first; if there is nothing in the Will to show what she/he intended, the following rules shall have effect in determining the construction to be put upon the Will –

- (1) If the same specific thing is bequeathed twice to the same legatee in the same Will or in the Will and again in the codicil, she/he is entitled to receive that specific thing only.
- (2) Where one and the same Will or one and the same codicil purports to make, in two places, a bequest to the same person of the same quantity or amount of

anything, she/he shall be entitled to one such legacy only.

- (3) Where two legacies of unequal amount are given to the same person in the same Will, or in the same codicil, the legatee is entitled to both.
- (4) Where two legacies, whether equal or unequal in amount, are given to the same legatee, one by a Will and the other by a codicil, or each by a different codicil, the legatee is entitled to both legacies.

Explanation.- In clauses (1) to (4) of this section, the word “Will” does not include a codicil.

Illustrations

- (i) A, having ten shares, and no more, in the State Bank of India, made his Will, which contains near its commencement the words “I bequeath my ten shares in the State Bank of India to B”. After other bequests, the Will concludes with the words “and I bequeath my ten shares in the State Bank of India to B”. B is entitled simply to receive A’s ten shares in the State Bank of India.
- (ii) A, having one diamond ring, which was given to him by B, bequeaths to C the diamond ring which was given by B. A afterwards made a codicil to his Will, and thereby, after giving other legacies, he bequeathed to C the diamond ring which was given to him by B. C can claim nothing except the diamond ring which was given to A by B.
- (iii) A, by his Will, bequeaths to B the sum of 50,000 rupees and afterwards in the same Will repeats the bequest in the same words. B is entitled to one legacy of 50,000 rupees only.
- (iv) A, by his Will, bequeaths to B the sum of 50,000 rupees and afterwards in the same Will bequeaths to B the sum of 60,000 rupees. B is entitled to receive 110,000 rupees.
- (v) A, by his Will, bequeaths to B 50,000 rupees and by a codicil to the Will he bequeaths to him 50,000 rupees. B is entitled to receive 100,000 rupees.
- (vi) A, by one codicil to his Will, bequeaths to B 50,000 rupees and by another codicil bequeaths to him, 60,000 rupees. B is entitled to receive 110,000 rupees.
- (vii) A, by his Will, bequeaths “50,000 rupees to B because she was my nurse”, and in another part of the Will bequeaths

50,000 rupees to B “because she went to England with my children”. B is entitled to receive 100,000 rupees.

- (viii) A, by his Will, bequeaths to B the sum of 50,000 rupees and also, in another part of the Will, an annuity of 4000 rupees. B is entitled to both legacies.
- (ix) A, by his Will, bequeaths to B the sum of 50,000 rupees and also bequeaths to him the sum of 50,000 rupees if he shall attain the age of 18. B is entitled absolutely to one sum of 50,000 rupees, and takes a contingent interest in another sum of 50,000 rupees.

103. Constitution of residuary legatee.- A residuary legatee may be constituted by any words that show an intention on the part of the testator that the person designated shall take the surplus or residue of her/his estate.

Illustrations

- (i) A makes her Will, consisting of several testamentary papers, in one of which are contained the following words: - “I think there will be something left, after all funeral expenses, etc., to give to B, now at school, towards equipping him to any profession he may hereafter be appointed to.” B is constituted residuary legatee.
- (ii) A makes his Will, with the following passage at the end of it: - “I believe there will be found sufficient in my banker’s hands to defray and discharge my debts, which I hereby, desire B to do, and keep the residue for her own use and pleasure.” B is constituted the residuary legatee.
- (iii) A bequeaths all his estate to B, except certain stocks and funds, which he bequeaths to C. B is the residuary legatee.

104. Estate to which residuary legatee entitled.- Under a residuary bequest, the legatee is entitled to all estate belonging to the testator at the time of her/his death, of which she/he has not made any other testamentary disposition which is capable of taking effect.

Illustration

A by his Will bequeaths certain legacies, of which one is void and another lapses by the death of the legatee. He bequeaths the residue

of his estate to B. After the date of his Will, A purchases a house, which belongs to him at the time of his death. B is entitled to the two legacies and the house as part of the residue.

105. Time of vesting legacy in general terms. If a legacy is given in general terms, without specifying the time when it is to be paid, the legatee has a vested interest in it from the day of the death of the testator, and, if she/he dies without having received it, it shall pass to her/his representatives.

106. In what case legacy lapses. (1) If the legatee does not survive the testator, the legacy cannot take effect, but shall lapse and form part of the residue of the testator's estate, unless it appears by the Will that the testator intended that it should go to some other person.

(2) In order to entitle the representatives of the legatee to receive the legacy, it must be proved that she/he survived the testator.

Illustrations

- (i) The testator bequeaths to B "50,000 rupees which B owes me". B dies before the testator; the legacy lapses.
- (ii) A bequest is made to A and his children. A dies before the testator, or happens to be dead when the Will is made. The legacy to A and his children lapses.
- (iii) A legacy is given to A, and, in case of his dying before the testator, to B. A dies before the testator. The legacy goes to B.
- (iv) A sum of money is bequeathed to A for life, and after his death to B. A dies in the lifetime of the testator; B survives the testator. The bequest to B takes effect.
- (v) A sum of money is bequeathed to A on his completing his eighteenth year, and in case he should die before he completes his eighteenth year, to B. A completes his eighteenth year, and dies in the lifetime of the testator. The legacy to A lapses, and the bequest to B does not take effect.
- (vi) The testator and the legatee perished in the same ship-wreck. There is no evidence to show who died first. The legacy lapses.

107. Legacy does not lapse if one of two joint legatees die before testator.- If a legacy is given to two persons jointly, and one of them dies before the testator, the other legatee takes the whole.

Illustration

The legacy is simply to A and B. A dies before the testator. B takes the legacy.

108. Effect of words showing testator's intention to give distinct shares.- If a legacy is given to legatees in words which show that the testator intended to give them distinct shares of it, then, if any legatee dies before the testator, so much of the legacy as was intended for her/him shall fall into the residue of the testator's estate.

Illustration

A sum of money is bequeathed to A, B and C, to be equally divided among them. A dies before the testator, B and C will only take so much as they would have had if A had survived the testator.

109. When lapsed share goes as undisposed of.- Where a share which lapses is a part of the general residue bequeathed by the Will, that share shall go as undisposed of.

Illustration

The testator bequeaths the residue of his estate to A, B and C, to be equally divided between them. A dies before the testator. His one-third of the residue goes as undisposed of.

110. When bequest to testator's child or lineal descendant does not lapse on his death in testator's lifetime.- Where a bequest has been made to any child or other lineal descendant of the testator, and the legatee dies in the lifetime of the testator, but any lineal descendant of her/his survives the testator, the bequest shall not lapse, but shall take effect as if the death of the legatee had happened immediately after the death of the testator, unless a contrary intention appears by the Will.

Illustration

A makes his Will, by which he bequeaths a sum of money to his son, B, for his own absolute use and benefit. B dies before A, leaving a son, C, who survives A, and having made his Will whereby he bequeaths all his estate to his widow, D. The money goes to D.

111. Bequest to A for benefit of B does not lapse by A's death.- Where a bequest is made to one person, for the benefit of another, the legacy does not lapse by the death, in the testator's lifetime, of the person to whom the bequest is made.

112. Survivorship in case of bequest to described class.- Where a bequest is made simply to a described class of persons, the thing bequeathed shall go only to such as are alive at the testator's death.

Exception - If estate is bequeathed to a class of persons described as standing in a particular degree of kindred to a specified individual, but their possession of it is deferred until a time later than the death of the testator by reason of a prior bequest or otherwise, the estate shall at that time go to such of them as are then alive, and to the representatives of any of them who have died since the death of the testator.

Illustrations

- (i) A bequeaths 100,000 rupees to "the children of B" without saying when it is to be distributed among them. B had died previous to the date of the Will, leaving three children, C, D and E. E died after the date of the Will, but before the death of A. C and D survive A. The legacy will belong to C and D, to the exclusion of the representatives of E.
- (ii) A lease for years of a house, was bequeathed to A for his life, and after his decease to the children of B. At the death of the testator, B had two children living, C and D, and he never had any other child. Afterwards, during the lifetime of A, C died, leaving E, his executor. D has survived A. D and E are jointly entitled to so much of the leasehold term as remains unexpired.

- (iii) A sum of money was bequeathed to A for her life, and after her decease to the children of B. At the death of the testator, B had two children living, C and D, and, after that event, two children, E and F, were born to B. C and E died in the lifetime of A, C having made a Will, E having made no Will. A has died, leaving D and F surviving her. The legacy is to be divided into four equal parts, one of which is to be paid to the executor of C, one to D, one to the administrator of E and one to F.
- (iv) A bequeaths one-third of his lands to B for his life, and after his decease to the sisters of B. At the death of the testator, B had two sisters living, C and D, and after that event another sister E was born. C died during the life of B. D and E have survived B. One-third of A's land belong to D, E and the representatives of C, in equal shares.
- (v) A bequeaths 100,000 rupees to B for life and after his death equally among the children of C. Up to the death of B, C had not had any child. The bequest after the death of B is void.
- (vi) A bequeaths 100,000 rupees to "all the children born or to be born" of B to be divided among them at the death of C. At the death of the testator, B has two children living, D and E. After the death of the testator, but in the lifetime of C, two other children, F and G, are born to B. After the death of C, another child is born to B. The legacy belongs to D, E, F and G, to the exclusion of the after-born child of B.
- (vii) A bequeaths a fund to the children of B, to be divided among them when the eldest shall attain majority. At the testator's death, B had one child living, named C. He afterwards had two other children, named D and E. E died, but C and D were living when C attained majority. The fund belongs to C, D and the representatives of E, to the exclusion of any child who may be born to B after C's attaining majority.

Void Bequests

113. Bequest to person by particular description, who is not in existence at testator's death.- Where a bequest is made

to a person by a particular description, and there is no person in existence at the testator's death who answers the description, the bequest is void.

Exception.- If estate is bequeathed to a person described as standing in a particular degree of kindred to a specified individual, but her/his possession of it is deferred until a time later than the death of the testator, by reason of a prior bequest or otherwise; and if a person answering the description is alive at the death of the testator, or comes into existence between that event and such later time, the estate shall, at such later time, go to that person, or, if she/he is dead, to her/his representatives.

Illustrations

- (i) A bequeaths 100,000 rupees to the eldest son of B. At the death of the testator, B has no son. The bequest is void.
- (ii) A bequeaths 100,000 rupees to B for life, and after his death to the eldest son of C. At the death of the testator, C had no son. Afterwards, during the life of B, a son is born to C. Upon B's death the legacy goes to C's son.
- (iii) A bequeaths 100,000 rupees to B for life, and after his death to the eldest son of C. At the death of the testator, C had no son. Afterwards, during the life of B, a son, named D, is born to C. D dies, then B dies. The legacy goes to the representative of D.
- (iv) A bequeaths his estate of Udaipur Farms to B for life, and at his decease, to the eldest son of C. Up to the death of B, C has had no son. The bequest to C's eldest son is void.
- (v) A bequeaths 100,000 rupees to the eldest son of C, to be paid to him after the death of B. At the death of the testator C has no son, but a son is afterwards born to him during the life of B and is alive at B's death. C's son is entitled to the 100,000 rupees.

114. Bequest to person not in existence at testator's death subject to prior bequest.- Where a bequest is made to a person not in existence at the time of the testator's death, subject to a prior bequest contained in the Will, the later bequest shall be void, unless it comprises the whole of the remaining interest of the testator in the thing bequeathed.

Illustrations

- (i) Estate is bequeathed to A for his life, and after his death to his eldest son for life, and after the death of the latter to his eldest son. At the time of the testator's death, A has no son. Here the bequest to A's eldest son is a bequest to a person not in existence at the testator's death. It is not a bequest of the whole interest that remains to the testator. The bequest to A's eldest son for his life is void.
- (ii) A fund is bequeathed to A for his life, and after his death to his daughters. A survives the testator. A has daughters some of whom were not in existence at the testator's death. The bequest to A's daughters comprises the whole interest that remains to the testator in the thing bequeathed. The bequest to A's daughters is valid.
- (iii) A fund is bequeathed to A for his life, and after his death to his daughters, with a direction that, if any of them marries under the age of eighteen, her portion shall be settled so that it may belong, to herself for life and may be divisible among her children after her death. A has no daughters living at the time of the testator's death, but has daughters born afterwards who survive him. Here the direction for a settlement has the effect in the case of each daughter who marries under eighteen of substituting for the absolute bequest to her a bequest to her merely for her life; that is to say, a bequest to a person not in existence at the time of the testator's death of something which is less than the whole interest that remains to the testator in the thing bequeathed. The direction to settle the fund is void.
- (iv) A bequeaths a sum of money to B for life, and directs that upon the death of B the fund shall be settled upon his daughters, so that the portion of each daughter may belong to herself for life, and may be divided among her children after her death. B has no daughter living at the time of the testator's death. In this case the only bequest to the daughters of B is contained in the direction to settle the fund, and this direction amounts to a bequest to persons not yet born, of a life-interest in the fund, that is to say, of something which is less than the whole interest that remains to the testator in the thing bequeathed. The direction to settle the fund upon the daughters of B is void.

115. Rule against perpetuity.- No bequest is valid whereby the vesting of the thing bequeathed may be delayed beyond the life-time of one or more persons living at the testator's death and the minority of some person who shall be in existence at the expiration of that period, and to whom, if she/he attains full age, the thing bequeathed is to belong.

Illustrations

- (i) A fund is bequeathed to A for his life and after his death to B for his life; and after B's death to such of the sons of B as shall first attain the age of 25. A and B survive the testator. Here the son of B who shall first attain the age of 25 may be a son born after the death of the testator; such son may not attain 25 until more than 18 years have elapsed from the death of the longer liver of A and B; and the vesting of the fund may thus be delayed beyond the lifetime of A and B and the minority of the sons of B. The bequest after B's death is void.
- (ii) A fund is bequeathed to A for his life, and after his death to B for his life, and after B's death to such of B's sons as shall first attain the age of 25. B dies in the lifetime of the testator, leaving one or more sons. In this case the sons of B are persons living at the time of the testator's decease, and the time as when either of them will attain 25 necessarily falls within his own lifetime. The bequest is valid.
- (iii) A fund is bequeathed to A for his life, and after his death to B for his life, with a direction that after B's death it shall be divided amongst such of B's children as shall attain the age of 18, but that, if no child of B shall attain that age, the fund shall go to C. Here the time for the division of the fund must arrive at the latest at the expiration of 18 years from the death of B, a person living at the testator's decease. All the bequests are valid.
- (iv) A fund is bequeathed to trustees for the benefit of the testator's daughters, with a direction that, if any of them marry under age, her share of the fund shall be settled so as to devolve after her death upon such of her children as shall attain the age of 18. Any daughter of the testator to whom the direction applies must be in existence at his decease, and any portion of the fund which may eventually be settled as

directed must vest not later than 18 years from the death of the daughters whose share it was. All these provisions are valid.

116. Bequest to a class some of whom may come under rules in sections 114 and 115.- If a bequest is made to a class of persons with regard to some of whom it is inoperative by reason of the provisions of section 114 or section 115, such bequest shall be void in regard to those persons only, and not in regard to the whole class.

Illustrations

- (i) A fund is bequeathed to A for life, and after his death to all his children who shall attain the age of 25. A survives the testator, and has some children living at the testator's death. Each child of A's living at the testator's death must attain the age of 25 (if at all) within the limits allowed for a bequest. But A may have children after the testator's decease, some of whom may not attain the age of 25 until more than 18 years have elapsed after the decease of A. The bequest to A's children, therefore, is inoperative as to any child born after the testator's death; and in regard to those who do not attain the age of 25 within 18 years after A's death, but is operative in regard to the other children of A.
- (ii) A fund is bequeathed to A for his life, and after his death to B, C, D and all other children of A who shall attain the age of 25. B, C, D are children of A living at the testator's decease. In all other respects the case is the same as that supposed in illustration (i). Although the mention of B, C and D does not prevent the bequest from being regarded as a bequest to a class, it is not wholly void. It is operative as regards any of the children B, C or D, who attain the age of 25 within 18 years after A's death.

117. Bequest to take effect on failure of prior bequest.- Where by reason of any of the rules contained in sections 114 and 115, any bequest in favour of a person or of a class of persons is void in regard to such person or the whole of such class, any bequest contained in the same Will and intended to take effect after or upon failure of such prior bequest is also void.

Illustrations

- (i) A fund is bequeathed to A for his life, and after his death to such of his sons as shall first attain the age of 25, for his life, and after the decease of such son to B. A and B survive the testator. The bequest to B is intended to take effect after the bequest to such of the sons of A as shall first attain the age of 25, which bequest is void under section 115. The bequest to B is void.
- (ii) A fund is bequeathed to A for his life, and after his death to such of his sons as shall first attain the age of 25, and, if no son of A shall attain that age, to B. A and B survive the testator. The bequest to B is intended to take effect upon failure of the bequest to such of A's sons as shall first attain the age of 25, which bequest is void under section 115. The bequest to B is void.

118. Effect of direction for accumulation.- (1) Where the terms of a Will direct that the income arising from any estate shall be accumulated either wholly or in part during any period longer than a period of eighteen years from the death of the testator, such direction shall, save as hereinafter provided, be void to the extent to which the period during which the accumulation is directed exceeds the aforesaid period, and at the end of such period of eighteen years the estate and the income thereof shall be disposed of as if the period during which the accumulation has been directed to be made had elapsed.

(2) This section shall not affect any direction for accumulation for the purpose of-

- (a) the payment of the debts of the testator or any other person taking any interest under the Will, or
- (b) the provision of portions for children or remoter issue of the testator or of any other person taking any interest under the Will, or
- (c) the preservation or maintenance of any estate bequeathed;

and such direction may be made accordingly.

Vesting of Legacies

119. Date of vesting of legacy when payment or possession postponed.- Where by the terms of a bequest the legatee is not entitled to immediate possession of the thing bequeathed, a right to receive it at the proper time shall, unless a contrary intention appears by the Will, become vested in the legatee on the testator's death, and shall pass to the legatee's representatives if she/he dies before that time and without having received the legacy, and in such cases the legacy is from the testator's death said to be vested in interest.

Explanation.- An intention that a legacy to any person shall not become vested in interest in her/him is not to be inferred merely from a provision whereby the payment or possession of the thing bequeathed is postponed, or whereby a prior interest therein is bequeathed to some other person, or whereby the income arising from the fund bequeathed is directed to be accumulated until the time of payment arrives, or from a provision that, if a particular event shall happen, the legacy shall go over to another person.

Illustrations

- (i) A bequeaths to B 10,000 rupees, to be paid to him at the death of C. On A's death the legacy becomes vested in interest in B, and if he dies before C, his representatives are entitled to the legacy.
- (ii) A bequeaths to B 10,000 rupees, to be paid to him upon his attaining the age of 18. On A's death the legacy becomes vested in interest in B.
- (iii) A fund is bequeathed to A for life, and after his death to B. On the testator's death the legacy to B becomes vested in interest in B.
- (iv) A fund is bequeathed to A until B attains the age of 18 and then to B. The legacy to B is vested in interest from the testator's death.
- (v) A bequeaths the whole of his estate to B upon trust to pay certain debts out of the income, and then to make over the fund to C. At A's death the gift to C becomes vested in interest in him.
- (vi) A fund is bequeathed to A, B and C in equal shares to be paid to them on their attaining the age of 18, respectively, with a proviso that, if all of them die under the age of 18, the legacy

shall devolve upon D. On the death of the testator, the shares vested in interest in A, B and C, subject to be divested in case A, B and C shall all die under 18, and, upon the death of any of them (except the last survivor) under the age of 18, his vested interest passes, so subject, to his representatives.

120. Date of vesting when legacy contingent upon specified uncertain event.- (1) A legacy bequeathed in case a specified uncertain event shall happen does not vest until that event happens.

(2) A legacy bequeathed in case a specified uncertain event shall not happen does not vest until the happening of that event becomes impossible.

(3) In either case, until the condition has been fulfilled, the interest of the legatee is called contingent.

Exception.- Where a fund is bequeathed to any person upon her/his attaining a particular age, and the Will also gives to her/him absolutely the income to arise from the fund before she/he reaches that age, or directs the income, or so much of it as may be necessary, to be applied for her/his benefit, the bequest of the fund is not contingent.

Illustrations

- (i) A legacy is bequeathed to D in case A, B and C shall all die under the age of 18. D has a contingent interest in the legacy until A, B and C all die under 18, or one of them attains that age.
- (ii) A sum of money is bequeathed to A “in case he shall attain the age of 18”, or “when he shall attain the age of 18”. A’s interest in the legacy is contingent until the condition is fulfilled by his attaining that age.
- (iii) An estate is bequeathed to A for life, and after his death to B if B shall then be living; but if B shall not be then living to C. A, B and C survive the testator. B and C each take a contingent interest in the estate until the event which is to vest it in one, or in the other has happened.
- (iv) An estate is bequeathed as in the case last supposed. B dies in the lifetime of A and C. Upon the death of B, C acquires a

vested right to obtain possession of the estate upon A's death.

- (v) A legacy is bequeathed to A when she shall attain the age of 18 with a proviso that if she does not attain the age of 18, the legacy shall go to C. A and C each take a contingent interest in the legacy. A attains the age of 18. A becomes absolutely entitled to the legacy.
- (vi) An estate is bequeathed to A until he shall marry and after that event to B. B's interest in the bequest is contingent until the condition is fulfilled by A's marrying.
- (vii) An estate is bequeathed to A until he shall take advantage of any law for the relief of insolvent debtors, and after that event to B. B's interest in the bequest is contingent until A takes advantage of such a law.
- (viii) An estate is bequeathed to A if he shall pay 50,000 rupees to B. A's interest in the bequest is contingent until he has paid 50,000 rupees to B.
- (ix) A leaves his farm of Pali to B, if B shall convey his own farm of Tonk to C. B's interest in the bequest is contingent until he has conveyed the latter farm to C.
- (x) A fund is bequeathed to A if B shall not marry C within five years after the testator's death. A's interest in the legacy is contingent until the condition is fulfilled by the expiration of the five years without B's having married C, or by the occurrence within that period of an event which makes the marriage of B and C impossible.
- (xi) A fund is bequeathed to A if B shall not make any provision for him by Will. The legacy is contingent until B's death.
- (xii) A bequeaths to B 50,000 rupees a year upon his attaining the age of 18, and directs that the interest, or a competent part thereof, shall be applied for his benefit until he reaches that age. The legacy is vested.
- (xiii) A bequeaths to B 50,000 rupees when he shall attain the age of 18 and directs that a certain sum, out of another fund, shall be applied for his maintenance until he arrives at that age. The legacy is contingent.

121. Vesting of interest in bequest to such members of a class as shall have attained particular age.- Where a bequest is made only to such members of a class as shall have attained a

particular age, a person who has not attained that age cannot have a vested interest in the legacy.

Illustration

A fund is bequeathed to such of the children of A as shall attain the age of 18, with a direction that, while any child of A shall be under the age of 18, the income of the share, to which it may be presumed he will be eventually entitled, shall be applied for his maintenance and education. No child of A who is under the age of 18 has a vested interest in the bequest.

Onerous Bequests

122. Onerous bequests.- Where a bequest imposes an obligation on the legatee, she/he can take nothing by it unless she/he accepts it fully.

Illustration

A, having shares in X, a prosperous joint stock company and also shares in Y, a joint stock company in difficulties, in respect of which shares heavy calls are expected to be made, bequeaths to B all his shares in joint stock companies; B refuses to accept the shares in Y. He forfeits the shares in X.

123. One of two separate and independent bequests to same person may be accepted and other refused.- Where a Will contains two separate and independent bequests to the same person, the legatee is at liberty to accept one of them and refuse the other, although the former may be beneficial and the latter onerous.

Illustration

A, having a lease for a term of years of a house at a rent which he and his representatives are bound to pay during the term, and which is higher than the house can be let for, bequeaths to B the lease and a sum of money. B refuses to accept the lease. He will not by this refusal forfeit the money.

Contingent Bequests

124. Bequest contingent upon specified uncertain event, no time being mentioned for its occurrence.- Where a legacy is given if a specified uncertain event shall happen and no time is mentioned in the Will for the occurrence of that event, the legacy cannot take effect, unless such event happens before the period when the fund bequeathed is payable or distributable.

Illustrations

- (i) A legacy is bequeathed to A, and, in case of his death, to B. If A survives the testator, the legacy to B does not take effect.
- (ii) A legacy is bequeathed to A, and, in case of his death without children, to B. If A survives the testator or dies in his lifetime leaving a child, the legacy to B does not take effect.
- (iii) A legacy is bequeathed to A when and if he attains the age of 18, and, in case of his death, to B. A attains the age of 18. The legacy to B does not take effect.
- (iv) A legacy is bequeathed to A for life, and, after his death to B, and, “in case of B’s death without children”, to C. The words “in case of B’s death without children” are to be understood as meaning in case B dies without children during the lifetime of A.
- (v) A legacy is bequeathed to A for life, and, after his death to B, and, “in case of B’s death”, to C. The words “in case of B’s death” are to be considered as meaning “in case B dies in the lifetime of A”.

125. Bequest to such of certain persons as shall be surviving at some period not specified.- Where a bequest is made to such of certain persons as shall be surviving at some period, but the exact period is not specified, the legacy shall go to such of them as are alive at the time of payment or distribution, unless a contrary intention appears by the Will.

Illustrations

- (i) Estate is bequeathed to A and B to be equally divided between them, or to the survivor of them. If both A and B survive the testator, the legacy is equally divided between

them. If A dies before the testator, and B survives the testator, it goes to B.

- (ii) Estate is bequeathed to A for life, and, after his death, to B and C, to be equally divided between them, or to the survivor of them. B dies during the life of A; C survives A. At A's death, the legacy goes to C.
- (iii) Estate is bequeathed to A for life, and after his death to B and C, or the survivor, with a direction that, if B should not survive the testator, his children are to stand in his place. C dies during the life of the testator; B survives the testator, but dies in the lifetime of A. The legacy goes to the representative of B.
- (iv) Estate is bequeathed to A for life, and, after his death, to B and C, with a direction that, in case either of them dies in the lifetime of A, the whole shall go to the survivor. B dies in the lifetime of A. Afterward C dies in the lifetime of A. The legacy goes to the representative of C.

Conditional Bequests

126. Bequest upon impossible condition.- A bequest upon an impossible condition is void.

Illustrations

- (i) An estate is bequeathed to A on condition that he shall walk 100 miles in an hour. The bequest is void.
- (ii) A bequeaths 50,000 rupees to B on condition that he shall marry A's daughter. A's daughter was dead at the date of the Will. The bequest is void.

127. Bequest upon illegal or immoral condition.- A bequest upon a condition, the fulfilment of which would be contrary to law or to morality, is void.

Illustrations

- (i) A bequeaths 50,000 rupees to B on condition that he shall murder C. The bequest is void.
- (ii) A bequeaths 50,000 rupees to his niece if she will desert her husband. The bequest is void.

128. Fulfilment of condition precedent to vesting of legacy.- Where a Will imposes a condition to be fulfilled before the legatee can take a vested interest in the thing bequeathed, the

condition shall be considered to have been fulfilled if it has been substantially complied with.

Illustrations

- (i) A legacy is bequeathed to A on condition that he shall marry with the consent of B, C, D and E. A marries with the written consent of B. C is present at the marriage. D sends a present to A previous to the marriage. E has been personally informed by A of his intentions, and has made no objection. A has fulfilled the condition.
- (ii) A legacy is bequeathed to A on condition that he shall marry with the consent of B, C and D. D dies. A marries with the consent of B and C. A has fulfilled the condition.
- (iii) A legacy is bequeathed to A on condition that he shall marry with the consent of B, C and D. A marries in the lifetime of B, C and D, with the consent of B and C only. A has not fulfilled the condition.
- (iv) A legacy is bequeathed to A on condition that he shall marry with the consent of B, C and D. A obtains the unconditional assent of B, C and D to his marriage with E. Afterwards B, C and D capriciously retract their consent. A marries E. A has fulfilled the condition.
- (v) A legacy is bequeathed to A on condition that he shall marry with the consent of B, C and D. A marries without the consent of B, C and D, but obtains their consent after the marriage. A has not fulfilled the condition.
- (vi) A makes his Will whereby he bequeaths a sum of money to B if B shall marry with the consent of A's executors. B marries during the lifetime of A, and A afterwards expresses his approbation of the marriage. A dies. The bequest to B takes effect.
- (vii) A legacy is bequeathed to A if he executes a certain document within a time specified in the Will. The document is executed by A within a reasonable time, but not within the time specified in the Will. A has not performed the condition, and is not entitled to receive the legacy.

129. Bequest to 'A' and on failure of prior bequest to 'B'.- Where there is a bequest to one person and a bequest of the same thing to another, if the prior bequest shall fail, the second

bequest shall take effect upon the failure of the prior bequest although the failure may not have occurred in the manner contemplated by the testator.

Illustrations

- (i) A bequeaths a sum of money to his own children surviving him, and, if they all die under 18, to B. A dies without having ever had a child. The bequest to B takes effect.
- (ii) A bequeaths a sum of money to B, on condition that he shall execute a certain document within three months after A's death, and, if he should neglect to do so, to C. B dies in the testator's lifetime. The bequest to C takes effect.

130. When second bequest not to take effect on failure of first.- Where the Will shows an intention that the second bequest shall take effect only in the event of the first bequest failing in a particular manner, the second bequest shall not take effect, unless the prior bequest fails in that particular manner.

Illustration

A makes a bequest to his wife, but in case she should die in his lifetime, bequeaths to B that which he had bequeathed to her. A and his wife perish together, under circumstances which make it impossible to prove that she died before him, the bequest to B does not take effect.

131. Bequest over, conditional upon happening or not happening of specified uncertain event.- (1) A bequest may be made to any person with the condition super-added, that, in case a specified uncertain event shall happen, the thing bequeathed shall go to another person, or that in case a specified uncertain event shall not happen, the thing bequeathed shall go over to another person.

(2) In each case the ulterior bequest is subject to the rules contained in sections 120,121,122,123,124,125,126,127,129 and 130.

Illustrations

- (i) A sum of money is bequeathed to A, to be paid to him at the age of 18, and if he shall die before he attains that age, to B.

A takes a vested interest in the legacy, subject to be divested and to go to B in case A dies under 18.

- (ii) An estate is bequeathed to A with a proviso that if A shall dispute the competency of the testator to make a Will, the estate shall go to B. A disputes the competency of the testator to make a Will. The estate goes to B.
- (iii) A sum of money is bequeathed to A for life, and, after his death, to B, but if B shall then be dead leaving a son, such son is to stand in the place of B. B takes a vested interest in the legacy, subject to be divested if he dies leaving a son in A's lifetime.
- (iv) A sum of money is bequeathed to A and B, and if either should die during the life of C, then to the survivor living at the death of C. A and B die before C. The gift over cannot take effect, but the representative of A takes one-half of the money, and the representative of B takes the other half.
- (v) A bequeaths to B the interest of a fund for life, and directs the fund to be divided at her death equally among her three children, or such of them as shall be living at her death. All the children of B die in B's lifetime. The bequest over cannot take effect, but the interests of the children pass to their representatives.

132. Condition must be strictly fulfilled.- An ulterior bequest of the kind contemplated by section 131 cannot take effect, unless the condition is strictly fulfilled.

Illustrations

- (i) A legacy is bequeathed to A, with a proviso that, if he marries without the consent of B, C and D, the legacy shall go to E. D dies. Even if A marries without the consent of B and C, the gift to E does not take effect.
- (ii) A legacy is bequeathed to A, with a proviso that, if he marries without the consent of B, the legacy shall go to C. A marries with the consent of B. He afterwards becomes a widower and marries again without the consent of B. The bequest to C does not take effect.

133. Original bequest not affected by invalidity of second.- If the ulterior bequest be not valid the original bequest is not affected by it.

Illustrations

- (i) An estate is bequeathed to A for his life with condition super-added that, if he shall not on a given day walk 100 miles in an hour, the estate shall go to B. The condition being void, A retains his estate as if no condition had been inserted in the Will.
- (ii) An estate is bequeathed to A for her life and, if she does not desert her husband, to B. A is entitled to the estate during her life as if no condition had been inserted in the Will.
- (iii) An estate is bequeathed to A for life, and, if he marries, to the eldest son of B for life. B, at the date of the testator's death, had not had a son. The bequest over is void under section 106, and A is entitled to the estate during his life.

134. Bequest conditioned that it shall cease to have effect in case of specified uncertain event shall happen, or not happen.- A bequest may be made with the condition super-added that it shall cease to have effect in case a specified uncertain event shall happen, or in case a specified uncertain event shall not happen.

Illustrations

- (i) An estate is bequeathed to A for his life, with a proviso that, in case he shall cut down a certain wood, the bequest shall cease to have any effect. A cuts down the wood. He loses his life-interest in the estate.
- (ii) An estate is bequeathed to A, provided that, if he marries under the age of 25 without the consent of the executors named in the Will, the estate shall cease to belong to him. A marries under 25 without the consent of the executors. The estate ceases to belong to him
- (iii) An estate is bequeathed to A, provided that, if he shall not go to England within three years after the testator's death, his interest in the estate shall cease. A does not go to England within the time prescribed. His interest in the estate ceases.
- (iv) An estate is bequeathed to A, with a proviso that, if she becomes a nun, she shall cease to have any interest in the estate. A becomes a nun. She loses her interest under the Will.

- (v) A fund is bequeathed to A for life, and, after his death, to B, if B shall be then living, with a proviso that, if B shall become a nun, the bequest to her shall cease to have any effect. B becomes a nun in the lifetime of A. She thereby loses her contingent interest in the fund.

135. Such condition must not be invalid under section 120.- In order that a condition that a bequest shall cease to have effect may be valid, it is necessary that the event to which it relates be one which could legally constitute the condition of a bequest as contemplated by section 120.

136. Result of legatee rendering impossible or indefinitely postponing act.- Where a bequest is made with a condition super-added that, unless the legatee shall perform a certain act, the subject-matter of the bequest shall go to another person, or the bequest shall cease to have effect but no time is specified for the performance of the act; if the legatee takes any step which renders impossible or indefinitely postpones the performance of the act required, the legacy shall go as if the legatee had died without performing such act.

Illustrations

- (i) A bequest is made to A, with a proviso that, unless he enters the army, the legacy shall go over to B. A enters a religious order, and thereby renders it impossible that he should fulfil the condition. B is entitled to receive the legacy.
- (ii) A bequest is made to A, with a proviso that it shall cease to have any effect if he does not marry B's daughter. A marries a stranger and thereby indefinitely postpones the fulfilment of the conditions. The bequest ceases to have effect.

137. Performance of condition precedent or subsequent, within specified time.- Where the Will requires an act to be performed by the legatee within a specified time, either as a condition to be fulfilled before the legacy is enjoyed, or as a condition upon the non-fulfilment of which the subject-matter of the bequest is to go over to another person or the bequest is to cease to have effect, the act must be performed within the time

specified, unless the performance of it be prevented by fraud, in which case such further time shall be allowed as shall be requisite to make up for the delay caused by such fraud.

Bequests with Directions as to Application or Enjoyment

138. Direction that fund may be employed in particular manner following absolute bequest of same to or for benefit of any person.- Where a fund is bequeathed absolutely to or for the benefit of any person, but the Will contains a direction that it shall be applied or enjoyed in a particular manner, the legatee shall be entitled to receive the fund as if the Will had contained no such direction.

Illustration

A sum of money is bequeathed towards purchasing a country residence for A, or to purchase an annuity for A, or to place A in any business. A chooses to receive the legacy in money. He is entitled to do so.

139. Direction that mode of enjoyment of absolute bequest is to be restricted, to secure specified benefit for legatee.- Where a testator absolutely bequeaths a fund, so as to sever it from her/his own estate, but directs that the mode of enjoyment of it by the legatee shall be restricted so as to secure a specified benefit for the legatee; if that benefit cannot be obtained for the legatee, the fund belongs to her/him as if the Will had contained no such direction.

Illustrations

- (i) A bequeaths the residue of his estate to be divided equally among his daughters, and directs that the shares of the daughters shall be settled upon themselves respectively for life and be paid to their children after their death. All the daughters die unmarried. The representatives of each daughter are entitled to her share of the residue.
- (ii) A directs his trustees to raise a sum of money for his daughter, and he then directs that they shall invest the fund and pay the income arising from it to her during her life, and divide the principal among her children after her death. The daughter

dies without having ever had a child. Her representatives are entitled to the fund.

140. Bequest of fund for certain purpose, some of which cannot be fulfilled.- Where a testator does not absolutely bequeath a fund, so as to sever it from her/his own estate, but gives it for certain purposes, and part of those purposes cannot be fulfilled, the fund, or so much of it as has not been exhausted upon the objects contemplated by the Will, remains a part of the estate of the testator.

Illustrations

- (i) A directs that his trustees shall invest a sum of money in a particular way, and shall pay the interest to his son for life, and at his death shall divide the principal among his children. The son dies without having ever had a child. The fund, after the son's death, belongs to the estate of the testator.
- (ii) A bequeaths the residue of his estate, to be divided equally among his daughters, with a direction that they are to have the interest only during their lives, and that at their decease the fund shall go to their children. The daughters have no children. The fund belongs to the estate of the testator.

Bequests to an Executor

141. Legatee named as executor cannot take away unless he shows intention to act as executor.- If a legacy is bequeathed to a person who is named an executor of the Will, she/he shall not take the legacy, unless she/he proves the Will or otherwise manifests an intention to act as executor.

Illustration

A legacy is given to A, who is named an executor. A orders the funeral according to the directions contained in the Will, and dies a few days after the testator, without having proved the Will. A has manifested an intention to act as executor.

Specific Legacies

142. Specific legacy defined.- Where a testator bequeaths to any person a specified part of her/his estate, which is

distinguished from all other parts of her/his estate, the legacy is said to be specific.

Illustrations

- (i) A bequeaths to B –
- “the diamond ring presented to me by C”;
 - “my gold chain”;
 - “a certain bale of wool”;
 - “a certain piece of cloth”;
 - “all my household goods which shall be in or about my dwelling house in Bundi, at time of my death”;
 - “the sum of 10,000 rupees in a certain chest”;
 - “the debt which B owes me”;
 - “all my bills, bonds and securities belonging to me lying in my lodgings in Jaipur”;
 - “all my furniture in my house in Kota”;
 - “all my goods on board a certain vessel now lying in the river Chambal”;
 - “35,000 rupees which I have in the hands of C”;
 - “the money due to me on the bond of D”;
 - “my mortgage on the Jaipur factory”;
 - “one-half of the money owing to me on my mortgage of Jodhpur factory”;
 - “50,000 rupees, being part of a debt due to me from C”;
 - “my capital stock of 100,000 rupees in XYZ stock”;
 - “my promissory notes of the Central Government for 15,000 rupees in their 4 per cent loan”;
 - “all such sums of money as my executors may, after my death, receive in respect of the debt due to me from the insolvent firm of R and Company”;
 - “all the wine which I may have in my cellar at the time of my death”;
 - “such of my horses as B may select”;
 - “all my shares in the State Bank of India”;
 - “all my shares in the State Bank of India which I may possess at the time of my death”;
 - “all the money which I have in the 5 per cent loan of the Central Government”;
 - “all the Government securities I shall be entitled to at the time of my decease”.

each of these legacies is specific.

- (ii) A, having Government promissory notes for 100,000 rupees, bequeaths to his executors "Government promissory notes for 100,000 rupees in trust to sell" for the benefit of B. The legacy is specific.
- (iii) A, having estate at Udaipur, and also in other places, bequeaths to B all his estate at Udaipur. The legacy is specific.
- (iv) A bequeaths a sum of money –
 to buy a house in Bundi for B;
 to buy an estate in Pali for B;
 to buy a diamond ring for B;
 to buy a horse for B;
 to be invested in shares in the State Bank of India for B;
 to be invested in Government securities for B.

A bequeaths to B –

- "a diamond ring";
- "a horse";
- "10,000 rupees worth of Government securities";
- "an annuity of 25,000 rupees";
- "20,000 rupees to be paid in cash";
- "so much money as will produce 50,000 rupees four per cent. Government securities."

These bequests are not specific.

- (v) A, having estate in England and estate in Rajasthan (India), bequeaths a legacy to B, and directs that it shall be paid out of the estate which he may leave in Rajasthan (India). He also bequeaths a legacy to C, and directs that it shall be paid out of estate which he may leave in England.

No one of these legacies is specific.

143. Bequest of certain sum where stocks etc. in which invested are described.- Where a certain sum is bequeathed, the legacy is not specific merely because the stock, funds or securities in which it is invested are described in the Will.

Illustration

A bequeaths to B –

“100,000 rupees of my funded estate”;

“100,000 rupees of my estate now invested in shares of Tata Motors Ltd.”;

“100,000 rupees, at present secured by mortgage of Jaipur factory”.

No one of these legacies is specific.

144. Bequest of stock where testator had, at date of Will, equal or greater amount of stock of same kind.- Where a bequest is made in general terms of a certain amount of any kind of stock, the legacy is not specific merely because the testator was, at the date of her/his Will, possessed of stock of the specified kind, to an equal or greater amount than the amount bequeathed.

Illustration

A bequeaths to B 50,000 rupees five per cent Government securities. A had at the date of the Will five per cent Government securities for 50,000 rupees. The legacy is not specific.

145. Bequest of money where not payable until part of testator’s estate disposed of in certain way.- A money legacy is not specific merely because the Will directs its payment to be postponed until some part of the estate of the testator has been reduced to a certain form, or remitted to a certain place.

Illustration

A bequeaths to B 100,000 rupees and directs that this legacy shall be paid as soon as A’s estate in Rajasthan (India) shall be realised in England. The legacy is not specific.

146. When enumerated articles not deemed specifically bequeathed.- Where a Will contains a bequest of the residue of the testator’s estate along with an enumeration of some items of estate not previously bequeathed, the articles enumerated shall not be deemed to be specifically bequeathed.

147. Retention, in form, of specific bequest to several persons in succession.- Where estate is specifically bequeathed to

two or more persons in succession, it shall be retained in the form in which the testator left it, although it may be of such a nature that its value is continually decreasing.

Illustrations

- (i) A, having lease of a house for a term of years, fifteen of which were unexpired at the time of his death, has bequeathed the lease to B for his life, and after B's death to C. B is to enjoy the estate as A left it, although, if B lives for fifteen years, C can take nothing under the bequest.
- (ii) A, having an annuity during the life of B, bequeaths it to C, for his life, and, after C's death, to D. C is to enjoy the annuity as A left it, although, if B dies before D, D can take nothing under the bequest.

148. Sale and investment of proceeds of estate bequeathed to two or more persons in succession.- Where estate comprised in a bequest to two or more persons in succession is not specifically bequeathed, it shall, in the absence of any direction to the contrary, be sold, and the proceeds of the sale shall be invested in such securities as the High Court may by any general rule authorise or direct, and the fund thus constituted shall be enjoyed by the successive legatees according to the terms of the Will.

Illustration

A, having a lease for a term of years, bequeaths all his estate to B for life, and, after B's death to C. The lease must be sold, the proceeds invested as stated in this section and the annual income arising from the fund is to be paid to B for life. At B's death the capital of the fund is to be paid to C.

149. Where deficiency of assets to pay legacies, specific legacy not to abate with general legacies.- If there is a deficiency of assets to pay legacies, a specific legacy is not liable to abate with the general legacies.

Demonstrative Legacies

150. Demonstrative legacy defined.- Where a testator bequeaths a certain sum of money, or a certain quantity of any

other commodity, and refers to a particular fund or stock so as to constitute the same the primary fund or stock out of which payment is to be made, the legacy is said to be demonstrative.

Explanation.- The distinction between a specific legacy and a demonstrative legacy consists in this, that –
where specified estate is given to the legatee, the legacy is specific;
where the legacy is directed to be paid out of specified estate, it is demonstrative.

Illustrations

- (i) A bequeaths to B 100,000 rupees, being part of a debt due to him from W. He also bequeaths to C 100,000 rupees to be paid out of the debt due to him from W. The legacy to B is specific, the legacy to C is demonstrative.
- (ii) A bequeaths to B –
 “ten bushels of the corn which shall grow in my Jodhpur Farmhouse”;
 “800 boxes of blue pens which shall be made at my factory of Jaipur”;
 “10,000 rupees out of my five per cent promissory notes of the Central Government”;
 “an annuity of 5,000 rupees from my funded estate”;
 “10,000 rupees out of the sum of 20,000 rupees due to me by C”;
 An annuity, and directs it to be paid “out of the rents arising from my estate at Sirohi”.
- (iii) A bequeaths to B –
 “10,000 rupees out of my estate at Sirohi”, or charges it on his estate at Sirohi;
 “10,000 rupees, being my share of the capital embarked in a certain business”.

Each of these bequests is demonstrative.

151. Order of payment when legacy directed to be paid out of fund subject to specific legacy.- Where a portion of a fund is specifically bequeathed and a legacy is directed to be paid out of the same fund, the portion specifically bequeathed shall first be paid to the legatee, and the demonstrative legacy shall be paid

out of the residue of the fund and, so far as the residue shall be deficient, out of the general assets of the testator.

Illustration

A bequeaths to B 10,000 rupees, being part of a debt due to him from W. He also bequeaths to C 10,000 rupees to be paid out of the debt due to him from W. The debt due to A from W is only 15,000 rupees; of these 15,000 rupees, 10,000 rupees belong to B and 5000 rupees are to be paid to C. C is also to receive 5000 rupees out of the general assets of the testator.

Ademption of Legacies

152. Ademption explained.- If anything which has been specifically bequeathed does not belong to the testator at the time of her/his death, or has been converted into estate of a different kind, the legacy is adeemed; that is, it cannot take effect, by reason of the subject-matter having been withdrawn from the operation of the Will.

Illustrations

- (i) A bequeaths to B –
 “the diamond ring presented to me by C”;
 “my gold chain”;
 “a certain bale of wool”;
 “a certain piece of cloth”;
 “all my household goods which shall be in or about my dwelling-house in Bundi, at the time of my death.”

A in his life time –
 sells or gives away the ring;
 converts the chain into a cup;
 converts the wool into cloth;
 makes the cloth into a garment;
 takes another house into which he removes all his goods.

Each of these legacies is adeemed.

- (ii) A bequeaths to B –
 “the sum of 10,000 rupees, in a certain chest”;
 “all the horses in my stable”.

At the death of A, no money is found in the chest, and no horses in the stable. The legacies are adeemed.

- (iii) A bequeaths to B certain bales of goods. A takes the goods with him on a voyage. The ship and goods are lost at sea, and A is drowned. The legacy is adeemed.

153. Non-ademption of demonstrative legacy.- A demonstrative legacy is not adeemed by reason that the estate on which it is charged by the Will does not exist at the time of the death of the testator, or has been converted into estate of a different kind, but it shall in such case be paid out of the general assets of the testator.

154. Ademption of specific bequest of right to receive something from third party.- Where the thing specifically bequeathed is the right to receive something of value from a third party, and the testator herself/himself receives it, the bequest is adeemed.

Illustrations

- (i) A bequeaths to B –
 “the debt which C owes me”;
 “20,000 rupees which I have in the hands of D”;
 “the money due to me on the bond of E”;
 “my mortgage on the Jaipur factory”.
 All these debts are extinguished in A’s lifetime, some with and some without his consent. All the legacies are adeemed.
- (ii) A bequeaths to B his interest in certain policies of life assurance. A in his lifetime receives the amount of the policies. The legacy is adeemed.

155. Ademption *pro tanto* by testator’s receipt of part of entire thing specifically bequeathed.- The receipt by the testator of a part of an entire thing specifically bequeathed shall operate as an ademption of the legacy to the extent of the sum so received.

Illustration

A bequeaths to B “the debt due to me by C”. The debt amounts to 10,000 rupees. C pays to A 5,000 rupees the one-half of the debt.

The legacy is revoked by ademption, so far as regards the 5,000 rupees received by A.

156. Ademption *pro tanto* by testator's receipt of portion of entire fund of which portion has been specifically bequeathed.- If a portion of an entire fund or stock is specifically bequeathed, the receipt by the testator of a portion of the fund or stock shall operate as an ademption only to the extent of the amount so received; and the residue of the fund or stock shall be applicable to the discharge of the specific legacy.

Illustration

A bequeaths to B one-half of the sum of 10,000 rupees due to him from W. A in his lifetime receives 6,000 rupees, part of the 10,000 rupees. The 4,000 rupees which are due from W to A at the time of his death belong to B under the specific bequest.

157. Order of payment where portion of fund specifically bequeathed to one legatee and legacy charged on same fund to another.- Where a portion of a fund is specifically bequeathed to one legatee, and a legacy charged on the same fund is bequeathed to another legatee, then, if the testator receives a portion of that fund, and the remainder of the fund is insufficient to pay both the specific and the demonstrative legacy, the specific legacy shall be paid first, and the residue (if any) of the fund shall be applied so far as it will extend in payment of the demonstrative legacy, and the rest of the demonstrative legacy shall be paid out of the general assets of the testator.

Illustration

A bequeaths to B 10,000 rupees, part of the debt of 20,000 rupees due to him from W. He also bequeaths to C 10,000 rupees to be paid out of the debt due to him from W. A afterwards receives 5,000 rupees, part of that debt, and dies leaving only 15,000 rupees due to him from W. Of these 15,000 rupees, 10,000 rupees belong to B, and 5,000 rupees are to be paid to C. C is also to receive 5,000 rupees out of the general assets of the testator.

158. Ademption where stock, specifically bequeathed does not exist at testator's death.- Where stock which has been

specifically bequeathed does not exist at the testator's death, the legacy is adeemed.

Illustration

A bequeaths to B –

“my capital stock of 10,000 rupees in XYZ Stock”;

“my promissory notes of the Central Government for 10,000 rupees in their 4 percent loan.”

A sells the stock and the notes. The legacies are adeemed.

159. Ademption *pro tanto* where stock, specifically bequeathed, exists in part only at testator's death.- Where stock which has been specifically bequeathed exists only in part at the testator's death, the legacy is adeemed so far as regards that part of the stock which has ceased to exist.

Illustration

A bequeaths to B his 10,000 rupees in the 5.5 per cent loan of the Central Government. A sells one-half of his 10,000 rupees in the loan in question. One-half of the legacy is adeemed.

160. Non-ademption of specific bequest of goods described as connected with certain place, by reason of removal.- A specific bequest of goods under a description connecting them with a certain place is not adeemed by reason that they have been removed from such place from any temporary cause, or by fraud, or without the knowledge or sanction of the testator.

Illustrations

- (i) A bequeaths to B “all my household goods which shall be in or about my dwelling-house in Alwar at the time of my death”. The goods are removed from the house to save them from fire. A dies before they are brought back.
- (ii) A bequeaths to B “all my household goods which shall be in or about my dwelling-house in Alwar at the time of my death”. During A's absence upon a journey, the whole of the goods are removed from the house. A dies without having sanctioned their removal.

Neither of these legacies is adeemed.

161. When removal of thing bequeathed does not constitute ademption.- The removal of the thing bequeathed from the place in which it is stated in the Will to be situated does not constitute an ademption, where the place is only referred to in order to complete the description of what the testator meant to bequeath.

Illustrations

- (i) A bequeaths to B “all the bills, bonds and other securities for money belonging to me now lying in my lodgings in Udaipur”. At the time of his death these effects had been removed from his lodgings in Udaipur.
- (ii) A bequeaths to B all his furniture then in his house in Sikar. The testator has a house at Sikar and another at Kota, in which he lives alternately, being possessed of one set of furniture only which he removes with himself to each house. At the time of his death the furniture is in the house at Bhilwara.
- (iii) A bequeaths to B all his goods on board a certain vessel then lying in the river Chambal. The goods are removed by A’s directions to a warehouse, in which they remain at the time of A’s death.

No one of these legacies is revoked by ademption.

162. When thing bequeathed is a valuable to be received by testator from third person.- Where the thing bequeathed is not the right to receive something of value from a third person, but the money or other commodity which may be received from the third person by the testator herself/himself or by her/his representatives, the receipt of such sum of money or other commodity by the testator shall not constitute an ademption; but if she/he mixes it up with the general mass of her/his estate, the legacy is adeemed.

Illustration

A bequeaths to B whatever sum may be received from his claim on C. A receives the whole of his claim on C, and sets it apart from the general mass of his estate. The legacy is not adeemed.

163. Change by operation of law of subject of specific bequest between date of Will and testator's death.- Where a thing specifically bequeathed undergoes a change between the date of the Will and the testator's death, and the change takes place by operation of law, or in the course of execution of the provisions of any legal instrument under which the thing bequeathed was held, the legacy is not adeemed by reason of such change.

Illustrations

- (i) A bequeaths to B "all the money which I have in the 5.5 per cent loan of the Central Government". The securities for the 5.5 per cent loan are converted during A's lifetime into 5 per cent stock.
- (ii) A bequeaths to B the sum of 20,000 rupees invested in Government securities in the names of trustees for A. The sum of 20,000 is transferred by the trustees into A's own name.

Neither of these legacies has been adeemed.

164. Change of subject without testator's knowledge.- Where a thing specifically bequeathed undergoes a change between the date of the Will and the testator's death, and the change takes place without the knowledge or sanction of the testator, the legacy is not adeemed.

Illustration

A bequeaths to B "all my 3 per cent Government securities". The Government securities are, without A's knowledge, sold by his agent, and the proceeds converted into XYZ Stock. This legacy is not adeemed.

165. Stock specifically bequeathed lent to third party on condition that it be replaced.- Where stock which has been specifically bequeathed is lent to a third party on condition that it shall be replaced, and it is replaced accordingly, the legacy is not adeemed.

166. Stock specifically bequeathed sold but replaced, and belonging to testator at his death.- Where stock specifically bequeathed is sold, and an equal quantity of the same stock is

afterwards purchased and belongs to the testator at her/his death, the legacy is not adeemed.

Payment of Liabilities in Respect of the Subject of a Bequest

167. Non-liability of executor to exonerate specific legatees.- (1) Where estate specifically bequeathed is subject at the death of the testator to any pledge, lien or incumbrance created by the testator herself/himself or by any person under whom she/he claims, then, unless a contrary intention appears by the Will, the legatee, if she/he accepts the bequest, shall accept it subject to such pledge or incumbrance, and shall (as between herself/himself and the testator's estate) be liable to make good the amount of such pledge or incumbrance.

(2) A contrary intention shall not be inferred from any direction which the Will may contain for the payment of the testator's debts generally.

Explanation.-A periodical payment in the nature of land-revenue or in the nature of rent is not such an incumbrance as is contemplated by this section.

Illustrations

- (i) A bequeaths to B the diamond ring given to him by C. At A's death the ring is held in pawn by D to whom it has been pledged by A. It is the duty of A's executors, if the state of the testator's assets will allow them, to allow B to redeem the ring.
- (ii) A bequeaths to B an estate which at A's death is subject to a mortgage for 10,000 rupees; and the whole of the principal sum, together with interest to the amount of 1,000 rupees, is due at A's death. B, if he accepts the bequest, accepts it subject to this charge, and is liable, as between himself and A's estate, to pay the sum of 11,000 rupees thus due.

168. Completion of testator's title to things bequeathed to be at the cost of her/his estate.- Where anything is to be done to complete the testator's title to the thing bequeathed, it is to be done at the cost of the testator's estate.

Illustrations

- (i) A, having contracted in general terms for the purchase of a piece of land at a certain price, bequeaths to B, and dies before he has paid the purchase-money. The purchase-money must be made good out of A's assets.
- (ii) A, having contracted for the purchase of a piece of land for a certain sum of money, one-half of which is to be paid down and the other half secured by mortgage of the land, bequeaths it to B, and dies before he has paid or secured any part of the purchase-money. One-half of the purchase-money must be paid out of A's assets.

169. Exoneration of legatee's immovable estate for which land revenue or rent payable periodically.- Where there is a bequest of any interest in immovable estate in respect of which payment in the nature of land-revenue or in the nature of rent has to be made periodically, the estate of the testator shall (as between such estate and the legatee) make good such payments or a proportion of them, as the case may be, up to the day of her/his death.

Illustration

A bequeaths to B a house, in respect of which 36,500 rupees are payable annually by way of rent. A pays his rent at the usual time, and dies 25 days after. A's estate will make good 2,500 rupees in respect of the rent.

170. Exoneration of specific legatee's stock in joint stock company.- In the absence of any direction in the Will, where there is a specific bequest of stock in a joint-stock company, if any call or other payment is due from the testator at the time of her/his death in respect of the stock, such call or payment shall, as between the testator's estate and the legatee, be borne by the estate; but, if any call or other payment becomes due in respect of such stock after the testator's death, the same shall, as between the testator's estate and the legatee, be borne by the legatee, if she/he accepts the bequest.

Illustrations

- (i) A bequeaths to B his shares in a certain company. At A's death there was due from him the sum of 100 rupees in respect of each share, being the amount of a call which had been duly made, and the sum of five rupees in respect of each share, being the amount of interest which had accrued due in respect of the call. These payments must be borne by A's estate.
- (ii) A has agreed to take 50 shares in an intended joint-stock company, and has contracted to pay up 100 rupees in respect of each share, which sum must be paid before his title to the shares can be completed. A bequeaths these shares to B. The estate of A must make good the payments which were necessary to complete A's title.
- (iii) A bequeaths to B his shares in a certain company. B accepts the legacy. After A's death, a call is made in respect of the shares. B must pay the call.
- (iv) A bequeaths to B his shares in a joint-stock company. B accepts the bequest. Afterwards the affairs of the company are wound up, and each shareholder is called upon for contribution. The amount of the contribution must be borne by the legatee.
- (v) A is the owner of ten shares in a company. At a meeting held during his lifetime a call is made of fifty rupees per share, payable by three instalments. A bequeaths his shares to B, and dies between the day fixed for the payment of the first and the day fixed for the payment of the second instalment, and without having paid the first instalment. A's estate must pay the first instalment, and B, if he accepts the legacy, must pay the remaining instalments.

Bequests of Things Described in General Terms

171. Bequest of thing described in general terms.- If there is a bequest of something described in general terms, the executor must purchase for the legatee what may reasonably be considered to answer the description.

Illustrations

- (i) A bequeaths to B a motor vehicle or a diamond ring. The executor must provide the legatee with such articles if the state of the assets will allow it.
- (ii) A bequeaths to B “my motor cars”. A had no motor car at the time of his death. The legacy fails.

Bequests of the Interest or Produce of a Fund

172. Bequest of interest or produce of fund.- Where the interest or produce of a fund is bequeathed to any person, and the Will affords no indication of an intention that the enjoyment of the bequest should be of limited duration, the principal, as well as the interest, shall belong to the legatee.

Illustrations

- (i) A bequeaths to B the interest of his 5 per cent promissory notes of the Central Government. There is no other clause in the Will affecting those securities. B is entitled to A’s 5 per cent promissory notes of the Central Government.
- (ii) A bequeaths the interest of his 5.5 per cent promissory notes of the Central Government to B for his life, and after his death to C. B is entitled to the interest of the notes during his life, and C is entitled to the notes upon B’s death.
- (iii) A bequeaths to B the rents of his lands at X. B is entitled to the lands.

Bequests of Annuities

173. Annuity created by Will payable for life only unless contrary intention appears by Will.- Where an annuity is created by Will, the legatee is entitled to receive it for her/his life only, unless a contrary intention appears by the Will, notwithstanding that the annuity is directed to be paid out of the estate generally, or that a sum of money is bequeathed to be invested in the purchase of it.

Illustrations

- (i) A bequeaths to B 5,000 rupees a year. B is entitled during his life to receive the annual sum of 5,000 rupees.

- (ii) A bequeaths to B the sum of 1,000 rupees monthly. B is entitled during his life to receive the sum of 1,000 rupees every month.
- (iii) A bequeaths an annuity of 5,000 rupees to B for life, and on B's death to C. B is entitled to an annuity of 5,000 rupees during his life. C, if he survives B, is entitled to an annuity of 5,000 rupees from B's death until his own death.

174. Period of vesting where Will directs that annuity be provided out of proceeds of estate.- Where the Will directs that an annuity shall be provided for any person out of the proceeds of estate, or out of estate generally, or where money is bequeathed to be invested in the purchase of any annuity for any person, on the testator's death, the legacy vests in interest in the legatee, and she/he is entitled at her/his option to have an annuity purchased for her/him or to receive the money appropriated for that purpose by the Will.

Illustrations

- (i) A by his Will directs that his executors shall, out of his estate, purchase an annuity of 10,000 rupees for B. B is entitled at his option to have an annuity of 10,000 rupees for his life purchased for him or to receive such a sum as will be sufficient for the purchase of such an annuity.
- (ii) A bequeaths a fund to B for his life, and directs that after B's death, it shall be laid out in the purchase of an annuity for C. B and C survive the testator. C dies in B's lifetime. On B's death, the fund belongs to the representative of C.

175. Abatement of annuity.- Where an annuity is bequeathed, but the assets of the testator are not sufficient to pay all the legacies given by the Will, the annuity shall abate in the same proportion as the other pecuniary legacies given by the Will.

176. Where gift of annuity and residuary gift, whole annuity to be first satisfied.- Where there is a gift of an annuity and a residuary gift, the whole of the annuity is to be satisfied before any part of the residue is paid to the residuary legatee, and, if necessary, the capital of the testator's estate shall be applied for that purpose.

Legacies to Creditors and Portioners

177. Creditor *prima facie* entitled to legacy as well as debt.- Where a debtor bequeaths a legacy to her/his creditor, and it does not appear from the Will that the legacy is meant as a satisfaction of the debt, the creditor shall be entitled to the legacy, as well as to the amount of the debt.

178. Child *prima facie* entitled to legacy as well as portion.- Where a parent, who is under obligation by contract to provide a portion for a child, fails to do so, and afterwards bequeaths a legacy to the child, and does not intimate by her/his Will that the legacy is meant as a satisfaction of the portion, the child shall be entitled to receive the legacy, as well as the portion.

Illustration

A, by articles entered into in contemplation of his marriage with B covenanted that he would pay to each of the daughters of the intended marriage a portion of 20,000 rupees on her marriage. This covenant having been broken, A bequeaths 20,000 rupees to each of the married daughters of himself and B. The legatees are entitled to the benefit of this bequest in addition to their portions.

179. No ademption by subsequent provision for legatee.- No bequest shall be wholly or partially adeemed by a subsequent provision made by settlement or otherwise for the legatee.

Illustrations

- (i) A bequeaths 20,000 rupees to his son B. He afterwards gives to B the sum of 20,000 rupees. The legacy is not thereby adeemed.
- (ii) A bequeaths 40,000 rupees to B, his orphan niece whom he had brought up from her infancy. Afterwards, on the occasion of B's marriage, A settles upon her the sum of 30,000 rupees. The legacy is not thereby diminished.

Election

180. Circumstances in which election takes place. -

Where a person, by her/his Will, professes to dispose of something which she/he has no right to dispose of, the person to whom the thing belongs shall elect either to confirm such disposition or to dissent from it, and, in the latter case, she/he shall give up any benefits which may have been provided for her/him by the Will.

181. Devolution of interest relinquished by owner.-

An interest relinquished in the circumstances stated in section 180 shall devolve as if it had not been disposed of by the Will in favour of the legatee, subject, nevertheless, to the charge of making good to the disappointed legatee the amount or value of the gift attempted to be given to her/him by the Will.

182. Testator's belief as to his ownership immaterial.-

The provisions of sections 180 and 181 apply whether the testator does or does not believe that which she/he professes to dispose of by her/his Will to be her/his own.

Illustrations

- (i) The farm of Bhilwara was the estate of C. A bequeathed it to B, giving a legacy of 100,000 rupees to C. C has elected to retain his farm of Bhilwara, which is worth 80,000 rupees. C forfeits his legacy of 100,000 rupees, of which 80,000 rupees goes to B, and the remaining 20,000 rupees falls into the residuary bequest, or devolves according to the rules of intestate succession, as the case maybe.
- (ii) A bequeaths an estate to B in case B's elder brother (who is married and has children) shall leave no issue living at his death. A also bequeaths to C a jewel, which belongs to B. B must elect to give up the jewel or to lose the estate.
- (iii) A bequeaths to B 100,000 rupees, and to C an estate which will, under a settlement, belong to B if his elder brother (who is married and has children) shall leave no issue living at his death. B must elect to give up the estate or to lose the legacy.
- (iv) A, a person of the age of 18, domiciled in India in Rajasthan but owning real estate in England, to which C is heir at law,

bequeaths a legacy to C and, subject thereto, devises and bequeaths to B “all my estate whatsoever and wheresoever”, and dies under 21. The real estate in England does not pass by the Will. C may claim his legacy without giving up the real estate in England.

183. Bequest for person’s benefit how regarded for purpose of election.- A bequest for a person’s benefit is, for the purpose of election, the same thing as a bequest made to herself/himself.

Illustration

The farm of Alwar being the estate of B, A bequeathed it to C; and bequeathed another farm called Jaisalmer farmhouse to his own executors with a direction that it should be sold and the proceeds applied in payment of B’s debts. B must elect whether he will abide by the Will, or keep his farm of Alwar in opposition to it.

184. Person deriving benefit indirectly not put to election.- A person taking no benefit directly under a Will, but deriving a benefit under it indirectly, is not put to her/his election.

Illustration

The lands of Hanumangarh are settled upon C for life, and after his death upon D, his only child. A bequeaths the lands of Hanumangarh to B, and 100,000 rupees to C. C dies intestate shortly after the testator, and without having made any election. D takes out administration to C, and as administrator elects on behalf of C’s estate to take under the Will. In that capacity he receives the legacy of 100,000 rupees and accounts to B for the rents of the lands of Hanumangarh which accrued after the death of the testator and before the death of C. In his individual character he retains the lands of Hanumangarh in opposition to the Will.

185. Person taking in individual capacity under Will may in other character elect to take in opposition.- A person who in her/his individual capacity takes a benefit under a Will may, in another character, elect to take in opposition to the Will.

Illustration

The estate of Bhiwadi is settled upon A for life, and after his death, upon B. A leaves the estate of Bhiwadi to D, and 200,000 rupees to B, and 100,000 rupees to C, who is B’s only child. B dies intestate,

shortly after the testator, without having made an election. C takes out administration to B, and as administrator elects to keep the estate of Bhiwadi in opposition to the Will, and to relinquish the legacy of 200,000 rupees. C may do this, and yet claim his legacy of 100,000 rupees under the Will.

186. Exception to provisions of last six sections.-

Notwithstanding anything contained in sections 180 to 185, where a particular gift is expressed in the Will to be in lieu of something belonging to the legatee, which is also in terms disposed of by the Will, then, if the legatee claims that thing, she/he must relinquish the particular gift, but she/he is not bound to relinquish any other benefit given to her/him by the Will.

Illustration

Under A's marriage-settlement his wife is entitled, if she survives him, to the enjoyment of the estate of Bundi during her life. A by his Will bequeaths to his wife an annuity of 200,000 rupees during her life, in lieu of her interest in the estate of Bundi, which estate he bequeaths to his son. He also gives his wife a legacy of 1,000,000 rupees. The widow elects to take what she is entitled to under the settlement. She is bound to relinquish the annuity but not the legacy of 1,000,000 rupees.

187. When acceptance of benefit given by Will constitutes election to take under Will.- Acceptance of a benefit given by a Will constitutes an election by the legatee to take under the Will, if she/he had knowledge of her/his right to elect and of those circumstances which would influence the judgment of a reasonable person in making an election, or if she/he waives inquiry into the circumstances.

Illustrations

- (i) A is owner of an estate called Kesar farm, and has a life interest in another estate called Nagaur farm to which upon his death his son B will be absolutely entitled. The Will of A gives the estate of Kesar farm to B, and the estate of Nagaur farm to C. B, in ignorance of his own right to the estate of Nagaur farm, allows C to take possession of it, and enters into possession of the estate of Kesar farm. B has not confirmed the bequest of Nagaur farm to C.

- (ii) B, the eldest son of A, is the possessor of an estate called Rose Farmhouse. A bequeaths Rose Farmhouse to C, and to B the residue of A's estate. B having been informed by A's executors that the residue will amount to 500,000 rupees, allows C to take possession of Rose Farmhouse. He afterwards discovers that the residue does not amount to more than 50,000 rupees. B has not confirmed the bequest of the estate of Rose Farmhouse to C.

188. Circumstances in which knowledge or waiver is presumed or inferred.- (1) Such knowledge or waiver of inquiry shall, in the absence of evidence to the contrary, be presumed if the legatee has enjoyed for two years the benefits provided for her/him by the Will without doing any act to express dissent.

(2) Such knowledge or waiver of inquiry may be inferred from any act of the legatee which renders it impossible to place the persons interested in the subject-matter of the bequest in the same condition as if such act had not been done.

Illustration

A bequeaths to B an estate to which C is entitled, and to C a coal-mine. C takes possession of the mine and exhausts it. He has thereby confirmed the bequest of the estate to B.

189. When testator's representatives may call upon legatee to elect.- If the legatee does not, within one year after the death of the testator, signify to the testator's representatives her/his intention to confirm or to dissent from the Will, the representatives shall, upon the expiration of that period, require her/him to make her/his election; and if she/he does not comply with such requisition within a reasonable time after she/he has received it, she/he shall be deemed to have elected to confirm the Will.

190. Postponement of election in case of disability.-In case of disability the election shall be postponed until the disability ceases, or until the election is made by some competent authority.

Gifts in Contemplation of Death

191. Estate transferable by gift made in contemplation of death.- (1) A person may dispose, by gift made

in contemplation of death, of any moveable estate which she/he could dispose of by Will.

(2) A gift is said to be made in contemplation of death where a person, who is ill and expects to die shortly of her/his illness, delivers, to another the possession of any moveable estate to keep as a gift in case the donor shall die of that illness.

(3) Such a gift may be resumed by the giver; and shall not take effect if she/he recovers from the illness during which it was made; nor if she/he survives the person to whom it was made.

Illustrations

- (i) A, being ill, and in expectation of death, delivers to B, to be retained by him in case of A's death –
 - a watch;
 - a bond granted by C to A;
 - a bank-note;
 - a promissory note of the Central Government endorsed in blank;
 - a bill of exchange endorsed in blank;
 - certain mortgage-deeds.

A dies of the illness during which he delivered these articles.
B is entitled to –

 - the watch;
 - the debt secured by C's bond;
 - the bank-note;
 - the promissory note of the Central Government;
 - the bill of exchange;
 - the money secured by the mortgage-deeds.
- (ii) A, being ill, and in expectation of death, delivers to B the key of a trunk or the key of a warehouse in which goods of bulk belonging to A are deposited, with the intention of giving him the control over the contents of the trunk, or over the deposited goods, and desires him to keep them in case of A's death. A dies of the illness during which he delivered these articles.

- B is entitled to the trunk and its contents or to A's goods of bulk in the warehouse.
- (iii) A, being ill, and in expectation of death, puts aside certain articles in separate parcels and marks upon the parcels respectively the names of B and C. The parcels are not delivered during the life of A. A dies of the illness during which he set aside the parcels. B and C are not entitled to the contents of the parcels.

CHAPTER – III

Protection of Estate of Deceased

192. Person claiming right by succession to estate of deceased may apply for relief against wrongful possession.- (1)

If any person dies leaving estate, moveable or immoveable, any person claiming a right by succession thereto, or to any portion thereof, may make application to the District Judge of the district where any part of the estate is found or situate for relief, either after actual possession has been taken by another person, or when forcible means of seizing possession are apprehended.

(2) Any guardian, agent, relative or near friends may, in the event of any minor, or any disqualified or absent person being entitled by succession to such estate as aforesaid, make the like application for relief.

193. Inquiry made by Judge.- The District Judge to whom such application is made shall, in the first place, examine the applicant on oath, and may make such further inquiry, if any, as she/he thinks necessary as to whether there is sufficient ground for believing that the party in possession or taking forcible means for seizing possession has no lawful title, and that the applicant, or the person on whose behalf she/he applies is really entitled and is likely to be materially prejudiced if left to the ordinary remedy of a suit, and that the application is made *bona fide*.

194. Procedure.- If the District Judge is satisfied that there is sufficient ground for believing as aforesaid but not otherwise, she/he shall summon the party complained of, and give notice of vacant or disturbed possession by publication, and, after

the expiration of a reasonable time, shall determine summarily the right to possession (subject to a suit as hereinafter provided) and shall deliver possession accordingly:

Provided that the Judge shall have the power to appoint an officer who shall take an inventory of effects, and seal or otherwise secure the same, upon being applied to for the purpose, without delay, whether she/he shall have concluded the inquiry necessary for summoning the party complained of or not.

195. Appointment of curator pending determination of proceedings. -If it further appears upon such inquiry as aforesaid that danger is to be apprehended of the misappropriation or waste of the estate before the summary proceeding can be determined, and that the delay in obtaining security from the party in possession or the insufficiency thereof is likely to expose the party out of possession to considerable risk, provided she/he is the lawful owner, the District Judge may appoint one or more curators whose authority shall continue according to the terms of her/his or their respective appointment, and in no case beyond the determination of the summary proceeding and the confirmation or delivery of possession in the consequence thereof:

Provided that in the case of land, the Judge may delegate to the Collector, or to any officer subordinate to the Collector, the powers of a curator:

Provided further that every appointment of a curator in respect of any estate shall be duly published.

196. Powers conferrable on curator.- The District Judge may authorise the curator to take possession of the estate either generally, or until security is given by the party in possession, or until inventories of the estate have been made, or for any other purpose necessary for securing the estate from misappropriation or waste by the party in possession:

Provided that it shall be in the discretion of the Judge to allow the party in possession to continue in such possession on giving security or not, and any continuance in possession shall be subject to such orders as the Judge may issue touching inventories, or the securing of deeds or other effects.

197. Prohibition of exercise of certain powers by curators.- (1) Where a certificate has been granted under Chapter-

VI of this Part, or a grant of probate or letters of administration has been made, a curator appointed under this Chapter shall not exercise any authority lawfully belonging to the holder of the certificate or to the executor or administrator.

(2) All persons who have paid debts or rents to a curator authorised by a Court to receive them shall be indemnified, and the curator shall be responsible for the payment thereof to the person who has obtained the certificate, probate or letters of administration, as the case may be.

198. Curator to give security and may receive remuneration.- (1) The District Judge shall take from the curator security for the faithful discharge of her/his trust, and for rendering, satisfactory accounts of the same as hereinafter provided, and may authorise her/him to receive out of the estate such remuneration, in no case exceeding five percent on the moveable estate and on the annual profits of the immoveable estate, as the District Judge thinks reasonable.

(2) All surplus money realized by the curator shall be paid into Court, and invested in public securities for the benefit of the persons entitled thereto upon adjudication of the summary proceeding.

(3) Security shall be required from the curator with all reasonable despatch, and where it is practicable, shall be taken generally to answer all cases for which the person may be afterwards appointed curator; but no delay in the taking of security shall prevent the Judge from immediately investing the curator with the powers of her/his office.

199. Report from Collector where estate includes revenue paying land.- (1) Where the estate of the deceased person consists wholly or in part of land paying revenue to Government, in all matters regarding the propriety of summoning the party in possession, of appointing a curator, or of nominating individuals to that appointment, the District Judge shall demand a report from the Collector, and the Collector shall thereupon furnish the same:

Provided that in cases of urgency the Judge may proceed, in the first instance, without such report.

(2) The Judge shall not be obliged to act in conformity with any such report.

200. Institution and defence of suits.- The curator shall be subject to all orders of the District Judge regarding the institution or the defence of suits, and all suits may be instituted or defended in the name of the curator on behalf of the estate:

Provided that an express authority shall be requisite in the order of the curator's appointment for the collection of debts or rents; but such express authority shall enable the curator to give a full acquittance for any sums of money received by virtue thereof.

201. Allowances to apparent owners pending custody by curator.- Pending the custody of the estate by the curator, the District Judge may make such allowances to parties having a prima facie right thereto as upon a summary investigation of the rights and circumstances of the parties interested she/he considers necessary, and may, at her/his discretion, take security for the repayment thereof with interest, in the event of the party being found, upon the adjudication of the summary proceeding, not to be entitled thereto.

202. Accounts to be filed by curator.- The curator shall file monthly accounts in abstract, and shall, on the expiry of each period of three months, if her/his administration lasts so long, and, upon giving up the possession of the estate, file a detailed account of her/his administration to the satisfaction of the District Judge.

203. Inspection of accounts and right of interested party to keep duplicate.- (1) The accounts of the curator shall be open to the inspection of all parties interested; and it shall be competent for any such interested party to appoint a separate person to keep a duplicate account of all receipts and payments by the curator.

(2) If it is found that the accounts of the curator are in arrear, or that they are erroneous or incomplete, or if the curator does not produce them whenever she/he is ordered to do so by the District Judge, she/he shall be punishable with fine not exceeding one thousand rupees for every such default.

204. Bar to appointment of second curator for same estate.- If the Judge of any district has appointed a curator in

respect of the whole of the estate of a deceased person, such appointment shall preclude the Judge of any other district within the same State from appointing any other curator, but the appointment of a curator in respect of a portion of the estate of the deceased shall not preclude the appointment within the same State of another curator in respect of the residue or any portion thereof:

Provided that no Judge shall appoint a curator or entertain a summary proceeding in respect of estate which is the subject of a summary proceeding previously instituted under this Part before another Judge:

Provided further that if two or more curators are appointed by different Judges for several parts of an estate, the High Court may make such order as it thinks fit for the appointment of one curator of the whole estate.

205. Limitation of time for application for curator.-

An application under this Part to the District Judge must be made within six months of the death of the proprietor whose estate is claimed by right in succession.

206. Bar to enforcement of this Chapter against public settlement or legal directions by deceased.- Nothing in this Chapter shall be deemed to authorise the contravention of any public act of settlement or of any legal directions given by a deceased proprietor of any estate for the possession of her/his estate after her/his decease in the event of minority or otherwise, and, in every such case, as soon as the Judge having jurisdiction over the estate of a deceased person is satisfied of the existence of such directions, she/he shall give effect thereto.

207. Saving of right to bring suit.- Nothing contained in this Chapter shall be any impediment to the bringing of a suit either by the party whose application may have been rejected before or after the summoning of the party in possession, or by the party who may have been evicted from the possession under this Part.

208. Effect of decision of summary proceeding.- The decision of a District Judge in a summary proceeding under this Part shall have no other effect than that of settling the actual

possession; but for this purpose it shall be final, and shall not be subject to any appeal or review.

209. Appointment of public curators.- The State Government may appoint public curators for any district or number of districts; and the District Judge having jurisdiction shall nominate such public curators in all cases where the choice of a curator is left discretionary with her/him under this Chapter.

CHAPTER – IV **Representative Title to Estate of** **Deceased on Succession**

210. Character and estate of curator or administrator as such.- The executor or administrator, as the case may be, of a deceased person is her/his legal representative for all purposes, and all the estate of the deceased person vests in her/him as such.

211. Proof of representative title a condition precedent to recovery through the Courts of debts from debtors of deceased persons.- (1) No Court shall –

- (a) pass a decree against a debtor of a deceased person for payment of her/his debt to a person claiming on succession to be entitled to the effects of the deceased person or to any part thereof, or
- (b) proceed, upon an application of a person claiming to be so entitled, to execute against such a debtor a decree or order for the payment of her/his debt, except on the production, by the person so claiming of –
 - (i) a probate or letters of administration evidencing the grant to her/him of administration to the estate of the deceased, or
 - (ii) a succession certificate granted under Chapter-VI of this Part and having the debt specified therein.

(2) The word “debt” in sub-section (1) includes any debt except rent, revenue or profits payable in respect of land used for agricultural purposes.

212. Effect on certificate of subsequent probate or letters of administration.- (1) A grant of probate or letters of administration in respect of an estate shall be deemed to supersede any certificate previously granted under Chapter-VI of this Part, in respect of any debts or securities included in the estate.

(2) When at the time of the grant of the probate or letters any suit or other proceeding instituted by the holder of any such certificate regarding any such debt or security is pending, the person to whom the grant is made shall, on applying to the Court in which the suit or proceeding is pending, be entitled to take the place of the holder of the certificate in the suit or proceeding:

Provided that, when any certificate is superseded under this section, all payments made to the holder of such certificate in ignorance of such supersession shall be held good against claims under the probate or letters of administration.

213. Grantee of probate or administration alone to sue etc. until same revoked.- After any grant of probate or letters of administration, none other than the person to whom the same may have been granted shall have power to sue or prosecute any suit, or otherwise act as representative of the deceased, throughout the State in which the same may have been granted, until such probate or letters of administration has or have been recalled or revoked.

CHAPTER – V

Probate, Letters of Administration and Administration of Assets of Deceased

214. Application of this Chapter.-Save as otherwise provided by this Part or by any other law for the time being in force, all grants of probate and letters of administration with the Will annexed and the administration of the assets of the deceased in cases of intestate succession shall be made or carried out, as the case may be, in accordance with the provisions of this Part.

Grant of Probate and Letters of Administration

215. To whom administration may be granted.- (1) If the deceased has died intestate, administration of her/his estate

may be granted to any person who, according to the provisions of Chapter-I of this Part, would be entitled to the whole or any part of such deceased's estate.

(2) When several such persons apply for such administration, it shall be in the discretion of the Court to grant it to any one or more of them.

(3) When no such person applies, it may be granted to a creditor of the deceased.

216. Effect of letters of administration.- Letters of administration entitle the administrator to all rights belonging to the intestate as effectually as if the administration had been granted at the moment after her/his death.

217. Acts not validated by administration.- Letters of administration do not render valid any intermediate acts of the administrator tending to the diminution or damage of the intestate's estate.

218. Probate only to appointed executor.- (1) Probate shall be granted only to an executor appointed by the Will.

(2) The appointment may be expressed or by necessary implication.

Illustrations

- (i) A wills that C be his executor if B will not. B is appointed executor by implication.
- (ii) A gives a legacy to B and several legacies to other persons, among the rest to his daughter-in-law C, and adds "but should the within-named C be not living I do constitute and appoint B my whole and sole executrix". C is appointed executrix by implication.
- (iii) A appoints several persons executors of his Will and codicils and his nephew residuary legatee, and in another codicil are these words - "I appoint my nephew my residuary legatee to discharge all lawful demands against my Will and codicils signed of different dates". The nephew is appointed an executor by implication.

219. Persons to whom probate cannot be granted.-

Probate cannot be granted to any person who is a minor or is of unsound mind nor to any association of individuals unless it is a company which satisfies the conditions prescribed by rules to be made, by notification in the Official Gazette by the State Government in this behalf.

220. Grant of probate to several executors simultaneously or at different times.- When several executors are appointed, probate may be granted to them all simultaneously or at different times.

Illustration

A is an executor of B's Will by express appointment and C an executor of it by implication. Probate may be granted to A and C at the same time or to A first and then to C, or to C first and then to A.

221. Separate probate of codicil discovered after grant of probate.- (1) If a codicil is discovered after the grant of probate, a separate probate of that codicil may be granted to the executor, if it in no way repeals the appointment of executors made by the Will.

(2) If different executors are appointed by the codicil, the probate of the Will shall be revoked, and a new probate granted of the Will and the codicil together.

222. Accrual of representation to surviving executor.-

When probate has been granted to several executors, and one of them dies, the entire representation of the testator accrues to the surviving executor or executors.

223. Effect of probate.- Probate of a Will when granted establishes the Will from the death of the testator, and renders valid all intermediate acts of the executor as such.

224. Administration with copy annexed, of authenticated copy of Will proved abroad.- When a Will has been proved and deposited in a Court of competent jurisdiction situated beyond the limits of the State, whether within or beyond the limits of India, and a properly authenticated copy of the Will is

produced, letters of administration may be granted with a copy of such copy annexed.

225. Grant of administration where executor has not renounced. When a person appointed an executor has not renounced the executorship, letters of administration shall not be granted to any other person until a citation has been issued, calling upon the executor to accept or renounce her/his executorship:

Provided that when one or more of several executors have proved a Will, the Court may, on the death of the survivor of those who have proved, grant letters of administration without citing those who have not proved.

226. Form and effect of renunciation of executorship.- The renunciation may be made orally in the presence of the Judge, or by a writing signed by the person renouncing, and when made shall preclude her/him from ever thereafter applying for probate of the Will appointing her/him executor.

227. Procedure where executor renounces or fails to accept within time limited.- If an executor renounces or fails to accept an executorship within the time limited for the acceptance or refusal thereof, the Will may be proved and letters of administration, with a copy of the Will annexed, may be granted to the person who would be entitled to administration in case of intestacy.

228. Grant of administration to universal or residuary legatees.- When -

- (a) the deceased has made a Will, but has not appointed an executor, or
- (b) the deceased has appointed an executor who is legally incapable or refuses to act, or who has died before the testator or before she/he has proved the Will, or
- (c) the executor dies after having proved the Will, but before she/he has administered all the estate of the deceased,

a universal or a residuary legatee may be admitted to prove the Will, and letters of administration with the Will annexed may be granted to her/him of the whole estate, or of so much thereof as may be unadministered.

229. Right to administration of representative of deceased residuary legatee.- When a residuary legatee who has a beneficial interest survives the testator, but dies before the estate has been fully administered, her/his representative has the same right to administration with the Will annexed as such residuary legatee.

230. Grant of administration where no executor nor residuary legatee nor representative of such legatee.- When there is no executor and no residuary legatee or representative of a residuary legatee, or she/he declines or is incapable to act, or cannot be found, the person or persons who would be entitled to the administration of the estate of the deceased if she/he had died intestate, or any other legatee having a beneficial interest, or a creditor, may be admitted to prove the Will, and letters of administration may be granted to her/him or them accordingly.

231. Citation before grant of administration to legatee other than universal or residuary.- Letters of administration with the Will annexed shall not be granted to any legatee other than a universal or a residuary legatee, until a citation has been issued and published in the manner hereinafter mentioned, calling on the next-of-kin to accept or refuse letters of administration.

232. To whom administration may not be granted.- Letters of administration cannot be granted to any person who is a minor or is of unsound mind, nor to any association of individuals unless it is a company which satisfies the conditions prescribed by the rules to be made by notification in the Official Gazette by the State Government in this behalf.

233. Laying of rules before the State Legislature.- Every rule made by the State Government under section 219 and section 232 shall be laid, as soon as it is made, before the State Legislature.

Limited Grants

Grants Limited in Duration

234. Probate of copy or draft of lost Will.- When a Will has been lost or mislaid since the testator's death, or has been destroyed by wrong or accident and not by any act of the testator, and a copy or the draft of the Will has been preserved, probate may be granted of such copy or draft, limited until the original or a properly authenticated copy of it is produced.

235. Probate of contents of lost or destroyed Will.- When a Will has been lost or destroyed and no copy has been made nor the draft preserved, probate may be granted of its contents if they can be established by evidence.

236. Probate of copy where original exists.- When the Will is in the possession of a person residing out of the State in which application for probate is made, who has refused or neglected to deliver it up, but a copy has been transmitted to the executor, and it is necessary for the interests of the estate that probate should be granted without waiting for the arrival of the original, probate may be granted of the copy so transmitted, limited until the Will or an authenticated copy of it is produced.

237. Administration until Will produced.- Where no Will of the deceased is forthcoming, but there is reason to believe that there is a Will in existence, letters of administration may be granted, limited until the Will or an authenticated copy of it is produced.

Grants for the Use and Benefit of others Having Right

238. Administration, with Will annexed to attorney of absent executor.- When any executor is absent from the State in which application is made, and there is no executor within the State willing to act, letters of administration, with the Will annexed, may be granted to the attorney or agent of the absent executor, for the use and benefit of her/his principal, limited until she/he shall obtain probate or letters of administration granted to herself/himself.

239. Administration, with Will annexed to attorney of absent person who, if present, would be entitled to administer.- When any person to whom, if present, letters of administration, with the Will annexed, might be granted, is absent from the State, letters of administration, with the Will annexed may be granted to her/his attorney or agent, limited as mentioned in section 238.

240. Administration to attorney of absent person entitled to administer in case of intestacy.- When a person entitled to administration in case of intestacy is absent from the State, and no person equally entitled is willing to act, letters of administration may be granted to the attorney or agent of the absent person, limited as mentioned in section 238.

241. Administration during minority of sole executor or residuary legatee.- When a minor is sole executor or sole residuary legatee, letters of administration, with the Will annexed, may be granted to the legal guardian of such minor or to such other person as the Court may think fit until the minor has attained her/his majority at which period, and not before, probate of the Will shall be granted to her/him.

242. Administration during minority of several executors or residuary legatees.- When there are two or more minor executors and no executor who has attained majority, or two or more residuary legatees and no residuary legatee who has attained majority, the grant shall be limited until one of them shall have attained her/his majority.

243. Administration for use and benefit of lunatic or minor.- If a sole executor or a sole universal or residuary legatee, or a person who would be solely entitled to the estate of the intestate according to the provisions of Chapter-I of this Part, is a minor or lunatic, letters of administration with or without the Will annexed, as the case may be, shall be granted to the person to whom the care of her/his estate has been committed by competent authority, or, if there is no such person, to such other person as the Court may think fit to appoint, for the use and benefit of the minor

or lunatic until she/he attains majority or becomes of sound mind, as the case may be.

244. Administration *pendente lite*.- Pending any suit touching the validity of the Will of a deceased person or for obtaining or revoking any probate or any grant of letters of administration, the Court may appoint an administrator of the estate of such deceased person, who shall have all the rights and powers of a general administrator, other than the right of distributing such estate, and every such administrator shall be subject to the immediate control of the Court and shall act under its direction.

Grants for Special Purposes

245. Probate limited to purpose specified in Will.- If an executor is appointed for any limited purpose specified in the Will, the probate shall be limited to that purpose, and if she/he should appoint an attorney or agent to take administration on her/his behalf, the letters of administration, with the Will annexed, shall be limited accordingly.

246. Administration with Will annexed, limited to particular purpose.- If an executor appointed generally gives an authority to an attorney or agent to prove a Will on her/his behalf, and the authority is limited to a particular purpose, the letters of administration, with the Will annexed, shall be limited accordingly.

247. Administration limited to estate in which person has beneficial interest.- Where a person dies, leaving estate of which she/he was the sole or surviving trustee, or in which she/he had no beneficial interest on her/his own account, and leaves no general representative, or one who is unable or unwilling to act as such, letters of administration, limited to such estate, may be granted to the beneficiary, or to some other person on her/his behalf.

248. Administration limited to suit.- When it is necessary that the representative of a person deceased be made a

party to a pending suit, and the executor, or person entitled to administration is unable or unwilling to act, letters of administration may be granted to the nominee of a party in such suit, limited for the purpose of representing the deceased in the said suit, or in any other cause or suit which may be commenced in the same or in any other Court between the parties, or any other parties, touching the matters at issue in the said cause or suit, and until a final decree shall be made therein and carried into complete execution.

249. Administration limited to purpose of becoming party to suit to be brought against administrator.- If, at the expiration of twelve months from the date of any probate or letters of administration, the executor or administrator to whom the same has been granted is absent from the State within which the Court which has granted the probate or letters of administration exercises jurisdiction, the Court may grant, to any person whom it may think fit, letters of administration limited to the purpose of becoming and being made a party to a suit to be brought against the executor or administrator, and carrying the decree which may be made therein into effect.

250. Administration limited to collection and preservation of deceased's estate.- In any case in which it appears necessary for preserving the estate of a deceased person, the Court within whose jurisdiction any of the estate is situate may grant to any person, whom such Court may think fit, letters of administration limited to the collection and preservation of the estate of the deceased and to the giving of discharges for debts due to her/his estate, subject to the directions of the Court.

251. Appointment, as administrator, of person other than one who, in ordinary circumstances, would be entitled to administration.- (1) When a person has died intestate, or leaving a Will of which there is no executor willing and competent to act or where the executor is, at the time of the death of such person, resident out of the State, and it appears to the Court to be necessary or convenient to appoint some person to administer the estate or any part thereof, other than the person who, in ordinary circumstances, would be entitled to a grant of administration, the

Court may, in its discretion, having regard to relationship, amount of interest, the safety of the estate and probability that it will be properly administered, appoint such person as it thinks fit to be administrator.

(2) In every such case letters of administration may be limited or not as the Court thinks fit.

Grants with Exception

252. Probate or administration with Will annexed, subject to exception.- Whenever the nature of the case requires that an exception be made, probate of a Will, or letters of administration with the Will annexed, shall be granted subject to such exception.

253. Administration with exception.- Whenever the nature of the case requires that an exception be made, letters of administration shall be granted subject to such exception.

Grants of the Rest

254. Probate or administration of rest.- Whenever a grant with exception of probate, or of letters of administration with or without the Will annexed, has been made, the person entitled to probate or administration of the remainder of the deceased's estate may take a grant of probate or letters of administration, as the case may be, of the rest of the deceased's estate.

Grant of effects Unadministered

255. Grant of effects unadministered.- If an executor to whom probate has been granted has died, leaving a part of the testator's estate unadministered, a new representative may be appointed for the purpose of administering such part of the estate.

256. Rules as to grants of effects unadministered.- In granting letters of administration of an estate not fully administered, the Court shall be guided by the same rules as apply to original grants, and shall grant letters of administration to those persons only to whom original grants might have been made.

257. Administration when limited grant expired and still some part of estate unadministered.- When a limited grant has expired, by efflux of time, or the happening of the event or contingency on which it was limited, and there is still some part of the deceased's estate unadministered, letters of administration shall be granted to those persons to whom original grants might have been made.

Alteration and Revocation of Grants

258. What errors may be rectified by Court.- Errors in names and descriptions, or in setting forth the time and place of the deceased's death or the purpose in a limited grant, may be rectified by the Court and the grant of probate or letters of administration may be altered and amended accordingly.

259. Procedure where codicil discovered after grant of administration with Will annexed.- If, after the grant of letters of administration with the Will annexed, a codicil is discovered, it may be added to the grant on due proof and identification, and the grant may be altered and amended accordingly.

260. Revocation or annulment for just cause.- The grant of probate or letters of administration may be revoked or annulled for just cause.

Explanation.- Just cause shall be deemed to exist where –

- (a) the proceedings to obtain the grant were defective in substance; or
- (b) the grant was obtained fraudulently by making a false suggestion, or by concealing from the Court something material to the case; or
- (c) the grant was obtained by means of an untrue allegation of a fact essential in point of law to justify the grant, though such allegation was made in ignorance or inadvertently; or
- (d) the grant has become useless and inoperative through circumstances; or
- (e) the person to whom the grant was made has wilfully and without reasonable cause omitted to exhibit an inventory or account in accordance with sections 311 to 326, or has

exhibited under those provisions an inventory or account which is untrue in a material respect.

Illustrations

- (i) The Court by which the grant was made had no jurisdiction.
- (ii) The grant was made without citing parties who ought to have been cited.
- (iii) The Will of which probate was obtained was forged or revoked.
- (iv) A obtained letters of administration to the estate of B, as his widow, but it has since transpired that she was never married to him.
- (v) A has taken administration to the estate of B as if he had died intestate, but a Will has since been discovered.
- (vi) Since probate was granted, a later Will has been discovered.
- (vii) Since probate was granted, a codicil has been discovered which revokes or adds to the appointment of executors under the Will.
- (viii) The person to whom probate was, or letters of administration were granted has subsequently become of unsound mind.

Practice in Granting and Revoking Probates and Letters of Administration

261. Jurisdiction of District Judge in granting and revoking probates etc..- The District Judge shall have jurisdiction in granting and revoking probates and letters of administration in all cases within the limits of her/his district.

262. Power to appoint delegate of District Judge to deal with non-contentious cases.- (1) The High Court may appoint such judicial officers within any district as it thinks fit to act for the District Judge as delegates to grant probate and letters of administration in non-contentious cases, within such local limits as it may prescribe;

(2) Persons so appointed shall be called “District Delegates”.

263. District Judge's powers as to grant of probate and administration.- The District Judge shall have the like powers and authority in relation to the granting of probate and letters of administration and in all matters connected therewith, as are by law vested in her/him in relation to any civil suit or proceeding pending in her/his Court.

264. District Judge may order person to produce testamentary papers.- (1) The District Judge may order any person to produce and bring into Court any paper or writing, being or purporting to be testamentary, which may be shown to be in the possession or under the control of such person.

(2) If it is not shown that any such paper or writing is in the possession or under the control of such person, but there is reason to believe that she/he has the knowledge of any such paper or writing, the Court may direct such person to attend for the purpose of being examined respecting the same.

(3) Such person shall be bound to answer truly such question as may be put to her/him by the Court, and, if so ordered, to produce and bring in such paper or writing, and shall be subject to the like punishment under the Bharatiya Nyaya Sanhita, 2023 (Central Act No. 45 of 2023), in case of default in not attending or in not answering such question or not bringing in such paper or writing, as she/he would have been subject to in case she/he had been a party to a suit and had made such default.

(4) The costs of the proceeding shall be in the discretion of the Judge.

265. Proceedings of District Judge's Court in relation to probate and administration.- The proceeding of the Court of the District Judge in relation to the granting of probate and letters of administration shall, save as hereinafter otherwise provided, be regulated, so far as the circumstances of the case permit, by the Code of Civil Procedure, 1908 (Central Act No. 05 of 1908).

266. When and how District Judge to interfere for protection of estate.- Until probate is granted of the Will of a deceased person, or an administrator of her/his estate is constituted, the District Judge, within whose jurisdiction any part of the estate of the deceased person is situate, is authorised and

required to interfere for the protection of such estate at the instance of any person claiming to be interested therein, and in all other cases where the Judge considers that the estate incurs any risk of loss or damage; and for that purpose, if she/he thinks fit, to appoint an officer to take and keep possession of the estate.

267. When probate or administration may be granted by District Judge.- Probate of the Will or letters of administration to the estate of a deceased person may be granted by a District Judge under the seal of her/his Court, if it appears by a petition, verified as hereinafter provided, of the person applying for the same that the testator or intestate, as the case may be, at the time of her/his decease had a fixed place of abode, or any estate, moveable or immoveable, within the jurisdiction of the Judge.

268. Disposal of application made to Judge of district in which deceased had no fixed abode.- When the application is made to the Judge of a district in which the deceased had no fixed abode at the time of her/his death, it shall be in the discretion of the Judge to refuse the application, if in her/his judgment it could be disposed of more justly or conveniently in another district, or, where the application is for letters of administration, to grant them absolutely, or limited to the estate within her/his own jurisdiction.

269. Probate and letters of administration may be granted by Delegate.- Probate and letters of administration may, upon application for that purpose to any District Delegate, be granted by her/him in any case in which there is no contention, if it appears by petition, verified as hereinafter provided, that the testator or intestate, as the case may be, at the time of her/his death had a fixed place of abode within the jurisdiction of such Delegate.

270. Conclusiveness of probate or letters of administration.- Probate or letters of administration shall have effect over all the estate, of the deceased, throughout the State in which the same is or are granted, and shall be conclusive as to the representative title against all debtors of the deceased, and all persons holding estate which belongs to her/him, and shall afford full indemnity to all debtors, paying their debts and all persons

delivering up such estate to the person to whom such probate or letters of administration have been granted:

Provided that probates and letters of administration granted by a District Judge, where the deceased at the time of her/his death had a fixed place of abode situate within the jurisdiction of such Judge, and such Judge certifies that the value of the estate and estate affected beyond the limits of the State does not exceed ten lakh rupees, shall, unless otherwise directed by the grant, have like effect throughout the other States.

271. Transmission to High Courts of certificate of grants under proviso to section 270.- (1) Where probate or letters of administration has or have been granted by a District Judge with the effect referred to in the proviso to section 270, the District Judge shall send a certificate thereof to the High Court to which such District Judge is subordinate and to each of the other High Courts.

(2) Every certificate referred to in sub-section (1) shall be made as nearly as circumstances admit in the form set forth in Schedule-3, and such certificate shall be filed by the High Court receiving the same.

(3) Where any portion of the assets has been stated by the petitioner, as hereinafter provided in sections 273 and 275, to be situate within the jurisdiction of a District Judge in another State, the Court required to send the certificate referred to in sub-section (1) shall send a copy thereof to such District Judge, and such copy shall be filed by the District Judge receiving the same.

272. Conclusiveness of application for probate or administration if properly made and verified.- The application for probate or letters of administration, if made and verified in the manner hereinafter provided, shall be conclusive for the purpose of authorising the grant of probate or administration; and no such grant shall be impeached by reason only that the testator or intestate had no fixed place of abode or no estate within the district at the time of her/his death, unless by a proceeding to revoke the grant if obtained by a fraud upon the Court.

273. Petition for probate.- (1) Application for probate or for letters of administration, with the Will annexed, shall be

made by a petition distinctly written in English/Hindi or in the language in ordinary use in proceedings before the Court in which the application is made, with the Will or, in the cases mentioned in sections 234, 235 and 236, a copy, draft, or statement of the contents thereof, annexed, and stating-

- (a) the time of the testator's death,
- (b) that the writing annexed is her/his last Will and testament,
- (c) that it was duly executed,
- (d) the amount of assets which are likely to come to the petitioner's hands, and
- (e) when the application is for probate, that the petitioner is the executor named in the Will.

(2) In addition to these particulars, the petition shall further state-

- (a) when the application is to the District Judge, that the deceased at the time of her/his death had a fixed place of abode, or had some estate, situate within the jurisdiction of the Judge; and
- (b) when the application is to a District Delegate, that the deceased at the time of her/his death had a fixed place of abode within the jurisdiction of such Delegate.

(3) Where the application is to the District Judge and any portion of the assets likely to come to the petitioner's hands is situate in another State, the petition shall further state the amount of such assets in each State and the District Judges within whose jurisdiction such assets are situate.

274. In what cases translation of Will to be annexed to petition. Verification of translation by person other than Court translator.- In cases wherein the Will, copy or draft, is written in any language other than English/Hindi or than that in ordinary use in proceedings before the Court, there shall be a translation thereof annexed to the petition by a translator of the Court, if the language be one for which a translator is appointed; or, if the Will, copy or draft, is in any other language, then by any person competent to translate the same, in which case such translation shall be verified by that person in the following manner, namely-

“I (A.B.) do declare that I read and perfectly understand the language and character of the original, and that the above is a true and accurate translation thereof.”.

275. Petition for letters of administration.- (1)

Application for letters of administration shall be made by petition distinctly written as aforesaid and stating-

- (a) the time and place of the deceased's death;
- (b) the family or other relatives of the deceased, and their respective residences;
- (c) the right in which the petitioner claims;
- (d) the amount of assets which are likely to come to the petitioner's hands;
- (e) when the application is to the District Judge, that the deceased at the time of her/his death had a fixed place of abode, or had some estate, situate within the jurisdiction of the Judge; and
- (f) when the application is to a District Delegate, that the deceased at the time of her/his death had a fixed place of abode within the jurisdiction of such Delegate.

(2) Where the application is to the District Judge and any portion of the assets likely to come to the petitioner's hands is situate in another State, the petition shall further state the amount of such assets in each State and the District Judges within whose jurisdiction such assets are situate.

276. Addition to statement in petition, etc., for probate or letters of administration in certain cases.- (1) Every person applying to the Court mentioned in the proviso to section 270 for probate of a Will or letters of administration of an estate intended to have effect throughout India, shall state in her/his petition, in addition to the matters respectively required by sections 273 and 275, that to the best of her/his belief no application has been made to any other Court for a probate of the same Will or for letters of administration of the same estate, intended to have such effect as last aforesaid,

or, where any such application has been made, the Court to which it was made, the person or persons by whom it was made and the proceedings (if any) had thereon.

(2) The Court to which any such application is made under the proviso to section 270 may, if it thinks fit, reject the same.

277. Petition for probate, etc., to be signed and verified.- The petition for probate or letters of administration shall in all cases be subscribed by the petitioner and her/his pleader, if any, and shall be verified by the petitioner in the following manner, namely-

“I (A.B.), the petitioner in the above petition, declare that what is stated therein is true to the best of my information and belief.”

278. Verification of petition for probate, by one witness to Will.- Where the application is for probate, the petition shall also be verified by at least one of the witnesses to the Will (when procurable) in the manner or to the effect following, namely-

“I (C.D.), one of the witnesses to the last Will and testament of the testator mentioned in the above petition, declare that I was present and saw the said testator affix her/his signature (or mark) thereto (or that the said testator acknowledged the writing annexed to the above petition to be her/his last Will and testament in my presence).”

279. Punishment for false averment in petition or declaration.- If any petition or declaration which is hereby required to be verified contains any averment which the person making the verification knows or believes to be false, such person shall be deemed to have committed an offence under section 229 of the Bharatiya Nyaya Sanhita, 2023 (Central Act No. 45 of 2023).

280. Powers of District Judge.- (1) In all cases the District Judge or District Delegate may, if she/he thinks proper-

- (a) examine the petitioner in person, upon oath;
- (b) require further evidence of the due execution of the Will or the right of the petitioner to the letters of administration, as the case may be;
- (c) issue citations calling upon all persons claiming to have any interest in the estate of the deceased to come

and see the proceedings before the grant of probate or letters of administration.

(2) The citation shall be fixed up in some conspicuous part of the Courthouse, and also in the office of the Collector of the district and otherwise published or made known in such manner as the Judge or District Delegate issuing the same may direct.

(3) Where any portion of the assets has been stated by the petitioner to be situate within the jurisdiction of a District Judge in another State, the District Judge issuing the same shall cause a copy of the citation to be sent to such other District Judge, who shall publish the same in the same manner as if it were a citation issued by herself/himself, and shall certify such publication to the District Judge who issued the citation.

281. Caveats against grant of probate or administration.- (1) Caveats against the grant of probate or letter of administration may be lodged with the District Judge or a District Delegate.

(2) Immediately on any caveat being lodged with any District Delegate, she/he shall send copy thereof to the District Judge.

(3) Immediately on a caveat being entered with the District Judge, a copy thereof shall be given to the District Delegate, if any, within whose jurisdiction it is alleged the deceased had a fixed place of abode at the time of her/his death, and to any other Judge or District Delegate to whom it may appear to the District Judge expedient to transmit the same.

(4) The caveat shall be made as nearly as circumstances admit in the form set forth in Schedule-4.

282. After entry of caveat, no proceeding taken on petition until after notice to caveator.- No proceeding shall be taken on a petition for probate or letters of administration after a caveat against the grant thereof has been entered with the Judge or District Delegate to whom the application has been made or notice has been given of its entry with some other Delegate, until after such notice to the person by whom the same has been entered as the Court may think reasonable.

283. District Delegate when not to grant probate or administration.- A District Delegate shall not grant probate or letters of administration in any case in which there is contention as to the grant, or in which it otherwise appears to her/him that probate or letters of administration ought not to be granted in her/his Court.

Explanation.- “Contention” means the appearance of any one in person, or by her/his recognized agent, or by a pleader duly appointed to act on her/his behalf, to oppose the proceeding.

284. Power to transmit statement to District Judge in doubtful cases where no contention.- In every case in which there is no contention, but it appears to the District Delegate doubtful whether the probate or letters of administration should or should not be granted, or when any question arises in relation to the grant, or application for the grant, of any probate or letters of administration, the District Delegate may, if she/he thinks proper, transmit a statement of the matter in question to the District Judge, who may direct the District Delegate to proceed in the matter of the application, according to such instructions as to the Judge may seem necessary, or may forbid any further proceeding by the District Delegate in relation to the matter of such application, leaving the party applying for the grant in question to make application to the Judge.

285. Procedure where there is contention, or District Delegate thinks probate or letters of administration should be refused in her/his Court.- In every case in which there is contention, or the District Delegate is of opinion that the probate or letters of administration should be refused in her/his Court, the petition, with any documents which may have been filed therewith, shall be returned to the person by whom the application was made, in order that the same may be presented to the District Judge, unless the District Delegate thinks it necessary, for the purposes of justice, to impound the same, which she/he is hereby authorised to do; and, in that case, the same shall be sent by her/him to the District Judge.

286. Grant of probate to be under seal of Court.- When it appears to the District Judge or District Delegate that

probate of a Will should be granted, she/he shall grant the same under the seal of her/his Court in the form set forth in Schedule-5.

287. Grant of letters of administration to be under seal of Court.- When it appears to the District Judge or District Delegate that letters of administration to the estate of a person deceased, with or without a copy of the Will annexed, should be granted, she/he shall grant the same under the seal of her/his Court in the form set forth in Schedule-6.

288. Administration-bond.- Every person to whom any probate or letters of administration is granted shall give a bond to the District Judge with one or more surety or sureties, engaging for the due collection, getting in, and administering the estate of the deceased, which bond shall be in such form as the Judge may, by general or special order, direct.

289. Assignment of administration-bond.- The Court may, on application made by petition and on being satisfied that the engagement of any such bond has not been kept, and upon such terms as to security, or providing that the money received be paid into Court, or otherwise, as the Court may think fit, assign the same to some person, her/his executors or administrators, who shall thereupon be entitled to sue on the said bond in her/his or their own name or names as if the same had been originally given to her/him or them instead of to the Judge of the Court, and shall be entitled to recover thereon, as trustees for all persons interested, the full amount recoverable in respect of any breach thereof.

290. Time for grant of probate and administration.- No probate of a Will shall be granted until after the expiration of seven clear days, and no letters of administration shall be granted until after the expiration of fourteen clear days, from the day of the testator's or intestate's death.

291. Filing of original Wills of which probate or administration with Will annexed granted.- (1) Every District Judge, or District Delegate, shall file and preserve all original Wills, of which probate or letters of administration with the Will

annexed may be granted by her/him, among the records of her/his Court, until some public registry for Wills is established.

(2) The State Government shall make regulations for the preservation and inspection of the Wills so filed.

292. Procedure in contentious cases.- In any case before the District Judge in which there is contention, the proceedings shall take, as nearly as may be, the form of a regular suit, according to the provisions of the Code of Civil Procedure, 1908 (Central Act No. 5 of 1908) in which the petitioner for probate or letters of administration, as the case may be, shall be the plaintiff, and the person who has appeared to oppose the grant shall be the defendant.

293. Surrender of revoked probate or letters of administration.- (1) When a grant of probate or letters of administration is revoked or annulled under this Part, the person to whom the grant was made shall forthwith deliver up the probate or letters to the Court which made the grant.

(2) If such person wilfully and without reasonable cause omits so to deliver up the probate or letters, she/he shall be punishable with fine which may extend to ten thousand rupees, or with imprisonment for a term which may extend to three months, or with both.

294. Payment to executor or administrator before probate or administration revoked.- When a grant of probate or letters of administration is revoked, all payments *bona fide* made to any executor or administrator under such grant before the revocation thereof shall, notwithstanding such revocation, be a legal discharge to the person making the same; and the executor or administrator who has acted under any such revoked grant may retain and reimburse herself/himself in respect of any payments made by her/him which the person to whom probate or letters of administration may afterwards be granted might have lawfully made.

295. Power to refuse letters of administration.- Notwithstanding anything hereinbefore contained, it shall be in the discretion of the Court to make an order refusing, for reasons to be

recorded by it in writing, to grant any application for letters of administration made under this Part.

296. Appeals from orders of District Judge.- Every order made by a District Judge by virtue of the powers hereby conferred upon her/him shall be subject to appeal to the High Court in accordance with the provisions of the Code of Civil Procedure, 1908 (Central Act No. 5 of 1908), applicable to appeals.

297. Removal of executor or administrator and provision for successor.- The District Judge may, on application made to him, suspend, remove or discharge any private executor or administrator and provide for the succession of another person to the office of any such executor or administrator who may cease to hold office, and the vesting in such successor of any property belonging to the estate.

298. Directions to executor or administrator.- Where probate or letters of **administration** in respect of any estate has or have been granted under this Part, the District Judge may, on application made to him, give to the executor or administrator any general or special directions in regard to the estate or in regard to the administration thereof.

Executors of their own Wrong

299. Executor of her/his own wrong.- A person who intermeddles with the estate of the deceased or does any other act which belongs to the office of executor, while there is no rightful executor or administrator in existence, thereby makes herself/himself an executor of her/his own wrong.

Exceptions.—

(1) Intermeddling with the goods of the deceased for the purpose of preserving them or providing for the funeral of deceased or for the immediate necessities of family of deceased or estate, does not make an executor of her/his own wrong.

(2) Dealing in the ordinary course of business with goods of the deceased received from another does not make an executor of her/his own wrong.

Illustrations

- (i) A uses or gives away or sells some of the goods of the deceased, or takes them to satisfy his own debt or legacy or receives payment of the debts of the deceased. He is an executor of his own wrong.
- (ii) A, having been appointed agent by the deceased in his lifetime to collect his debts and sell his goods, continues to do so after he has become aware of his death. He is an executor of his own wrong in respect of acts done after he has become aware of the death of the deceased.
- (iii) A sues as executor of the deceased, not being such. He is an executor of his own wrong.

300. Liability of executor of her/his own wrong.-

When a person has so acted as to become an executor of her/his own wrong, she/he is answerable to the rightful executor or administrator, or to any creditor or legatee of the deceased, to the extent of the assets which may have come to her/his hands after deducting payments made to the rightful executor or administrator, and payments made in due course of administration.

Powers of an Executor or Administrator

301. In respect of causes of action surviving deceased and debts due at death.- An executor or administrator has the same power to sue in respect of all causes of action that survive the deceased, and may exercise the same power for the recovery of debts as the deceased had when living.

302. Demands and rights of action of or against deceased survive to and against executor or administrator.- All demands whatsoever and all rights to prosecute or defend any action or special proceeding existing in favour of or against a person at the time of her/his decease, survive to and against her/his executors or administrators; except causes of action for defamation, assault, as defined in the Bharatiya Nyaya Sanhita, 2023 (Central Act No. 45 of 2023), or other personal injuries not causing the death of the party; and except also cases where, after the death of the party, the relief sought could not be enjoyed or granting it would be nugatory.

Illustrations

- (i) A collision takes place on a railway in consequence of some neglect or default of an official, and a passenger is severely hurt, but not so as to cause death. He afterwards dies without having brought any action. The cause of action does not survive.
- (ii) A sues for divorce. A dies. The cause of action does not survive to his representative.

303. Power of executor or administrator to dispose of estate.- (1) Subject to the provisions of sub-section (2), an executor or administrator has power to dispose of the estate of the deceased, vested in her/him under section 210, either wholly or in part, in such manner as she/he may think fit.

Illustrations

- (i) The deceased has made a specific bequest of part of his estate. The executor, not having assented to the bequest, sells the subject of it. The sale is valid.
- (ii) The executor in the exercise of his discretion mortgages a part of the immoveable estate of the deceased. The mortgage is valid.

(2) The general power conferred by sub-section (1) shall be subject to the following restrictions and conditions, namely-

- (i) The power of an executor to dispose of immovable estate so vested in her/him is subject to any restriction which may be imposed in this behalf by the Will appointing her/him, unless probate has been granted to her/him and the Court which granted the probate permits her/him by an order in writing, notwithstanding the restriction, to dispose of any immovable estate specified in the order in a manner permitted by the order.
- (ii) An administrator may not, without the previous permission of the Court by which the letters of administration were granted-
 - (a) mortgage, charge or transfer by sale, gift, exchange or otherwise any immovable estate for the time being vested in her/him under section 210, or

- (b) lease any such estate for a term exceeding five years.
- (iii) A disposal of estate by an executor or administrator in contravention of clause (i) or clause (ii), as the case may be, is voidable at the instance of any other person interested in the estate.

(3) Before any probate or letters of administration is or are granted in such a case, there shall be endorsed thereon or annexed thereto a copy of sub-section (1) and clauses (i) and (iii) of sub-section (2), or of sub-section (1) and clauses (ii) and (iii) of sub-section (2), as the case may be.

(4) A probate or letters of administration shall not be rendered invalid by reason of the endorsement or annexure required by sub-section (3) not having been made thereon or attached thereto, nor shall the absence of such an endorsement or annexure authorise an executor or administrator to act otherwise than in accordance with the provisions of this section.

304. General powers of administration.- An executor or administrator may, in addition to, and not in derogation of any other powers of expenditure lawfully exercisable by her/him, incur expenditure –

- (a) on such acts as may be necessary for the proper care or management of any property belonging to any estate administered by her/him; and
- (b) with the previous permission of the District Judge, on such religious, charitable and other objects, and on such improvements, as may be reasonable and proper in the case of such estate.

305. Purchase by executor or administrator of deceased's estate.- If any executor or administrator purchases, either directly or indirectly, any part of the estate of the deceased, the sale is voidable at the instance of any other person interested in the estate sold.

306. Powers of several executors or administrators exercisable by one.- When there are several executors or administrators, the powers of all may, in the absence of any

direction to the contrary, be exercised by any one of them who has proved the Will or taken out administration.

Illustrations

- (i) One of several executors has power to release a debt due to the deceased.
- (ii) One has power to surrender a lease.
- (iii) One has power to sell the estate of the deceased whether movable or immovable.
- (iv) One has power to assent to a legacy.
- (v) One has power to endorse promissory note payable to the deceased.
- (vi) The Will appoints A, B, C and D to be executors, and directs that two of them shall be a quorum. No act can be done by a single executor.

307. Survival of powers on death of one of several executors or administrators.- Upon the death of one or more of several executors or administrators, in the absence of any direction to the contrary in the Will or grant of letters of administration, all the powers of the office become vested in the survivors or survivor.

308. Powers of administrator of effects unadministered.- The administrator of effects unadministered has, with respect to such effects, the same powers as the original executor or administrator.

309. Powers of administrator during minority.- An administrator during minority has all the powers of an ordinary administrator.

310. Powers of married executrix or administratrix.- When a grant of probate or letters of administration has been made to a married woman, she has all the powers of an ordinary executor or administrator.

Duties of an Executor or Administrator

311. As to deceased's funeral.- It is the duty of an executor to provide funds for the performance of the necessary funeral ceremonies of the deceased in a manner suitable to her/his condition, if she/he has left estate sufficient for the purpose.

312. Inventory and account.- (1) An executor or administrator shall, within six months from the grant of probate or letters of administration, or within such further time as the Court which granted the probate or letters may appoint, exhibit in that Court an inventory containing a full and true estimate of all the estate in possession, and all the credits, and also all the debts owing by any person to which the executor or administrator is entitled in that character; and shall in like manner, within one year from the grant or within such further time as the said Court may appoint, exhibit an account of the estate, showing the assets which have come to her/his hands and the manner in which they have been applied or disposed of.

(2) The High Court may prescribe the form in which an inventory or account under this section is to be exhibited.

(3) If an executor or administrator, on being required by the Court to exhibit an inventory or account under this section, intentionally omits to comply with the requisition, she/he shall be deemed to have committed an offence under section 211 of the Bharatiya Nyay Sanhita, 2023 (Central Act No. 45 of 2023).

(4) The exhibition of an intentionally false inventory or account under this section shall be deemed to be an offence under section 229 of the Bharatiya Nyay Sanhita, 2023 (Central Act No. 45 of 2023).

313. Inventory to include estate in any part of India in certain cases.- In all cases where a grant has been made of probate or letters of administration intended to have effect throughout India, the executor or administrator shall include in the inventory of the effects of the deceased all her/his moveable and immoveable estate situate in India, and the value of such estate situate in each State shall be separately stated in such inventory, and the probate or letters of administration shall be chargeable with a fee corresponding to the entire amount or value of the estate affected thereby wherever situate within India.

314. As to estate of, and debts owing to, deceased.-

The executor or administrator shall collect, with reasonable diligence, the estate of the deceased and the debts that were due to her/him at the time of her/his death.

315. Expenses to be paid before all debts.-

Funeral expenses to a reasonable amount, according to the degree and quality of the deceased, and death-bed charges, including fees for medical attendance, and board and lodging for one month previous to her/his death, shall be paid before all debts.

316. Expenses to be paid next after such expenses.-

The expenses of obtaining probate or letters of administration, including the costs incurred in or in respect of any judicial proceedings that may be necessary for administering the estate, shall be paid next after the funeral expenses and death-bed charges.

317. Wages for certain services to be next paid, and then other debts.-

Wages due for services rendered to the deceased within three months next preceding her/his death by any labourer, artisan or domestic servant shall next be paid, and then the other debts of the deceased according to their respective priorities (if any).

318. Save as aforesaid, all debts to be paid equally and rateably.-

Save as aforesaid, no creditor shall have a right of priority over another; but the executor or administrator shall pay all such debts as she/he knows of, including her/his own, equally and rateably as far as the assets of the deceased will extend.

319. Application of moveable estate to payment of debts where domicile not in India.-

(1) If the domicile of the deceased was not in India, the application of her/his moveable estate to the payment of her/his debts is to be regulated by the law of India.

(2) No creditor who has received payment of a part of her/his debt by virtue of sub-section (1) shall be entitled to share in the proceeds of the immoveable estate of the deceased unless

she/he brings such payment into account for the benefit of the other creditors.

Illustration

A dies, having his domicile in a country where instruments under seal have priority over instruments not under seal, leaving moveable estate to the value of 500,000 rupees, and immovable estate to the value of 1,000,000 rupees, debts on instruments under seal to the amount of 1,000,000 rupees, and debts on instruments not under seal to the same amount. The creditors holding instruments under seal received half of their debts out of the proceeds of the moveable estate. The proceeds of the immovable estate are to be applied in payment of the debts on instruments not under seal until one-half of such debts have been discharged. This will leave 500,000 rupees which are to be distributed rateably amongst all the creditors without distinction, in proportion to the amount which may remain due to them.

320. Debts to be paid before legacies.- Debts of every description must be paid before any legacy.

321. Executor or administrator not bound to pay legacies without indemnity.- If the estate of the deceased is subject to any contingent liabilities, an executor or administrator is not bound to pay any legacy without a sufficient indemnity to meet the liabilities whenever they may become due.

322. Abatement of general legacies.- If the assets, after payment of debts, necessary expenses and specific legacies, are not sufficient to pay all the general legacies in full, the latter shall abate or be diminished in equal proportions, and, in the absence of any direction to the contrary in the Will, the executor has no right to pay one legatee in preference to another, or to retain any money on account of a legacy to herself/himself or to any person for whom she/he is a trustee.

323. Non-abatement of specific legacy when assets sufficient to pay debts.- Where there is a specific legacy, and the assets are sufficient for the payment of debts and necessary expenses, the thing specified must be delivered to the legatee without any abatement.

324. Right under demonstrative legacy when assets sufficient to pay debts and necessary expenses.- Where there is a demonstrative legacy, and the assets are sufficient for the payment of debts and necessary expenses, the legatee has a preferential claim for payment of her/his legacy out of the fund from which the legacy is directed to be paid until such fund is exhausted and if, after the fund is exhausted, part of the legacy still remains unpaid, she/he is entitled to rank for the remainder against the general assets as for a legacy of the amount of such unpaid remainder.

325. Rateable abatement of specific legacies.- If the assets are not sufficient to answer the debts and the specific legacies, an abatement shall be made from the latter rateably in proportion to their respective amounts.

Illustration

A has bequeathed to B a diamond ring valued at 50,000 rupees, and to C a motor vehicle, valued at 100,000 rupees. It is found necessary to sell all the effects of the testator; and his assets, after payment of debts, are only 100,000 rupees. Of this sum, 33,333 rupees are to be paid to B, and 66,667 rupees to C.

326. Legacies treated as general for purpose of abatement.- For the purpose of abatement, a legacy for life, a sum appropriated by the Will to produce an annuity, and the value of an annuity when no sum has been appropriated to produce it, shall be treated as general legacies.

Assent to a legacy by Executor or Administrator

327. Assent necessary to complete legatee's title.- The assent of the executor or administrator is necessary to complete a legatee's title to her/his legacy.

Illustrations

- (i) A by his Will bequeaths to B his Government paper which is in deposit with the State Bank of India. The Bank has no authority to deliver the securities, nor B a right to take possession of them, without the assent of the executor.

- (ii) A by his Will has bequeathed to C his house in Bundi in the tenancy of B. C is not entitled to receive the rents without the assent of the executor or administrator.

328. Effect of executor's assent to specific legacy.- (1)

The assent of the executor or administrator to a specific bequest shall be sufficient to divest her/his interest as executor or administrator therein, and to transfer the subject of the bequest to the legatee, unless the nature or the circumstances of the estate require that it shall be transferred in a particular way.

(2) This assent may be verbal, and it may be either express or implied from the conduct of the executor or administrator.

Illustrations

- (i) A horse is bequeathed. The executor requests the legatee to dispose of it, or a third party proposes to purchase the horse from the executor, and she/he directs her/him to apply to the legatee. Assent to the legacy is implied.
- (ii) The interest of a fund is directed by the Will to be applied for the maintenance of the legatee during her/his minority. The executor commences so to apply it. This is an assent to the whole of the bequest.
- (iii) A bequest is made of a fund to A and after her/him to B. The executor pays the interest of the fund to A. This is an implied assent to the bequest to B.
- (iv) Executors die after paying all the debts of the testator, but before satisfaction of specific legacies. Assent to the legacies may be presumed.
- (v) A person to whom a specific article has been bequeathed takes possession of it and retains it without any objection on the part of the executor. Her/his assent may be presumed.

329. Conditional assent.- The assent of an executor or administrator to a legacy may be conditional, and if the condition is one which she/he has a right to enforce, and it is not performed, there is no assent.

Illustrations

- (i) A bequeaths to B his lands of Bundi, which at the date of the Will, and at the death of A, were subject to a mortgage for

500,000 rupees. The executor assents to the bequest, on condition that B shall within a limited time pay the amount due on the mortgage at the testator's death. The amount is not paid. There is no assent.

- (ii) The executor assents to a bequest on condition that the legatee shall pay her/him a sum of money. The payment is not made. The assent is nevertheless valid.

330. Assent of executor to her/his own legacy.- (1)

When the executor or administrator is a legatee, her/his assent to her/his own legacy is necessary to complete her/his title to it, in the same way as it is required when the bequest is to another person, and her/his assent may, in like manner, be expressed or implied.

(2) Assent shall be implied if in her/his manner of administering the estate she/he does any act which is referable to her/his character of legatee and is not referable to her/his character of executor or administrator.

Illustration

An executor takes the rent of a house or the interest of Government securities bequeathed to him and applied it to her/his own use. This is assent.

331. Effect of executor's assent.- The assent of the executor or administrator to a legacy gives effect to it from the death of the testator.

Illustrations

- (i) A legatee sells her/his legacy before it is assented to by the executor. The executor's subsequent assent operates for the benefit of the purchaser and completes her/his title to the legacy.
- (ii) A bequeaths 100,000 rupees to B with interest from her/his death. The executor does not assent to her/his legacy until the expiration of a year from A's death. B is entitled to interest from the death of A.

332. Executor when to deliver legacies.- An executor or administrator is not bound to pay or deliver any legacy until the expiration of one year from the testator's death.

Illustration

A by her/his Will directs her/his legacies to be paid within six months after her/his death. The executor is not bound to pay them before the expiration of a year.

Payment and Apportionment of Annuities

333. Commencement of annuity when no time fixed by Will.- Where an annuity is given by a Will and no time is fixed for its commencement, it shall commence from the testator's death, and the first payment shall be made at the expiration of a year next after that event.

334. When annuity, to be paid quarterly or monthly, first falls due.- Where there is a direction that the annuity shall be paid quarterly or monthly, the first payment shall be due at the end of the first quarter or first month, as the case may be, after the testator's death; and shall, if the executor or administrator thinks fit, be paid when due, but the executor or administrator shall not be bound to pay it till the end of the year.

335. Dates of successive payments when first payment directed to be paid within a given time or on day certain: death of annuitant before date of payment.- (1) Where there is a direction that the first payment of an annuity shall be made within one month or any other division of time from the death of the testator, or on a day certain, the successive payments are to be made on the anniversary of the earliest day on which the Will authorises the first payment to be made.

(2) If the annuitant dies in the interval between the times of payment, an apportioned share of the annuity shall be paid to her/his representative.

Investment of Funds to Provide for Legacies

336. Investment of sum bequeathed, where legacy, not specific, given for life.- Where a legacy, not being a specific legacy, is given for life, the sum bequeathed shall at the end of the year be invested in such securities as the High Court may by any

general rule authorise or direct, and the proceeds thereof shall be paid to the legatee as the same shall accrue due.

337. Investment of general legacy, to be paid at future time and disposal of intermediate interest.- (1) Where a general legacy is given to be paid at a future time, the executor or administrator shall invest a sum sufficient to meet it in securities of the kind mentioned in section 336.

(2) The intermediate interest shall form part of the residue of the testator's estate.

338. Procedure when no fund charged with, or appropriated to, annuity.- Where an annuity is given and no fund is charged with its payment or appropriated by the Will to answer it, a Government annuity of the specified amount shall be purchased, or, if no such annuity can be obtained, then a sum sufficient to produce the annuity shall be invested for that purpose in securities of the kind mentioned in section 336.

339. Transfer to residuary legatee of contingent bequest.- Where a bequest is contingent, the executor or administrator is not bound to invest the amount of the legacy, but may transfer the whole residue of the estate to the residuary legatee, if any, on her/his giving sufficient security for the payment of the legacy, if it shall become due.

340. Investment of residue bequeathed for life, without direction to invest in particular securities.- Where the testator has bequeathed the residue of her/his estate to a person for life without any direction to invest it in any particular securities, so much thereof as is not at the time of the testator's decease invested in securities of the kind mentioned in section 336 shall be converted into money and invested in such securities.

341. Investment of residue bequeathed for life, with direction to invest in specified securities.- When the testator has bequeathed the residue of her/his estate to a person for life with a direction that it shall be invested in certain specified securities, so much of the estate as is not at the time of her/his death invested in securities of the specified kind shall be converted into money and invested in such securities.

342. Time and manner of conversion and investment.-

Such conversion and investment as are contemplated by sections 340 and 341 shall be made at such times and in such manner as the executor or administrator thinks fit; and, until such conversion and investment are completed, the person who would be for the time being entitled to the income of the fund when so invested shall receive interest at the rate of six per cent per annum upon the market-value (to be computed as at the date of the testator's death) of such part of the fund as has not been so invested.

343. Procedure when minor entitled to immediate payment or possession of bequest, and no direction to pay to person on her/his behalf.-

(1) Where, by the terms of a bequest, the legatee is entitled to the immediate payment or possession of the money or thing bequeathed, but is a minor, and there is no direction in the Will to pay it to any person on her/his behalf, the executor or administrator shall pay or deliver the same into the Court of the District Judge, by whom or by whose District Delegate the probate was, or letters of administration with the Will annexed was, granted to the account of the legatee.

(2) Such payment into the Court of the District Judge shall be a sufficient discharge for the money so paid.

(3) Money when paid in under this section shall be invested in the purchase of Government securities, which, with the interest thereon, shall be transferred or paid to the person entitled thereto, or otherwise applied for her/his benefit, as the Judge may direct.

Produce and Interest of Legacies

344. Legatee's title to produce specific legacy.- The legatee of a specific legacy is entitled to the clear produce thereof, if any, from the testator's death.

Exception -A specific bequest, contingent in its terms, does not comprise the produce of the legacy between the death of the testator and the vesting of the legacy. The clear produce of it forms part of the residue of the testator's estate.

Illustrations

- (i) A bequeaths his flock of sheep to B. Between the death of A and delivery by his executor the sheep are shorn or some of the ewes produce lambs. The wool and lambs are the estate of B.
- (ii) A bequeaths his Government securities to B, but postpones the delivery of them till the death of C. The interest which falls due between the death of A and the death of C belongs to B, and must, unless he is a minor, be paid to him as it is received.
- (iii) The testator bequeaths all his four per cent Government promissory notes to A when he shall complete the age of 18. A, if he completes that age, is entitled to receive the notes, but the interest which accrues in respect of them between the testator's death and A's completing 18, forms part of the residue.

345. Residuary legatee's title to produce of residuary fund.- The legatee under a general residuary bequest is entitled to the produce of the residuary fund from the testator's death.

Exception.- A general residuary bequest contingent in its terms does not comprise the income which may accrue upon the fund bequeathed between the death of the testator and the vesting of the legacy. Such income goes as undisposed of.

Illustrations

- (i) The testator bequeaths the residue of his estate to A, a minor, to be paid to him when he shall complete the age of 18. The income from the testator's death belongs to A.
- (ii) The testator bequeaths the residue of his estate to A when he shall complete the age of 18. A, if he completes that age, is entitled to receive the residue. The income which has accrued in respect of it since the testator's death goes as undisposed of.

346. Interest when no time fixed for payment of general legacy.- Where no time has been fixed for the payment of a general legacy, interest begins to run from expiration of one year from the testator's death.

Exceptions.—

- (1) Where the legacy is bequeathed in satisfaction of a debt, interest runs from the death of the testator.
- (2) Where the testator was a parent or a more remote ancestor of the legatee, or has put herself/himself in the place of a parent of the legatee, the legacy shall bear interest from the death of the testator.
- (3) Where a sum is bequeathed to a minor with a direction to pay for her/his maintenance out of it, interest is payable from the death of the testator.

347. Interest when time fixed.- Where a time has been fixed for the payment of a general legacy, interest begins to run from the time so fixed. The interest up to such time forms part of the residue of the testator's estate.

Exception.- Where the testator was a parent or a more remote ancestor of the legatee, or has put herself/himself in the place of a parent of the legatee and the legatee is a minor, the legacy shall bear interest from the death of the testator, unless a specific sum is given by the Will for maintenance, or unless the Will contains a direction to the contrary.

348. Rate of interest.- The rate of interest shall be six per cent per annum.

349. No interest on arrears of annuity within first year after testator's death.- No interest is payable on the arrears of an annuity within the first year from the death of the testator, although a period earlier than the expiration of that year may have been fixed by Will for making the first payment of the annuity.

350. Interest on sum to be invested to produce annuity.- Where a sum of money is directed to be invested to produce an annuity, interest is payable on it from the death of the testator.

Refunding of Legacies

351. Refund of legacy paid under Court's orders.- When an executor or administrator has paid a legacy under the

order of a Court, she/he is entitled to call upon the legatee to refund in the event of the assets proving insufficient to pay all the legacies.

352. No refund if paid voluntarily.- When an executor or administrator has voluntarily paid a legacy, she/he cannot call upon a legatee to refund in the event of the assets proving insufficient to pay all the legacies.

353. Refund when legacy has become due on performance of condition within time allowed under section 137.- When the time specified in the Will for the performance of a condition has elapsed, without the condition having been performed, and the executor or administrator has thereupon, without fraud, distributed the assets; in such case, if further time has been allowed under section 137 for the performance of the condition, and the condition has been performed accordingly, the legacy cannot be claimed from the executor or administrator, but those to whom she/he has paid it are liable to refund the amount.

354. When each legatee compellable to refund in proportion.- When the executor or administrator has paid away the assets in legacies, and she/he is afterwards obliged to discharge a debt of which she/he had no previous notice, she/he is entitled to call upon each legatee to refund in proportion.

355. Distribution of assets.- Where an executor or administrator has given such notices as the High Court may, by any general rule, prescribe for creditors and others to send in to her/him their claims against the estate of the deceased she/he shall, at the expiration of the time therein named for sending in claims, be at liberty to distribute the assets, or any part thereof, in discharge of such lawful claims as she/he knows of, and shall not be liable for the assets so distributed to any person of whose claim she/he shall not have had notice at the time of such distribution:

Provided that nothing herein contained shall prejudice the right of any creditor or claimant to follow the assets, or any part thereof, in the hands of the persons who may have received the same.

356. Creditor may call upon legatee to refund.- A creditor who has not received payment of her/his debt may call upon a legatee who has received payment of her/his legacy to refund, whether the assets of the testator's estate were or were not sufficient at the time of her/his death to pay both debts and legacies; and whether the payment of the legacy by the executor or administrator was voluntary or not.

357. When legatee, not satisfied or compelled to refund under section 356, cannot oblige one paid in full to refund.- If the assets were sufficient to satisfy all the legacies at the time of the testator's death, a legatee who has not received payment of her/his legacy, or who has been compelled to refund under section 356, cannot oblige one who has received payment in full to refund, whether the legacy were paid to her/him with or without suit, although the assets have subsequently become deficient by the wasting of the executor.

358. When unsatisfied legatee must first proceed against executor, if solvent.- If the assets were not sufficient to satisfy all the legacies at the time of the testator's death, a legatee who has not received payment of her/his legacy must, before she/he can call on a satisfied legatee to refund, first proceed against the executor or administrator if she/he is solvent; but if the executor or administrator is insolvent or not liable to pay, the unsatisfied legatee can oblige each satisfied legatee to refund in proportion.

359. Limit to refunding of one legatee to another.- The refunding of one legatee to another shall not exceed the sum by which the satisfied legacy ought to have been reduced if the estate had been properly administered.

Illustration

A has bequeathed 24,000 rupees to B, 48,000 rupees to C, and 72,000 rupees to D. The assets are only 120,000 rupees and, if properly administered, would give 20,000 rupees to B, 40,000 rupees to C and 60,000 rupees to D. C and D have been paid their legacies in full leaving nothing to B. B can oblige C to refund 8,000 rupees, and D to refund 12,000 rupees.

360. Refunding to be without interest.- The refunding shall in all cases be without interest.

361. Residue after usual payments to be paid to residuary legatee.- The surplus or residue of the deceased's estate, after payment of debts and legacies, shall be paid to the residuary legatee when any has been appointed by the Will.

362. Transfer of assets from India to executor or administrator in country of domicile for distribution.- Where a person not having her/his domicile in India has died leaving assets both in India and in the country in which she/he had her/his domicile at the time of her/his death, and there has been a grant of probate or letters of administration in India with respect to the assets there and a grant of administration in the country of domicile with respect to the assets in that country, the executor or administrator, as the case may be, in India, after having given such notices as are mentioned in section 355, and after having discharged, at the expiration of the time therein named, such lawful claims as she/he knows of, may, instead of herself/himself distributing any surplus or residue of the deceased's estate to persons residing out of India who are entitled thereto, transfer, with the consent of the executor or administrator, as the case may be, in the country of domicile, the surplus or residue to her/him for distribution to those persons.

Liability of an Executor or Administrator for Devastation

363. Liability of executor or administrator for devastation.- When an executor or administrator misapplies the estate of the deceased, or subjects it to loss or damage, she/he is liable to make good the loss or damage so occasioned.

Illustrations

- (i) The executor pays out of the estate an unfounded claim. She/he is liable to make good the loss.
- (ii) The deceased had a valuable lease renewable by notice which the executor neglects to give at the proper time. The executor is liable to make good the loss.

- (iii) The deceased had a lease of less value than the rent payable for it, but terminable on notice at a particular time. The executor neglects to give the notice. She/he is liable to make good the loss.

364. Liability of executor or administrator for neglect to get any part of estate.-When an executor or administrator occasions a loss to the estate by neglecting to get in any part of the estate of the deceased, she/he is liable to make good the amount.

Illustrations

- (i) The executor absolutely releases a debt due to the deceased from a solvent person, or compounds with a debtor who is able to pay in full. The executor is liable to make good the amount.
- (ii) The executor neglects to sue for a debt till the debtor is able to plead that the claim is barred by limitation and the debt is thereby lost to the estate. The executor is liable to make good the amount.

CHAPTER -VI Succession Certificates

365. Court having jurisdiction to grant certificate.-The District Judge within whose jurisdiction the deceased ordinarily resided at the time of her/his death, or, if at that time she/he had no fixed place of residence, the District Judge, within whose jurisdiction any part of the estate of the deceased may be found, may grant a certificate under this Chapter.

366. Application for Certificate.- (1) Application for such a certificate shall be made to the District Judge by a petition signed and verified by or on behalf of the applicant in the manner prescribed by the Code of Civil Procedure, 1908 for the signing and verification of a plaint by or on behalf of a plaintiff, and setting forth the following particulars, namely-

- (a) the time of the death of the deceased;
- (b) the ordinary residence of the deceased at the time of her/his death and, if such residence was not within the local limits of the jurisdiction of the Judge to whom the

application is made, then the estate of the deceased within those limits;

- (c) the family or other near relatives of the deceased and their respective residences;
- (d) the right in which the petitioner claims;
- (e) the absence of any impediment under any provision of this Part or any other enactment, to the grant of the certificate or to the validity thereof if it were granted; and
- (f) the debts and securities in respect of which the certificate is applied for.

(2) If the petition contains any averment which the person verifying it knows or believes to be false, or does not believe to be true, that person shall be deemed to have committed an offence under section 235 of the Bharatiya Nyaya Sanhita, 2023 (Central Act No. 45 of 2023).

(3) Application for such a certificate may be made in respect of any debt or debts due to the deceased creditor or in respect of portions thereof.

367. Procedure on application.- (1) If the District Judge is satisfied that there is ground for entertaining the application, she/he shall fix a day for the hearing thereof and cause notice of the application and of the day fixed for the hearing-

- (a) to be served on any person to whom, in the opinion of the Judge, special notice of the application should be given, and
- (b) to be posted on some conspicuous part of the Court-house and published in such other manner, if any, as the Judge, subject to any rules made by the High Court in this behalf, thinks fit, and upon the day fixed, or as soon thereafter as may be practicable, shall proceed to decide in a summary manner the right to the certificate.

(2) When the Judge decides the right thereto to belong to the applicant, the Judge shall make an order for the grant of the certificate to her/him.

(3) If the Judge cannot decide the right to the certificate without determining questions of law or fact which seem to be too intricate and difficult for determination in a summary proceeding, she/he may nevertheless grant a certificate to the applicant if

she/he appears to be the person having prima facie the best title thereto.

(4) When there are more applicants than one for a certificate, and it appears to the Judge that more than one of such applicants are interested in the estate of the deceased, the Judge may, in deciding to whom the certificate is to be granted, have regard to the extent of interest and the fitness in other respects of the applicants.

368. Contents of certificate.- When the District Judge grants a certificate, she/he shall therein specify the debts and securities set forth in the application for the certificate, and may thereby empower the person to whom the certificate is granted-

- (1) to receive interest or dividends on, or
- (2) to negotiate or transfer, or
- (3) both to receive interest or dividends on, and to negotiate or transfer, the securities or any of them.

369. Requisition of security from grantee of certificate.- (1) The District Judge shall in any case in which she/he proposes to proceed under sub-section (3) or sub-section (4) of section 367, and may, in any other case, require, as a condition precedent to the granting of a certificate, that the person to whom she/he proposes to make the grant shall give to the Judge a bond with one or more surety or sureties, or other sufficient security, for rendering an account of debts and securities received by her/him and for indemnity of persons who may be entitled to the whole or any part of those debts and securities.

(2) The Judge may, on application made by petitioner and on cause shown to her/his satisfaction, and upon such terms as to security, or providing that the money received be paid into Court, or otherwise, as she/he thinks fit, assign the bond or other security to some proper person, and that person shall thereupon be entitled to sue thereon in her/his own name as if it had been originally given to her/him instead of to the Judge of the Court, and to recover, as trustee for all persons interested, such amount as may be recoverable thereunder.

370. Extension of certificate.- (1) A District Judge may, on the application of the holder of a certificate under this Chapter,

extend the certificate to any debt or security not originally specified therein, and every such extension shall have the same effect as if the debt or security to which the certificate is extended had been originally specified therein.

(2) Upon the extension of a certificate, powers with respect to the receiving of any security to which the certificate has been extended may be conferred, and a bond or further bond or other security for the purposes mentioned in section 369 may be required, in the same manner as upon the original grant of a certificate.

371. Forms of certificate and extended certificate.-

Certificates shall be granted and extensions of certificates shall be made, as nearly as circumstances admit, in the forms set forth in Schedule-7.

372. Amendment of certificate in respect of powers as to securities.- Where a District Judge has not conferred on the holder of a certificate any power with respect to a security specified in the certificate, or has only empowered her/him to receive interest or dividends on, or to negotiate or transfer the security, the Judge may, on application made by petitioner and on cause shown to her/his satisfaction, amend the certificate by conferring any of the powers mentioned in section 368 or by substituting any one for any other of those powers.

373. Mode of collecting Court-fees on certificate.- (1)

Every application for a certificate or for the extension of a certificate shall be accompanied by a deposit of a sum equal to the fee payable under the Court-Fees Act, 1870 (Act No. 7 of 1870), in respect of the certificate or extension applied for.

(2) If the application is allowed, the sum deposited by the applicant shall be expended, under the direction of the Judge, in the purchase of the stamp to be used for denoting the fee payable as aforesaid.

(3) Any sum received under sub-section (1) and not expended under sub-section (2) shall be refunded to the person who deposited it.

374. Local extent of certificate.- A certificate under this Chapter shall have effect throughout India.

375. Effect of certificate.- Subject to the provisions of this Chapter, the certificate of the District Judge shall, with respect to the debts and securities specified therein, be conclusive as against the persons owing such debts or liable on such securities, and shall, notwithstanding any defect, afford full indemnity to all such persons as regards all payments made, or dealings had, in good faith in respect of such debts or securities to or with the person to whom the certificate was granted.

376. Revocation of certificate.- A certificate granted under this Chapter may be revoked for any of the following causes, namely-

(1) that the proceedings to obtain the certificate were defective in substance;

(2) that the certificate was obtained fraudulently by the making of a false suggestion, or by the concealment from the Court of something material to the case;

(3) that the certificate was obtained by means of an untrue allegation of a fact essential in point of law to justify the grant thereof, though such allegation was made in ignorance or inadvertently;

(4) that the certificate has become useless and inoperative through circumstances;

(5) that a decree or order made by a competent Court in a suit or other proceeding with respect to effects comprising debts or securities specified in the certificate renders it proper that the certificate should be revoked.

377. Appeal.- (1) Subject to the other provisions of this Chapter, an appeal shall lie to the High Court from an order of a District Judge granting, refusing or revoking a certificate under this Chapter, and the High Court may, if it thinks fit, by its order on the appeal, declare the person to whom the certificate should be granted and direct the District Judge, on application being made therefor, to grant it accordingly, in supersession of the certificate, if any, already granted.

(2) An appeal under sub-section (1) must be preferred within the time allowed for an appeal under the Code of Civil Procedure, 1908 (Central Act No. 15 of 1908).

(3) Subject to the provisions of sub-section (1) and to the provisions as to reference to and revision by the High Court and as to review of judgment of the Code of Civil Procedure, 1908 (Central Act No. 15 of 1908), as applied by section 141 of that Code, an order of a District Judge under this Part shall be final.

378. Effect on certificate of previous certificate, probate or letters of administration.- Save as provided by this Part, a certificate granted thereunder in respect of any of the effects of a deceased person shall be invalid if there has been a previous grant of such a certificate or of probate or letters of administration in respect of the estate of the deceased person and if such previous grant is in force.

379. Validation of certain payment made in good faith to holder of invalid certificate.- Where a certificate under this Chapter has been superseded or is invalid by reason of the certificate having been revoked under section 376, or by reason of the grant of a certificate to a person named in an appellate order under section 377, or by reason of a certificate having been previously granted, or for any other cause, all payments made or dealings had, as regards debts and securities specified in the superseded or invalid certificate, to or with the holder of that certificate in ignorance of its supersession or invalidity, shall be held good against claims under any other certificate.

380. Effect of decisions under this Part, and liability of holder of certificate thereunder.- No decision under this Chapter upon any question of right between any parties shall be held to bar the trial of the same question in any suit or in any other proceeding between the same parties, and nothing in this Chapter shall be construed to affect the liability of any person who may receive the whole or any part of any debt or security, or any interest or dividend on any security, to account therefor to the person lawfully entitled thereto.

381. Investiture of inferior Courts with jurisdiction of District Court for purposes of this Part.- (1) The State Government may by notification in the Rajasthan Government Gazette, invest any Court inferior in grade to a District Judge with power to exercise the functions of a District Judge under this Chapter.

(2) Any inferior Court so invested shall, within the local limits of its jurisdiction, have concurrent jurisdiction with the District Judge in the exercise of all the powers conferred by this Chapter upon the District Judge, and the provisions of this Chapter relating to the District Judge shall apply to such an inferior Court as if it were a District Judge:

Provided that an appeal from any such order of an inferior Court as is mentioned in sub-section (1) of section 377 shall lie to the District Judge, and not to the High Court, and that the District Judge may, if she/he thinks fit, by her/his order on the appeal, make any such declaration and direction as that sub-section authorises the High Court to make by its order on an appeal from an order of a District Judge.

(3) An order of a District Judge on an appeal from an order of an inferior Court under the last foregoing sub-section shall, subject to the provisions as to reference to and revision by the High Court and as to review of judgment of the Code of Civil Procedure, 1908 (Central Act No. 15 of 1908), as applied by section 141 of that Code, be final.

(4) The District Judge may withdraw any proceedings under this Chapter from an inferior Court, and may either herself/himself dispose of them or transfer them to another such Court established within the local limits of the jurisdiction of the District Judge and having authority to dispose of the proceedings.

(5) A notification under sub-section (1) may specify any inferior Court specially or any class of such Courts in any local area.

(6) Any civil Court which for any of the purposes of any enactment is subordinate to, or subject to the control of, a District Judge shall, for the purposes of this section, be deemed to be a Court inferior in grade to a District Judge.

382. Surrender of superseded and invalid certificates.- (1) When a certificate under this Chapter has been

superseded or is invalid from any of the causes mentioned in section 379, the holder thereof shall, on the requisition of the Court which granted it, deliver it up to that Court.

(2) If she/he wilfully and without reasonable cause omits so to deliver it up, she/he shall be punishable with fine which may extend to ten thousand rupees, or with imprisonment for a term which may extend to three months or with both.

CHAPTER – VII

Miscellaneous

383. Savings.- Nothing in Chapter II of this Part shall authorise a testator to-

(1) bequeath estate which she/he could not have alienated *inter vivos*;

(2) deprive any persons of any right of maintenance of which she/he could not otherwise deprive them by Will.

Part – 3

Live-in Relationship

384. Submission of statement by partners to a live-in relationship.-(1) It shall be obligatory for partners to a live-in relationship within the State, whether they are residents of Rajasthan or not, to submit a statement of live-in relationship under sub-section (1) of section 387 to the Registrar within whose jurisdiction they are so living.

(2) Any resident(s) of Rajasthan staying in a live-in relationship outside the territory of the State may submit a statement of live-in relationship under sub-section (1) of section 387 to the Registrar within whose jurisdiction such resident(s) ordinarily resides.

385. Children of a live-in relationship.- Any child of a live-in relationship shall be a legitimate child of the couple.

386. When live-in relationships not to be registered.- A live-in relationship between two persons shall not be registered,-

(1) where the partners are within the degrees of prohibited relationship as defined under clause (d) of sub-section (1) of section 3:

Provided that the prohibitions will not apply to person(s) whose custom and usage permit the relationship, if it were a marriage;

(2) where either one, or both is married or is already in a live-in relationship; or

(3) where either one, or both is a minor; or

(4) where the consent of one of the partners was obtained by force, coercion, undue influence, misrepresentation or fraud as to any material fact or circumstance concerning the other partner, including her/his identity.

387. Procedure for registration of live-in relationship.- (1) Partners in a live-in relationship, or persons intending to enter into a live-in relationship, shall submit a statement of live-in relationship to the Registrar concerned in such format and in such manner as may be prescribed.

(2) The Registrar shall examine the contents of the statement of live-in relationship so submitted and satisfy herself/himself by conducting a summary inquiry that the live-in relationship is not of such a kind as is mentioned under section 386.

(3) In conducting summary inquiry under sub-section (2), the Registrar may summon the partners/persons or any other person for verification in the prescribed manner and require the partners/persons to supply additional information or evidence, if necessary.

(4) After conducting such summary inquiry as may be deemed appropriate, the Registrar shall, within thirty days of the receipt of the statement of live-in relationship under sub-section (1), either-

- (a) enter such statement in a prescribed register for registering the live-in relationship, and issue a registration certificate in the prescribed format to the partners/persons; or
- (b) refuse to register such statement, in which case the Registrar shall inform the partners/persons of the reasons in writing for such refusal.

388. Registration under this part only for record.-

Registration regarding live-in relationship under clause (a) of sub-section (4) of section 387 shall be only for the purposes of record.

389. Empowerment of Registrar under this Part, and maintenance of registers.- (1) The State Government may, by notification in the Official Gazette, empower a Registrar appointed under Part-1 to act as Registrar under this Part.

(2) The Registrar shall maintain registers for statements of live-in relationships and statements of termination of live-in relationships and such other registers and in such manner as may be prescribed.

390. Submission of statement of termination of live-in relationship.- Both partners to a live-in relationship, or either of them, may terminate it and submit a statement of termination in the prescribed format and in the prescribed manner to the Registrar within whose jurisdiction such resident(s) ordinarily resides, and provide a copy of such statement to the other partner in case only one of the partners terminates the live-in relationship. In such cases, the registrar shall issue a certificate regarding termination of the live-in relationship to both the partners, in a format prescribed by the State Government:

Provided that a live-in relationship shall automatically be considered terminated if both the partners marry each other in accordance with the relevant provisions of this Code.

391. Duties of Registrar.- (1) Any statement of live-in relationship submitted under sub-section (1) of section 387 shall be forwarded by the Registrar to the officer-in-charge of the local police station for record, and in case either of the partners is less than twenty-one years of age, also to the parents/guardians of such partner(s).

(2) If the Registrar comes to the conclusion that the relationship is of such a kind as is mentioned under section 386, or that the contents of the statement under sub-section (1) of section 387 are incorrect or suspicious, she/he shall inform the officer-in-charge of the local police station for appropriate action.

(3) On any statement of termination being submitted under section 390 by one partner to a live-in relationship, the Registrar

shall inform the other partner about such statement, and in case either of the partners is less than twenty-one years of age, also to the parents/guardians of such partner(s).

392. Notice for registration of live-in relationship.-

Where any partner(s) to a live-in relationship has failed to submit the statement of such relationship, the Registrar, either of her/his own motion or on receipt of a complaint or information in this regard, shall by notice require such partner(s) to submit a statement in a prescribed manner within thirty days from the date of receipt of such notice. On such statement being submitted, the Registrar shall act in accordance with the procedure laid down in the preceding provisions.

Offences and punishment

393. Punishment for non-submission of statement of live-in relationship.- Whoever stays in a live-in relationship for more than one month from the date of entering into such relationship without submitting the statement of such relationship under sub-section (1) of section 387 shall, on conviction, be punishable by a Judicial Magistrate with imprisonment for a term which may extend to three months or with fine not exceeding ten thousand rupees or with both.

394. Punishment for false averment in the statement of live-in relationship.- Any person who makes any averment in the statement of live-in relationship submitted under sub-section (1) of section 387 which is false and which she/he knows or has reason to believe to be false, or withholds any material fact therefrom affecting the decision of the Registrar whether to register such live-in relationship or refuse to do so, shall, on conviction, be punishable with imprisonment for a term which may extend to three months, or with fine not exceeding twenty-five thousand rupees, or with both.

395. Punishment for non-submission of statement of live-in relationship even after notice under section 392.- Any partner to a live-in relationship who fails to submit the statement of live-in relationship on being required by a notice to do so under

section 392 shall, on conviction, be punishable by a Judicial Magistrate with imprisonment for a term which may extend to six months or with fine not exceeding twenty-five thousand rupees or with both.

396. Punishment for obtaining consent for live-in relationship by force, coercion or fraud.- Whoever obtains the consent of any person by force, coercion or fraud to establish a live-in relationship shall be punishable with imprisonment for a term which may extend to five years and shall also be liable to fine.

397. Punishment for being in live-in relationship in contravention of sub-section (2) of section 386.- Whoever stays in a live-in relationship in contravention of sub-section (2) of section 386 shall be punishable with imprisonment for a term which may extend to five years and shall also be liable to fine:

Provided that, nothing in this sub-section shall apply to a person who has terminated the live-in relationship or whose partner has not been heard of for a period of seven years or more.

398. Punishment for being in live-in relationship with minor.- Any major person who lives in a live-in relationship with minor in contravention of sub-section (3) of section 386 shall be punishable according to the provisions contained in the Protection of Children from Sexual Offences Act, 2012 (Central Act No. 32 of 2012).

399. Maintenance.- If a woman gets deserted by her live-in partner, she shall be entitled to claim maintenance from her live-in partner for which she may approach the competent Court having jurisdiction over the place where they last cohabited, and in such a case the provisions contained in Chapter-V, Part -1 of this Code shall *mutatis-mutandis* apply.

400. Appeal against rejection of statement of live-in relationship.- (1) Where the Registrar rejects a statement of live-in relationship presented under sub-section (1) of section 387, both or either partner may, within a period of thirty days from the date of receipt of such rejection order, prefer an appeal to the Registrar

General or to an official designated by the State Government to decide such appeals, whose decision thereon shall be final:

Provided that the Registrar General or the designated official, may entertain an appeal presented beyond the prescribed period, on being satisfied, that there are sufficient grounds for not presenting the appeal within such period.

(2) An appeal under sub-section (1) shall be accompanied with a duly certified copy of the rejection order and shall be in such form and manner, as may be prescribed.

(3) While deciding the appeal, the Registrar General or the designated official, to whom the appeal under sub-section (1) has been preferred shall, after having regard to the circumstances and upon recording the reasons in writing, either direct the Registrar to enter the particulars in the prescribed register and issue registration certificate or confirm the order of the Registrar:

Provided that no order confirming the order of the Registrar shall be passed without providing the partners an opportunity of being heard.

(4) An appeal under sub-section (1) shall, as far as possible, be decided within a period of sixty days from the date of its filing.

401. Power to make rules.- The State Government may, by notification in the Official Gazette, make rules for carrying out the purposes of this Part.

Part – 4 **Miscellaneous**

402. Repeal and Savings.- (1) Subject to the provisions of section 2 of this Code, any law (statutory or otherwise), practice, custom and usage in force in the State immediately before the commencement of this Code relating to the matters covered by this Code, shall cease to have effect within the territory of the State, in so far as they are inconsistent with any of the provisions contained in this Code.

(2) Nothing contained in this Code shall affect any right, responsibility or obligation accrued or proceedings initiated under any law for the time being in force prior to the commencement of this Code relating to the matters covered by this Code and such

proceedings shall continue as per the law (statutory or otherwise), practice, custom and usage existing on the date of commencement of this Code.

(3) The Rajasthan Compulsory Registration of Marriages Act, 2009 (Act No. 16 of 2009) is hereby repealed.

403. Power to make rules.- (1) The State Government may, by notification in the Official Gazette, make rules for carrying out the purposes of this Code.

(2) Without prejudice to the generality of the foregoing power, such rules may provide for all or any of the following matters, namely-

- (a) facilitating the processes by putting in place electronic and digital systems, including electronic registers and allowing parties to make submissions and applications through designated web portals;
- (b) facilitation and encouragement of registration of marriages including compulsory registration for availing benefits under government sponsored welfare schemes; and
- (c) any other matter which is required to be, or may be, prescribed or provided for by rules.

404. Power to remove difficulties. (1) If any difficulty arises in giving effect to the provisions of the Code, the State Government may, by order published in the Official Gazette, make such provisions not inconsistent with the provisions of this Code as appear to it to be necessary or expedient for removing the difficulty:

Provided that no such order shall be made after the expiry of a period of two years from the commencement of this Code.

(2) Every order made under this section shall, as soon as may be after it is made, be laid before the State Legislative Assembly.

Schedule – 1
[See Section 3(1)(d)]
Lists of Prohibited Relationships

List – 1

1. Mother.
2. Father's widow (step-mother).
3. Mother's mother.
4. Mother's father's widow (step grand-mother).
5. Mother's mother's mother.
6. Mother's mother's father's widow (step great grand-mother).
7. Mother's father's mother.
8. Mother's father's father's widow (step great grand-mother).
9. Father's mother.
10. Father's father's widow (step grand-mother).
11. Father's mother's mother.
12. Father's mother's father's widow (step great grand-mother).
13. Father's father's mother.
14. Father's father's father's widow (step great grand-mother).
15. Daughter.
16. Son's widow.
17. Daughter's daughter.
18. Daughter's son's widow.
19. Son's daughter.
20. Son's son's widow.
21. Daughter's daughter's daughter.
22. Daughter's daughter's son's widow.
23. Daughter's son's daughter.
24. Daughter's son's son's widow.
25. Son's daughter's daughter.
26. Son's daughter's son's widow.
27. Son's son's daughter.
28. Son's son's son's widow.
29. Sister.
30. Sister's daughter.
31. Brother's daughter.
32. Mother's sister.
33. Father's sister.

34. Father's brother's daughter.
35. Father's sister's daughter.
36. Mother's sister's daughter.
37. Mother's brother's daughter.

Explanation.- For the purposes of this Part, the expression “widow” includes a divorced wife.

List – 2

1. Father.
2. Mother's husband (step-father).
3. Father's father.
4. Father's mother's husband (step grand-father).
5. Father's father's father.
6. Father's father's mother's husband (step great grand-father).
7. Father's mother's father.
8. Father's mother's mother's husband (step great grand-father).
9. Mother's father.
10. Mother's mother's husband (step grand-father).
11. Mother's father's father.
12. Mother's father's mother's husband (step great grand-father).
13. Mother's mother's father.
14. Mother's mother's mother's husband (step great grand-father).
15. Son.
16. Daughter's husband.
17. Son's son.
18. Son's daughter's husband.
19. Daughter's son.
20. Daughter's daughter's husband.
21. Son's son's son.
22. Son's son's daughter's husband.
23. Son's daughter's son.
24. Son's daughter's daughter's husband.
25. Daughter's son's son.
26. Daughter's son's daughter's husband.
27. Daughter's daughter's son.
28. Daughter's daughter's daughter's husband.

- 29. Brother.
- 30. Brother's son.
- 31. Sister's son.
- 32. Mother's brother.
- 33. Father's brother.
- 34. Father's brother's son.
- 35. Father's sister's son.
- 36. Mother's sister's son.
- 37. Mother's brother's son.

Explanation.- For the purposes of this part, the expression “husband” includes a divorced husband.

Schedule – 2
[See Section 55]
Lists of Heirs for Succession

Class – 1

1. Son.
2. Daughter.
3. Widow/Widower
4. Mother and father.
5. Son of a predeceased son.
6. Daughter of a predeceased son.
7. Son of a predeceased daughter.
8. Daughter of a predeceased daughter.
9. Widow of a predeceased son.
10. Son of a predeceased son of a predeceased son.
11. Daughter of a predeceased son of a predeceased son.
12. Widow of a predeceased son of a predeceased son.
13. Son of a predeceased daughter of a predeceased daughter.
14. Son of a predeceased daughter of a predeceased son.
15. Son of a predeceased son of a predeceased daughter.
16. Daughter of a predeceased daughter of a predeceased daughter.
17. Daughter of a predeceased son of a predeceased daughter.
18. Daughter of a predeceased daughter of a predeceased son.

Class – 2

<i>Entry I.</i>	(1)	Brother
	(2)	Sister
<i>Entry II.</i>	(1)	Brother's son.
	(2)	Sister's son.
	(3)	Brother's daughter.
	(4)	Sister's daughter.
<i>Entry III.</i>	(1)	Father's father.
	(2)	Father's mother.
<i>Entry IV.</i>	(1)	Father's widow (Step mother).
	(2)	Brother's widow.
<i>Entry V.</i>	(1)	Father's brother.
	(2)	Father's sister.
<i>Entry VI.</i>	(1)	Mother's father.
	(2)	Mother's mother.
<i>Entry VII.</i>	(1)	Mother's brother.
	(2)	Mother's sister.

Schedule – 3
[See Section 271(2)]
Form of Certificate

I,, Judge of the District of , hereby certify that on the day of , the Court granted probate of the Will (or letters of administration of the estate) of A.B. of (deceased) to C.D. of and E.F. of , and that such probate (or letters) has (or have) effect over all the estate of the deceased throughout India.

Schedule – 4
[See Section 281(4)]
Form of Caveat

Let nothing be done in the matter of the estate of A. B. of
(deceased), who died on the day of at , without
notice to C.D. of.....

Schedule – 5
[See Section 286]
Form of Probate

I, , Judge of the District of [or Delegate appointed for granting probate or letters of administration in *(here insert the limits of the Delegate's jurisdiction)*], hereby make known that on the day of in the year , the last Will of (deceased) of , a copy whereof is hereunto annexed, was proved and registered before me, and that administration of the estate and credits of the said deceased, and in any way concerning her/his Will was granted to , the executor in the said Will named, she/he having undertaken to administer the same, and to make a full and true inventory of the said estate and credits and exhibit the same in this Court within six months from the date of this grant or within such further time as the Court may, from time to time, appoint, and also to render to this Court a true account of the said estate and credits within one year from the same date, or within such further time as the Court may, from time to time, appoint.

Schedule – 6
[See Section 287]
Form of Letters of Administration

I,, Judge of the District of[or Delegate appointed for granting probate or letters of administration in *(here insert the limits of the Delegate's jurisdiction)*], hereby make known that on the day of letters of administration (with or without the Will annexed, as the case may be) of the estate and credits of (deceased) of were granted to , the (relation, if any) of the deceased, she/he having undertaken to administer the same and to make a full and true inventory of the said estate and credits and exhibit the same in this Court within six months from the date of this grant or within such further time as the Court may, from time to time, appoint, and also to render to this Court a true account of the said estate and credits within one year from the same date, or within such further time as the Court may, from time to time, appoint.

Schedule – 7
[See Section 371]
Forms of Certificate and Extended Certificate

In the Court of

To A.B.

Whereas you applied on the day of for a certificate under Chapter-6 of Part-2 of the Rajasthan Uniform Civil Code, 2026, in respect of the following debts and securities, namely:

Debts

<i>Serial Number</i>	<i>Name of Debtor</i>	<i>Amount of debt, including interest, on date of application for certificate</i>	<i>Description and date of instrument, if any, by which the debt is secured</i>

Securities

<i>Serial Number</i>	<i>Description</i>			<i>Market-value of security on date of application for certificate</i>
	<i>Distinguishing number or letter of security</i>	<i>Name, title or class of security</i>	<i>Amount or par value of security</i>	

This certificate is accordingly granted to you and empowers you to collect those debts [and] [to receive] [interest] [on] [dividends] [to negotiate] [to transfer] [those securities].

Dated this day of

District Judge

In the Court of

On the application of A. B. made to me on the day of , I hereby extend this certificate to the following debts and securities, namely:

Debts

<i>Serial Number</i>	<i>Name of Debtor</i>	<i>Amount of debt, including interest, on date of application for extension</i>	<i>Description and date of instrument, if any, by which the debt is secured</i>

Securities

<i>Serial Number</i>	<i>Description</i>			<i>Market-value of security on date of application for certificate</i>
	<i>Distinguishing number or letter of security</i>	<i>Name, title or class of security</i>	<i>Amount or par value of security</i>	

This extension empowers A. B. to collect those debts [*and*] [*to receive*] [*interest*] [*on*] [*dividends*] [*to negotiate*] [*to transfer*] [*those securities*].

Dated this day of

District Judge

STATEMENT OF OBJECTS AND REASONS

The State of Rajasthan recognizes the paramount importance of ensuring equality, justice, and uniformity in personal laws for all its citizens. In light of this, it is imperative to enact comprehensive legislation that not only harmonizes the laws relating to marriage, divorce, succession, and live-in relationships but also fosters a more equitable and secure social environment.

The key features of the proposed Bill include the establishment of a unified legal framework that transcends diverse customary practices, which will play a pivotal role in standardizing the conditions for valid marriages, grounds for divorce, and rights to maintenance. The Code applies to all residents of Rajasthan, while carefully preserving the protected customary rights of Scheduled Tribes and other specific groups as guaranteed by the Constitution. The Bill aims to uphold the principles of secularism, gender justice, and social reform thereby strengthening the unity and integrity of society.

The Bill outlines the appointment of a Registrar General and local Registrars to facilitate the efficient discharge of the Code's administrative functions. Additionally, it empowers the State Government to establish electronic registers and designated web portals to streamline the registration processes and ensure transparent record-keeping.

To further enhance social security and individual rights, the legislation introduces mandatory measures such as the compulsory registration of marriages and decrees of divorce. It establishes clear, standardized rules for both intestate and testamentary succession to ensure fair distribution of estates. The Bill places the responsibility on individuals to officially register these life events and mandates pre-litigation mediation to encourage the amicable settlement of disputes.

Furthermore, the Bill addresses modern social dynamics by requiring partners in live-in relationships to submit a formal statement of their relationship to the Registrar, thereby actively protecting the rights of the partners and ensuring the legitimacy of

children born from such unions. It also establishes a robust mechanism for dealing with non-compliance, including strict penalties and imprisonment for failing to register, submitting false information, or obtaining consent through fraud, force, or coercion.

The Bill seeks to achieve the aforesaid objectives.

Hence the Bill.

भजन लाल शर्मा,
Minister Incharge.

**MEMORANDUM REGARDING DELEGATED
LEGISLATION**

Clauses 10, 11, 13, 14, 15, 18, 19, 49, 219, 232, 312, 355, 387, 389, 390, 392, 400 and 403 of the Bill, if enacted shall empower the State Government or the High Court, as the case may be, to make rules with respect to the matters enumerated in the said clauses.

The proposed delegation is of normal character and relates to the matter of details.

भजन लाल शर्मा,
Minister Incharge.

Bill No. 13 of 2026

THE RAJASTHAN UNIFORM CIVIL CODE BILL, 2026

(To be introduced in the Rajasthan Legislative Assembly)

RAJASTHAN LEGISLATIVE ASSEMBLY

A

Bill

*to govern and regulate the laws relating to marriage and divorce,
succession, live-in relationship and matters related thereto.*

(To be introduced in the Rajasthan Legislative Assembly)

BHARAT BHUSHAN SHARMA,
Principal Secretary.

(Bhajan Lal Sharma, **Minister-Incharge**)

2026 का विधेयक सं. 13

राजस्थान समान सिविल संहिता विधेयक, 2026

(जैसाकि राजस्थान विधान सभा में पुरःस्थापित किया जायेगा)

राजस्थान विधान सभा

विवाह और विवाह-विच्छेद, उत्तराधिकार, लिव-इन रिलेशनशिप और इनसे संबंधित मामलों के संबंध में विधियों को शासित और विनियमित करने के लिए विधेयक।

(जैसाकि राजस्थान विधान सभा में पुरःस्थापित किया जायेगा)

भारत भूषण शर्मा,
प्रमुख सचिव।

(भजन लाल शर्मा, प्रभारी मंत्री)